चतुर्दश माला, खंड 6, अंक 13

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2004
26 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द
महासचिव
लोक स

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 13, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2004/26 अग्रहायण, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 246	2–37
अल्प सूचना प्रश्न संख्या-1	38–43
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 247 से 262	43–64
अतारांकित प्रश्न संख्या 2734 से 2963	63–376
सभा पटल पर रखे गए पत्र	376–398
राज्य सभा के संदेश	398
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
157वां से 159वां प्रतिवेदन	398–399
सभा का कार्य	399–402
कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	403
सदस्य द्वारा निवेदन	
कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि के कथित प्रस्ताव के बारे में	403–406
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005	422–442
श्री खारबेल स्वाईं	427–438
श्री अधीर चौधरी	439–442
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	442
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	443
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 100क का अंत:स्थापन)	
श्री सी.के. चंद्रप्पन	443

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(दो)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 239कक, आदि का संशोधन)	
	श्री सी.के. चंद्रप्पन	443
(तीन)	गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2004	
	योगी आदित्यनाथ	444
(चार)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)	
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	444–445
(पांच)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)	
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	445
(छह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 43क का संशोधन)	
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	445
(सात)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)	
	श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	446
(आठ)	हेरिटेज नगर (विकास) विधेयक, 2004	
	कुंवर मानवेन्द्र सिंह	446
(नौ)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 85, आदि का संशोधन)	
	श्री पवन कुमार बंसल	447
(दस)	उत्तरांचल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2004	
	श्री के.सी. सिंह "बाबा"	447–448
(ग्यारह)	द्रुत कार्यवाही बल विधेयक, 2004	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	448
(बारह)	शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण (गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए) विधेयक, 2004	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	448–449
(तेरह)	बाल दत्तक ग्रहण (विनियमन) विधेयक, 2004	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	449

विषय		कॉलम
(चौदह)	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक, 2004	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	449–450
(पन्द्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 130 का संशोधन)	
	श्री एस.के. खारवेनथन	450
(सोलह)	भारतीय वस्तु क्रय विधेयक, 2004	
	श्री सुनील खां	461
(सत्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 275 का संशोधन)	
	श्री सुरेश चंदेल	467–468
(अठारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004—*वापस लिया गया* (नए अनुच्छेद 21ख आदि का अंत:स्थापन)	451–461, 462–467, 468–496
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	451
	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	451–453
	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	453–455
	श्री के.एस. राव	455–461
	श्री वरकला राधाकृष्णन	462–464
	श्री शैलेन्द्र कुमार	464–467
	श्री एस.के. खारवेनथन	468–471
	श्री सुनील खां	471–472
	श्री हरिभाऊ राठौड़	472–474
	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	474–478
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	478–485
	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	485–486
	श्री के. चन्द्रशेखर राव	486–489, 493–496
	श्री बसुदेव आचार्य	489–493
(उन्नीस)	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004—*विचाराधीन*	496–498
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	496
	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	496–498

विषय	कॉलम
आधे घंटे की चर्चा	
लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन	498–514
डा. चिन्ता मोहन	498–502
श्री संतोष गंगवार	502–504
प्रो. रासा सिंह रावत	504
श्री के.एस. राव	505–507
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	507
श्री महावीर प्रसाद	508–514
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	515
अल्प सूचना प्रश्न की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	516
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	516–524
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	525–526
अल्प सूचना प्रश्न की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	525–526
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	525–526

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका
श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2004/26 अग्रहायण, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को हमारे एक पूर्व साथी, श्री हरिहर सोरेन के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री हरिहर सोरेन, 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उड़ीसा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक निष्ठावान संसदविद् श्री सोरेन 1985 से 1986 तक संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से एक कृषक तथा वकील और जुझारू सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में श्री सोरेन ने छुआछूत के उन्मूलन और आदिवासी भाषा के विकास के लिए अनवरत कार्य किया।

श्री सोरेन ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज के गरीब तथा दलित वर्गों की सेवा में अर्पित किया।

श्री हरिहर सोरेन का निधन, 28 नवम्बर, 2004 को 75 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात् राउरकेला, उड़ीसा में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

अपराह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बैंक ऋण चूककर्त्ता

+

***243. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाली पहचान की गई चूककर्त्ता कंपनियों की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार को बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के मानदण्डों के भारी उल्लंघन के मामलों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मानदण्डों के उल्लंघन में लिप्त बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार कितने चूककर्त्ताओं के नाम काली सूची में डाले गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ''ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया-2003-2004'' संबंधी रिपोर्ट जारी की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या प्राथमिकता क्षेत्रों की तुलना में कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में भारी कमी आई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (झ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार मुकदमा दायर खातों की संख्या/राशि (बैंक-वार/संस्था-वार) जिसमें वसूल की जाने वाली राशि 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा जब वसूली के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ऋणों को अंतिम उपाय के रूप में या उधारकर्त्ताओं के साथ निपटान के भाग के रूप में बट्टे खाते डाला जाता है। प्रधान कार्यालय की बहियों से अशोध्य ऋणों के इस तकनीकी बट्टे खाते डाले जाने से बैंकों को कर लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। तथापि, ऋण शाखाओं की बहियों में बकाया बने रहते हैं और उनकी वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। उपयुक्त स्तरों पर उचित विचार करने के पश्चात् बट्टे खाते डालने का कार्य किया जाता है। इस क्रियाकलाप में कर्मचारियों की भूमिका की भी पुनरीक्षा की जाती है। चूककर्त्ता कर्मचारियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा लागू मानदण्डों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है।

(घ) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपए या अधिक ऋणों की भुगतान न करने तथा 25 लाख रुपए तथा उससे अधिक की जानबूझकर चूक के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल) द्वारा प्रकाशित सूची में आने वाले चूककर्त्ताओं के नामों की संख्या निम्नानुसार है:-

मद	मुकदमा दायर खातों की संख्या
1 करोड़ रुपए और अधिक की चूक	10340
25 लाख रुपए और अधिक की जानबूझकर चूक	2647

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2003-04 के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट, अर्थात् www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। इस प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यनिष्पादन की व्यापक समीक्षा देता है।

(छ) और (ज) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की तुलना में कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	सकल अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत	सकल अनुपयोज्य आस्तियां	सकल अनुपयोज्य आस्तियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	23840	46.82	24938	47.23
कृषि	7240	14.43	7707	14.60
एसएसआई	8838	17.62	10162	19.24
अन्य	7762	15.4	7069	13.39

(झ) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की वसूली के लिए कतिपय उपाय निर्धारित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार करना तथा उनका क्रियान्वयन करना, सिविल न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, समझौता निपटान तथा विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों की निगरानी तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई किया जाना शामिल है। बैंकों के बीच उधारकर्त्ताओं के बारे में सूचना के प्रसार के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो की स्थापना की गई है। कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) योजना तैयार की गई है ताकि आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण समस्याओं का सामना कर रही अर्थक्षम कंपनियों के कारपोरेट ऋणों के पुनर्निर्धारण हेतु पारदर्शी तंत्र प्रदान किया जा सके। आस्ति पुनर्गठन कंपनी (भारत लि.) को अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या से निपटान के लिए निगमित किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के हाल के संशोधन ने बैंकों की वसूली प्रक्रिया को और मजबूत किया है।

अनुबंध

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रुपए और उससे अधिक के मुकदमा दायर खाते

क्र.सं.	राष्ट्रीयकृत बैंक	रिकार्डों की संख्या	रुपए करोड़ में
1	2	3	4
1.	केनरा बैंक	478	4275.66
2.	बैंक आफ बड़ौदा	547	3856.14
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	618	3288.48
4.	इंडियन बैंक	559	3146.69
5.	बैंक आफ बड़ौदा	515	2486.31
6.	पंजाब नैशनल बैंक	346	2193.56
7.	देना बैंक	280	2051.87
8.	इलाहाबाद बैंक	146	1285.06
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	163	1103.30
10.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	240	1006.39
11.	बैंक आफ महाराष्ट्र	185	938.36
12.	विजया बैंक	123	638.98
13.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	116	476.80
14.	आंध्रा बैंक	99	423.62
15.	यूको बैंक	113	394.86
16.	पंजाब एंड सिंध बैंक	166	383.55
17.	सिंडिकेट बैंक	125	361.49
18.	कार्पोरेशन बैंक	43	360.09
	योग	4,862	28671.21
	भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंक		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1194	6806.64
2.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	169	1064.56
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	162	735.69
4.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	99	580.14
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	77	520.09
6.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	82	378.66
7.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	63	341.04
8.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	105	7.29
	योग	1,951	10434.11
	वित्तीय संस्थाएं		
1.	आईएफसीआई लि.	668	10778.03
2.	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि.	232	1282.72
3.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	28	445.59
4.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	76	296.07
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम	19	170.46
6.	आईडीबीआई (सितम्बर 2003 की स्थिति के अनुसार)	891	78.91
	योग	1,914	13051.78
	विदेशी बैंक		
1.	बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिसी लि.	31	506.45
2.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	33	257.43
3.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	29	207.48
4.	एबीएन आमरो बैंक एन.वी.	4	196.05
5.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोस्वीज	14	88.97
6.	डयूश बैंक एजी	8	81.07
7.	स्टेट बैंक आफ मारीशश लि.	7	72.25
8.	सोसिएट जनरेल	5	40.66
9.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक	6	35.56

1	2	3	4
10.	सिटी बैंक एनए	5	31.85
11.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	3	30.42
12.	मशरक बैंक	7	29.03
13.	क्रेडिट लियोनेस	2	10.41
14.	मिजूहो कारपोरेट बैंक लि.	1	6.58
15.	बैंक आफ अमरीका	1	1.50
	योग	63	1595.71
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		
1.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	492	3277.65
2.	इंडस्इंड बैंक लि.	117	1498.51
3.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	92	623.61
4.	फेडरल बैंक लि.	61	360.48
5.	कर्नाटक बैंक लि.	87	333.63
6.	सेंचूरियन बैंक लि.	53	294.58
7.	बैंक आफ राजस्थान लि.	81	279.52
8.	साऊथ इंडियन बैंक लि.	54	251.45
9.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	35	201.67
10.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	18	197.42
11.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	48	167.02
12.	एचडीएफसी बैंक लि.	23	162.27
13.	बैंक आफ पंजाब लि.	19	142.43
14.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	39	133.53
15.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	36	111.79
16.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	32	108.82
17.	करूर वैश्य बैंक	26	102.48
18.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	32	96.23
19.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	36	96.22
20.	सिटी यूनियन बैंक लि.	32	89.03
21.	यूटीआई बैंक लि.	13	65.59
22.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	16	53.75
23.	सांगली बैंक लि.	13	24.29
24.	कोटक महिन्द्रा बैंक	1	1.43
25.	नैनीताल बैंक लि.	1	1.22
	योग	1.457	8674.63
	कुल योग	10340	62427.44

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में एक करोड़ से अधिक की राशि वाले डिफाल्टर्स खातों की संख्या और बैंकों के नाम दिए हैं, लेकिन देश में ऐसे कितने सहकारी बैंक, उनके नाम आपने उत्तर में नहीं दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी सहकारी बैंक में एक करोड़ रुपये से ज्यादा राशि वाले डिफाल्टर्स खाते नहीं हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह प्रश्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा चिह्नित चूककर्त्ता कंपनियों के बारे में है और फिर इसमें भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बारे में सूचना दे दी है। हमने सहकारी बैंकों के बारे में सूचना दे दी है। हमने सहकारी बैंकों के बारे में सूचना एकत्रित नहीं की है। इनसे संबंधित सूचना राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से राज्यवार एकत्रित करनी होगी। इसलिए हमने इनसे संबंधित सूचना नहीं दी है। हमने निजी क्षेत्र के बैंकों सहित केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में स्पैसीफिकली पूछा था- बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा चिह्नित चूककर्त्ता कंपनियों की संख्या कितनी है। मैंने बैंकिंग क्षेत्र के सभी फाइनैन्शयल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन सहकारी बैंकों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। आप कृपया प्रश्न के सन्दर्भ को देखें। प्रश्न के सभी भागों के सन्दर्भ में बैंक तथा वित्तीय संस्थान का तात्पर्य है वे बैंक और वित्तीय संस्थान जो केन्द्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यदि आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक तथा दूसरे सहकारी बैंकों में से चूककर्त्ता बैंकों की सूची एकत्र करूं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, तो मैं उनकी सूची एकत्र कर आपको दे दूंगा। लेकिन मैंने अपने उत्तर में इन बैंकों का उल्लेख नहीं किया है। मैंने यह आपको पहले ही बता दिया है। मैंने केवल केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बारे में जानकारी दी है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस बारे में कोई और विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे अनुपूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि सहकारी बैंकों के बारे में हमें जानकारी मिल जायेगी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मेरा दूसरा सप्लीमैंट्री प्रश्न है कि चूककर्त्ता बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में ऐसे कितने चूककर्त्ता बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। अगर की गयी है, तो मंत्री जी उसका ब्यौरा दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: यदि कोई बैंक कर्मचारी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो बैंक उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। इस प्रश्न का उत्तर देते समय मेरे लिए यह कैसे संभव है कि उन सभी कर्मचारियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करूं जिनके विरुद्ध बैंकों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि मुझे उत्तर के लिए जो समय दिया जाता है। उसमें मैंने उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न संबंधी सूचना एकत्र की है। अब तक कितने लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। इस बारे में सारी सूचना एकत्र करना संभव नहीं है। यदि आप मुझसे किसी विशिष्ट बैंक के बारे में सूचना मांगते हैं तो मैं उस बैंक से यह सूचना एकत्र कर सभा को दे सकता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, गैर-निष्पादित आस्तियां एक बहुत बड़ी धनराशि है और अनुमान है कि यह 1,00,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काली सूची में डाले गये चूककर्त्ताओं को भविष्य में राष्ट्रीयकृत तथा अनुसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त करने से रोकने के लिए कोई कानून बनायेगी और उनके नामों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करायेगी और उनके द्वारा लिये गये ऋणों की वसूली के लिए उनकी सम्पत्तियों को जब्त करेगी।

श्री पी. चिदम्बरम: विगत कुछ वर्षों में ऋणों, विशेषकर ऐसे ऋणों जिनकी जानबूझकर अदायगी नहीं की जा रही है, की वसूली के लिए सख्त कानून बनाये गये हैं। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया है। इसके अलावा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सारपेसी एक्ट) पारित किया गया है। इस सभा ने गत सप्ताह ही इस अधिनियम (सारफेसी एक्ट) में संशोधन किया है, और इसके ऐसे कुछ उपबन्धों को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। जिनकी ओर भारत के उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया था। मैं समझता हूं इस बारे में पर्याप्त कानून है। अब जिस बात की आवश्यकता है वह है इन कानूनों को लागू करने की इच्छा शक्ति। अब जब सभा ने सारफेसी एक्ट को सुदृढ़ बना दिया है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम तथा 'सारफेसी एक्ट' दोनों के तहत कार्यवाही करें।

जहां तक नाम प्रकाशित किये जाने का संबंध है जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं, उत्तरवर्ती वित्त मंत्रियों द्वारा कई बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बैंकिंग कानून विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45ई के उपबंधों के अंतर्गत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त प्राप्त करने वाले लोगों के नाम प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिभूतिकरण अधिनियम के पारित होने के बाद गैर-निष्पादित आस्तियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? इन उपबन्धों का आश्रय लेकर बैंक कितने मामलों में ऋणों की वसूली कर पाने में समर्थ हो पाये हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: 'सारफेसी एक्ट' पारित किये जाने के बाद, 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 61,263 बकाया मामलों में नोटिस जारी किये गये और 24,092 बकाया मामलों में वसूली की गयी। इन बकाया मामलों में से 1,748 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली गई। यह आंकड़े 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार है। इसके बाद, तो हम जानते ही हैं कि लगभग एक वर्ष से ये मामले उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय में इन मामलों के लंबित होने के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत

कार्यवाही रोक दी गयी है। अब चूंकि सभा ने इस अधिनियम में संशोधन कर दिया है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन मामलों में अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री खारबेल स्वाईं: जहां तक ऋणों की वसूली का संबंध है, माननीय मंत्री जी ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऋण वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पास आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी वे बकाया ऋण की वसूली नहीं कर पाते हैं। ऋण वसूली का कार्य ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के ऋण वसूली कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन वहां उनकी संख्या पर्याप्त नहीं होती। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने बैंक के ऋण वसूली कर्मचारियों से सहायता लेने से भी इनकार कर दिया है। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है? क्या मंत्री जी कृपया इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इस समस्या से अवगत हूं। इस समय ऋण वसूली का कार्य न्यायाधिकरण के ऋण वसूली अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस बारे में जो मेरा आकलन है वह यह है कि यह बहुत ही असंतोषजनक प्रक्रिया है।

मैं इस मामले को देख रहा हूं, तथा मैं अन्य वर्गों के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करने के बारे में सोच रहा हूं जो वसूली अधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। परन्तु इसके लिए या तो कानून में संशोधन करना होगा या नियम बदलने होंगे। इस पर मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी: भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को समझौते के जरिए निपटाने के लिए दिनांक 29.1.2003 को मार्गनिर्देश जारी किया था। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई उन मौलिक अधिकारों का हनन करता है जिसे हमारे नागरिकों ने उन्हें भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किया था?

दिनांक 29.1.2003 के भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों के उन कर्जदारों के लिए क्या उपचार है जो अपने बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अपने गैर निष्पादनकारी आस्तियों को निपटाने के लिए अनुरोध करते हैं? क्या भारतीय रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई हमारे नागरिकों के बीच विभेद करती है?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे नहीं लगता कि उनका अनुपूरक प्रश्न इस प्रश्न की परिधि के अंतर्गत उठता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एकबारगी निपटान के लिए मार्गनिर्देश जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निगमित ऋण पुनर्निर्धारण के लिए मार्गनिर्देश जारी किया है। यदि माननीय सदस्या एकबारगी निपटान मार्गनिर्देशों का हवाला दे रही हैं तो मैं सोचता हूं कि एकबारगी निपटान करना, 10 वर्षों तक वसूली करते रहने के लिए पीछे से बहुत बेहतर है। आपको दोनों को संतुलित करना है। क्या 10 वर्षों तक मुकदमेबाजी में पड़ने के बजाए एकबारगी 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत वसूलना बेहतर नहीं है?

मेरा मानना है कि ये मार्गनिर्देश ठोस मार्गनिर्देश हैं। इनमें समय-समय पर सुधार लाया गया है। मेरे अनुसार, इन मार्गनिर्देशों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, हमें इन मार्गनिर्देशों का उपयोग करना चाहिए तथा मामले निपटाना चाहिए। कई समितियां हैं, जो संबंधित बैंकों का मार्गनिर्देशन करती हैं। इनमें से कई समितियों के प्रमुख अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं जो इसके बाद सलाह देते हैं कि यह मामला एकबारगी निपटान के लिए है। इसे बैंक का बोर्ड स्वीकार करता है।

अत:, मैं मानता हूं कि ये मार्गनिर्देश सही हैं। यदि इन मार्गनिर्देशों में किसी सुधार की आवश्यकता है, यदि माननीय सदस्या कोई सुझाव देना चाहती हैं तो इसे मैं अवश्य ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दूंगा।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, ऐसे कई बैंक हैं जिनमें राज्यों की बहुत बड़ी धनराशि जमा होती है, उनके द्वारा बहुत कम निवेश किया जाता है। हालांकि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कड़े निर्देश दिया हुआ है, तथापि, जहां तक केरल का संबंध है वहां बैंकों द्वारा निवेश काफी कम है। अत:, क्या माननीय मंत्री जी इस मुद्दे पर विचार करेंगे और इन बैंकों को निवेश करने के लिए कड़े निर्देश जारी करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: हमारे देश जैसे बड़े देशों में, आर्थिक गतिविधियां एक समान रूप से फैली हुई नहीं हैं। यह संभव नहीं है कि ऋण जमा अनुपात एकदम 1:1 हो। यह संभव नहीं है। मैं सोचता हूं कि हम सभी इस पर सहमत होंगे।

उत्तर यह है कि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तथा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संबंधित राज्य में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। परन्तु हम सचेत हैं कि ऋण-जमा अनुपात में कुछ असमानता विद्यमान है। ऋण-जमा अनुपात में इस असमानता पर एक समूह विचार कर रहा है, तथा जहां भी संभव होगा हम सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुछ बैंकों द्वारा रूल्स वायलेट करके लोन दिये जाते हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अनेक कोआपरेटिव बैंक डूब गये हैं और नेशनेलाइज्ड बैंकों के ऊपर भी इसका असर हुआ है। क्या आपके पास इससे संबंधित शिकायतें आई हैं, या अगर ऐसी शिकायतें आएंगी, तो आप एक्शन लेने का विचार रखते हैं? क्या माननीय मंत्री जी उन निदेशकों के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया है? क्योंकि इसके कारण लोगों का विश्वास बैंकों से खत्म हो जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे प्रतिदिन किसी न किसी सहकारी बैंक के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं। परन्तु याद रखें कि भारत सरकार सभी असफल सहकारी बैंकों को नहीं बचा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस जारी करता है और भारतीय रिजर्व बैंक ही लाइसेंस निरस्त करता है जहां कहीं भी इसका उल्लंघन होता है।

कुछ दिनों पहले ही मैं एक उत्तर में कह चुका हूं, भारतीय रिजर्व बैंक 90 से ज्यादा लाइसेंसों को निरस्त कर चुका है। मुझे जानकारी है कि महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कई निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। परन्तु यदि उनके प्रश्न का सारांश यही है कि 'क्या भारत सरकार सभी असफल होते सहकारी बैंकों को उबारेगी', तब मुझे परम आदर के साथ कहना है कि 'नहीं'।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सहकारी बैंकों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में पूछना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पुन: आप सहकारी बैंकों के बारे में पूछ रहे हैं। वह पहले ही बता चुके हैं।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार: मेरा भी वही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: खैर चलिए, मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने प्रयास तो किया। चलिए, आप कोई अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं मंत्री जी का ध्यान भाग (छ) की ओर आकृष्ट करता हूं जहां प्रश्न था कि 'क्या अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की तुलना में कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों में भारी कमी आई है। यहां उत्तर यह है कि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में यह 13.39 से बढ़कर 15.4 हो गया है। मेरा प्रश्न है कि अन्य प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की प्रतिशतता को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हमें अपने बैंकों को बधाई देनी चाहिए क्योंकि कुल और वास्तविक दोनों ही गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में गिरावट आ रही है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। अत:, मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें बैंकों को उनके द्वारा पिछले पांच-छह-सात वर्षों में की-गई-कार्रवाई के लिए बधाई देनी चाहिए। हमने इस संबंध में निरन्तर उपाय किए जाने की सलाह दी है। इसमें प्रत्येक बैंक द्वारा वसूली नीति, दीवानी न्यायालयों में दावे दर्ज करवाना और डी.आर.टी. तथा एकबारगी निपटान मार्ग निर्देशों के अंतर्गत समझौता निपटारा शामिल है। बैंकों के बीच कर्जदारों के बारे में सूचना देने के लिए एक ऋण सूचना ब्यूरो का गठन किया गया है, निगमित ऋणों के पुनर्निर्धारण के लिए पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए सी.डी.आर. योजना लाई गई है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन के कार्य के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना की गई है तथा दीर्घकालिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम अधिनियमित किया गया है जिसे अभी संशोधित किया गया है। कई उपाय किए गए हैं और मुझे विश्वास है कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में आगे भी गिरावट आएगी।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: कृपया मंत्री जी हमें बता सकते हैं कि कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी हैं तथा जहां तक कृषि में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का संबंध है, यह वर्ष 2004 में मात्र 14.43 है जो वर्ष 2003 में 14.60 थीं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 46 प्रतिशत से ज्यादा हैं जो कि अत्यधिक है। मैं मंत्री जी से कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में पिछले दो-तीन वर्षों में भारी गिरावट के कारण जानना चाहूंगा। दूसरा, जब आप समझौता या एकबारगी निपटान करना चाहते हैं तब क्या मंत्री जी इस तथ्य पर विचार करेंगे कि बैंक कृषकों और अन्य छोटे कर्जदारों के प्रति भी उदार रहें ताकि वे राशि का भुगतान कर सकें और बाकी बची राशि के लिए उन्हें छूट दी जाए। अंतत:, हम गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे 5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए और इसी तरह अन्य वर्गों में। हालांकि, छोटे कर्जदारों की राशि की संख्या कम होती है परन्तु उन्हें ज्यादा परेशान होना पड़ता है।

माननीय मंत्री जी निगमित क्षेत्र के साथ कैसे पेश आएंगे जिसके कर्ज बहुत ज्यादा और गैर-निष्पादनकारी आस्तियां भी अत्यधिक हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। सही मायने में, मैंने भी कई अवसरों पर ऐसा कहा है। मुझे खुशी है कि आज इस पर सर्व सहमति है। बैंकों के लिए कृषि, वाणिज्यिक रूप से ऋण देने के लिए लाभदायक क्षेत्र है। किसान ज्यादा ऋण लेने वाले होते हैं। कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में किसान अपने ऋणों का भुगतान भी बहुत सही ढंग से करते हैं। मैं ऐसा कई बार कह चुका हूं। जिसे अब जाकर बैंकों ने महसूस किया है। इसी कारण आप पाएंगे कि कृषि क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। मेरा मानना है कि जो हम अभी कर रहे हैं वह सही है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के वर्गीकरण का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और हम उस वर्गीकरण के साथ हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य की सलाह को स्वीकार करूंगा और इसे बैंकों के पास भेज दूंगा। 'किसान अच्छे ऋण लेने वाले होते हैं। कृपया किसानों के साथ मित्रवत व्यवहार करें। किसानों को ज्यादा ऋण दें तथा उन्हें कृषि कार्य में मदद करें।'

श्री किन्जरपु येरननायडु: पिछले पांच वर्षों से एन.पी.ए. में बहुत कमी आई है और हम इसके लिए बैंकों की सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि 1 करोड़ रुपये से ज्यादा तथा कम के बहुत से मामले हैं लेकिन इसके आंकड़े नहीं दिए गए हैं। सरकार को मेरा सुझाव है कि एक बारगी समझौता संबंधी नियम कर्ज लेने वालों के हित में नहीं है और यही कारण है कि वे राशि के भुगतान के लिए तैयार रहते हैं। जानबूझकर विलम्ब करने वालों पर प्रतिभूति अधिनियम को लागू कर आप रकम की वसूली कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यवसाय की असफलता या कुछ अन्य कारणों से न चाहते हुए भी कुछ व्यतिक्रमी रकम वापस नहीं कर पाये हों। इस प्रकार जान-बूझकर चूक नहीं करने वाले लोगों के लिए आपको कुछ राहत देनी होगी। अन्यथा, आप रकम की वसूली नहीं कर पायेंगे। इसलिए उनके प्रति आपको कुछ उदारता दिखानी पड़ेगी। अन्यथा आपको अनावश्यक मुकदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उधार लेने वाले ऐसे लोगों के साथ उदारता बरतने के लिए आपको बैंकों को कुछ दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इस सुझाव पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह 'ऑलिवर ट्विस्ट' जैसा है। वे और अधिक की मांग करते हैं। ओ.टी.एस. आजकल एक उदार योजना है। यह ऋण लेने वाला तथा ऋण देने वाला, दोनों की हितों को संतुलित करता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2003-2004 में समझौता तथा बट्टे खाते में डालकर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 6,329 करोड़ रुपये का तथा भारतीय स्टेट बैंक के समूह ने 4,978 करोड़ रुपये संबंधी ऋण का निपटारा किया है। समझौता तथा बट्टे खाते में डालकर कुल 11,308 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। मैं नहीं समझता कि और ज्यादा उदारीकरण की गुंजाइश है। लेकिन मैं आपके सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जहां हम चूककर्त्ताओं के ऋण की बात करते हैं, लेकिन जो बैंक के बड़े पदों पर आसीन अधिकारी हैं, वे या तो अपनी कंपनी को लोन देते हैं या अपनी जानकार कंपनियों को लोन देते हैं और बाद में उस लोन को टाइम पर वापस नहीं ले पाते हैं, जिससे बैंकों को भारी नुकसान होता है। क्या ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी या कुछ कदम उठाने की योजना है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इसका सामान्यीकरण कैसे कर सकता हूं? अधिकारी अच्छे होते हैं उनमें से एक या दो बुरे होते हैं। यदि बैंक के निष्पादन में सुधार हो रहा है तो यह अच्छे अधिकारियों के कारण है। यदि एन.पी.ए. अधिक है तो यह कुछ बुरे अधिकारियों के कारण है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक बैंक अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। यदि कोई विशिष्ट मामला हो तो हम आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।

श्री ए.वी. वेल्लारमिन: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थानों तथा धोखाधड़ी वाली निधियों की वृद्धि के बारे में जानकारी है। कुछ समय बाद ये संस्थाएं आम लोगों के पैसे हड़प कर गायब हो जाती हैं। ऐसी कम्पनियों पर नियंत्रण तथा निगरानी तथा लोगों को ऐसी कम्पनियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह प्रश्न गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से सम्बद्ध है। यह मुख्य प्रश्न नहीं है। वह अलग से प्रश्न पूछें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही 11 पूरक प्रश्नों की अनुमति दी है। अब मैं और की अनुमति नहीं दे सकता।

स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे संबंधी समिति

*244. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सरकार ने स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में स्वर्ण से संबंधित किसी स्पष्ट नीति के अभाव में स्वर्ण मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो स्वर्ण-उद्योग के पुनर्गठन से स्वर्ण-मूल्यों में वृद्धि पर कितनी रोक लगेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी हां। स्वर्ण व्यापार के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनाने की दृष्टि से स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

(1) स्वर्ण के भावी बाजारों को सुरक्षित करने के लिए बैंकों को सुविधा प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपायों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना।

(2) स्वर्ण में निवेश करने के लिए म्युचुअल फंड्स को सुविधाजनक बनाने हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(3) स्वर्ण से जुड़ी बचत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों की क्षमता को बेहतर बनाने के उपायों की सिफारिश करना।

(4) स्वर्ण के विनिर्माणों एवं व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जाने वाले उचित सीमाशुल्क और विदेश व्यापार संबंधी उपायों की सिफारिश करना।

(5) स्वर्ण व्यापार को बढ़ाने और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों के लिए कोई अन्य सिफारिश करना।

समिति द्वारा अपनी पहली बैठक की तारीख से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। समिति के निष्कर्षों से देश में स्वर्ण उद्योग के परिदृश्यों में सुधार होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) जनवरी से अक्तूबर, 2004 की अवधि के दौरान भारत में स्वर्ण की मासिक औसत कीमत प्रति 10 ग्राम 6187 रुपए से बढ़कर 6358 करोड़ रुपए हो गई है। सामान्य तौर पर भारत में स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त, मांग एवं आपूर्ति, निवेशक का हित, ब्याज दरें, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की विनियम दर में उतार-चढ़ाव आदि जैसे कारकों से स्वर्ण की कीमतें प्रभावित होती हैं। स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की जांच करने के लिए गठित समिति के निष्कर्षों से देश में स्वर्ण उद्योग के परिदृश्यों में सुधार होने की उम्मीद है।

श्री उदय सिंह: इस समिति के गठन के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री और सरकार को सोना की उस बड़ी मात्रा की जानकारी होगी जो गैर-उत्पादनकारी परिसम्पत्ति के रूप में पड़ी है, खासकर उस ग्रामीण आबादी के बीच जिसकी विकास की गति धीमी है। इसके बावजूद नई समिति में स्वर्ण से जुड़ी बचत योजना के बारे में उल्लेख है जो स्थापित की जाने वाली है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विगत की अधिकांश स्वर्ण योजना मुख्यत: इस कारण असफल हो गई है क्योंकि योजनाएं स्वर्ण धारकों की आशंकाओं को दूर करने में असफल रही।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार एक ऐसी सर्वशिक्षा योजना लाना चाहेगी। जिसमें निवेश संबंधी ब्यौरा दिए बगैर कि सोना कैसे प्राप्त किया गया, स्वर्ण के मालिक बैंक में स्वर्ण जमा कर उस पर नाममात्र के ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। बैंक फिर इस स्वर्ण की बड़ी मात्रा को लम्बी अवधि के लिए उपयोग योग्य परिसम्पत्ति की उगाही में ला सकते हैं।

श्री कमल नाथ: महोदय, यह सत्य है कि इस देश में स्वर्ण की बड़ी मात्रा है। एक आकलन के मुताबिक स्वर्ण का भंडार मोटे तौर पर 9000 टन का है। ऐसा भी अनुमान है कि यह 15000 टन तक हो सकता है।

महोदय, स्वर्ण भी निवेश का एक माध्यम है। माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि देश में आभूषण एवं अन्य रूप में भी स्वर्ण का बड़ा भंडार है यह भी सत्य है।

महोदय, माननीय मंत्री ने जो विशिष्ट प्रश्न पूछा है वह आम सभा के बारे में है और क्या इसका उपयोग अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे सहयोगी वित्त मंत्री दें। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर बाद में किसी तारीख को देना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: इस समय नहीं।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैंने यह प्रश्न इस मंत्रालय से इसलिए पूछा है क्योंकि स्वर्ण का मामला इसी मंत्रालय के पास है। मैं जानता हूं कि यह प्रश्न संभवत: वित्त मंत्री के उत्तर के लिए है।

महोदय, स्वर्ण के लिए भारत में लोगों की न मिटने वाली भूख के बारे में सभी जानते हैं। भारत स्वर्ण-आभूषणों का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है। इस देश के पास स्वर्ण का बड़ा भंडार है। माननीय मंत्री और समिति ने स्वयं कहा है कि भारत के पास विश्व स्तर पर स्वर्ण बाजार को प्रभावित करने की क्षमता है। मैं माननीय मंत्री से अब पूछना चाहूंगा कि समिति के विचारार्थ विषयों के अतिरिक्त, क्या सरकार ऐसे कदम सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि जब स्वर्ण के मामले में यदि व्यापार गतिविधियों का विस्तार होता है तो कोई काटैल न बन पाए।

श्री कमल नाथ: महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि भारत के पास स्वर्ण का बड़ा भंडार है। भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार वाला देश होने तथा विश्व में सबसे बड़ा स्वर्ण का उपभोक्ता होने के कारण विश्व स्तर पर इसे स्वर्ण का महत्वपूर्ण केन्द्र होना चाहिए। यही विशिष्ट कारण था कि एक स्वर्ण सम्मेलन हुआ और प्रत्येक की बात सुनने के बाद हमने सोचा कि भारत की क्षमता, उसके द्वारा उपभोग तथा उसकी भंडार को देखते हुए—भारत को स्वर्ण का एक प्रमुख व्यापार केन्द्र बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। स्पष्ट तौर पर इससे अधिक आर्थिक गतिविधियां पैदा होंगी जिससे अधिक रोजगार भी पैदा होगा। यही कारण है कि इस समिति का गठन किया गया है। हमें उत्पादक संघ के इस पहलू पर ध्यान देना होगा जो विश्व स्तर पर कीमत को निर्धारित करता है। लेकिन विश्व स्तरीय कीमत, अंतर्राष्ट्रीय कीमत को निर्धारित करने वाले बहुत से कारण होते हैं जैसे-निवेश को की हित, शेयर बाजार और ऐसे ही अन्य चीजें। यह समिति इस पहल पर भी ध्यान देगी।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, स्वर्ण भंडार के रूप में भारत के पास पहले से बड़ा भंडार है और इसके पास विश्व में स्वर्ण व्यापार का केन्द्र बनने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में डालर भी दबाव में है और स्वर्ण के विनियम द्वारा सामानों की खरीद में अब तेजी आई है। यह आकर्षक निवेशक भी है। लेकिन हमारे पास कृषि नीति या औद्योगिक नीति की भांति कोई व्यापक स्वर्णनीति नहीं है।

महोदय, इस समिति के विचारार्थ विषय में कहा गया है कि कोई और सिफारिश जिसकी स्वर्ण के व्यापार में सुधार लाने के लिए और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता हो। विश्व स्वर्ण परिषद ने एक सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय बाजार में विशेषकर दिल्ली और अन्य शहरों में 80 प्रतिशत स्वर्ण की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। यह भी बताया गया कि 80 प्रतिशत स्वर्ण खरीद घटिया होती है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह भी पता लगा है कि उनमें से 40 प्रतिशत में शुद्धता की कमी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ण का कोई स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण किया गया था ताकि स्वर्ण की शुद्धता और गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता। दूसरे क्या सरकार स्वर्ण बाजार में स्वर्ण की सुस्थापित पद्धति को समाप्त करने के लिए कोई तंत्र बनाने पर विचार कर रही है? इसका कारण है कि हमारे पास स्वर्ण व्यापार में महाशक्ति बनने की शक्ति है, इसलिए सरकार को इसके लिए कार्य-योजना बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपने स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के अलावा कार्यवाही के लिए सभी सुझाव दिए हैं।

श्री कमल नाथ: महोदय, यह सच है कि हमें स्वर्ण के लिए सुपर बाजार बनाना चाहिए। यह भी सच है कि डालर की कीमत गिर गई है और यह निश्चय ही भूमंडलीय कीमतों को प्रभावित कर रही है।

महोदय, स्वर्ण की गुणवत्ता के प्रश्न के संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि स्वर्ण के लिए प्रमाण चिह्न अंकित किया जाए और स्वर्ण के लिए ही नहीं बल्कि भारत से आभूषण के लिए भी इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 4 अगस्त, 2003 के एक आदेश में उपभोक्ताओं के हितों के अर्थोपाय की जांच इत्यादि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

व्यापक निदेश पद हैं, एम एम टी सी कुछ प्रभाव चिह्न अंकित कर रहा है। करोल बाग में सूक्ष्म परीक्षण और प्रभाव चिह्न का कार्य हो रहा है। गुजरात गोल्ड सेंटर भी है और विभिन्न अन्य लैब भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: कोलकाता के बारे में क्या कहना है? आप कोलकाता के इस लड़के का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

श्री कमल नाथ: सरकार की उपभोक्ताओं के हितों की जानकारी है। महोदय, कोलकाता में भी जे जे हालमार्किंग सेंटर है।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मुझे यह कहते हुए कि यह प्रश्न वास्तव में स्पर्शीय है अग्रिम क्षमा याचना करनी है। मैं इसे जनता के क्षेत्राधिकार में लाना चाहती हूं।

बहुत सी कंपनियां भारत में विशेषकर दक्कन में स्वर्ण खनन करने के लिए आ रही हैं। इनमें से बहुत सी कंपनियों को मानवाधिकार और पर्यावरणीय कुप्रबंध दोनों में गलत कार्यों के कारण अपने देश से बाहर निकाल दिया गया है। स्वर्ण खनन में पारा, आर्सेनिक (संखिया) और अन्य भारी धातुओं से कार्य होता है और ये सभी जल पर प्रभाव डालती हैं। क्या उन कंपनियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि जिन्हें अन्वेषण लाइसेंस दिए जा रहे हैं? उनका पिछला कामकाज कैसा रहा है? उनमें से कितनी अन्य देशों में कानूनी मुकदमों में फंसी हुई है?

श्री कमल नाथ: इस प्रश्न का उत्तर खान मंत्रालय देगा। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के खनन से पर्यावरण में गिरावट आएगी। प्रश्न यह है कि क्या पर्यावरणीय गिरावट को पुन: दुरूस्त किया जा सकता है अथवा नहीं। एकदम खनन को रोक देना एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण है क्या पर्यावरणीय गिरावट को ठीक किया जा सकता है अथवा नहीं। पर्यावरणीय गिरावट एक बड़ी नीति है जिस पर खान मंत्रालय को ध्यान देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका ज्ञान आपके पिछले पद का है।

श्री सनत कुमार मंडल: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति छोटे और गरीब स्वर्णकारों के दुखों पर भी ध्यान देगी जो बड़े और बांड वाले स्वर्ण व्यापार उद्योग से प्रभावित हो रहे हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या छोटे और गरीब स्वर्णकारों के कल्याण हेतु किसी और योजना का प्रस्ताव है?

श्री कमल नाथ: वास्तव में कोई ब्रांड वाला स्वर्ण नहीं होता है। वास्तव में भारत में स्वर्ण का बांड निर्धारित नहीं किया जाता। परन्तु यह सच है कि अनुमानत: 30 लाख लोग रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगभग दस लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हीरा व्यवसाय में लगे हैं। पूरा विचार भारत को स्वर्ण का व्यापारिक केंद्र बनाने का है और हम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। रत्न और आभूषण क्षेत्र का इस वर्ष 30.3 बिलियन डालर के निर्यात का लक्ष्य है। इसमें से हम स्वर्ण आभूषणों के दो अथवा तीन बिलियन डालर के निर्यात की आशा करते हैं। रत्न और आभूषण भारत में निर्यात तथा रोजगार दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारे कुल निर्यात का 17 प्रतिशत इस क्षेत्र में आता है और यह एक प्रमुख रोजगार सृजन क्षेत्र भी है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो लोग सोने के जेवरात का पेशा करते हैं, वास्तव में होता यह है कि जब कोई आदमी अपनी मजबूरी के कारण सोना बेचता है, या कई बार चोर भी सोना बेच जाते हैं, उसके बाद जब वह पकड़ा जाता है तो उस आदमी की क्या दशा होती है, इसे आप जानते हैं कि कितना उसे जलील किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई पौलिसी है कि सोना लेने या बेचने के लिये जो आदमी जाये, किससे लेना है या किससे नहीं लेना है, ताकि गोल्ड इंडस्ट्रीज को सेव किया जा सके?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष जी, सरकार गोल्ड का लेन-देन कानूनी दृष्टि से उसे बढ़ावा देने के लिये करती है। अगर गोल्ड का लेन-देन गैर-कानूनी दृष्टि से होता है, तो उसके लिये वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री जवाब देंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में सोना जब से ज्यादा कंज्यूम होता है और यहां के उपभोक्ता भी गहने-जेवरात बनवाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व बाजार में सोने की गुणवत्ता कायम रखने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार के पास क्या कोई सुझाव या उपाय है, यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री कमल नाथ: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में गोल्ड के सबसे ज्यादा उपभोक्ता है। भारत में सबसे ज्यादा इसके स्टाक भी हैं। इंटरनैशनली गोल्ड केवल एक कौमौडिटी ही नहीं बल्कि एक वैल्युड कौमौडीटी है। इनवैस्टर्स का इंटरेस्ट, डालर, शेयर प्राइसेस, ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस, आदि सोने के मूल्य को प्रभावित करते हैं और अपना देश भी उससे प्रभावित होता है। ये सब बातें इंटरनैशनली गोल्ड के मूल्यों को ड्राइव करती हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वर्णिम अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मुझे पता है कि मेरे सभी भाई स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि से प्रसन्न थे। इस दीपावली पर मेरी सभी बहनें शिकायत कर रही थीं

कि वे स्वर्ण खरीदकर अपने पुरुषों का शोषण नहीं कर पाईं। यदि भारतीय पत्नियों को अपनी सेवाओं के लिए कोई मजदूरी मिलती है तो यह अपने पतियों से कुछ स्वर्ण खरीदवा कर मिलती है। स्वर्ण के मूल्य में इस वृद्धि से वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं।

स्वर्ण भारतीय महिलाओं की कमजोरी होती है। इसलिए, मैं अपनी सरकार से स्वर्ण की कीमतें कम करने का विनम्र अनुरोध कर रही हूं। हम किसी संकट के लिए स्वर्ण को बचा कर रख सकते हैं। हमारा देश इस स्वर्ण को गिरवी भी रख सकता है। जब महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था तो भारतीय महिलाओं ने ही देश की खातिर अपने आभूषण दे दिए थे। आज भी हम इस स्वर्ण को बचाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप कम खरीदिए, कीमते नीचे आ जाएंगी।

श्री कमल नाथ: मुझे विश्वास है कि कोई भी पुरुष शोषित होना नहीं चाहेगा इस सभा के सदस्य तो बिल्कुल नहीं।

स्वर्ण की कीमतों के संबंध में, मुझे विश्वास है कि पुरुष अभी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण भारतीय कीमतें बढ़ने के बावजूद भी यह सुनिश्चित करने की भरसक कोशिश करेंगे कि महिलाओं को स्वर्ण की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे।

अध्यक्ष महोदय: आप एक पीड़ित व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

काफी का निर्यात

*245. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान काफी के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित/निर्यातित काफी का देशवार ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में अंतर्राष्ट्रीय काफी बाजार खोले जाने के कारण काफी उत्पादकों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और काफी उत्पादकों को आत्महत्या करने से रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को काफी के मूल्यों में आई गिरावट के कारण काफी उत्पादकों की दयनीय दशा की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो काफी उत्पादकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अप्रैल-अक्तूबर, 2004 की अवधि के दौरान निर्यातित काफी की मात्रा में मामूली कमी आई थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए 1.30 लाख टन की तुलना में लगभग 1.24 लाख टन रही थी। तथापि, इस वर्ष मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य उच्च रहा है जो पिछले वर्ष के 148 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में लगभग 154 मिलियन अमरीकी डालर रहा है।

(ख) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित और देश-वार निर्यातित काफी के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय काफी के लगभग 80% भाग का निर्यात किया जाता है। भारत में आयातित काफी का मात्रा नगण्य है इसलिए चार बाजार खोले जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की संभावना काफी कम होगी। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय काफी बाजार खोले जाने के कारण काफी उत्पादकों द्वारा आत्महत्या, यदि कोई हो, किए जाने के बारे में सूचना संबंधित राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (च) चूंकि काफी की घरेलू कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप उतार-चढ़ाव होता रहता है इसलिए भारत सरकार काफी की कम कीमतों के कारण काफी उत्पादकों को हो रही कठिनाईयों से वाकिफ है और उसने काफी उत्पादकों के लाभार्थ अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में विशेष काफी सावधि ऋण (एस सी टी एल) के रूप में वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए ऋणों के भुगतान कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन तथा कार्यशील पूंजी ऋण पर काफी उत्पादकों को ब्याज सब्सिडी शामिल है। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान काफी बोर्ड ने एक स्कीम कार्यान्वित की थी जिसके अंतर्गत हैंडलिंग

लागत को कम करने के लिए भारतीय काफी निर्यातकों को 500 रु. प्रति टन की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी। काफी उत्पादकों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए एक पैकेज पर भी विचार किया जा रहा है।

अनुबंध

काफी का देश-वार निर्यात

मात्रा मी. टन में और मूल्य लाख रुपए में

देश	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इटली	41899	17402	45612	18471	52197	23179	29501	14217
रूसी परिसंघ	40301	3254	36578	30774	33592	22542	18666	11098
जर्मनी	27589	12628	23344	10260	25680	12346	10595	5796
बेल्जियम	15660	4902	17430	7014	18777	8664	6063	2915
स्पेन	12209	4458	11142	4246	13898	5392	7699	3023
स्लोवेनिया	8933	2618	8698	2832	10795	3806	5794	2044
फ्रांस	3104	1197	3676	1716	6214	2847	2437	1133
अमरीका	5600	2266	3505	1506	3237	1466	4439	2040
यूनान	4443	1409	4936	1837	4224	1533	3662	1423
जापान	4968	2356	4899	2537	3538	1772	4113	2423
अल्जीरिया	2055	625	4123	1444	4293	1551	384	124
अन्य	46825	51921	43390	22508	56239	30747	30620	17756
कुल	213586	105036	207333	105145	232684	115845	123973	63992
मिलियन अमरीकी डालर		216.23		233.89		262.03		154.03

*31.10.2004 की स्थिति के अनुसार पुष्ट खेप

काफी का उत्पादन लाख टन में

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05*
मात्रा	3.00	2.75	2.70	2.90

*मानसूनोत्तर अनुमान

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर सही नहीं मिला। मैंने पूछा था कि अगर आत्महत्यायें हुई हैं तो क्या काफी प्रोडक्शन और रेट में डिक्लाइन की वजह से हुई हैं लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। मेरे पास एफ.आई.आर. की कापीज हैं और पूरी डिटेल हैं, जिनसे पता चलता है कि कितने लोगों ने आत्महत्यायें की हैं। लगता है कि सरकार के पास पूरी जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरी जानकारी वह कब तक लेगी? दूसरे जहां तक री-स्ट्रक्चरिंग और री-फेजिंग आफ लोन्स का प्रश्न है, जो काफी ग्रोअर्स को दिया गया है, जैसा मंत्री जी ने बयान में बताया है कि ऐसा एस.सी.टी.एल. के तहत किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार अगर लोनी दिक्कत में पड़ जाये, तो उसका लोन वेव कर दिया जाता है लेकिन लोन अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया गया है। क्या सरकार को मालूम है कि एस.सी.टी.एल. पैकेज काफी ग्रोअर्स पर बर्डन सिद्ध हो रहा है, यदि हां तो इसके विकल्प के रूप में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री को उत्तर देने दीजिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना और जानकारी कर्नाटक सरकार से हमारे पास आई है, उसके अनुसार वर्ष 2003-04 में काफी ग्रोअर्स द्वारा आत्महत्या करने वालों की संख्या 5 है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, आपको प्रश्न पूछने का दूसरा मौका मिलेगा।

श्री कमल नाथ: अगर इनके पास जवाब था, तो मुझसे प्रश्न ही क्यों पूछा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री कमल नाथ: मैं ऐसा कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य के पास शायद इस बारे में कोई जानकारी हो।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: माननीय सदस्य के प्रश्न के बाद, दो महीने पहले जब हमारा पत्र गया, उस पर कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचना दी है कि वहां पांच सुसाइड केस पिछले साल हुई हैं। वर्ष 2004-2005 में दो सुसाइड केस रिपोर्टेड हैं। केरल सरकार ने इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जहां तक स्पेशल काफी टर्म लोन पैकेज का सवाल है, यह अभी नहीं बनाया गया है। यह स्कीम वर्ष 2000-2001 में बनाई गई थी और इसे काफी ग्रोअर्स तथा पूरी काफी इंडस्ट्री के साथ बैठकर तय किया गया था। परंतु काफी के मामले में किसानों का कुछ दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि काफी की कीमतें गिरती रही। आज कीमतों में जरूरत थोड़ी वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले पांच सालों की तुलना में काफी के प्राइसेज आज भी बहुत कम हैं।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं। सरकार के पास स्यूसाइड के संबंध में कितनी जानकारी है, वह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यू आर राइट।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: स्यूसाइड्स के बारे में सरकार ने जो बयान दिया है, वह बिल्कुल गलत है। मेरे पास जानकारी है कि चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में 12 आत्महत्याएं हुई हैं, हासन डिस्ट्रिक्ट में 20 आत्महत्याएं हुई हैं और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 22 आत्महत्याएं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार में जवाब टी.डी.पी. के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि कहीं भी यदि कोई किसान खुदखुशी करता है, जो उस राज्य की सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उस समय ऐसा बयान आज की सत्ता पार्टी के नेताओं ने ही दिया था। लेकिन जब पिछले सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्यूसाइड केस हुए, तो इस संबंध में आज सत्तारूढ़ दल क्या जवाब देता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नामों का हटा देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं इसे नियंत्रित कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े: जो पिछली सरकार थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे पिछली सरकार बोलिये।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: उस सरकार के जमाने में इनका ऐसा बयान आया था। आज की सरकार इस मामले में क्या जवाब देना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक युवा सदस्य हैं। मुझे इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार हेगड़े: इसके अलावा जो रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज के बारे में बताया गया कि सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट ने सभी केसिज को डी.आर.टी. में भिजवाया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह काफी ग्रोअर्स के लिए रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज है? सरकार इस बारे में स्पष्ट बयान दे।

अध्यक्ष जी, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई छोटा विषय नहीं है, यह सिर्फ प्रश्न तथा उत्तर तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है। महोदय, आप हमेशा कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने वाले नेता रहे हैं और आज वहां आसन पर बैठे हैं। आज पंद्रह लाख से ज्यादा कर्मचारी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गलती की है, आप बोलिये।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: आज पचास लाख से ज्यादा लोग तकलीफ में हैं।

अध्यक्ष महोदय: उनके लिए क्या किया जाए।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: रेवेन्यू का लास भी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सदन में गम्भीर चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय: उनके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री कमल नाथ: जो स्पेशल टर्न लोन पैकेज था, जैसा मैंने पहले कहा, यह उस समय बनाया गया था। परन्तु बाद में जब प्राइसेज गिरते गये, तब दो साल बाद यह समझ में आया कि यह पूरी तरह से उन्हें राहत नहीं पहुंचा रहा था। इस पर पूरे काफी ग्रोअर्स और काफी इंडस्ट्री से मिलकर हमारी चर्चा हुई और हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना बनायें। यह अभी चर्चा का विषय है और इस पर अभी चर्चा हो रही है।

श्री अनंत कुमार हेगड़े: यह बिल्कुल गलत है, यह सदन को गुमराह करने की कोशिश है। मेरे पास काफी बोर्ड की रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज भी इसे एकत्र कीजिए। मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। श्रीमती तेजस्विनी, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत कुमार हेगड़े, आपको आत्महत्या के मामलों की संख्या का भी पता लगाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: हमें कर्नाटक सरकार से कुछ सूचना प्राप्त हुई है ...*(व्यवधान)* हमें केरल सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। यदि माननीय सदस्य के पास कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई जानकारी से अधिक जानकारी है तो यदि ये मुझे दे दें अथवा ये राज्य सरकार के साथ इसे उठायें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री कमला प्रसाद रावत—उपस्थित नहीं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर दु:ख हुआ है कि केरल सरकार ने आत्महत्या के किसी मामले की सूचना नहीं दी है। मेरे अपने जिले वायनाड में ही 168 किसानों ने आत्महत्या की है। वे सभी काफी उगाने वाले किसान थे तथा छोटे किसान थे।

काफी उगाने वाले किसानों की सहायता के लिए जिस योजना की घोषणा की गई है, उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है तथा वास्तव में कोई भी योजना है ही नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि काफी उगाने

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाले देशों मेक्सिको और वेनेजुएला आदि, में, जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सदस्य हैं, काफी की कीमतों में गिरावट के समय किसानों की सहायता के लिए ऋणों की माफी और राजसहायता देने सहित एक व्यापक योजना है। काफी उत्पादक देशों द्वारा लागू की गई उन योजनाओं और स्कीमों का अध्ययन करने के बाद क्या सरकार किसानों की सहायता के लिए ऐसा ही एक पैकेज ला सकती है क्योंकि 53 प्रतिशत किसान काफी उगाने वाले किसान हैं तथा पिछले चार वर्षों से पूरे काफी उत्पादन क्षेत्र की हालत खराब है।

श्री कमल नाथ: महोदय, यह सच है कि काफी उगाने वाले किसान बहुत कष्ट में थे और यह सिर्फ सूखे के कारण नहीं हुआ बल्कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जब सूखा नहीं होता है तब भी हमारी उपज कम होती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एकड़ में लगाए जाने वाले पौधों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। अत: , माननीय सदस्य बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफी किसानों को बहुत कष्टप्रद समय से गुजरना पड़ा है। काफी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं तथा अब इसकी कीमत उस समय की कीमत की लगभग आधी रह गई है। काफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई कमी के समय ही सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई और इसके फलस्वरूप यह स्थिति पैदा हुई।

पहले एक विशेष काफी सावधि ऋण पैकेज की घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा वर्ष 2000-2001 में की गई थी, किन्तु उसके तुरंत बाद सूखा पड़ा था। अत:, उस पैकेज से अपेक्षित राहत नहीं पहुंची। किसानों को किस प्रकार की सहायता दी जाए, यह देखने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। हम लोग इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा हम मामले से पूर्णत: अवगत हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि हम लोग विशेष काफी सावधि ऋण के ब्याज के बारे में क्या कर सकते हैं, तथा हम यह भी देख रहे हैं कि ब्याज भुगतान में कमी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इसे पूरे ध्यान से सुन रहे होंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में उन किसानों से संबंधित है जो सूखे और काफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई गिरावट के कारण कठिनाइयों में रहे हैं।

विश्व भर में काफी की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। यह आपूर्ति तीन प्रतिशत की दर से बढ़ रही है जबकि मांग सिर्फ डेढ़ (1.5) प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। अत:, आपूर्ति-मांग के इस अंतर के साथ-साथ सूखे के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आ रही है। हम इस समस्या से अवगत हैं। ब्याज सब्सिडी का प्रश्न हो, या पुराने काफी बोर्ड विकास ऋण की माफी का प्रश्न हो, या ब्याज की माफी का प्रश्न हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार तपरता से विचार कर रही है तथा हम लोग कोशिश करेंगे और इसका कोई समाधान ढूंढेंगे ताकि किसानों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में काफी उगाने वालों की सहायता करने के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋणों को पुन: चरणबद्ध और पुनर्गठित करने, ब्याज सब्सिडी योजना, आदि उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया गया है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वे सब छोटे किसान हैं तथा वे थोड़ा-सा भी और घाटा सहन नहीं कर सकते हैं। यह अब उनकी हैसियत से बाहर है। वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। पैकेज पर अब भी विचार किया जा रहा है। मंत्री जी यही कह रहे हैं। यह संकट पिछले लगभग तीन-चार वर्षों से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: चाय या काफी से संबंधित ये सभी पैकेज अभी भी विचाराधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: छोटे किसानों की सहायता के लिए सरकार वास्तविकता में क्या योजना बना रही है।

अध्यक्ष महोदय: क्या छोटे किसानों के लिए कोई पैकेज है?

श्री कमल नाथ: महोदय, हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि वर्ष 2000-2001 में एक पैकेज दिया गया था। इस पैकेज से किसानों की सहायता उस प्रकार से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी क्योंकि कीमतें गिर गई और सूखे की समस्या भी उत्पन्न हो गई। अत:, अब हम उस पैकेज के स्थान पर दूसरे पैकेज के बारे में विचार कर रहे हैं। हम लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री पी. करूणाकरन: क्या आप एक नया पैकेज देंगे?

श्री कमल नाथ: मुझे खेद है महोदय, मैं सभा में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। किंतु जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, यह सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। काफी उगाने वाले किसानों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। हम लोग एक ऐसे संभाव्य पैकेज पर विचार कर रहे हैं जिससे उन्हें न केवल पहले के नुकसान से राहत मिले बल्कि जिसमें दीर्घावधि योजना भी हो क्योंकि हमारे पास एक पैकेज था जो असफल रहा और यदि हमारा दूसरा पैकेज भी असफल रहता है तो फिर क्या होगा। इसके साथ-साथ, हमें उपज बढ़ाने, भारतीय काफी के लिए बड़ा बाजार बनाने, भारतीय काफी की गुणवत्ता के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने आदि पर विचार करना है। ये सब एक साथ होना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पेरियाकुलम में, कोडाईकनाल में, काफी सारे काफी उत्पादकों को पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित कम कीमत के कारण घाटा हुआ है। अब, नई सरकार के आने के बाद और अच्छी बारिश के कारण कीमत 90 रुपये हो गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उनके लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार दक्षिण अमेरिकी देशों से काफी के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी। काफी की बहुत ज्यादा मात्रा की आपूर्ति अनुचित तरीकों से सार्क देशों के माध्यम से हो रही है। क्या सरकार इस प्रतिबंध लगाने के लिए कोई पाटन रोधी शुल्क लगाएगी?

मूसलाधार बारिश की कमी और फसल में लगने वाले बीमारी के कारण किसानों को बहुत ज्यादा टा हुआ है। क्या सरकार खाद और विद्युत सब्सिडी देगी और क्या सरकार पूरे भारत में स्थानीय काफी की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देगी? क्या सरकार देश में भारतीय काफी बार खोलेगी?

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने प्रश्न उचित प्रकार से पूछने चाहिए। आप इस तरह से आठ प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री कमल नाथ: महोदय, हमारे देश में काफी के कुल उत्पादन जो पिछले वर्ष 2.7 लाख टन और इस वर्ष 2.9 लाख टन, का अनुमान है का 80 प्रतिशत निर्यात किया जाता है। आयात नहीं के बराबर है। वास्तव में, काफी का ज्यादा आयात नहीं हो रहा है। अत:, आयात कोई मुद्दा नहीं है। सार्क देशों से गुप्त रूप से कोई भी काफी देश में नहीं आ रही है क्योंकि हम इसके विरुद्ध हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मात्रा 3000 टन काफी का आयात होता है और सार्क देशों के साथ व्यापारिक-समझौतों के कारण काफी के आयात की कोई रिपोर्ट नहीं है और यदि ऐसा हो रहा है तो यह चिन्ता का विषय है। हमने किसी प्रकार के पाटन-रोधी शुल्क पर विचार नहीं किया है। समस्या कहीं और है। जैसा कि मैंने कहा है, मैं इसे फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न करें।

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा: महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं चिकमगलूर संसदीय क्षेत्र से हूं। यह काफी उगाने वाला एक बड़ा क्षेत्र है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की गिरती कीमतों तथा काफी उद्योग की तकलीफों के संबंध में मैंने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की थी। अब तक कोई पैकेज नहीं दिया गया है। पूर्व सरकार ने विशेष काफी सावधि ऋण (एस.सी.टी.एल.) की घोषणा भर कर दी थी। एस.सी.टी.एल. एक प्रकार की जमानत है और वह भी बैंकों के लिए, न कि किसानों के लिए। जब भी बैंक ऊंची ब्याज दर के साथ एस.सी.टी.एल. देते हैं, वे मूलधन के साथ ब्याज की राशि को जोड़ देते हैं, वे मूलधन के साथ ब्याज की राशि को जोड़ देते हैं और परिणामस्वरूप किसानों पर एक भारी बोझ लाद दिया गया है।

यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग द्वारा सरकार के खजाने में एक वर्ष में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा हुई है। इसके साथ-साथ इस उद्योग द्वारा श्रम रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा: महोदय, काफी के बागान बोरर, स्टेम बोरर और पेटी बोरर के कारण नष्ट हो रहे हैं। इन मीटों के कारण बहुत सा काफी उत्पादन क्षेत्र नष्ट हो रहा है। अभी तक सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। वाणिज्य मंत्री द्वारा एक पैकेज देने का (वादा करने) के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया गया है। श्रमिकों को सप्ताह के सभी दिनों के लिए काम नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका दुख समझता हूं परन्तु आप प्रश्न पूछिए।

श्री डी.सी. श्रीकांतप्पा: महोदय, सरकार द्वारा किसानों के लिए तत्काल एक पैकेज और राहत उपायों की घोषणा कर दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री कमल नाथ: मैं कह चुका हूं और मैं पुन: दोहराता हूं कि मैं कर्नाटक और काफी उत्पादक क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों से मिला हूं। मैंने जानकारी प्राप्त की है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी एक काफी पैकेज दिया गया था परन्तु वह प्रभावी नहीं रहा। हमें उसी प्रकार का एक और पैकेज नहीं देना चाहिए। माननीय सदस्य का कहना है कि वह किसानों से अधिक बैंकरों के लिए अधिक था। शायद उनका कहना सही हैं। मैं नहीं जनता। मेरे विचार से इस समय हमें यथासंभव व्यापक चर्चा करनी चाहिए जिससे कि हम ब्याज माफ करने पर ध्यान दे सकें। हम इसे देख रहे हैं। हम पुनर्भुगतान के दौरान ब्याज में कमी करने पर ध्यान देंगे।

हम ब्याज पर राजसहायता में वृद्धि करने और काफी बोर्ड विकासकारी ऋण को माफ करने पर विचार कर सकते हैं। इस

के साथ-साथ वित्तीय पैकेज भी है। लेकिन, यदि यह किसानों की समृद्धि के लिए है, यदि यह लगातार बना रहता है तो हमें केवल उसके ऋण में बैंकिंग की समस्या के पहलु को ही नहीं देखना पड़ेगा, अपितु यह भी देखना पड़ेगा कि फसल पर्याप्त रूप से हुई है या नहीं और सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई है या नहीं। अत: हमें इसे इसकी सम्पूर्णता में देखना पड़ेगा जिससे कि आप किसानों को जो भी पैकेज दें वह उनके लिए अधिक व्यवहार्य हो सके। अंत में वह दीर्घावधि के लिए भी व्यवहार्य होना चाहिए। यह केवल एक छोटा सा राहत पैकेज नहीं होना चाहिए और यहीं मामला समाप्त हो जाता है। अत: हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीकांतप्पा जी, आप अपने मूल्यवान सुझाव दे चुके हैं। मुझे विश्वास है कि उन पर विचार होगा।

श्री कमल नाथ: माननीय संसद सदस्य मुझे अपने सुझाव अलग से भी भेज सकते हैं और मैं उन पर विचार करूंगा। यह एक बहुत उचित मुद्दा है। इसमें किसी समस्या का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी.सी. थामस: यह बहुत चेतावनीपूर्ण है कि केरल सरकार ने आत्महत्याओं के संबंध में आपको इच्छित ब्यौरा नहीं भेजा है। पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में केरल सरकार ने यह गलत सूचना दी थी कि वहां आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय: उसे भूल जाइए और इस प्रश्न पर आइए।

श्री पी.सी. थामस: अब हमें यह बताया गया है कि केरल सरकार ने एक योजना अग्रेषित की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि केरल सरकार से एक योजना प्राप्त हुई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार काफी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने तथा किसानों से उस मूल्य पर काफी खरीदने पर विचार कर सकती है।

श्री कमल नाथ: पूर्व में काफी का व्यापार पूल व्यवस्था के द्वारा होता था। वस्तुत:, जब कुछ वर्ष पूर्व पूल करने की इस व्यवस्था को समाप्त किया गया तो इसके लाभार्थी, किसानों को ऊंचे मूल्य प्राप्त हुए थे। अत: न्यूनतम समर्थन मूल्य की संकल्पना, आवश्यक रूप से सही संकल्पना साबित नहीं भी हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रश्न ऋण भार का है और दूसरा प्रश्न उपज का है। उपज प्रतियोगिता और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को हमें एक साथ मिलाकर देखना पड़ेगा।

जैसा कि मैंने कहा, जहां तक केरल सरकार का संबंध है तो केरल सरकार ने कोई उत्तर नहीं भेजा है। हम इसे केरल सरकार के साथ पुन: उठाएंगे। हमें सरकार या माननीय संसद सदस्य से कोई भी सुझाव प्राप्त करने पर प्रसन्नता होगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: महोदय, मेरा प्रश्न उनके द्वारा दो पहलुओं के संबंध में दिए गए उत्तर से संबंधित है। एक पहलू तो अभी श्री पी.सी. थामस द्वारा उठाया गया है। हमें राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु सामान्यतया 21 दिन या 10 दिन की सूचना मिलती है। आप दो राज्यों की प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पहली, जिसे श्री हेगड़े व श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार द्वारा इंगित किया गया है। पूर्णतया गलत है। दूसरी है कि केरल सरकार प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसके बारे में कुछ करने जा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है और पूर्णतया गलत प्रतिक्रिया क्यों दी जा रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी इससे निपटने हेतु सक्षम हैं।

श्री कमल नाथ: मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे गंभीर मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहिए। यह किसानों की पीड़ा का प्रश्न है और यह करने से कि कांग्रेस की सरकार है आदि-आदि, यह मुद्दा अर्थहीन और गौण हो जाएगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या आप सरकार को आपको सूचना देने का परामर्श देने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

राज्यों का ऋण भार

***246. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री जसुभाई दागाभाई धारड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने राज्यों को विद्यमान ऋण संकट से उबारने की आवश्यकता के संबंध में केन्द्र सरकार को अवगत कराने हेतु हाल ही में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा है तथा केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) मुख्यमंत्रियों और राज्य वित्त मंत्रियों की प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ समय-समय पर अलग-अलग तौर पर होने वाली बैठकों के अलावा इस संबंध में कोई औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की गई है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश राज्य सरकारें आज गंभीर संकट का सामना कर रही हैं और कहीं-कहीं स्थिति यह है कि उनके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आज लगभग 800 हजार करोड़ रुपए का कर्जा राज्य सरकारों पर है, जिसमें 300 हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का जो कर्जा राज्य सरकारों पर है, क्या राज्य सरकारों को ऋण संकट से उबारने के लिए, केन्द्र सरकार उसे माफ करने पर विचार कर रही है? क्या आपने उनके ऋण पर लगने वाले ब्याज को कम करने के बारे में कोई विचार किया है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौहान जी, आप टाइम देखिए, 12 बज गए हैं।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, आप सहज भाव से संक्षेप में इन सभी मुद्दों का उत्तर दे सकते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने पिछले बजट में ब्याज दर को 10.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया था। राज्य सरकारों को और अधिक राहत देने के संबंध में हमें बारहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिसे कि आज माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब अल्प सूचना प्रश्न संख्या-1—श्री अधीर चौधरी।

अपराह्न 12.01 बजे

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

बंगलादेश में भारतीय क्रिकेट टीम को धमकी

1. + **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उच्चायोग को ढाका में हरकत-उल-जेहाद-अल-इस्लामी नामक आतंकवादी गुट से भारतीय क्रिकेट टीम को यदि वे बंगलादेश का दौरा करेंगे तो जान से मारने की धमकी मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए पहले ही कोई सुरक्षा दल बंगलादेश में भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्यों और परिणामों का ब्यौरा दें?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां। ढाका में भारतीय उच्चायोग को स्वयं को "हरकतुल जेहाद" कहने वाले एक संगठन से धमकी भरा पत्र मिला है। यह पत्र 4 दिसम्बर, 2004 को उच्चायोग को फैक्स द्वारा भेजा गया है। इसमें पूरे भारतीय क्रिकेट टीम को जान से मारने की धमकी दी गई थी।

(ख) सरकार ने ढाका और चटगांव में स्थिति का स्थल पर ही जायजा लेने और आवश्यकता पड़ने पर कोई अतिरिक्त उपाय करने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ संपर्क करने के लिए तत्काल 6.12.2004 को एक बहु-विभागीय सुरक्षा प्रतिनिधिमण्डल भेजा।

(ग) भारतीय सुरक्षा अधिकारी और उनके बंगलादेशी समकक्षों ने मैच खेले जाने के स्थल, होटल जहां खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था की जाएगी और ढाका तथा चटगांव, जहां मैच खेले जाएंगे, में टीम के आवागमन के मार्ग का, स्थल पर ही संपूर्ण निरीक्षण किया। हमारे अधिकारियों ने टीम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें की। बंगलादेशी प्राधिकारियों द्वारा इसे पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया। बंगलादेशी गृह सचिव ने भारतीय पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए सभी उपायों का कार्यान्वयन करने का विश्वास दिलाया है।

ढाका में 10.12.2004 को शुरू हुआ प्रथम टेस्ट मैच 13.12.2004 को शांतिपूर्वक समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय: हमें अपनी टीम, सचिन तेंदुलकर तथा पठान को भी बधाई देनी चाहिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर से हमें यह ज्ञात नहीं हुआ कि ढाका में भारतीय दूतावास को भेजे गए पत्र में क्या कुछ लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगलादेश तेजी से इस्लामी आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है। महोदय, भारतीय उपद्रवियों को बंगलादेश में पोषित किया जा रहा है व उन्हें वहां संरक्षण भी मिल रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह भारतीय क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आइए इस बात की आशा करें कि अगला मैच शांतिपूर्वक सम्पन्न हो जाएगा।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, हमारी सरकार बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है।

कुछ दिन पहले कट्टरवादियों ने हसीना वाजेद पर जानलेवा हमला किया था और उत्पीड़न किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनके आंतरिक मामलों से हमारा कोई संबंध नहीं है। एक मित्रतापूर्ण देश के ये आंतरिक मामले हैं। आप उनमें नहीं जा सकते।

मंत्री महोदय, आपको इनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं एक बहुत सटीक प्रश्न पूछ रहा हूं।

बंगलादेश में धार्मिक अतिवाद तथा उनकी बढ़ती विध्वसंक गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ढाका गई भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु अपनी ओर से कोई उपाय क्यों नहीं करती?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया उनके आंतरिक मामलों में न जाएं।

श्री ई. अहमद: महोदय, मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। बंगलादेश सरकार ने स्पष्टतया और असंदिग्ध रूप से आश्वासन दिया है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस मामले में भी हमारी सहायता की है।

श्री ई. अहमद: जी हां, महोदय। उन्होंने भारत सरकार को बड़े ही स्पष्ट तौर पर जोर देकर आश्वस्त किया कि भारतीय क्रिकेट टीम के रहने के सभी स्थानों, उनके देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग आयोजन स्थलों पर संचलन के दौरान तथा साथ ही साथ उनकी यात्रा के सभी स्थानों पर सबसे बेहतर और उच्चतम कोटि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ढाका में 9, 10 और 11 जनवरी को सार्क शिखर बैठक होने जा रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी भाग लेंगे। अतः, हमें मात्र इसका पूर्वानुमान क्यों करना चाहिए? हम आशा करते हैं कि वहां समान हित के विषयों पर बातचीत होगी।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, पत्र की विषय वस्तु की जानकारी थी। वे गुजरात में निर्दोष मुस्लिमों की हत्या का बदला लेने की योजना बना रहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसका प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। क्रिकेटरों की यात्रा पर चर्चा कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, इसका संबंध भी क्रिकेट से है।

अध्यक्ष महोदय: इसका क्रिकेट से संबंध नहीं है।

श्री अधीर चौधरी: उस पत्र की विषय वस्तु निर्दोष मुस्लिमों की हत्या का बदला लेना था।

अध्यक्ष महोदय: हमें नहीं पता। आप कैसे जानते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं उस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को शांत करने तथा बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए क्या सरकार गुजरात में क्रिकेट का एक मैच आयोजित किए जाने पर विचार कर रही है जिसे 'क्रिकेट डिप्लोमैसी' के नाम से जाना जाए।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्रवाई के लिए एक सुझाव है। आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हम संसद सदस्यों के बीच एक मैच खेले जाने पर विचार क्यों नहीं करते हैं?

श्री उदय सिंह: महोदय, हम सभी को बहुत खुशी है कि हमारी क्रिकेट टीम सुरक्षित है, तथा दौरा सही चल रहा है। तथापि, 'हुजी' से प्राप्त धमकी हमारे पड़ोसी देशों में फल-फूल रहे उन संगठनों की खुली अभिव्यक्ति है जो हमारे हितों के

खिलाफ हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है। क्या भारत इन आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने के प्रयास में मित्रवत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर रहा है ताकि आतंकवाद के इस संकट को वास्तविक तौर पर खत्म किया जा सके।

श्री ई. अहमद: जहां तक हमारी क्रिकेट टीम के मामले का संबंध है, बांग्लादेश सरकार हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोग कर रही है। हालांकि, बांग्लादेश के प्राधिकारियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी गई धमकी को एक अफवाह के रूप में इसकी सत्यता पर ही प्रश्न उठाया है फिर भी उन्होंने भारतीय सुरक्षा दल द्वारा तत्काल आकलन के लिए उनके ढाका और चटगांव की यात्रा और उसके दायरे में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के संबंध में भारतीय दल द्वारा की गई सिफारिश को भी स्वीकार किया है।

इसके अलावा, सामान्य सुरक्षा से संबंधित विषयों पर जब कभी हमारी कोई चिंता होती है हम उस पर विदेश मंत्रालय के साथ चर्चा करते हैं। 'बिमस्टेक' की बैठक के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी। उन्होंने हमारी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। इसके अलावा भी एक बैठक ढाका में सार्क बैठक के दौरान पुन: होने जा रही है। अत: हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अभी तक उन्होंने आश्वास्त किया है कि वे हमारे साथ सहयोग करेंगे।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, जिस दौर में युद्ध के नाम पर खेल हो रहा है और खेल के नाम पर युद्ध हो रहा है, उस दौर में मैं भारत की क्रिकेट टीम और भारत सरकार दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सवाल पर पैनिक बटन पुश नहीं किया और थ्रैट को लाइट भी नहीं दी। उन्होंने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। दूसरी तरफ कल ही बंगलादेश लिब्रेशन की विजय दिवस की तारीख थी। भारत की जनता, भारत सरकार और भारत की फौज ने बंगलादेश को आजादी के लिए काफी मदद की है। इसलिए मैं समझता हूं कि बंगलादेश की जनता भारत के विरोध में नहीं है। लेकिन हर देश में, हमारे देश में भी ऐसे तत्व हैं जो यह नहीं चाहते कि दो देशों के बीच आदान-प्रदान हो, चाहे खेल का हो या सांस्कृतिक हो। मैं जानना चाहता हूं कि बंगलादेश के लिए, जिसके साथ हमारे ट्रैडिशनल संबंध हैं और आज भी व्यापार और सांस्कृतिक लेन-देन है, क्या सरकार ऐसे तत्वों से लड़ने के लिए कुछ कर रही है? इसी तरह बंगलादेश में ऐक्सट्रीमिज्म न पनपने पाए और टैररिस्ट्स आर्गनाइजेशन न बनने पाए, जो भारत विरोधी कैम्पेन में मदद करे, उसके लिए जिस तरह डिप्लोमैटिक लेवल पर कोशिश हो रही है, क्या संसदीय लैवल पर भी आप और सरकार दोनों कोशिश करेंगे ताकि हम आपस में बैठकर और ज्यादा अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बांग्लादेशी शिष्टमंडल आ रहा है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, बंगलादेश में इतने आतंकवादी अड्डे हैं। उनको क्लीन चिट देना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बारे में बताया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह उचित नीति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह उनका निजी दृष्टिकोण है।

श्री ई. अहमद: बांग्लादेश के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर माननीय सदस्य द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग भी इस परिस्थिति में जो भी भावनाएं अभिव्यक्त की गई हैं, उस पर विचार करेंगे।

जहां तक बांग्लादेश में भारतीय आतंकवादी समूहों का संबंध है तो इस विषय को बांग्लादेश के प्राधिकारियों के साथ हर समय उठाया गया है। मुझे भरोसा है कि बांग्लादेश के प्राधिकारी इस देश की चिंता और परेशानी पर अवश्य ही उचित रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामस्वरूप कोली, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री राम स्वरूप कोली: जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बाद में कभी पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: हमने उस माहौल को देखा है जिसमें खेल हुए हैं जहां पर खिलाड़ियों की उचित संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सब कुछ किया गया था। हजारों-लाखों की संख्या में लोगों ने भी खेल के लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करने में योगदान दिया है। अत:, कट्टरता

के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। यह विश्व में हर जगह व्याप्त है।

मेरा प्रश्न है कि क्या वह पत्र कोरी बकवास था या यह सचमुच धमकी भरा पत्र था क्योंकि यह खबर भी आ रही है कि यह एक कोरी बकवास था न कि धमकी भरा पत्र? भारत सरकार की क्या राय है?

अध्यक्ष महोदय: हमें ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि हमारे खिलाड़ी अभी भी वहीं हैं।

श्री ई. अहमद: बांग्लादेश द्वारा इस पत्र की सत्यता पर शंका जाहिर की गयी है। परन्तु हमने इस पत्र के आधार पर उचित और तत्काल कार्रवाई की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

जूट मिलों का पुनरुद्धार

***247. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जूट उद्योग के प्रौद्योगिकी मिशन हेतु एक नई नीति-आधारित योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत जूट उद्योग पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) किन-किन राज्यों में जूट उद्योग चल रहे हैं अथवा बंद कर दिए गए हैं;

(घ) क्या निजी क्षेत्र के जूट उद्योगों को भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलेगी;

(ङ) क्या योजना आयोग ने भी इस योजना हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या जूट उद्योग का निजी क्षेत्र की सहायता से पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) यद्यपि भारत सरकार ने पटसन उद्योग के लिए कोई नई योजना स्वीकृत नहीं की है, फिर भी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन विनिर्माण विकास परिषद् प्रोत्साहन योजना, पटसन उद्यमी सहायता योजना और बाजार सहायता योजना (ईएमए) जैसी अनेक ऐसी योजनाएं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के भाग हैं जिनका उद्देश्य पटसन क्षेत्र में आधुनिकीकरण और बाजार विकास करना है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में पटसन मिलें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में स्थित हैं और वहां काम कर रही हैं। कुछेक पटसन मिलें अलग-अलग अवधियों से बंद पड़ी हुई हैं और ये मिलें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित हैं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) और (ज) सरकार पटसन उद्योग की समस्त विश्व में और देश के भीतर विशेष पारिस्थितिकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसके सभी पहलुओं को नई गति देने के प्रति कटिबद्ध है।

[अनुवाद]

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से धनराशि

***248. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राप्त धनराशि के अधिकतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकार को दी गई सहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्राप्त सहायता (मुद्रा मिलियन में)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था	मुद्रा	वित्तीय वर्ष 2001-02	वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04
विश्व बैंक	अमरीकी डालर	2131.692	1458.927	1661.983
एशियाई विकास बैंक	अमरीकी डालर	276.359	311.027	454.300
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	एसडीआर	13.525	10.895	9.812

भारत ने वर्ष 1993 से आईएमएफ से उधार नहीं लिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। प्राप्त की गई सहायता की राशि सरकार द्वारा विश्व बैंक से दावा की गई प्रतिपूर्ति आधारित व्यय के विवरण पर आधारित होती है। जहां तक परियोजना-वार सहायता के उपयोग का संबंध है, परियोजना की कार्यान्वयन अवधि जो कि औसतन पांच वर्ष होती है, के दौरान किसी भी समय विशेष पर, कुछ अप्रयुक्त राशि अवश्य शेष रहती है। वर्ष में अप्रयुक्त रही राशि को अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु आगे ले जाया (कैरी-फारवर्ड) जाता है, बशर्ते कि यह समग्र परियोजना अवधि विस्तारित परियोजना अवधि के भीतर हो।

(घ) सरकार संवितरण में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, संबधित मंत्रालयों, परियोजना प्राधिकरणों और विदेशी अभिकरणों के साथ परामर्श करके परियोजनाओं को बारीकी से मानीटर करती है। धीमे संवितरण वाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेशी सहायता का इष्टतम उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं—राज्य और केन्द्रीय सरकार के बजटों में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालय में परियोजना मानीटरिंग एककों को मजबूत बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारी नियुक्त करना और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन योजनाओं में अनियमितताएं

***249. श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चल रहे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों तथा अन्य विकास योजनाओं में अनियमितताओं तथा खराब कार्य-निष्पादन के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए कोई प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक विशेषकर झारखंड और बिहार में इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लक्ष्य में रखे गए लोगों तक पहुंचे, मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली लागू की है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें करना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के क्षेत्र दौरे (क्षेत्र अधिकारी योजना) जैसे तंत्रों के माध्यम से निधियों का उपयोग शामिल है। राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का पुनर्गठन किया गया है जिसमें संसद सदस्यों को निर्णायक भूमिका सौंपी गई है। निगरानी की अन्य पहलकदमियों में परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय निगरानी और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम का सत्यापन, कार्य निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राज्य सरकारों की आवधिक प्रगति रिपोर्टें, कार्यक्रमों का समवर्ती और शीघ्र मूल्यांकन आदि शामिल है।

मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम की कड़ी निगरानी के लिए, ग्राम स्तरीय निगरानी समितियों का भी पुनर्गठन किया गया है, जिनमें लाभार्थियों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा। ग्राम सभा द्वारा

सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इसे और अधिक भागीदारीपूर्ण बना दिया गया है और इसमें लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

असम, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के दुर्विनियोजन/दुरूपयोग के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें अनियमितता की शिकायतें भी शामिल हैं। अनियमितताओं संबंधी शिकायतें आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य से मिली हैं। ऐसी शिकायतें को उपचारी कार्रवाई के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दुरूपयोग/अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों को उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण

***250. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए निजी बैंकों को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर निजी बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों में निजी बैंकों द्वारा कितना ऋण प्रदान किया गया है और उनका राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकार के सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का निदेश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को परामर्श दिया है कि वे दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के कार्यान्वयन और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने में सकारात्मक-सक्रिय भूमिका निभाएं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे अलग से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एसजीएसवाई के अंतर्गत 9.43 करोड़ रु. और एसजेएसआरवाई के अंतर्गत 8.32 करोड़ रु. प्रदान किए थे।

स्क्रैप धातुओं का आयात

***251. श्री अर्जुन सेठी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश बेरोकटोक आयात किए जाने वाली सभी प्रकार की स्क्रैप धातुओं का पाटन स्थल बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात की जा रही विभिन्न स्क्रैप धातुओं का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये स्क्रैप आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और ऐसे आयात को न्यूनतम करने हेतु इस पर प्रतिबंध लगाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी नहीं। चूंकि स्क्रैप की भारी घरेलू कमी है इसलिए भारतीय उद्योग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में स्क्रैप का आयात करता है। इसमें लौह एवं अलौह दोनों प्रकार का स्क्रैप शामिल होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयातित स्क्रैप के वर्षवार और देशवार और वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खंड-II (आयात)-वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) अनेक अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्शों के बाद सरकार ने धात्विक स्क्रैप और अपशिष्ट के आयात हेतु कुछेक नये दिशा-निर्देश एवं क्रियाविधियां निर्धारित की हैं। इन क्रियाविधियों के अनुसार अखंडित, संपीड़ित अथवा खुले रूप में सभी प्रकार के धात्विक स्क्रैप और अपशिष्ट के आयात के साथ इस आशय का निरीक्षण-पूर्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आयातित खेप में

किसी प्रकार की गोला-बारूद अथवा अन्य विस्फोटक सामग्री अथवा रेडियोधर्मी सामग्री निहित नहीं है भले ही ऐसे आयातों का स्रोत कोई भी हो। सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार ऐसे आयातों की कड़ी जांच भी की जाएगी। आयात भी केवल 15 पत्तनों के जरिये ही सीमित कर दिया गया है।

बाजार में काला धन

***252. श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सीताराम सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने काले धन और छिपी परिसम्पत्तियों को बाहर निकालने हेतु विशेष योजनाओं की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या बाजार में काले धन के बारे में हाल ही में कोई अधिप्रमाणित अनुमान नहीं लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अर्थव्यवस्था में काले धन के बारे में अद्यतन अनुमान क्या है;

(च) क्या सरकार का किसी अधिप्रमाणित एजेंसी द्वारा बाजार में विद्यमान काले धन के बारे में अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(झ) यदि हां, तो काले धन, जाली मुद्रा, उत्पाद शुल्क अपवंचन तथा बैंक धोखाधड़ी के संबंध में सी.बी.आई. के अनुमान का ब्यौरा क्या है; और

(ञ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने काले धन एवं परिसम्पत्तियों को बाहर निकालने के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिश के निमित्त दिनांक 10.11.2004 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इस समूह में दो आयकर महानिदेशक (जांच) और एक मुख्य आयकर आयुक्त शामिल हैं।

इस समूह द्वारा दिसम्बर, 2004 की समाप्ति तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

(ग) सरकार के अनुरोध पर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वर्ष 1985 में देश में काले धन का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की रिपोर्ट "भारत में काले धन के पहलू" (1985) के अनुसार देश में वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान काले धन की कुल राशि 31,584 करोड़ रुपये और 36,786 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। तत्पश्चात्, देश में काले धन का अनुमान लगाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(घ) काले धन को सृजित करने वाले अधिकांश लेनदेन गैर अभिलेखबद्ध होने के कारण किसी अनुमान की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण हो जाती है। ऐसे अनुमानों में अप्रत्यक्ष प्रणालियों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करना पड़ता है। इस बात को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान रिपोर्ट (1985) के प्रवर्तकों ने भी स्वीकार किया था कि उनका अनुमान अनेक अवधारणाओं और अनुमानों पर आधारित है जिनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है। अत: कोई नया अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) इस समय सरकार के पास देश में काले धन की राशि का कोई औपचारिक अनुमान नहीं है।

(च) इस समय वित्त मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (च) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(ज) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में ऐसा कोई आकलन नहीं किया है।

(झ) और (ञ) उपर्युक्त (ज) के मद्देनजर, लागू नहीं होता।

केन्द्रीय करों में हिस्सा

***253. श्री परसुराम माझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय करों और सहायता अनुदान में से कितना हिस्सा दिया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों, विशेषत: उड़ीसा का हिस्सा प्रतिवर्ष इस तथ्य के बावजूद भी घटाया जा रहा है कि ये राज्य किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सामना प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2004-05 में केन्द्र से इन राज्यों के हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा और सहायता अनुदानों को व्यक्त करने वाला एक विवरण संलग्न है। इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अनुदानों को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने पर ही जारी किया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान, वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जारी केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा और सहायता अनुदानों को प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय करों में हिस्सा			ईएफसी के तहत अनुदान		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4061.50	4315.81	5068.52	552.57	417.31	878.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	113.62	121.68	160.60	267.78	282.30	267.24
3.	असम	1705.89	1814.36	2162.07	152.85	150.87	182.73
4.	बिहार	6176.67	6559.38	7627.47	193.95	323.31	157.72
5.	छत्तीसगढ़	1271.15	1349.91	1569.72	153.48	239.08	74.03
6.	गोवा	107.80	114.62	135.59	9.77	4.04	4.06
7.	गुजरात	1503.53	1596.69	1856.69	1226.19	324.38	182.80
8.	हरियाणा	503.13	534.30	621.31	161.79	104.94	126.07
9.	हिमाचल प्रदेश	325.07	347.63	449.54	1143.00	867.87	794.33
10.	जम्मू-कश्मीर	609.61	646.80	817.05	2263.41	2311.66	2323.43
11.	झारखंड	1603.18	1702.52	1979.73	59.54	32.00	71.49
12.	कर्नाटक	2623.38	2786.20	3244.73	278.57	374.44	524.26
13.	केरल	1614.26	1715.21	2012.00	274.39	182.21	183.46
14.	मध्य प्रदेश	3439.30	3652.43	4247.14	312.46	419.81	367.44
15.	महाराष्ट्र	2468.76	2621.72	3048.64	520.59	308.16	343.60
16.	मणिपुर	176.03	188.12	240.89	365.95	376.82	358.29
17.	मेघालय	164.83	176.11	225.08	302.55	388.27	317.90

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	88.04	94.59	130.33	297.97	297.26	303.25
19.	नागालैंड	90.79	98.07	144.80	689.11	733.51	746.42
20.	उड़ीसा	2638.62	2805.58	3327.68	460.60	408.25	443.55
21.	पंजाब	611.31	649.21	754.91	130.56	272.36	106.55
22.	राजस्थान	2882.36	3063.10	3602.14	884.16	764.46	696.69
23.	सिक्किम	90.05	97.11	121.08	153.97	205.52	157.16
24.	तमिलनाडु	2870.07	3047.91	3544.20	349.69	442.46	714.25
25.	त्रिपुरा	233.63	249.71	320.52	512.65	444.41	494.20
26.	उत्तर प्रदेश	10199.59	10831.55	12595.30	719.61	665.61	960.17
27.	उत्तरांचल	352.29	374.11	435.03	82.97	58.66	86.82
28.	पश्चिम बंगाल	4318.71	4586.74	5341.65	1511.86	908.91	328.85
	जोड़	52844.17	56141.17	65784.41	14031.99	12308.88	12195.04

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*254. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून माह, 2004 में नई दिल्ली में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उनके ग्रामीण विकास मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) इस चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) किन-किन मुद्दों पर मुख्य मंत्रियों के बीच आम सहमति थी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने और उसे मजबूत करने के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हित-चिंता के कतिपय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के आशय से 29-30 जून, 2004 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्य सूची की मदें राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार तैयार की गई थी। ग्रामीण विकास की नीति गरीबी उन्मूलन, भारी मात्रा में रोजगार का सृजन, क्षेत्र विकास और आधारभूत सुविधाओं का विकास के तहत कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर बनानी होगी। मंत्रालय के जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर सम्मेलन में चर्चा हुई थी, वे हैं मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आधारभूत सुविधा विकास कार्यक्रम—ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क संपर्क, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता और पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों का अंतरण। सम्मेलन के दौरान उभर कर सामने आए सामान्य मुद्दों में से कुछ मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

1. पूर्वोत्तर के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि राज्यों की वित्तीय स्थिति अत्यंत कमजोर है, इसलिए उनके लिए योजना की कुल राशि का मौजूदा 25 प्रतिशत राज्य अंश देना संभव नहीं होगा और इसलिए उन्होंने 90:10 के वित्त पोषण पैटर्न का अनुरोध किया।

2. अनेक राज्यों ने आबंटन मानदंड को बदलने के लिए अनुरोध किया। उनका यह विचार था कि धनराशि का आबंटन गरीबी अनुपात के लिए एकमात्र मानदंड की बजाय योजना के संबंध में की गई प्रगति और कार्य निष्पादन पर आधारित होना चाहिए। यह इस दृष्टि से

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अनेक राज्यों के गरीबी अनुपात के आधिकारिक अनुमानों में बहुत अधिक गिरावट आई है और उन्हें इस आधार पर पर्याप्त मात्रा में धनराशि से हाथ धोना पड़ता है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने की मौजूदा पद्धति को बदला जाना चाहिए। गरीबी का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही पद्धति वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

4. पश्चिम बंगाल के मंत्री ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की अध्यक्षता का मुद्दा उठाया। उनके अनुसार इन समितियों की अध्यक्षता संसद सदस्यों के स्थान पर जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए जो कि संवैधानिक दृष्टि से निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।

5. कुछ राज्यों ने समान स्तर पर बनाई गई योजनाओं, जो स्थानीय परिस्थितियों और अपेक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं भी हो सकती हैं, को अपनाए जाने की बजाय आवश्यकता आधारित योजनाओं पर बेहतर ढंग से खर्च करने के लिए और अधिक लोचनीयता के बारे में तर्क दिया।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित राज्य विशिष्ट मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा में इस बात पर एकमत था कि ग्रामीण गरीबी की व्यापकता को और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए ताकि निर्धारित समय के भीतर दृष्टिगोचर परिणाम हासिल किए जा सकें। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं, जिन्हें संविधान (73वां संशोधन अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार अधिकार संपन्न किया जाना है, की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के लिए तंत्र व्यवस्था को मजबूत करने पर भी सहमति हुई थी।

आयात शुल्क में संशोधन

*255. **श्री कीर्तिवर्धन सिंह:**
श्री लोनाप्पन नम्बाडन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारियल तेल सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की नई दरों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में खाद्य तेल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य तेल पर आयात शुल्क की नई दरों की घोषणा हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्य तेल पर आयात शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभावों से विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं। अभी हाल ही में सरकार ने नारियल तेल सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लगाने की कोई नई दरें घोषित नहीं की हैं। फिर भी दिनांक 8 जुलाई, 2004 को घोषित संघीय बजट में कच्चे पाम तेल को छोड़कर अन्य पाम तेलों पर सीमा शुल्क 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया था। इसी प्रकार खाद्य तेलों पर आयात शुल्क की लेवी के लिए टैरिफ मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15 सितंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.) के तहत कम करते हुए संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग) दिनांक 15 सितंबर, 2004 की अधिसूचना सं. 105/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.) के तहत जारी की गई टैरिफ मूल्य की संशोधित दरें निम्नवत् हैं:-

(1)	कच्चा पाम तेल	454 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(2)	आर.बी.डी. पाम तेल	489 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(3)	अन्य पाम तेल	471 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(4)	कच्चा पामोलीन	479 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(5)	आर.बी.डी. पामोलीन	497 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(6)	अन्य पामोलीन	488 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन
(7)	कच्चा सोयाबीन तेल	565 अमेरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन

टैरिफ मूल्य इन तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप है। टैरिफ कीमत में परिवर्तनों हेतु अपनाया गया मानदंड यह है कि निर्धारित टैरिफ मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होता है तो आवश्यक परिवर्तन होते हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों में घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात शुल्क/प्रतिशुल्क लगाए जाते हैं।

हड़तालों और बंद पर प्रतिबंध

*256. **श्री मोहन रावले:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उच्चतम न्यायालय ने हड़तालों और बंद पर प्रतिबंध लगाने का विनिर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मुंबई उच्च न्यायालय के बंद के प्रायोजकों पर अर्थ दंड लगाने के हाल के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से अवगत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2003 की सिविल अपील सं. 5556, टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में, तारीख 6.8.2003 के अपने आदेश में, जिसे 2003 (6) स्केल 84 में रिपोर्ट किया गया है, यह मत व्यक्त किया है कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई मूल, कानूनी या साम्यापूर्ण या नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षेस देशों द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं का पूरा किया जाना

*257. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण एशियाई देशों की 90 प्रतिशत आर्थिक आवश्यकताएं इस क्षेत्र के बाहर से पूरी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने दक्षेस देशों के अपनी आवश्यकताओं को इस क्षेत्र के भीतर ही पूरा करने हेतु क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार करने को कहा है;

(घ) क्या दक्षेस के देशों ने वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गयी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या भावी रणनीति बनायी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध व्यापार के आंकड़ों के अनुसार यह सत्य है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। नवम्बर, 2004 में इस्लामाबाद में दक्षेस वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में भारत ने इस क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए दक्षेस को एक अधिक प्रभावशाली साधन बनाने के लिए आर्थिक सहयोग पर केन्द्रित किसी सकारात्मक कार्यसूची बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया था।

(ङ) बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी वार्ताएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलनी चाहिए ताकि यह 1 जनवरी, 2006 से लागू हो सकें। तदनुसार साफ्टा से संबंधित लम्बित मुद्दों को निपटाने और इसके साथ ही चार व्यापार सुविधा करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी रूपरेखाएं तैयार की गयी थीं ताकि ये करार साफ्टा करार के साथ लागू हो सकें। ये करार (1) सीमा शुल्क मामलों संबंधी पारस्परिक प्रशासनिक सहायता (2) निवेशों का संवर्धन एवं संरक्षण (3) सार्क विवाचन परिषद् एवं विवाचन नियमावली, और (4) दोहरा कराधान अपवंचन संबंधी सीमित बहुपक्षीय कर संधि/करार से संबंधित हैं। अन्य सुविधा उपाय जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है, मानकों में क्षेत्रीय मान्यता व्यवस्थाएं, जांच सुविधाएं और अनुरूपता आकलन, सांख्यिकी के क्षेत्र में सहयोग और इस क्षेत्र में परिवहन में सहयोग हैं।

विवरण

वर्ष	अंतर-सार्क व्यापार (मिलियन अम. डालर)	सार्क देशों का विश्व व्यापार (मिलि. अ.डा.)	अनुबंध सार्क देशों के विश्व व्यापार में अंतर-सार्क व्यापार का हिस्सा (%)
1995	4228	104159	4.1
1996	4914	111479	4.4
1997	4390	115961	3.8
1998	6073	121331	5.0
1999	5640	129738	4.4
2000	5884	141978	4.1
2001	6537	139585	4.7
2002	6250	162540	3.8

*भूटान के लिए वर्ष 2001 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
**स्रोत: आईएमएफ, व्यापार सांख्यिकी निर्देश, विभिन्न मुद्दे।

[हिन्दी]

स्टाक निवेश योजना

***258. श्री गिरिधारी यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टाक निवेश योजना के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टाक निवेश योजना के बारे में जारी किए गए निदेशों का कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो बैंकों के नाम सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्टाक निवेश योजना 1 फरवरी, 1992 को शुरू की गई थी। योजना के तहत स्टाक निवेश जारी करने के इच्छुक बैंकों को वास्तविक रूप से योजना शुरू करने से कम से कम एक पखवाड़े से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को इसे विचारार्थ भेजना/सूचित करना अपेक्षित होता था। तथापि, जून 1998 में बैंकों को सलाह दी गई कि वे आरबीआई को इसका हवाला दिए बिना अपने बोर्ड के अनुमोदन से स्टाक निवेश योजना प्रारम्भ कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2003 में स्टाक निवेश योजना की समीक्षा की गई थी। यह पाया गया कि प्राथमिक बाजार में शेयरों/डिबेंचरों के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए भुगतान के एक प्रकार के रूप में स्टाक निवेश का प्रयोग काफी गिर गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्राथमिक निर्गमों के तहत आबंटन अवधि को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए थे। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह निर्णय किया गया था कि योजना जारी रखना आवश्यक नहीं है तथा इसे 5 नवम्बर, 2003 से वापिस ले लिया गया तथा समाप्त कर दिया गया था।

अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

***259. श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री किन्जरपु येरणनायडु:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की अदालतों के आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विस्तार के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अदालतों की न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में अदालतों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकारों की मदद करने हेतु दिए गए सुझावों को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार अदालतों के कार्यकरण को बेहतर बनाने हेतु राज्य सरकारों के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हुई है;

(ङ) क्या सरकार को राज्यों से आधुनिकीकरण की कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार राज्यों की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हुई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन जारी की गई वर्ष-वार निधियां निम्नलिखित थीं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
जारी की गई निधियां	73.69	105.38	71.86

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) न्याय विभाग पहले ही दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के चार महानगरों में 700 अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए निधियां जारी कर चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में और 900 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी निधियां आबंटित की गई हैं। ये आबंटन देश में न्यायिक न्यायालयों के व्यापक कंप्यूटरीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए हैं। अनेक राज्य सरकारों ने समय-समय पर केंद्रीय सरकार को न्यायिक न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए, उनके द्वारा की गई पहलों के संबंध में सूचना दी है और इस विषय में केंद्र से सहायता का भी अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा ऋण

*260. **श्री गुरूदास कामत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ बैंक आरम्भ में बिना ब्याज के ऋण देने की पेशकश करके आम आदमी को ललचा रहे हैं लेकिन बाद में ये बैंक भारी ब्याज वसूलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन बैंकों के झूठे वायदों के कारण हजारों भोले-भाले लोग इनके जाल में फंस जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन बैंकों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ बैंक उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माताओं/व्यापारियों से उपलब्ध छूट के समायोजन के जरिए उधारकर्त्ताओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अग्रिमों पर कम/शून्य प्रतिशत ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच की थी और बैंकों को यह सूचित किया था कि ऐसी ऋण योजनाओं के परिचालन में पारदर्शिता का अभाव है और ऋण उत्पादों की कीमतों का गलत उल्लेख हो रहा है। ये उत्पाद लागू ब्याज दरों के संबंध में ग्राहकों को सही स्थिति भी नहीं बता रहे थे। अत: बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 2002 के परिपत्र के तहत ऐसे उत्पादों का प्रस्ताव करने से मना किया गया था। बैंकों को यह सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है कि वे जहां ब्याज दरों से पारदर्शिता का अभाव हो, वहां किसी प्रोत्साहन आधारित विज्ञापन के साथ किसी भी रूप/तरीके से अपना नाम जोड़ने से बचें। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए उधारकर्त्ताओं को ऋणों सहित परिचालन के सभी पहलुओं के संबंध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों एवं निदेशों का अनुपालन करना होता है।

[हिन्दी]

संविधान समीक्षा समिति

*261. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेरहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान गठित की गई संविधान समीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी हां। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने 31 मार्च, 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) आयोग की रिपोर्ट का संपूर्ण आठ इंटरनेट पर रख दिया गया है और रिपोर्ट को सभी मंत्रालयों/विभागों को भी अग्रेषित कर दिया गया है। सिफारिशों पर कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों का है, जो सिफारिशों की विषय-वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं।

[अनुवाद]

जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक ऋण

*262. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तारीख तक विश्व बैंक ने जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित परियोजना के लिए कोई ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई राशि में से परियोजना-वार कितनी राशि आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) गत तीन वर्षों में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित दो पेय जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परियोजना का नाम	राज्य	कार्यान्वयनकारी अभिकरण	हस्ताक्षर/ प्रभावी होने/समापन की तारीख	ऋण राशि (करोड़ रु.)	14.12.2004 तक संचयी संवितरण (करोड़ रु.)
द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता अभिकरण और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग	8.3.02/ 19.4.02/ 31.12.07	716.37 (151.60 मिलियन अमरीकी डालर)	71.03
महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	महाराष्ट्र	जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र सरकार	30.9.03/ 29.10.03/ 31.3.09	846.06 (181.00 मिलियन अमरीकी डालर)	47.35

उच्चतम न्यायालय से मिले निदेश

2734. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड के आधार पर बनाए गए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के (अखिल भारतीय) एम.वी.आर.एस. पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा एम.वी.आर.एस. के अनिच्छुक कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय से सरकार को कोई निदेश मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन निदेशों पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) मौजूदा संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एम.वी.आर.एस.) 1 जनवरी, 2002 से एनटीसी में क्रियान्वित की गई है।

यह योजना ऐसे सभी नियमित/स्थायी कर्मचारियों/बदली/प्रतिस्थापन/अस्थायी नैमित्तिक कामगारों पर लागू है जिनके नाम एनटीसी मिलों की नामावलियों में हैं। इस योजना के लाभ निम्नलिखितानुसार हैं:-

(1) सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 35 दिनों के बराबर की अनुग्रह राशि और अधिवर्षिता होने तक बची शेष सेवा के लिए 25 दिनों की अनुग्रह राशि का इस शर्त पर भुगतान कि मुआवजे की राशि कर्मचारी के वेतन की उस राशि में से अधिक नहीं होगी जो कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने से पूर्व बची सेवा की शेष अवधि के लिए प्रचलित स्तर पर प्राप्त करता है।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त उपर्युक्त पात्र अनुग्रह राशि के 100% का अतिरिक्त अनुग्रह मुआवजा इस शर्त पर कि 1.1.1987 के बाद वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया था अथवा अतिरिक्त मुआवजे के रूप में पात्र अनुग्रह राशि का 50% यदि 1.1.1992 के बाद वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस उद्देश्य के लिए वेतन में मूल वेतन+डीए+एचआरए शामिल होंगे।

उपर्युक्त लाभ सामान्य पात्र ई पी एफ लाभ, संचित पात्र अर्जित अवकाश के बराबर नकद धनराशि, ग्रेच्युटी आदि के अतिरिक्त हैं।

(ख) आई डी अधिनियम के अंतर्गत बंद करने के लिए प्रस्तावित मिलों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने एम वी आर एस का विकल्प नहीं दिया है, आई डी अधिनियम के तहत अथवा उनकी सेवा-शर्तों के अनुसार मुआवजा पाने के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) गुजरात उच्च न्यायालय ने सरकार को निदेश दिया है कि वह पुनरुद्धार के लिए मूल रूप से प्रस्तावित एन टी सी (गुजरात) लि. की दो मिलों में एम वी आर एस का क्रियान्वयन करने से पहले बी आई एफ आर से उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए संपर्क करे।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सरकार ने बी आई एफ आर के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

[हिन्दी]

नकदी फसलों के कम होते मूल्य

2735. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी संगठन नकदी फसलों के मूल्य समर्थन मूल्यों से कम होने पर किसी भी नकदी फसल को नहीं खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संबंधित राज्यों में प्रत्येक फसल उद्योग के विकास पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू बाजार में तभी हस्तक्षेप करती है यदि इस फसल की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम हो जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रही हैं। प्राकृतिक रबड़ की उन कुछेक किस्मों के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित की गई है, जो बाजार हस्तक्षेप के लिए नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न नकदी फसलों के विकास के लिए किए गए व्यय/जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:-

मसालों और तम्बाकू पर मसाला बोर्ड और तम्बाकू बोर्ड द्वारा किया गया व्यय

(लाख रुपए में)

राज्य का नाम	मसाले			फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू		
	2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
केरल	135.01	115.86	199.38	–	–	–
तमिलनाडु	34.98	31.58	30.34	–	–	–
कर्नाटक	94.21	69.71	109.50	10.76	27.01	31.89
आंध्र प्रदेश	48.55	119.16	220.70	29.00	53.11	48.35
उड़ीसा	0.10	3.92	9.53	–	–	–
मध्य प्रदेश	–	18.30	–	–	–	–
गुजरात	43.17	53.67	55.12	–	–	–
राजस्थान	43.25	63.67	51.83	–	–	–
त्रिपुरा	–		1.00	–	–	–
मिजोरम	–	2.01	26.66	–	–	–
मेघालय	–	0.28	7.34	–	–	–
असम	55.00	–	2.49	–	–	–
नागालैंड		2.74	1.09	–	–	–
सिक्किम	30.88	23.80	28.67	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	6.14	9.44	–	–	–
अन्य उत्तर-पूर्व राज्य	3.98	14.47	31.34	–	–	–
कुल	489.13	625.31	784.43	39.76	80.12	80.24

स्रोत: मसाला बोर्ड और तम्बाकू बोर्ड

चाय बोर्ड, काफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड द्वारा किया गया व्यय

(लाख रुपए में)

वस्तु का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
चाय	4697	6506	4745
काफी	3190	3468	4684
रबड़	6164	8408	9005
कुल	14051	18382	18434

व्यय के राज्यवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

कृषि फसलों के लिए कृषि में वृहद-प्रबंधन संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां

राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2250.00	1900.00	3800.00
अरुणाचल प्रदेश	219.50	463.20	317.28
असम	523.50	350.00	350.00
बिहार	1800.00	1250.00	900.00
झारखंड	1095.00	600.00	1200.00
गोवा	200.00	162.20	131.04
गुजरात	1900.00	1600.00	1150.00
हरियाणा	1620.00	1600.00	1585.15
हिमाचल प्रदेश	1800.00	1600.00	1585.15
जम्मू-कश्मीर	900.00	1932.00	1680.00
कर्नाटक	5850.00	5338.00	5580.00
केरल	2313.54	2762.00	2348.00
मध्य प्रदेश	5000.00	4350.00	4400.00
छत्तीसगढ़	1339.02	1138.00	1600.00
महाराष्ट्र	9000.00	7612.00	8400.00
मणिपुर	345.00	300.00	300.00
मेघालय	202.74	700.66	427.25
मिजोरम	720.00	810.00	820.00
नागालैंड	776.80	660.00	880.00
उड़ीसा	1485.00	1250.00	1967.31
पंजाब	1035.00	850.00	–
राजस्थान	5250.00	6700.00	6571.00
सिक्किम	422.00	330.00	500.00
तमिलनाडु	4500.00	3360.00	4275.00
त्रिपुरा	630.00	900.00	715.34
उत्तर प्रदेश	7500.00	6885.00	7375.00

1	2	3	4
उत्तरांचल	1400.00	1290.00	1600.00
पश्चिम बंगाल	2500.00	1427.47	1920.00
दिल्ली	–	80.00	50.00
पांडिचेरी	135.00	100.00	–
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	90.00	100.00	100.00
चंडीगढ़	50.00	–	–
दादर एवं नागर हवेली	135.00	100.00	10.00
दमन एवं दीव	45.00	–	–
लक्षद्वीप	90.00	100.00	50.00
योग	63122.20	58600.76	62664.56

नकदी फसलवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध

2736. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्याज के निर्यात की अनुमति निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिए किसी मात्रात्मक अधिकतम सीमा के बिना प्रदान की जाती है। ये राज्य व्यापार उद्यम निम्नानुसार हैं:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नैफेड)

(2) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एमएसएएमबी)

(3) गुजरात कृषि उद्योग निगम लि. (जीएएलसी)

(4) मसाला व्यापार निगम लि. (एसटीसीएल)

(5) द एपी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन

(6) कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लि. (केएससीएमएफ)

(7) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लि. (एनसीसीएफ)

(8) द नार्थ कर्नाटक अनियन ग्रोअर्स को-आपरेटिव सोसायटी (एनकेओजीसीएस)

(9) पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम (डब्ल्यूबीईसीएससी) लि., कोलकाता

(10) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम (एमपीएसएआईडीसी), भोपाल

(11) कर्नाटक स्टेट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (केएपीपीईसी), बंगलौर

(12) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक परिसंघ लि.

(13) द आंध्र प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन (एमपी मार्कफेड)

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उद्योग का पुनरुद्धार

2737. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान गुजरात और उत्तर प्रदेश में लघु, मझौले और बड़े बंद उद्योगों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में वस्त्र अभियांत्रिकी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बंद पड़े उद्योग कौन-कौन से हैं;

(घ) केन्द्र सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में की गयी पहल से कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला ऐसा औद्योगिक एककों के बन्द होने से संबंधित सूचना एकत्र करता है जिन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू होता है। श्रम ब्यूरो के साथ उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान 114 एकक (अनंतिम) बन्द किये गये थे। इनमें से 16 एकक गुजरात में तथा 11 एकक उत्तर प्रदेश में बन्द किये गये थे जिनमें गुजरात में 2 टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज तथा उत्तर प्रदेश में 5 टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज शामिल हैं। वर्ष 2003 के दौरान गुजरात में 5 टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज बन्द हुई बताई गई थीं और उत्तर प्रदेश में कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री बन्द नहीं हुई बताई गई थी।

वर्ष 2001-2002 को संदर्भ वर्ष मानते हुए नवंबर, 2002 से जून, 2003 तक की गई लघु उद्योग (एसएसआई) एककों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के अनुसार 8,87,427 एकक बन्द पाये गये थे जो लघु क्षेत्र में पंजीकृत थे। इनमें से गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में बन्द किये गये एककों की संख्या क्रमश: 39,159 तथा 1,22,282 थी। तीसरी अखिल भारतीय गणना में उद्योगवार बन्द होने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) बंद पड़े औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने का कार्य एकक विशेष से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराती है जो उद्योगों की वृद्धि और विकास में सुविधा प्रदान करती है और इसका पोषण करती है। सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक एककों को पुन: चालू करने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना आदि शामिल हैं। जहां संभव है बीएफआईआर के साथ पंजीकृत इन एककों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की पुन: संरचना, प्रवर्त्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता शामिल है, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबन्धन में परिवर्तन, वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा राहत तथा रियायतें और देनदारियों के समय को पुन: निर्धारण करने के रूप में राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा राहत तथा रियायत सम्मिलित है।

देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एकत्र किये जाते हैं। आर.बी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2003 को देश में 3396 गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एकक थे, जिनमें से 157 जीव्यक्षम एककों को देखरेख (नर्सिंग) के अन्तर्गत रखा गया था जिनमें वस्त्र उद्योग से संबंधित 26 एकक तथा इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित 10 एकक शामिल थे। मार्च, 2003 के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात से 11 गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एकक तथा उत्तर प्रदेश से 5 गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एकक देखरेख (नर्सिंग) के अन्तर्गत रखे गये थे।

[अनुवाद]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

2738. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऋण वसूली न्यायाधिकरण (टीआरटी) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का है ताकि एनबीएफसी को इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने हाल के प्रतिभूतिकरण अध्यादेशों के प्रावधान का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि एनबीएफसी को बैंकों की तरह अपने ग्राहकों से बकाया ऋण की वसूली करने के लिए प्राधिकृत कर सक्षम बनाया जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम/अध्यादेश के प्रवर्तन के उपबंध को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कृषि ऋण

2739. श्री जुएल ओराम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक राज्यों में कृषि ऋण प्रदान कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से और किसानों व स्व-सहायता समूहों को सीधे कितनी राशि का कृषि ऋण प्रदान किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) उड़ीसा राज्य में भारतीय स्टेट बैंक की 480 शाखाएं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल, 2004 से 30 सितम्बर, 2004 तक) के दौरान अलग-अलग किसानों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को और किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) के माध्यम से संवितरित ऋण की राशि क्रमश: 79.41 करोड़ रुपए, 10.40 करोड़ रुपए और 38.00 करोड़ रुपए है।

इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों के लंबित मामले

2740. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों के आपराधिक/सिविल मामलों का ब्यौरा क्या है और ये किस प्रकार के अपराध हैं और किस प्राधिकरण ने इन मामलों को दर्ज किया है;

(ख) कर्मचारियों, उनकी तैनाती के वर्तमान स्थानों और इस अवधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस ने दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है अथवा वे अदालत से जमानत पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सेवा और आचार नियमों के अंतर्गत ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है/क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ङ) इलाहाबाद बैंक ने वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्रमश: 40, 7 और 6 लंबित आपराधिक मामलों की सूचना दी है। इन 53 मामलों में से 22 मामले धोखाधड़ी से, 1 ठगी से, 3 दुर्विनियोजन से तथा 27 मामले अग्रिमों में अनियमितताओं से संबंधित थे। कर्मचारियों, उनकी तैनाती की वर्तमान जगह, मामले की वर्तमान स्थिति तथा केस दर्ज करने वाले प्राधिकारियों से संबंधित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वप्रेरणा से 8 कर्मचारियों के विरुद्ध जाल बिछाया गया था।

विवरण

इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों को दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष 2002

क्र.सं.	केस दर्ज करने वाला प्राधिकारी	अपराध की प्रकृति	कर्मचारी का नाम/पदनाम/तैनाती की वर्तमान जगह तथा अवधि	क्या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय से जमानत पर है	सेवा/आचरण नियमावली के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई/किए जाने को प्रस्तावित कार्रवाई	पुलिस/सीबीआई मामले की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सीबीआई, एसीबी, मुम्बई	अग्रिम अनियमितताएं	श्री पी.एम. सेठिया, पूर्व सहायक प्रबंधक, पुणे वर्ष 1990 से अंचल कार्यालय, मुम्बई के अधीन वर्तमान में तैनात।	नहीं	आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई उत्तरदायित्व नहीं।	आपराधिक मामला लंबित है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	सीबीआई, एसीबी, जबलपुर	अग्रिम अनियमितताएं	श्री टी.के. अरोड़ा, प्रबंधक, कटनी, जबलपुर सितम्बर 2003 से करेंसी चेस्ट, भोपाल में वर्तमान में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनकी निंदा की गई थी।	आपराधिक मामला लंबित है
3.	सीबीआई, एसीबी, जबलपुर	अग्रिम अनियमितताएं	श्री टी.के. बोरो, प्रबंधक, कटनी, जबलपुर अप्रैल 2003 से अंचल कार्यालय, जबलपुर में वर्तमान में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनकी निंदा की गई थी।	आपराधिक मामला लंबित है
4.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	धोखाधड़ी	श्री अभिजीत राय, पूर्व सहायक प्रबंधक, गरीयाहाट शाखा, जुलाई 2002 से अंचल कार्यालय, बेहला के अंतर्गत वर्तमान में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और स्केल-2 से स्केल-1 ग्रेड में लाने की सजा दी गई।	आपराधिक मामला लंबित है
5.	सीबीआई, बीएस, एंड एफसी, मुंबई	धोखाधड़ी	श्री एन.के. पाल, पूर्व मुख्य प्रबंधक, पेडर रोड शाखा, मुम्बई, फरवरी 2002 से अब तक प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय लेखा विभाग में तैनात।	नहीं	आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई उत्तरदायित्व नहीं।	आपराधिक मामला लंबित है
6.	सीबीआई, बीएस, एंड एफसी, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	श्री बी.एन. टण्डन, विशेष सहायक, फितकारा, कानपुर, 2003 से अब तक कानपुर अंचल कार्यालय के अधीन चकेरी शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और विशेष भत्ते को वापिस किए जाने का दण्ड दिया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
7.	सीबीआई, बीएस, एंड एफसी, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	श्री जगमोहन शर्मा, विशेष सहायक, फितकारा, कानपुर, 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, कानपुर के अधीन स्वरूपनगर शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और एक वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
8.	सीबीआई, बीएस, एंड एफसी, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	श्री के.आई. चौधरी, सीसीसी, फितकारा, कानपुर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, कानपुर के अधीन चकेरी शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और चार वेतन वृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
9.	कोतवाली, पी.एस., पटना	धोखाधड़ी	श्री जनार्दन दास खन्ना, पूर्व विशेष सहायक, पटना मुख्य शाखा, 2003 से अब तक पटना अंचल कार्यालय के अधीन पीपी कालोनी शाखा में तैनात।	नहीं	कोर्ट केस के निपटान तक अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित।	आपराधिक मामला लंबित है
10.	सीबीआई, एसीबी, धनबाद	धोखाधड़ी	श्री प्रभात कुमार साहा, पूर्व सहायक प्रबंधक, हीरापुर शाखा, धनबाद, मई 2004 से अब तक रांची अंचल कार्यालय के अधीन तैनात।	नहीं	यदि माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
11.	सीबीआई, एसपीई, भोपाल	धोखाधड़ी	श्री एस.आर. सिसोदिया, पूर्व सीजीईसी, एमपी, एचबी विस्तार पटल, भोपाल, जुलाई 1997 से अब तक भोपाल अंचल कार्यालय के अधीन तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और तीन वर्ष के लिए विशेष भत्ते को वापिस लिए जाने का दण्ड दिया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
12.	सीबीआई, एसपीई, भोपाल	धोखाधड़ी	श्री नितिन पाठक, पूर्व सीजीईसी, एमपी, एचबी विस्तार पटल, भोपाल, फरवरी 2002 से अब तक अंचल कार्यालय, भोपाल के अधीन मिस रोड, भोपाल में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उसकी निंदा की गई थी।	आपराधिक मामला लंबित है

1	2	3	4	5	6	7
13.	सीबीआई, ईओडब्ल्यू, कोलकाता	धोखाधड़ी	श्री रंजीत कुमार सिंह राय, पूर्व विशेष सहायक, हरीश मुखर्जी रोड, कोलकाता दिसम्बर 2004 से अब तक अंचल कार्यालय, कोलकाता अर्बन में तैनात।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और तीन वर्ष के लिए विशेष वेतन वापिस लेने का दण्ड लगाया गया था।	आपराधिक मामला लंबित है
14.	सीबीआई, एसपीई, लखनऊ	धोखाधड़ी	श्री आर.के. कौशल, पूर्व प्रबंधक, लाजपत नगर, कानपुर, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, हमीरपुर के अधीन अग्रणी बैंक सेल में तैनात।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और एमएमजी स्केल-2 से जेएमजी स्केल-1 में परिवर्तन का दण्ड लगाया गया था।	आपराधिक मामला लंबित है
15.	सीबीआई, बीएस एंड एफसी, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	श्री आर.के. कौशल, पूर्व प्रबंधक, लाजपत नगर, कानपुर, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, हमीरपुर के अधीन अग्रणी बैंक सेल में तैनात।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई।	आपराधिक मामला लंबित है
16.	सीबीआई, बीएस एंड एफसी, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	श्री जी.के. भार्गव, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, मैनपुरी, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्यवाहियों पर माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई।	आपराधिक मामला लंबित है
17.	सीबीआई, एसपीई, पटना	अग्रिम अनियमितताएं	श्री बिन्देश्वरी सिंह, अधिकारी, एसकेपुरी रोड, पटना, मई 2004 से अब तक पटना अंचल कार्यालय, पटना में तैनात।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और मूल वेतन को 2 वर्ष के लिए 2 स्तरों तक कम करने का दण्ड लगाया गया था।	आपराधिक मामला लंबित है
18.	सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुम्बई	अग्रिम अनियमितताएं	श्री बी.एस. साठे, सहायक प्रबंधक, भांडुप, मार्च 2004 से अब तक अंचल कार्यालय में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और मूल वेतन को संचयी प्रभाव से 11 स्तर तक कम करने का दण्ड लगाया गया था।	आपराधिक मामला लंबित है
19.	सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुम्बई	धोखाधड़ी	श्री वी.एस. एडमांकर, प्रबंधक, भांडुप, सितम्बर, 2004 से अब तक अंचल कार्यालय, मुम्बई में फॉर्म स्टेशनरी डिपो में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और मूल वेतन को 2 वर्ष के लिए 2 स्तरों तक कम करने का दण्ड लगाया गया था।	आपराधिक मामला लंबित है
20.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री असित कुमार अटक, पूर्वक एसीएम, रेडक्रास प्लेस, कोलकाता, मई 2003 से अब तक स्टाफ कालेज, लखनऊ में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनकी निंदा की गई थी।	आपराधिक मामला लंबित है
21.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री स्वरूप चक्रवर्ती, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, रेडक्रास प्लेस, कोलकाता, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, कोलकाता मेट्रो के अधीन अलीपुर शाखा, कोलकाता में तैनात।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनकी निंदा की गई थी।	आपराधिक मामला लंबित है

1	2	3	4	5	6	7
22.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री बिमन भट्टाचार्य, सीसीसी चिनसुराह शाखा, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, आसनसोल के अधीन पूर्वस्थली शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनिक कार्रवाई यदि आवश्यक होगी न्यायालय मामले के निपटान जाने पर ही शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
23.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री सुवीर गुईन, लिपिक, चिनसुराह शाखा, फरवरी 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, चिनसुराह के अधीन अदिसप्तग्राम शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनिक कार्रवाई यदि आवश्यक होगी न्यायालय मामले के निपटान जाने पर ही शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
24.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री बिमन भट्टाचार्य, सीसीसी चिनसुराह शाखा, सितम्बर 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, आसनसोल के अधीन पूर्वस्थली शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनिक कार्रवाई यदि आवश्यक होगी न्यायालय मामले के निपटान जाने पर ही शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
25.	सीबीआई, एसीबी, कोलकता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री कमल कुमार सेन, लिपिक, चिनसुराह शाखा, फरवरी 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, चिनसुराह के अधीन सरदापल्ली शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनिक कार्रवाई यदि आवश्यक होगी न्यायालय मामले के निपटान जाने पर ही शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
26.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री सुधीर कांति घोष, लिपिक, चिनसुराह शाखा, मई 2003 से अब तक अंचल कार्यालय, चिनसुराह के अधीन पिपुलपति शाखा में तैनात।	नहीं	अनुशासनिक कार्रवाई यदि आवश्यक होगी न्यायालय मामले के निपटान जाने पर ही शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
27.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री बिमन भट्टाचार्य, सीसीसी चिनसुराह शाखा जो वर्तमान में सितम्बर 2003 से अंचल कार्यालय आसनसोल के अंतर्गत परवास्थली शाखा में तैनात हैं।	नहीं	न्यायालय मामले के निपटान हो जाने पर, आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
28.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	चिनसुराह शाखा में लिपिक श्री सुवीर गुईन जोन वर्तमान में फरवरी 2003 से अंचल कार्यालय, चिनसुराह के अंतर्गत अदिसप्तग्राम शाखा में तैनात हैं।	नहीं	न्यायालय मामले के निपटान हो जाने पर, आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
29.	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री गोपाल चन्द्र बनर्जी, लिपिक, चिनसुराह शाखा, जनवरी 2004 से अब तक अंचल कार्यालय, चिनसुराह के अधीन सरदापल्ली शाखा में तैनात।	नहीं	न्यायालय मामले के निपटान हो जाने पर, आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।	आपराधिक मामला लंबित है
30.	गाजियाबाद थाना	धोखाधड़ी	दिल्ली गेट शाखा गाजियाबाद में वरिष्ठ प्रबंधक श्री एन पी गुप्ता को वर्तमान में अंचल कार्यालय, मेरठ में तैनात हैं।	हां और हां	न्यायालय मामले के निपटान होने तक अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहेगी।	आपराधिक मामला लंबित है

1	2	3	4	5	6	7
31.	गाजियाबाद थाना	धोखाधड़ी	दिल्ली गेट शाखा, गाजियाबाद में रोकड़िया श्री दलबीर सिंह जो वर्तमान में अंचल कार्यालय, मेरठ में तैनात हैं।	हां और हां	न्यायालय मामले के निपटान होने तक अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित रहेगी।	आपराधिक मामला लंबित है
32.	सीबीआई, एसीबी, गुवाहटी	अग्रिम अनियमितताएं	धेकोरगोराह शाखा के पूर्व प्रबंधक श्री विजय चन्द्र ठाकुर जो वर्तमान में नवम्बर 2001 से अंचल कार्यालय, गुवाहटी में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव सहित 3 वर्षों के लिए पांच स्तरों पर मूल वेतन में कमी का दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
33.	सीबीआई, एसीबी, गुवाहटी	अग्रिम अनियमितताएं	धेकोरगोराह शाखा के पूर्व प्रबंधक श्री विमल कृष्ण देवनाथ जो वर्तमान में अक्तूबर 2001 से अंचल कार्यालय, डिब्रूगढ़ में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव सहित 3 वर्षों के लिए 9 स्तरों पर मूल वेतन में कमी का दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
34.	सीबीआई, एसपीई, ईओडब्ल्यू-2, नई दिल्ली	धोखाधड़ी	आरआरबी शाखा, सैक्टर-10, नोएडा में पूर्व प्रबंधक श्री एस के अग्रवाल जो वर्तमान में 2003 से अंचल कार्यालय, मेरठ में तैनात हैं।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव सहित 4 स्तरों पर मूल वेतन में कमी का दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
35.	सीबीआई, एसीबी, रांची	खातों के मामले में अनियमितताएं	डोरंडा शाखा में पूर्व प्रबंधक श्री देवेन्द्र कुमार सिंह जो वर्तमान में जनवरी 1998 से अंचल कार्यालय, रांची में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।	आपराधिक मामला लंबित है
36.	वराछा थाना, सूरत	धोखाधड़ी	नानावराछा शाखा में पूर्व प्रबंधक श्री सी आर सिपा जो वर्तमान में सितम्बर 2002 से अंचल कार्यालय, अहमदाबाद में तैनात हैं।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।	आपराधिक मामला लंबित है
37.	विकासनगर थाना	दुर्विनियोजन	विकासनगर शाखा में पूर्व सीएसईसी श्री आर के मिश्रा जो वर्तमान में निलंबित हैं।	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर है।	आपराधिक मामला लंबित है
38.	सीबीआई, ईओडब्ल्यू-1, नई दिल्ली	अग्रिम अनियमितताएं	ओखला शाखा, नई दिल्ली में पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक श्री एस सी सचदेवा जो वर्तमान में मार्च 2004 से अंचल कार्यालय, नई दिल्ली में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव सहित 2 स्तरों पर मूल वेतन में कमी का दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
39.	सीबीआई, ईओडब्ल्यू-1, नई दिल्ली	अग्रिम अनियमितताएं	गाजीपुर शाखा में पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक श्री कमला राय जो वर्तमान में दिसम्बर 2002 से दुल्लापुर शाखा में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव रहित 1 वर्ष के लिए 1 स्तर पर मूल वेतन में कमी का दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है

1	2	3	4	5	6	7
40.	हल्दिया थाना	धोखाधड़ी	वासुदेवपुर शाखा में पूर्व प्रबंधक श्री आर.एन. चौधरी जो वर्तमान में जून 2004 से केकेटी स्ट्रीट, कोलकाता में तैनात हैं।	नहीं	अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संचयी प्रभाव रहित 4 स्तरों पर मूल वेतन में कमी करते हुए दण्ड लगाया गया।	आपराधिक मामला लंबित है
			वर्ष 2003			
41.	सीबीआई/एसपीई/ धनबाद	धोखाधड़ी	श्री विनोद गुलाब राव कोहाले, ईडीपी अधिकारी, धनबाद शाखा, वर्तमान में निलंबित	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
42.	बोकारो पी.एस.	दुर्विनियोजन	श्री प्रेम शंकर तिवारी, भूतपूर्व प्रधान कैशियर, बीबी गांगुली स्ट्रीट, कोलकाता, वर्तमान में अगस्त 2004 से बोकारो शाखा में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
43.	मारुतिनगर पी.एस.	दुर्विनियोजन	श्री वी.सी. राव, कंप्यूटर आपरेटर, मारुतिनगर शाखा हैदराबाद, वर्तमान में उसी शाखा में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
44.	सीबीआई/एसीबी/ कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री रवि मक्कड़, पूर्व मुख्य प्रबंधक, पार्क स्ट्रीट शाखा, कोलकाता, वर्तमान में नवम्बर 2001 से प्रधान कार्यालय में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
45.	सीबीआई/एसीबी/ कोलकाता	अग्रिम अनियमितताएं	श्री दीपक कुमार मुखर्जी, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक (अग्रिम), पार्क स्ट्रीट शाखा, वर्तमान में जनवरी 2004 से एफआईओ, कोलकाता में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
46.	नलहाटी पी.एस.	धोखाधड़ी	श्री अजय कुमार खन्ना, पूर्व प्रबंधक नौपाड़ा शाखा, वर्तमान में जून 2004 से अंचल कार्यालय बारासात में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई और संचयी प्रभाव से दो वर्ष के लिए मूल वेतन को दो स्तरों तक घटाने का दंड लगाया गया	आपराधिक मामला लंबित है
47.	निमता पी.एस.	धोखाधड़ी	श्री दिलीप कुमार राय, सीआईसी, दुर्गानगर शाखा, वर्तमान में जनवरी 2004 से अंचल कार्यालय, बारासात के अधीन कुमारपुकर शाखा में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
			वर्ष 2004			
48.	सीबीआई/ईओडब्ल्यू/ चेन्नई	अग्रिम अनियमितताएं	श्री सचन कुमार बनर्जी, पूर्व मुख्य प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय शाखा, चेन्नई वर्तमान में मई 2003 से अंचल कार्यालय, चेन्नई में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
49.	सीबीआई/ईओडब्ल्यू/ चेन्नई	अग्रिम अनियमितताएं	श्री एस श्रीधरन, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय शाखा, चेन्नई वर्तमान में सितम्बर 2003 से अंचल कार्यालय, चेन्नई में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है

1	2	3	4	5	6	7
50.	सीबीआई/ईओडब्ल्यू/ चेन्नई	अग्रिम अनियमितताएं	श्री एस मोहनन, पूर्व प्रबंधक (अग्रिम) अंतर्राष्ट्रीय शाखा, चेन्नई वर्तमान में सितम्बर 2003 से आंचल कार्यालय, चेन्नई में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
51.	गोविंदपुर पी.एस.	जालसाजी	श्री मुन्ना राम लाल बेबी, पूर्व पीटीएस, गोविंदपुर शाखा वर्तमान में निलंबित	हां और हां	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
52.	सीबीआई, बीएसएफसी, नई दिल्ली	अग्रिम अनियमितताएं	श्री वी के छिब्बर, पूर्व प्रबंधक, आरबीबी, कबीरपुर वर्तमान में दिसम्बर 2003 से धर्मशाला शाखा में तैनात	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है
53.	सीबीआई, बीएसएफसी, नई दिल्ली	अग्रिम अनियमितताएं	श्री विनोद कुमार सूद, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, आरबीबी, राजौरी गार्डन वर्तमान में निलंबित	नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी	आपराधिक मामला लंबित है

[हिन्दी]

भारतीय परिधान के आयात पर प्रतिबंध

2741. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा भारतीय वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात पर लगाए गए अल्पकालिक प्रतिबंध के पश्चात् भारतीय परिधानों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों ने इस संबंध में सरकार की सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (घ) भारत-अमरीका, वस्त्र करार के तहत निर्धारित वर्ष 2004 की कोटा सीमा से अधिक लदान होने के कारण यू.एस. पत्तनों में 340/640, 369 (एस) श्रेणियों और समूह-2 के कुछ निर्यातकों की खेप रुकी हुई हैं। सरकार इन रुकी हुई खेपों की मंजूरी कराने के लिए प्रयास कर रही है और सरकार ने इन रुके हुए सामान की मंजूरी कराने के लिए अमरीकी प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे 3 श्रेणियों के लिए 5% की अंतर श्रेणी की एक बार की विशेष अनुमति प्रदान करें। तथापि, अमरीका ने यह स्पष्ट किया है कि वे किसी भी प्रकार की अतिरिक्त उदारता बरतने में असमर्थ होंगे क्योंकि ऐसी समस्त लोचशीलताएं समाप्त हो गई हैं और यह सूचित किया है कि यह सामान फरवरी, 2005 में छोड़ दिया जाएगा।

अर्थव्यवस्था पर डालर के मूल्य का प्रभाव

2742. श्री बालेश्वर यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यूरो के मुकाबले डालर के मूल्य में अत्यधिक गिरावट के परिणामस्वरूप भारत पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रतिकूल प्रभावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किये जाने वाले संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) अप्रैल-नवम्बर, 2004 के दौरान, अमरीकी डालर में यूरो की तुलना में 5.4 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ। इस अवधि के दौरान, अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्यह्रास 0.24 प्रतिशत हुआ और यूरो की तुलना में 5.6 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ। अप्रैल-नवम्बर, 2004 के दौरान, अमरीकी डालर में, भारत के निर्यात और आयात में, क्रमशः 24.0 प्रतिशत तथा 34.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य विदेशी क्षेत्र संकेतक, जैसे कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में भी चालू वर्ष के दौरान, उछाल रहा है। 3 दिसम्बर, 2004 की

स्थिति के अनुसार, इन सकारात्मक घटनाक्रमों से भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में 130 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की वृद्धि हुई है।

बीमा कवरेज

2743. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने कार्यक्रम में वृद्धि अनुसार बीमा कवरेज की राशि को 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार को ऐसा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

2744. श्री ए.के. मूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएशन आफ चैम्बर आफ कामर्स ने विदेशी वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के भुगतान पर शत-प्रतिशत कर छूट की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी ऋण

2745. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 से घरेलू और विदेशी ऋण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इस ऋण का कितना प्रतिशत है;

(घ) क्या सरकार ने बाजार ऋण पर कम ब्याज दर का लाभ लेते हुए कुछ ऊंची ब्याज दर वाले विदेशी ऋणों का पूर्व भुगतान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ ऋण वित्तीय घाटे को और बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए लिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 से स.घ.उ. के अनुपातों के साथ आन्तरिक ऋण समेत सरकारी ऋण एवं भारत के कुल विदेशी ऋण के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं। ऋण का उच्च परिणाम निजी क्षेत्र में निवेश से पहले ही संसाधनों का पूर्व क्रय कराता है। यह ब्याज के बोझ को भी बढ़ाता है, जिससे राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि होती है और इसके परिणामस्वरूप और अधिक ऋण होता है।

सारणी: केन्द्र सरकार का सरकारी ऋण तथा भारत का कुल विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)
(मार्च के अंत में)

		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	
1.	केन्द्र सरकार का सरकारी ऋण (i+ii)	772691	869643	984607	1080301	1181428	
	(i) आंतरिक ऋण	714254	803698	913061	1020689	1134021	(सं.अ.)
	(ii) विदेशी ऋण*	58437	65945	71546	59612	47407	(अ)
2.	भारत का कुल विदेशी ऋण	428550 (98263)	471724 (101132)	481908 (98757)	498593 (104870)	488829 (112515)	
3.	स.घ.उ. का सरकारी ऋण से अनुपात	39.9	41.3	42.0	42.1	42.6	
4.	स.घ.उ. का भारत के विदेशी ऋण से अनुपात	22.1	22.6	21.1	20.2	17.6	

*ऐतिहासिक विनिमय दर पर
अ: अनंतिम, सं.अ.: संशोधित अनुमान
नोट: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर को दर्शाते हैं।

(घ) बढ़े हुए विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों के अल्प स्तर से उत्साहित होकर, भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान क्रमश: 2.9 बिलियन अमरीकी डालर और 3.8 बिलियन अमरीकी डालर के उच्च लागत ऋणों की समयपूर्व अदायगी कर दी।

(ङ) और (च) राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए सरकारी उधार लिए जाते हैं।

हथकरघा और जूट उद्योग के कर्मचारी

2746. श्री अशोक कुमार रावत: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय हथकरघा निगम, भारतीय जूट निगम लिमिटेड (कोलकाता), राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड (कोलकाता), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों और भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुंबई क, ख, ग, घ श्रेणियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त सभी उपक्रमों में क, ख, ग, घ में श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या उपरोक्त उपक्रमों में आरक्षण कोटा पूरा किया जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक आरक्षण कोटे को पूरा कर दिया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) श्रेणी क, ख, ग और घ में कर्मचारियों की संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखितानुसार है:-

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
क	810	52	6	40
ख	1662	148	16	138
ग	8304	1155	93	672
घ	37114	6379	595	4984

(ग) जी, नहीं।

(घ) एनजेएमसी जेसीआई और एनटीसी में नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सीसीआई में कुछ बैकलाग है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एनएचडीसी में भर्ती लगभग शून्य है।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी

2747. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए अल्प ब्याज वाली दीर्घकालिक निधियों का अभाव है;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाओं पर कोई प्रतिबंध लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्तपोषण के अभाव में बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं रुकी हुई हैं;

(ङ) क्या एनबीएफ के माध्यम से कम ब्याज पर निधियां उपलब्ध हैं;

(च) क्या गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाओं की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं हेतु अनुमति के आवेदन सरकार के पास लंबित हैं; और

(छ) यदि हां, तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदण्ड निर्धारित किए हैं, जो किसी परियोजना कंपनी/समूह में एक्सपोजर को सीमित करते हैं और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू हैं। आधारिक परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदण्ड कुल नियामक पूंजी का 20 प्रतिशत है और समूह के लिए कुल नियामक पूंजी का 50 प्रतिशत है। आईडीएफसी के संदर्भ में, कुल नियामक पूंजी में निवल संपत्ति और उप-ऋण शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सरकार के ध्यान में अब तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, जो बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध निधियों के अभाव की वजह से रुका है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत धनराशि

2748. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गयी; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार आबंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) के आवंटन और रिलीज का पिछले दो वर्षों (अर्थात् 2002-03 और 2003-04) का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत वर्ष 200 -03 और 2003-04 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का आवंटन और रिलीज

(लाख रु. में)

		2002-03		2003-04	
क्र.सं.	राज्य	ए.सी.ए. आवंटन	रिलीज	ए.सी.ए. आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15644.00	15644.00	15644.00	15644.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00
3.	असम	19000.00	19000.00	19000.00	19000.00
4.	बिहार	24173.00	24173.00	24173.00	24173.00
5.	छत्तीसगढ़	3435.00	3435.00	3435.00	3435.00
6.	गोवा	72.00	72.00	72.00	36.00
7.	गुजरात	7122.00	7122.00	7122.00	7122.00
8.	हरियाणा	1834.00	917.00	1834.00	1834.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
10.	जम्मू-कश्मीर	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
11.	झारखंड	7446.00	3723.00	7446.00	7446.00
12.	कर्नाटक	8273.00	8273.00	8273.00	8273.00
13.	केरल	7608.00	7608.00	7608.00	7608.00
14.	मध्य प्रदेश	8500.00	8500.00	8500.00	4250.00
15.	महाराष्ट्र	10917.00	10917.00	10917.00	5458.50

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	4800.00	2400.00	4800.00	2400.00
17.	मेघालय	4112.00	4112.00	4112.00	4112.00
18.	मिजोरम	4300.00	4300.00	4300.00	4300.00
19.	नागालैंड	4526.00	2263.00	4526.00	4526.00
20.	उड़ीसा	10863.00	5431.50	10863.00	10863.00
21.	पंजाब	4442.00	4442.00	4442.00	2221.00
22.	राजस्थान	10611.00	10611.00	10611.00	10611.00
23.	सिक्किम	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
24.	तमिलनाडु	11547.00	11547.00	11547.00	11547.00
25.	त्रिपुरा	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
26.	उत्तर प्रदेश	37087.00	37087.00	37087.00	37087.00
27.	उत्तरांचल	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
28.	पश्चिम बंगाल	18490.00	18490.00	18490.00	18490.00
	कुल	271302.00	256567.50	271302.00	256936.50

विश्व बैंक ऋण

2749. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के लघु और मझौले उद्यम क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार लघु और मझौले उद्यमों के विकास में प्रतिस्पर्धा और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए किस बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) विश्व बैंक ने 120 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ग) सरकार का लघु और मझौले उद्यमों में विकास संबंधी प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय करने का विचार है जिनमें उन्हें पर्याप्त ऋण-सुविधा मुहैया कराना, पूंजी निर्माण और उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुसाध्य बनाना और एक बेहतर समर्थकारी माहौल तैयार करना शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोक अदालतें

2750. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य (जनजातीय क्षेत्रों) में राज्य-वार और स्थान-वार कितनी लोक अदालतें आरंभ की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में और अधिक लोक अदालतें आरंभ करने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में लोक अदालतों का आयोजन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1805 लोक अदालतों का आयोजन किया गया है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अन्य राज्यों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह निदेश दिया है कि वह पूरे राज्य में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक लोक अदालतों का आयोजन करे।

विवरण

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में (अवस्थान-वार) आयोजित लोक अदालतों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	अवस्थान का नाम	आयोजित लोक अदालतों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाह	43
2.	गोहद	40
3.	कोलारस	42
4.	सेवरा	30
5.	भांडर	42
6.	सोनकच्छ	17
7.	सालन	29
8.	अलोट	30
9.	आगर	30
10.	घटिया	11
11.	तराना	29
12.	सवीर	17
13.	सरदासपुर	51
14.	मनावर	62
15.	धर्मपुरी	71
16.	कुक्षी	66
17.	अली राजपुर	69
18.	जोबाट	82
19.	पेटलावाद	76
20.	थावल	63
21.	भीकन गांव	51
22.	महेश्वर	61
23.	बरवानी	55
24.	राजपुर	47
25.	सेंधवा	43
26.	अंजार	46
27.	हरसूद	33
28.	आस्था	56
29.	कुरवई	38
30.	भंदसधेइ	04
31.	सोराय	77
32.	अमरवाडा	46
33.	तखनादौन	34
34.	निवास	57
35.	ढिंढौरी	53
36.	बहर	46
37.	अनूपपुर	30
38.	कोटमा	59
39.	राजेन्द्र ग्राम	39
40.	देवसार	30
	योग	1805

तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण

2751. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों की सहायता से चल रही तमिलनाडु की विभिन्न परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से हाल ही में इसके विकास के लिए अधिक वित्तीय सहायता का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस आग्रह पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय तमिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त राज्य क्षेत्र की एक परियोजना अर्थात् तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक से सहायता हेतु तीसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना, तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना तथा तमिलनाडु अधिकारिता एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना को प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

विनिर्माताओं द्वारा शुल्क अपवंचन

2752. **श्री कैलाश बैठा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दमण और दीव के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय में प्लास्टिक और वस्तुओं के विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विनिर्माताओं द्वारा प्रारंभिक मूल्य को बदले बिना अधिकतम खुदरा मूल्य के स्टीकर पर कम मूल्य के स्टीकर लगाए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या विनिर्माताओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने के लिए अपने मूल्य को भी कम करना आवश्यक है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) अपवंचन के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) मामलों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	अपवंचन राशि	शुल्क	तुरंत वसूली
1.	मैसर्स थर्मोप्लास्ट इंडस्ट्रीज प्रा.लि., दमन	185.71	29.71	29.71
2.	मैसर्स लादित्य लेमिनेटर्स प्रा.लि., दमन	254.49	43.53	0.00
3.	मैसर्स नरेन्द्र पोली प्रिन्टर्स लि., दमन	101.99	16.32	16.32
4.	मैसर्स जेसन्स इंडस्ट्रीज, दमन	121.22	19.39	0.00
	कुल	662.31	108.95	46.03

(ग) ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देखा गया है।

(घ) उपर्युक्त "ग" के मद्देनजर शून्य समझा जाए।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलाग रिक्तियां

2753. डा. आर. सेनथिल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1995 से अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की बैकलाग रिक्तियों को नहीं भरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरक्षण के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय जीवन बीमा निगम में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के कठोरता से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित वर्षों में भर्ती की। श्रेणी-I सहायक प्रशासनिक अधिकारी की सीधी भर्ती (जेनरालिस्ट/चार्ड्ड अकाउंटेंट/बीमांकिकी)- 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-2000, 2000-2001 और 2002-03, श्रेणी-II-विकास अधिकारी-1995-96, 1996-97, 1998-99 और 2001-02, श्रेणी-III/IV-कोई भर्ती नहीं।

इन भर्तियों में अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को सरकारी निदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) एल आई सी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछे वर्ग के लिए संबंधित श्रेणियों के आरक्षण से जुड़े मामलों की देख-रेख के लिए केन्द्रीय और आंचलिक स्तर पर अलग-अलग सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है। सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करते समय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की जांच करते हैं।

जम्मू और कश्मीर का औद्योगिक पुनरुद्धार

2754. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) राज्य के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने एवं निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने 14 जून, 2002 को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए एक नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों की घोषणा की है। औद्योगिक पैकेज औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन/रियायतें, जैसे-केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना, केंद्रीय व्यापक योजना, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु योजनाएं, उत्पाद-शुल्क एवं आय-कर में छूट प्रदान करता है।

उपरोक्त योजनाएं पहले से विद्यमान इकाइयों के पर्याप्त विस्तार पर भी लागू हैं जो केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए विशिष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है, जिसके अनुसार पर्याप्त विस्तार के लिए रियायतों को बढ़ाते हुए उनके अंतर्गत क्षमता में बड़ी मात्रा में विस्तार करने पर बल दिए बिना ही उद्यमियों द्वारा किए गए उन सभी नए निवेशों को शामिल किया जाएगा, जिनके परिणामस्वरूप पहले से विद्यमान किसी उद्यमी द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा।

शीतागारों हेतु नाबार्ड ऋण

2755. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश दिए हैं कि शीतागारों की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत करने के लिए इन बैंकों को प्राप्त प्रस्ताव नाबार्ड को अग्रेषित किए जाने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नाबार्ड को भेजे गए प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) किसी बैंक द्वारा ऐसे प्रस्तावों को नाबार्ड को अग्रेषित नहीं किए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) क्या नाबार्ड और विभिन्न बैंकों द्वारा शीतागारों हेतु अलग-अलग ब्याज दर ली जा रही है अथवा राजसहायता की अलग-अलग नीति अपनाई जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा परिचालित केन्द्र द्वारा प्रायोजित "शीतागार हेतु पूंजी निक्षेप सब्सिडी योजना" की परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार सहभागी बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक इत्यादि शामिल हैं। नाबार्ड सहभागी बैंकों में सब्सिडी संवितरण को लागू करने वाला अभिकरण है। शीतागार के निर्माण हेतु मीयादी ऋण की संस्वीकृति के पश्चात भाग लेने वाले बैंकों के लिए सब्सिडी को जारी करने के लिए नाबार्ड को प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है।

(ख) नाबार्ड द्वारा सहभागी बैंकों से शीतागारों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति निम्नांकित है:

क्र.सं.	राज्य	योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	पंजाब	45
2.	हरियाणा	25
3.	तमिलनाडु	29
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	उत्तर प्रदेश	388
6.	महाराष्ट्र	52
7.	उत्तरांचल	2
8.	गोवा	1
9.	राजस्थान	34
10.	कर्नाटक	18
11.	गुजरात	68
12.	उड़ीसा	9
13.	मध्य प्रदेश	37
14.	छत्तीसगढ़	18
15.	पश्चिम बंगाल	18
16.	आंध्र प्रदेश	29
17.	असम	7
18.	बिहार	27
19.	झारखंड	13
20.	अरुणाचल प्रदेश	1
	कुल	822

(ग) जिन प्रस्तावों में कोई बैंक ऋण शामिल नहीं है, वहां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) प्रवर्तक को सीधे सब्सिडी जारी कर रहा है।

(घ) जी, हां। योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तदाता द्वारा लाभार्थी को प्राथमिक उधार दर (पीएलआर) जोड़ 1 प्रतिशत से अनधिक की ब्याज दर पर बैंक ऋण देना अपेक्षित है। यह ब्याज दर अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती है।

पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक से ऋण

2756. श्री डी. नरबुला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण इत्यादि जैसे सामाजिक अवसंरचना विकास हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों का जिले-वार ब्यौरा क्या है जहां इस सहायता का उपयोग किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर/प्रभावी होने की तारीख	समापन की तारीख	कार्यान्वयन-क्षेत्र	ऋण-राशि मिलियन अमरीकी डालर में	31.10.04 तक संवितरण मिलियन अमरीकी डालर
1.	क्षय रोग नियंत्रण परियोजना	14.3.97 8.5.97	30.9.05	राष्ट्रव्यापी	142.40	76.53
2.	II राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	14.9.99 9.11.99	31.3.06	राष्ट्रव्यापी	194.75	141.19
3.	खाद्य एवं क्षमता निर्माण परियोजना	29.9.03 17.10.03	31.7.08	राष्ट्रव्यापी	54.03	2.50
4.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	19.5.00 18.8.00	31.12.05	राष्ट्रव्यापी	227.10	220.00
5.	II राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना	19.7.01 28.8.01	31.12.04	राष्ट्रव्यापी	30.00	29.60
6.	समेकित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	23.9.04 28.10.04	30.9.09	राष्ट्रव्यापी	68.00	0.00
7.	महिला एवं बाल विकास परियोजना	6.7.99 4.10.99	30.6.05	राष्ट्रव्यापी	300.00	131.89
8.	सर्व शिक्षा अभियान	3.6.04 26.6.04	30.6.07	राष्ट्रव्यापी	500.00	75.00
9.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	4.2.03 12.3.03	30.6.08	बहुराज्यीय परियोजना जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है।	250.00	6.50

साफ्टा

2757. प्रो. एम. रामदास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दक्षेस देशों के साथ कितनी मात्रा में व्यापार हुआ है तथा अगले दो वर्षों में व्यापार में और कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या दक्षेस देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार समझौता (साफ्टा) के क्रियान्वयन में कोई बाधा आयी है;

(ग) भारत ने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौतों (एफ.टी.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा क्रियान्वयन में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) क्या सरकार तीसरी दुनिया के देशों में व्यापार समूहों के गठन और संयुक्त विपणन पर विचार करेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) वर्ष 1999-2000 से 2002-2004 तक के दौरान सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार को दर्शाने वाला

विवरण संलग्न है। अप्रैल-जुलाई, 2004-2005 के दौरान सार्क सदस्य देशों के साथ हमारा कुल व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 6281.70 करोड़ रुपए की तुलना में 6894.96 करोड़ रुपए का हुआ था जिसमें 9.76% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

(ख) जी नहीं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) पर जनवरी, 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और साफ्टा 1 जनवरी, 2006 से लागू होगा। 1 जनवरी, 2006 से साफ्टा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस्लामाबाद में 23-23 नवम्बर, 2004 को आयोजित वाणिज्य मंत्रियों की चौथी बैठक के दौरान तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार बकाया मुद्दों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में कोई बाधा दिखाई नहीं देती है। साफ्टा से टैरिफ में कमी/समाप्ति के जरिये तथा गैर-टैरिफ प्रतिबंधों आदि के रूप में व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करके वस्तुओं के सीमा पार आवागमन में आने वाले अवरोधों को हटाकर यह क्षेत्र व्यापार और आर्थिक सहयोग के अत्यन्त उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा।

(ग) सार्क देशों में भारत की द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाएं 2 मार्च, 1995 से 10 वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षरित भारत और भूटान के बीच व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी करार के अनुसार भूटान के साथ और 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अनुसार श्रीलंका के साथ हैं। भूटान और श्रीलंका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार को दर्शाने वाला विवरण निर्यात/आयात

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

देश	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2003-2004 (अप्रैल-जुलाई)		2004-2005 (अप्रैल-जुलाई)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
बंगलादेश	2756.57	338.66	3988.18	337.49	4779.58	281.94	5691.29	300.29	7563.93	285.99	2440.08	119.65	1993.16	63.81
श्रीलंका	2163.65	191.67	2875.63	204.52	3008.85	321.34	4457.12	439.55	6067.35	893.54	1799.56	199.78	1844.68	312.49
नेपाल	655.29	817.33	643.40	1053.97	1022.80	1697.56	1695.58	1363.59	2956.21	1249.87	863.78	280.23	1109.28	447.73
पाकिस्तान	402.76	295.59	851.19	292.50	686.79	308.83	997.73	217.05	1316.75	265.32	183.16	118.56	756.24	85.76
भूटान	32.82	78.06	4.78	95.59	36.24	114.09	188.96	155.61	399.08	240.66	156.96	77.92	146.33	80.88
मालदीव	31.64	1.74	111.77	0.40	128.18	1.89	152.86	1.61	194.35	1.72	41.72	0.30	53.98	0.82
कुल	6042.13	1723.05	8474.95	1984.47	9662.44	2725.65	13183.52	2477.70	18497.67	2937.10	5485.26	796.44	5903.67	991.29
कुल (विश्व)	159095	215528	201356	228306	209018	245200	255137	297206	291582	353976	82827	107005	107016	139692
% हिस्सा	3.80	0.80	4.20	0.87	4.62	1.11	5.16	0.83	6.34	0.83	6.62	0.74	5.51	0.70

आंकड़ों का स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता (एन आई सी, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत)

"पैन" के बगैर क्रेडिट कार्ड

2758. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेने हेतु "पैन" नंबर बताना आवश्यक किया गया है तथा इसी प्रकार कतिपय अन्य लेन-देनों हेतु भी "पैन" नंबर बताना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को पैन नंबर के बगैर जारी किए गए क्रेडिट कार्डों को रद्द करने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) उन अन्य लेन-देनों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयकर विभाग नजर रखेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को इस आशय का कोई अनुदेश जारी नहीं किया है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए स्था.खा.सं. (पीएएन) उद्धृत करें। तथापि, बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने में चयनात्मक होने तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने से पूर्व आवेदक की आय, वापसी-अदायगी की क्षमता, अन्य संगत मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्यांकन करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे क्रेडिट कार्डों के आवेदन करते समय कार्डधारकों को शुल्कों/प्रभारों (सदस्यता, नवीकरण, सेवा प्रभारों, दण्डात्मक प्रभारों आदि) के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के विरोध में राजस्थान

2759. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला का विरोध करते हुए, योजना के आकार के आधार पर दी जाने वाली सहायता धनराशि के संबंध में केन्द्र सरकार को किसी संशोधन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को दी जाने वाली सहायता धनराशि में कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्यों को दी जा रही केन्द्रीय योजना सहायता, जो कि वर्तमान में 30:70 के ऋण/अनुदान के अनुपात में अंतरित की जाती है, को 50:50 ऋण/अनुदान के रूप में अंतरित किया जाए।

(ख) योजना सहायता के लिए ऋण अनुदान अनुपात का मौजूदा प्रतिमान राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) द्वारा यथाअनुमोदित गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला पर आधारित है। इसलिए, इस फार्मूले में किसी भी परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। तद्नुसार, राज्य को सूचित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक की चेतावनी

2760. श्री राजेश कुमार मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आगे कोई वेतन आयोग गठित न करने हेतु सरकार को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

20वें भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श

2761. श्री के.एस. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में 20वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस शिखर सम्मेलन के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा की गयी और क्या निर्णय लिए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) 20वें भारतीय आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड ईकानामिक फोरम) और भारतीय उद्योग संगठन (कन्फेडरेशन आफ इंडियन इन्डस्ट्री) द्वारा 5 दिसम्बर से 7 दिसम्बर, 2004 तक नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय कम्पनियों, बहु-राष्ट्रिक बैंकों और संगठनों, कन्सलटेन्सी फर्मों, वित्तीय संस्थानों, राजनयिक व्यक्तियों और मीडिया ने भाग लिया था। चर्चा के लिए, लिये गये विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, भारत और विश्व, भारत एक नई शक्ति, भारत और चीन, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता, भारत में विदेशी निवेश, कृषि और 2020 तक दक्षिण एशिया को शक्तिशाली क्षेत्र बनाना, को शामिल किया गया था। सम्मेलन की सिफारिशों को निम्नलिखित तीन शीर्षों में बांटा गया है:-

1. नीति और पहल

   (क) बृहत

   (ख) सेक्टोरल

2. सामाजिक विषय

3. भारत और विश्व

ये सिफारिशें नीति निर्धारण की प्रक्रिया में बहुमूल्य योगदान देंगी।

निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की शक्तियां

2762. श्री ए.एफ.जी. ओसमानी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि प्रशासन समिति के सदस्यों ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी निर्यात संवर्धन परिषद में कार्य करना जारी रखा हो;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित प्रावधान क्या हैं; और

(ग) किसी निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कौन-कौन सी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां निहित हैं तथा प्रशासन समिति का सदस्य न होने पर उनकी संवैधानिक और वैधानिक स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा अंगीकार करने के लिए सरकार द्वारा उन्हें परिचालित माडल नियमों/उपलब्धियों के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है तथापि चुनाव कराने के विरुद्ध न्यायालय के व्यादेश इत्यादि जैसी कुछ परिस्थितियों में प्रशासन समिति के सदस्यों को अपना चुना गया कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् अपने कार्यों का निष्पादन करना पड़ा था।

(ग) परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को माडल नियमों/ उपविधियों के अनुच्छेद 24.1 और 31.1 के आधार पर शक्तियां प्रदान की गई हैं। जहां तक प्रशासन समिति के सदस्य न होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में संवैधानिक और वैधानिक स्थिति का संबंध है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशासन समिति के सदस्यों के कार्यकाल के लिए माडल नियमों/उपविधियों के अनुच्छेद क्रमश: 27.1, 27.2 और 27.7 के अंतर्गत अलग से उपबंध हैं।

अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाना

2763. श्री निखिल कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.सी.डी. पटपड़गंज, दिल्ली स्थित सीमा-शुल्क विभाग ने पंजीकरण से पहले अग्रिम लाइसेंस जारी करने हेतु विदेश व्यापार दिल्ली के संयुक्त महानिदेशक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.सी.डी. पटपड़गंज में पंजीकरण करवाने/विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अग्रिम लाइसेंस/डीईपीबी जारी करने में हो रहे विलम्ब का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पेचीदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कितने कार्य दिवस की हानि हुई है तथा क्या सरकार सही और नियमित निर्मित-वस्तु निर्यातकों हेतु कुछ छूट देगी; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

तुलसी ग्रामीण बैंक

2764. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद बैंक, बांदा (छत्तीसगढ़) के ग्रामीण क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक है तथा इस क्षेत्र में तुलसी ग्रामीण बैंक की भी शाखाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गरीब किसानों को धन स्वीकृत करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त बैंकों में बरती जा रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। इलाहाबाद बैंक बांदा जिले का अग्रणी बैंक है तथा वाणिज्यिक बैंकों की 28 शाखाओं में से 18 शाखाएं जिले में परिचालन कर रही हैं। इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रायोजित तुलसी ग्रामीण बैंक की बांदा जिले में अपनी 49 शाखाएं तथा 4 विस्तार पटल भी हैं।

(ग) और (घ) इलाहाबाद बैंक तथा तुलसी ग्रामीण केसीसी योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथमार्द्ध वर्ष के दौरान बांदा तथा चित्रकूट जिले में इलाहाबाद बैंक तथा तुलसी ग्रामीण बैंक द्वारा दिए गए नए ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	संवितरित नए ऋण	जिसमें से छोटे एवं सीमांत किसानों को दिए गए ऋण	जारी किए गए नए केसीसी	जिसमें से छोटे एवं सीमांत किसानों को जारी केसीसी
इलाहाबाद बैंक	21.27	12.76	3065	1839
तुलसी ग्रामीण बैंक	27.12	17.62	6521	4238

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान, 1 लाख से अधिक की राशि के तीन धोखाधड़ी के मामलों का पता चला है और 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार, धोखाधड़ी मामलों के तहत बकाया कुल राशि 47.88 लाख रुपए थी। सभी तीनों मामले निर्णयाधीन हैं। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा बैंक द्वारा बीमा के दावे किए गए हैं।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु निजी पेंशन योजना

2765. **श्री एस.पी.वाई. रेड्डी:**
श्री सुकदेव पासवान:
श्री गुरूदास कामत:
श्री आलोक कुमार मेहता:
श्री महबूब जाहेदी:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री मिलिन्द देवरा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री मोहन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने चिर-प्रतीक्षित पेंशन सुधार के लिए रास्ता साफ करते हुए एक स्वतंत्र पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) की स्थापना करने हेतु एक विधेयक लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जो कि पिछली सरकार का एक प्रयास रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रणाली निवेश केन्द्रित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार द्वारा एक ऐसी विधायी रूपरेखा प्रस्तावित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक सांविधिक पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण की व्यवस्था होगी और जिसमें अन्य

बातों के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और उसे सुनिश्चित करने तथा नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को विनियमित करने का दायित्व होगा। यह पेंशन प्रणाली दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केन्द्र सरकार में आने वाले सभी नये कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। एनपीएस में यह व्यवस्था है कि इसमें अंशदान को विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पेंशन निधियों द्वारा निवेशित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह

2766. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की सलाहकार समिति द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह के संबंध में तैयार किए गए मैप में यह बताया गया है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाएं अत्यंत कमजोर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए सुझावों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बैंकिंग तंत्र से कृषि को ऋण प्रवाह और संबद्ध कार्यकलापों संबंधी सलाहकार समिति (व्यास समिति) द्वारा तैयार की गई रूपरेखा ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी संस्थाएं दोनों अपेक्षाकृत कमजोर हैं। सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थानों को पुनरूज्जीवित तथा मजबूत करने के लिए कार्यान्वित करने योग्य कार्य योजना की सिफारिश करने तथा उपयुक्त विनियामक रूपरेखा सुझाने के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है। आशा की जाती है कि इस कार्य बल की रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2004 तक सौंप दी जाएगी। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का संबंध है, सरकार ने प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रायोजिक आरआरबी के कार्यनिष्पादन के लिए पूर्ण रूप से वे उत्तरदायी होंगे। जो आरआरबी नए नियंत्रण मानदण्ड को अपनाते हैं और जो विवेकपूर्ण विनियमों का पालन करते हैं वे अपने पुनर्गठन हेतु सरकार से निधि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

त्रिवेन्द्रम में विधि हेतु अकादमिक संस्था

2767. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम में विधि और कानूनी कार्यों हेतु उच्चतर अकादमी संस्था खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) जी नहीं। सरकार द्वारा त्रिवेन्द्रम में विधि और विधि कार्यों से संबंधित कोई उच्चतर शैक्षिक संस्था आरंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बीमा दावों का निपटान

2768. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए वाहन बीमा दावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बीमा उद्योग के आचरण, अनुशासन और अपील सी.डी.ए. नियमों के अंतर्गत कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया है तथा कितने अभी भी सेवारत हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान चूककर्त्ता अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अधिवक्ता

2769. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान निकोबार के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में चयनित किए जाने/पद स्थापित करने हेतु विचार नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के अधिवक्ताओं से न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के संबंध में उनकी नाराजगी एवं निराशा दर्शाने वाला कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का इरादा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बार एसोसिएशन से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित अभ्यावेदन की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें यह कथन किया गया है कि अंडमान और निकोबार के अधिवक्ताओं को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार में नहीं लिया जा रहा है। तथापि, तारीख 28 अक्तूबर, 1999 की उच्चतम न्यायालय की सलाहकार राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के उनके निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा आरंभ की जाती है।

उपभोक्ता ऋण विश्वसनीयता

2770. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार उपभोक्ताओं के ऋण इतिहास के बारे में उनकी राय के बगैर ही जानने हेतु बैंकों और वित्तीय कंपनियों को शक्तियां प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने का है;

(ख) क्या भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो (सीआईबीआईएल) पहले से ही उपभोक्ता ऋण इतिहास के आंकड़ों की बिक्री के कार्य में संलग्न है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो गणना प्रक्रिया/डाटा बेस वित्त/क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा असंतोषजनक सेवा और गलत बिलिंग के कारण पैदा होने वाले वैध विवादों की अनुमति भी देता है; और

(ङ) यदि हां, तो बैंक उपभोक्ताओं, क्रेडिट कार्ड धारकों के हितों के रक्षार्थ तथा उनकी निजता बनाए रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की क्या योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल) ने अपना उपभोक्ता ब्यूरो शुरू किया है और यह सिर्फ व्यक्तियों के नाम वाली ऋण सुविधाओं के संदर्भ में ग्राहक ऋण इतिहास के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने में लगा है। वर्ष 2005 के प्रथमार्द्ध में सीआईबीआईएल ने अपना वाणिज्यिक ब्यूरो शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो व्यक्तियों से इतर नामों वाली ऋण सुविधा के बारे में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

(घ) और (ङ) सीआईबीआईएल बड़ी संख्या में विभिन्न श्रेणियों की ऋणदात्री संस्थाओं से उधारकर्त्ताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करती है। इस संबंध में ध्यान रखने की जिम्मेवारी आंकड़ा प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं की है। 6 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में पेश ऋण आसूचना कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2004 में बैंक के ग्राहकों तथा क्रेडिट कार्डधारकों के हितों तथा गोपनीयता की रक्षा किए जाने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

कटिहार जूट मिल की स्थिति

2771. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रबंधन समूह द्वारा अनियमितताएं बरती जाने की वजह से कटिहार जूट मिल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है;

(ख) क्या प्रबंधन कटिहार जूट मिल की भविष्य निधियों और अन्य निधियों को अन्य जूट मिलों में संवितरित करने के कार्य में लिप्त हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को दूर करने तथा कटिहार जूट मिल के पुनरुद्धार हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) कटिहार, बिहार में स्थित कटिहार पटसन मिल एक निजी पटसन मिल है। यह मिल 26.12.1987 से 11.04.2002 तक बंद थी। इसने अन्य निजी संस्था के साथ हुए पट्टे के करार के आधार पर 01.07.2002 से पुन: उत्पादन करना शुरू कर दिया। समय-समय पर पटसन आयुक्त, कटिहार पटसन मिल के नाम उत्पादन नियंत्रण आदेश जारी कर रहा है और इस संबंध में उक्त मिल में बमुश्किल ऐसा कोई दोष रहा है।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार कटिहार पटसन मिल की ओर भविष्य निधि की 17.7 लाख रुपए की राशि बकाया है।

(ग) और (घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों को भविष्य निधि की बकाया राशि के कारण दोषी मामलों को निपटाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं। मौजूदा सांविधिक उपबंधों के अनुसार रुग्ण एककों के मामले, उनके पुनर्वासन और पुनरुद्धार की जांच करने के लिए औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजे जाते हैं। उसके बाद बीआईएफआर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी जो कि सामान्यत: एक वित्तीय संस्था हैं, द्वारा एककों की पुनरुद्धार योजनाएं बनाई जाती है/उनकी जांच की जाती है। योजना प्राप्त होने पर बीआईएफआर अलग-अलग एकक के पुनर्वासन के मामलों पर निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों हेतु समिति

2772. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा न्यायाधिकरण पंचाट के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतु नियुक्त इक्वेशन कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने की सिफारिश की है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने 22.2.1991 के अपने आदेश में कहा है कि सरकार ने इक्वेशन कमेटी की रिपोर्ट को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 1990 में दिए गए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट में यह कहा गया था कि "वेतन ढांचा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत" सेवानिवृत्ति लाभ को शामिल करता है;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31 मार्च, 2002 के अपने निर्णय में सरकार को यह निदेश दिया था कि वह संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ और हानि की चिंता किए बगैर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढांचा में समानता लाए;

(ङ) क्या सेवानिवृत्ति लाभ को लागू करना व संशोधित करना तथा पेंशन 1.1.1992 से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु वेतन निपटान का एक भाग नहीं है; और

(च) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों "सेवानिवृत्ति लाभ का एकरूपता" हेतु कोई आदेश जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी वस्त्र के संबंध में विशेषज्ञ समिति

2773. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री रायापति सांबाशिवा राव:
डा. पी.पी. कोया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी वस्त्र से संबंधित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) क्या वर्तमान में तकनीकी वस्त्र का बाजार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है और 2010 तक यह बढ़कर 44,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा;

(ग) विशेष समिति ने अन्य कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सुझावों को मानकर उन्हें क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) ई सी टी टी रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी वस्त्र के बाजार का आकार 2003-04 में लगभग 19.130 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 तक 29,579 करोड़ रु. तक पहुंचने की आशा है।

(ग) समिति ने तकनीकी वस्त्रों के संवर्द्धन के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का सुझाव दिया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

* समिति ने जैव-वस्त्र, स्पोर्टस फुटवियर, अग्नि मन्दन, स्वास्थ्य संबंधी वस्त्र, आटोमोबाइल वस्त्र, फैब्रिक्स, कंप्यूटर फीता, फिल्टरों आदि जैसे पच्चीस अभिज्ञात उत्पादों/उत्पाद समूहों के विकास के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम सूचीबद्ध किया है।

* ई सी टी टी द्वारा सिफारिश की गई कार्य योजना के क्रियान्वयन का समन्वय करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित करना।

* उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना।

* उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में तकनीकी वस्त्रों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए सुविधाएं तैयार करना।

* आई.टी. अध्यसंरचना सहित संसाधन केन्द्र का विकास।

* देशी विकास के लिए तथा प्रमुख कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं तैयार करना, कर्मिकों को नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करना, उत्कृष्टता केन्द्रों को नाम देना।

तकनीकी वस्त्र उद्योग तथा उत्कृष्टता केन्द्रों के क्रियाकलापों की मानीटरिंग और समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी वस्त्रों के विकास के लिए संचालन समिति (एस सी डी जी टी टी) गठित की जानी है।

(घ) और (ङ) समिति ने सीमित और संकेन्द्रित सिफारिशें की हैं जो देश में इस उद्योग की वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए आवश्यक हैं। सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

बैंकों के लिए लोक आयुक्त

2774. **श्री काशीराम राणा:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने हेतु लोक आयुक्त नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो लोक आयुक्त के समक्ष कितने मामले लंबित हैं और कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) इन बैंकों के विरुद्ध कितने मामलों का न्याय-निर्णयन किया गया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लोक आयुक्त द्वारा न्याय-निर्णयाधीन मामलों में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजन के लिए पूरे भारत में 15 केन्द्रों में बैंकिंग ओमबड्समैन योजना 2002 के तहत केवल बैंकिंग ओमबड्समैन कार्यालयों (जिन्हें हिन्दी में बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है) की स्थापना की है।

(ख) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, बैंकिंग ओमबड्समैन कार्यालयों में लंबित मामलों की संख्या 1474 है और निपटाए गए मामलों (अस्वीकृत शिकायतों सहित) की संख्या 8009 है।

(ग) बैंकिंग ओमबड्समैन योजना के तहत, ओमबड्समैन को बैंकों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन का कोई अधिकार नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर मुक्त दुकानों में भारतीय मुद्रा की अस्वीकार्यता

2775. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर स्थापित कर मुक्त दुकानों में भारत आने वाले यात्रियों या विदेश जाने वाले यात्रियों से भारतीय मुद्रा स्वीकार नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर मुक्त दुकानों में भारतीय मुद्रा स्वीकार करने के लिए इन कर मुक्त दुकानों को निदेश जारी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार आप्रवास और सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर भारतीय मुद्रा के उपयोग की अनुमति नहीं है। यह भारतीय मुद्रा के संभावित अवैध निर्यात को रोकने के उद्देश्य से है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर शून्य समझी जाये।

रबर की खरीद

2776. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राकृतिक रबर, काफी, इलायची और नारियल इत्यादि सहित रबर के मूल्य दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं;

(ख) क्या रबर के गिरते मूल्यों के कारण रबर उत्पादक किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) बाजार में उपलब्ध इन वस्तुओं की पृथक-पृथक कुल मात्रा कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बाजार से उक्त वस्तुओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो अधिकृत एजेन्सियों के नाम क्या हैं और अब तक इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में संग्रह किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) यद्यपि इलायची की कीमतों में गिरावट आई है तथापि प्राकृतिक रबड़ एवं नारियल की घरेलू कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही हैं। काफी की घरेलू कीमतों में भी चालू वर्ष में सुधार हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान प्राकृतिक रबड़, काफी, इलायची तथा नारियल का अनुमानित घरेलू उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राकृतिक रबड़	काफी	इलायची	नारियल
2004-2005	7,62,000 मी. टन	2,92,400 मी. टन	11,385 मी. टन	13,037 मी. टन

(सभी आंकड़े अनंतिम हैं)

चूंकि इन सभी वस्तुओं का निजी तौर पर विपणन किया जाता है, इसलिए बाजार में इन मदों की सही मात्रा उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कायर अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान

2777. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान और विकास के क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के मद्देनजर आई सी ए आर के अधीन केरल में कायर अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या भारत सरकार केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.सी.आर.आई.) के साथ 'कोलाबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट' शुरू करने के लिए आई सी ए आर के अधीन एक स्वतंत्र कायर अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां, केरल सरकार का अनुसंधान व विकास के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि के केरल में कायर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव था।

(ख) और (ग) चूंकि दो सुस्थापित अनुसंधान संस्थान नामत: केन्द्रीय कायर अनुसंधान संस्थान, कलावूर (अल्लेप्पी) और केन्द्रीय कायर प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूर वहां पर पहले से ही मौलिक व प्रौद्योगिकीय अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप कर रहे हैं, जिनके दायरे में उद्योग के अनेकानेक पहलू आते हैं जो रेशे निकालने से लेकर कायर उत्पादों की अंतिम प्रक्रिया तक होते हैं, अत: इसी प्रयोजन के लिए वहां और दूसरा कोई अनुसंधान संस्थान खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

'मेटल बाक्स'

2778. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 वर्ष पहले 'मेटल बाक्स' की दो इकाइयों को बंद कर दिया गया था;

(ख) क्या करोड़ों रुपये की राशि का दुर्विनियोग किया गया था और कामगारों को उनके उचित भुगतान से वंचित किया गया है;

(ग) क्या प्रबंधन द्वारा विशेषकर जब उक्त इकाइयां बी आई एफ आर के अंतर्गत विचाराधीन थीं, इन इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों को बेच दिया गया था;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लेखा परीक्षा द्वारा धनराशियों के दुरूपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट दी गई है; और

(च) यदि हां, इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) मेटल बाक्स इंडिया का पंजीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में सन् 1933 में हुआ था। इसने 9 उत्पादन एकक स्थापित किये थे जो इस प्रकार हैं—कोलकाता में 2, महाराष्ट्र में 3, मद्रास, बैंगलूर, कोचीन एवं फरीदाबाद में एक-एक एकक। कंपनी की सकल हानि कंपनी की नेटवर्थ 22.16 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई थी और इस कंपनी के मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया था। बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन इसे वर्ष 1988 में एक रुग्ण कंपनी दर्ज कर दिया और यह 27.5.1988 को एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दी गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) को संचालक अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ख) करोड़ों रुपयों का दुरूपयोग करने तथा कामगारों को उचित भुगतान से वंचित रखने संबंधी कोई रिपोर्ट न तो मानीटरिंग एजेंसी से अथवा ना ही स्पेशल डाइरेक्टर से प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) वर्ती परिसम्पत्ति आदि की बिक्री औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन की अपीलीय प्राधिकरण एएआईएफआर द्वारा स्वीकृत स्कीम की शर्तों के अनुसार की गई है। कंपनी ने बीआईएफआर को बताया है कि 43.4 करोड़ रुपये की आरक्षित मूल्य की एवज में कंपनी की वर्ती परिसम्पत्ति से 45.41 करोड़ रुपये बिक्री राशि प्राप्त की गई थी जिसे एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दिया गया था। संयंत्र एवं उपकरण 47.5 लाख रुपये में बेचे गये, आंशिक क्षतिग्रस्त ढांचे 20 लाख रुपये में बेचे गये और मीठा टावर-मुंबई के 4 फ्लैटों में से दो फ्लैट 14.55 लाख रुपये की दर से बेचे तथा एक-एक फ्लैट क्रमश: 13.10 लाख रुपये में एवं 13.75 लाख रुपये में बेचे गये जबकि इनके आरक्षित मूल्य क्रमश: 12.5 लाख रुपये, 11 लाख रुपये और 11.5 लाख रुपये थे।

(ङ) और (च) बीआईएफआर को धन का दुरूपयोग होने की कोई आडिट रिपोर्ट नहीं मिली है।

कर्नाटक में सहकारी बैंक

2779. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं और इसमें से कितने बैंक नाबार्ड से धन ले सकते हैं और किसानों को ऋण दे सकते हैं;

(ख) इनमें से ऐसे कितने बैंक हैं जिन्होंने धोखाधड़ी, धन का दुरूपयोग, दुर्विनियोग किया है; और

(ग) सरकार और नाबार्ड द्वारा ऐसे दोषी सहकारी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) कर्नाटक राज्य में कार्यरत 21 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) में से 17 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक किसानों को दिए गए अपने उधारों के बदले नाबार्ड से अल्पावधि/मध्यावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त आहरित करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक में 19 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में धोखाधड़ियों और दुर्विनियोजन की रिपोर्ट दी गई है। 978.08 लाख रु. की अंतर्ग्रस्तता वाले धोखाधड़ी के 136 मामले 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार लम्बित थे। राज्य सहकारी अधिनियम के अनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सहकारी बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत हैं और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों के मामले तदनुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई शुरू किए जाने की सलाह के साथ भेजे गए/भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को इस संबंध में आवश्यक अनुपालन के साथ निरीक्षण

रिपोर्ट तथा अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी पत्रों के माध्यम से सलाह दी गई है। इसके साथ-साथ बैंकों से भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों, दुर्विनियोजनों से बचने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास

2780. श्री अनवर हुसैन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छ: वर्षों के दौरान असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) किसी राज्य में परियोजनाएं एवं औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है तथा केंद्र सरकार उद्योगों के विकास हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को केवल सहायता प्रदान करती है।

असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 24 दिसम्बर, 1997 को एक नई पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एन.ई.आई.पी.) एवं अन्य रियायतों की घोषणा की है। एन.ई.आई.पी. के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों को विभिन्न रियायतें प्रदान की गई हैं, जिनके अंतर्गत औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं का विकास, उत्पादन-शुल्क एवं आयकर में छूट एवं राजसहायता योजनाएं, जैसे-केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना शामिल हैं।

पिछले छ: वर्षों के दौरान, असम एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 521 परियोजनाएं एवं औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,067 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है तथा लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला है।

[हिन्दी]

गुजरात शहरी सुधार परियोजना

2781. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 150 मिलियन रुपए की लागत वाली गुजरात शहरी सुधार परियोजना को विश्व बैंक के पास सिफारिश हेतु भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। यह परियोजना सहायता हेतु विश्व बैंक को मार्च, 1999 के दौरान प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इस परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) विश्व बैंक से उनकी "परियोजना उपक्रम सुविधा" के तहत राज्य को सहायता मुहैया कराने के लिए पुन: अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन

2782. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लोक सभा संसदीय क्षेत्रों और विधान सभा के क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी, हां। परिसीमन आयोग ने यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश राज्य की बाबत परिसीमन का कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है। आयोग, राज्य में सभी स्तरों पर प्रशासनिक इकाईयों के संबंध में आयोग द्वारा एकत्रित किए गए जनसांख्यिकीय आंकड़ों और क्षेत्रीय डाटा के आधार पर सहबद्ध सदस्यों से विचार-विमर्श करने हेतु एक कार्यक्षेत्र तैयार करने के लिए कार्यवाही कर रहा है।

भारत-नेपाल सीमा पर सीमा-शुल्क केन्द्रों को जोड़ना

2783. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर बिराट नगर-जोगबनी और बीरगंज-रक्सौल के सीमा शुल्क केन्द्रों को जोड़ने हेतु किन-किन विकास परियोजनाओं पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य विभाग का विचार भारत-नेपाल सीमा पर जोगबनी-रक्सौल में ट्रक टर्मिनल की स्थापना का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत-नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत)-विराट नगर (नेपाल), रक्सौल (भारत)-बीरगंज (नेपाल), सुनौली (भारत)-बैरहवा (नेपाल) और रूपाइडिहा (भारत)-नेपालगंज (नेपाल) में समेकित नाके (चेक पोस्ट) विकसित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मै. राइट्स की सेवाएं ली हैं। महामहिम नेपाल सरकार के परामर्श से मै. राइट्स ने अध्ययन शुरू कर दिया है। भारत सरकार तथा महामहिम नेपाल सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन के लिए भी वार्ताएं चल रही हैं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

निर्धन और अति निर्धन का वर्गीकरण

2784. श्री इलियास आजमी:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों को "निर्धन" और "अति निर्धन" वर्गों में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) इन वर्गों में राज्यवार कितने लोगों को वर्गीकृत किया गया है; और

(घ) ऐसे वर्गीकरण से किस उद्देश्य की पूर्ति होगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) सरकार ने लोगों को निर्धन और 'अति निर्धन' वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मौजूद दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब परिवार की पहचान करनी है जिन्हें मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतंर्गत सहायता दी जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की पहचान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई बी पी एल जनगणना के माध्यम से की जाती है जिसके लिए मंत्रालय वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची को बी पी एल जनगणना, 2002 के आधार पर अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बी पी एल जनगणना, 1997 के आधार पर पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवारों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

बी पी एल जनगणना-1997 के परिणाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बी पी एल ग्रामीण परिवारों की संख्या	बी पी एल परिवारों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4184628	39.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	80627	78.39
3.	असम	2164416	60.00
4.	बिहार	9399281	49.64
5.	गोवा	23101	17.01
6.	गुजरात	1980879	35.45
7.	हरियाणा	503019	24.25
8.	हिमाचल प्रदेश	286112	27.59
9.	जम्मू व कश्मीर	606545	57.92
10.	कर्नाटक	2202756	33.99
11.	केरल	1723556	36.56
12.	मध्य प्रदेश	5111874	43.87
13.	महाराष्ट्र	3860675	35.07
14.	मणिपुर	246980	67.54
15.	मेघालय	156646	55.48

1	2	3	4
16.	मिजोरम	74154	67.07
17.	नागालैंड$	88541	60.39
18.	उड़ीसा*$	4445736	65.47
19.	पंजाब	650209	27.90
20.	राजस्थान	2097560	30.99
21.	सिक्किम	एनआर	एनआर
22.	तमिलनाडु	2737921	29.16
23.	त्रिपुरा	397798	66.81
24.	उत्तर प्रदेश	7541494	36.91
25.	पश्चिम बंगाल	4918296	44.40
26.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	6421	21.25
27.	दादर व नागर हवेली	17231	65.67
28.	दमन व दीव	395	3.68
29.	लक्षद्वीप	885	10.26
30.	पांडिचेरी	63262	47.37
	कुल	55570998	41.05

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

एन आर—असूचित

*अनन्तिम

$ग्रामीण परिवार

[अनुवाद]

कृषि-निर्यात जोन

2785. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री लक्ष्मण सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में कितने कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार के समक्ष चालू वित्त वर्ष में और अधिक कृषि-निर्यात जोनों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि-निर्यात जोनों की स्थापना के परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके नाम और निर्यात में वृद्धि की मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) 20 अलग-अलग राज्यों के विभिन्न उत्पादों के लिए 60 कृषि निर्यात क्षेत्रों (एईजेड) की स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार को 15 विभिन्न राज्यों में एईजेड स्थापित करने के लिए 26 अन्य अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। एईजेडों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान अभी तक 2107.00 करोड़ रुपए का संचयी निर्यात हुआ है।

डाक घर आवर्ती जमा पर ब्याज

2786. श्री पी. मोहन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक विभाग, डाकघर आवर्ती जमा खातों पर केवल 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देता है और यदि जमाकर्त्ता द्वारा इसमें से धन की निकासी की जाती है तब 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ब्याज दर को बराबर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या डाकघर आवर्ती जमा के संबंध में ब्याज दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ऋण प्रणाली में सुधार

2787. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स और इंडस्ट्री" (एसोचैम) ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की ऋण प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को कुल कितना प्रतिशत ऋण दिया गया है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों के निक्षेप अनुपात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऋण के प्रवाह को तीव्र करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा नाबार्ड ने सूचित किया है कि उन्हें इस विषय पर एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (ऐसोचेम) की अध्ययन रिपर्ट की कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के अपने ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में बकाया ऋण का प्रतिशत मार्च, 2002-03 एवं 2003-04 को समाप्त वर्ष के दौरान उनके कुल बकाया ऋण का क्रमश: 21% एवं 20.9% था। आर आर बी सहित एससीबी की ग्रामीण शाखाओं का ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 42.42% से बढ़कर 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 43.69% हो गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह दोगुना करने के लिए 18 जून, 2004 को कार्यक्रमों की एक व्यापक रूपरेखा की घोषणा की थी। सरकार ने सभी ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण को वर्ष 2003-04 के अनुमानित 80,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2004-05 के दौरान लगभग 1,05,000 करोड़ रुपये (30% तक वृद्धि) करने का प्रस्ताव किया है। परिणामस्वरूप, बैंकों को 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार उन किसानों के ऋणों की पुनर्व्यवस्था/पुनर्निर्धारण करने की सलाह 24 जून, 2004 को दी गई है जिन्हें लगातार प्राकृतिक आपदाओं अर्थात् सूखा, बाढ़ अथवा अन्य आपदाओं के कारण उत्पादन एवं आय में हानियां हुई हैं जो गत पांच वर्षों के दौरान जिले में लगातार दो अथवा इससे अधिक वर्षों में आई हों, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार ने ऐसे जिलों को आपदा प्रभावित जिले घोषित किया हो। जहां तक फसल ऋण एवं कृषि मियादी ऋणों, जो स्थायी दिशानिर्देश के अनुसार पहले ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्निर्धारित किए जा चुके हैं, तथा इसके साथ-साथ कृषि मियादी ऋणों का संबंध है, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार प्रस्तावित पुनर्निर्धारण के लिए केवल अतिदेय किश्त तथा इस पर लगे ब्याज का ध्यान रखा जा सकता है।

बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से उन छोटे एवं सीमांत किसानों के ऋण का एक बारगी निपटान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की सलाह भी दी गई है जो 24 जून, 2004 तक चूककर्त्ता के रूप में घोषित किए जा चुके हैं तथा नए ऋण के लिए अयोग्य हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों को छोटे एवं सीमान्त किसानों के उन सभी मामलों की मसीक्षा करने की भी सलाह दी गई थी जिनमें सिर्फ इस आधार पर ऋण देने से इन्कार किया गया है कि ऋण खाते का निपटान पहले समझौता अथवा बट्टे खाते के माध्यम से हुआ था।

इसके अलावा, गैर-संस्थागत उधारदाताओं (उदाहरणार्थ साहूकारों) के कर्ज के भारी बोझ के कारण किसानों द्वारा सामना किए जा रहे भारी कष्ट को कम करने के लिए तथा ऐसे ऋण भार से उन्हें राहत देने के लिए बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित दिशानिर्देशों के अध्यधीन ऐसे किसानों को उचित संपार्श्विक अथवा समूह प्रतिभूति के बदले ऋण प्रदान करें।

[अनुवाद]

महिला आरक्षण

2788. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी महिला आरक्षण विधेयक को पुन: पुर:स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उपबंध है कि सरकार राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण करने के लिए विधान पुर:स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योग

2789. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक देश में विशेषकर जनजातीय, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी सीमेंट इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक राज्यवार/संयंत्रवार सीमेंट के उत्पादन का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों में संयंत्रवार और राज्यवार कुल कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सीमेंट संयंत्र की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) संगठित क्षेत्र में आने वाले केवल बड़े सीमेंट संयंत्रों के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से रखी जाती है और असंगठित क्षेत्र में आने वाले मझौले एवं लघु सीमेंट इकाइयों के बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती है। प्रत्येक राज्य के बड़ी सीमेंट संयंत्रों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान बड़े संयंत्रों का राज्यवार सीमेंट उत्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है। बड़े संयंत्रों द्वारा किये गये उत्पादन के अतिरिक्त मझौले एवं लघु इकाइयों ने सरसरी अनुमान के तौर पर, लगभग 5 से 6 मिलियन टन सालाना सीमेंट उत्पादन किया। कामगारों की संयंत्रवार कुल संख्या के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) सीमेंट उद्योग एक लाइसेंसमुक्त उद्योग है जहां निजी उद्यमी स्वयं नये संयंत्र स्थापित करते हैं और सरकार के पास नया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	संयंत्रों की संख्या	क्षमता (मिलियन टन में)
1.	आंध्र प्रदेश	21	21.43
2.	राजस्थान	14	18.52
3.	मध्य प्रदेश	10	17.69
4.	गुजरात	11	17.58
5.	तमिलनाडु	13	14.56
6.	महाराष्ट्र	8	11.80
7.	छत्तीसगढ़	9	10.82
8.	कर्नाटक	8	10.09
9.	उत्तर प्रदेश	8	7.31
10.	झारखंड	5	4.57
11.	पंजाब	3	4.20
12.	हिमाचल प्रदेश	3	4.06
13.	पश्चिम बंगाल	4	3.13
14.	उड़ीसा	3	3.04
15.	बिहार	1	1.00
16.	केरल	2	0.62
17.	दिल्ली	1	0.50
18.	जम्मू और कश्मीर	1	0.20
19.	असम	1	0.20
20.	मेघालय	1	0.20
21.	हरियाणा	1	0.17
	जोड़	128	151.59

विवरण II

उत्पादन (लाख टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा			
2.	पंजाब	19.03	29.47	33.31
3.	राजस्थान	160.05	172.81	177.81
4.	हिमाचल प्रदेश	38.98	37.96	39.93
5.	दिल्ली	0	0	0
6.	जम्मू और कश्मीर	1.36	1.14	1.19
	उत्तरी क्षेत्र-जोड़	219.42	241.38	252.24
पूर्वी क्षेत्र				
7.	असम	1.33	1.42	1.19
8.	मेघालय	1.06	1.04	0.99
9.	बिहार	6.25	5.62	3.39
10.	झारखंड	30.09	36.37	35.88
11.	उड़ीसा	24.33	26.12	24.83
12.	पश्चिम बंगाल	17.4	25.2	27.44
13.	छत्तीसगढ़	86.26	71.27	72.98
	पूर्वी क्षेत्र-जोड़	166.72	167.04	166.70
दक्षिणी क्षेत्र				
14.	आंध्र प्रदेश	134.12	132.48	140.37
15.	तमिलनाडु	93.08	116.66	122.91
16.	कर्नाटक	67.64	80.92	92.77
17.	केरल	3.94	4.10	5.28
	दक्षिणी क्षेत्र-जोड़	298.78	334.16	361.33

1	2	3	4	5
पश्चिमी क्षेत्र				
18.	गुजरात	105.45	100.84	103.70
19.	महाराष्ट्र	66.84	91.88	106.31
	पश्चिमी क्षेत्र-जोड़	172.29	192.72	210.01
केन्द्रीय क्षेत्र				
20.	उत्तर प्रदेश	18.27	24.27	34.58
21.	मध्य प्रदेश	148.53	153.92	150.18
	केन्द्रीय क्षेत्र-जोड़	166.80	178.19	184.76
	कुल जोड़	1024.01	1113.49	1175.04

रत्न उद्योग का विकास

2790. श्री विक्रम केशरी देव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में रत्न और अल्प मूल्य रत्न उद्योग के विकास के लिए कोई योजना कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत को मूल्यवान और अल्प मूल्य रत्नों के व्यापार से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रत्नों के विकास, इन्हें तराशने की प्रक्रिया और तराशे हुए रत्नों के निर्यात के लिए उड़ीसा को मान्यता देगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) उड़ीसा सहित भारत के सभी, राज्यों में रत्न एवं कीमती पत्थर उद्योग के विकास का संवर्धन करना भारत सरकार का सतत प्रयास रहता है। पिछले वित्त वर्ष 2003-2004 के दौरान बेशकीमती एवं कीमती पत्थर सहित रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 10711.90 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ है जो हमारे कुल निर्यातों को लगभग 17% बनता है। रत्नों के विकास, उनके प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत रत्नों के विकास हेतु अलग-अलग राज्यों को मान्यता प्रदान करने की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है।

बिहार में त्वरित न्यायालय

2791. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में कार्यरत 162 त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स) को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या निचले न्यायालयों में लंबित 12 लाख मामलों को निपटाने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई थी और बिहार सरकार को 250 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे;

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को निपटाने के लिए क्या विकल्प अपनाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों को निपटाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में क्या पद्धति अपनायी जाएगी?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं। न्याय विभाग में बारहवें वित्त आयोग से विद्यमान त्वरित निपटान न्यायालयों को जारी रखने का अनुरोध किया है।

(ख) त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में काफी समय से लंबित मामलों का निपटारा करने के प्रयोजन के लिए की गई थी। 11वें वित्त आयोग ने बिहार में 183 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए 5296.00 लाख रुपए की राशि का आबंटन किया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है कि वे त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करें। इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में अभी तक 112 त्वरित निपटान न्यायालयों को कार्यरत बनाया गया है। इन न्यायालयों में, इन्हें अंतरित किए गए 38,885 मामलों में से 12,631 मामलों का निपटान कर दिया है।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए योजनाएं

2792. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री इलियास आजमी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के कारण हस्तशिल्प और हथकरघा शिल्पकारों एवं बुनकरों तक नहीं पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में, केन्द्र सरकार के अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के दौरे के माध्यम से विकासात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों की आवधिक मानिटरिंग, राज्य सरकार एवं दोषी गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से राज्य स्तर के मानिटरिंग/कार्यान्वयन समिति, क्षेत्र निरीक्षण, शीघ्र शिकायतों के निवारण की मानिटरिंग इत्यादि से अनियमितताओं को दूर करने हेतु कदम उठाए गये हैं।

मध्य प्रदेश में उद्योग की स्थापना

2793. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के समक्ष मध्य प्रदेश के चहुंमुखी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण, व्यापार संवर्धन, बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों तथा अनुषंगी उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) उदारीकृत औद्योगिक नीतियों के अधीन उद्योगों की स्थापना उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करती है जो फिर मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों पर भी निर्भर करता है। तथापि, भारत सरकार विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना और राज्यों के लिए विशेष पैकेज जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों और योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करती है। अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2004 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 48,520 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से कुल 2,110 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) दायर किए गए हैं तथा 141 आशय-पत्र (एलओआई)/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस (डीआईएल) जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

निक्षेप जुटाना

2794. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निक्षेप और ऋण के बीच बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बड़े अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य की ऋण खपत क्षमताओं में अंतर के कारण अलग-अलग राज्यों का ऋण जमा अनुपात अलग-अलग होता है।

(घ) सभी राज्यों/क्षेत्रों में कम ऋण-जमा-अनुपात की समस्या की प्रकृति और प्रमात्रा की जांच करने तथा समस्या को दूर करने संबंधी उपाय सुझाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात

(प्रतिशत)

राज्य का नाम	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
	2002	2003	2004
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	18.61	20.95	23.70
आंध्र प्रदेश	64.14	65.01	67.41
अरुणाचल प्रदेश	11.74	13.82	14.84
असम	32.07	28.44	30.36
बिहार	21.38	23.40	25.24
चंडीगढ़	134.31	131.36	117.59
छत्तीसगढ़	49.07	41.29	42.72
दादर एवं नागर हवेली	17.25	17.46	17.23
दमन एवं दीव	9.81	9.01	10.25
दिल्ली	94.08	69.32	62.62
गोवा	24.85	22.88	21.67
गुजरात	43.19	42.73	41.87
हरियाणा	45.89	48.12	53.58
हिमाचल प्रदेश	23.00	24.93	30.29
जम्मू-कश्मीर	20.88	21.10	22.06
झारखंड	24.16	25.99	26.07
कर्नाटक	63.74	67.30	68.84
केरल	42.17	43.73	48.34
लक्षद्वीप	8.36	5.11	7.55
मध्य प्रदेश	47.70	48.35	48.38
महाराष्ट्र	92.68	88.82	74.63
मणिपुर	24.47	26.92	28.04
मेघालय	17.82	29.73	38.55
मिजोरम	24.36	25.11	37.73
नागालैंड	12.90	13.25	17.47
उड़ीसा	41.73	45.90	54.84
पांडिचेरी	30.11	31.41	34.08
पंजाब	43.31	42.81	44.15
राजस्थान	51.20	54.12	61.47
सिक्किम	16.02	17.32	22.21
तमिलनाडु	77.72	80.45	83.09
त्रिपुरा	19.58	23.07	22.46
उत्तर प्रदेश	29.90	30.83	33.70
उत्तरांचल	22.86	18.45	19.84
पश्चिम बंगाल	46.83	48.20	49.70
अखिल भारत	58.51	56.38	55.63

[हिन्दी]

कामगारों को बकाया राशि का भुगतान

2795. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री धावरचन्द गेहलोत:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंद पड़ी वस्त्र मिलों के कामगारों की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) इस बकाया राशि का भुगतान न होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन बंद पड़ी वस्त्र मिलों की परिसंपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक उपयोग के लिए बंद पड़ी वस्त्र मिलों की परिसंपत्ति को बेचने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद वस्त्र मिलों के कामगारों को देय कोई बकाया राशि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बंद मिलों की परिसंपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 2,300 करोड़ रुपए है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनर्वासन योजना के अनुसार, इन परिसंपत्तियों का निपटान एन टी सी की पुनर्वासन योजना के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते किया जाना है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

जमीन का क्षेत्रफल और मूल्य वाली 65 गैर-अर्थक्षम बंद मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों के नाम	मिल की अवस्थिति	क्षेत्र (एकड़)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
I. एन टी सी (एपीकेके एंड एम) लि.				
क. आंध्र प्रदेश				
1.	आजमजाही मिल्स	वारंगल	200.25	53.05
2.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	अदिलाबाद	70.00	5.50
3.	अदोनी काटन मिल्स	अदोनी	7.15	1.04
4.	नेथा स्पिनिंग मिल्स	सिकंदराबाद	10.84	32.95
ख. कर्नाटक				
5.	एम.एस.के. मिल्स	गुलबर्गा	205.32	3.58
6.	मैसूर स्पि. एंड मैन्यु. मिल्स	बेंगलूर	25.66	12.37
II. एन टी सी (डी पी एंड आर) लि.				
राजस्थान				
7.	एडवर्ड मिल्स	ब्यावर	18.28	6.81
पंजाब				
8.	दयालबाग स्पि. एंड विवि. मिल्स	अमृतसर	9.84	19.05
9.	पानीपत वूलन मिल्स	खरर	20.29	9.51
III. एनटीसी (गुजरात) लि.				
गुजरात				
10.	अहमदाबाद जूपिटर टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	22.44	32.23
11.	जहांगीर टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	16.30	26.39
12.	महालक्ष्मी टैक्स. मिल्स	भावनगर	16.32	12.55

1	2	3	4	5
13.	न्यू मानेकचौक टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	8.99	18.18
14.	पेटलेड टैक्स. मिल्स	पेटलेड	29.28	7.11
15.	राजकोट टैक्स. मिल्स	राजकोट	8.72	35.30
16.	वीरंगम टैक्स. मिल्स	वीरंगम	50.91	1.55
17.	राजनगर II	अहमदाबाद	12.11	20.55
18.	हिमाद्री टैक्स. मिल्स	अहमदाबाद	7.22	8.77
IV. एनटीसी (एम.एन.) लि.				
महाराष्ट्र				
19.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 2	मुम्बई	16.04	121.51
20.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 3	मुम्बई	5.40	40.91
21.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 4	मुम्बई	7.79	59.02
22.	कोहिनूर मिल्स सं. 2	मुम्बई	10.48	150.60
23.	कोहिनूर मिल्स सं. 3	मुम्बई	4.91	80.40
24.	जैम मैन्यु. मिल्स	मुम्बई	7.99	66.57
25.	माडल मिल्स	नागपुर	33.31	12.68
26.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	अकोला	15.81	2.24
27.	श्री सीताराम मिल्स	मुम्बई	8.43	40.93
28.	विदर्भ मिल्स	अचलपुर	17.05	0.83
V. एनटीसी (एस.एम.) लि.				
महाराष्ट्र				
29.	भारत टैक्स. मिल्स	मुम्बई	8.37	73.21
30.	दिग्विजय टैक्स. मिल्स	मुम्बई	9.33	87.85
31.	एल्फिस्टन स्पि. एंड विवि. मिल्स	मुम्बई	8.91	80.85
32.	जूपिटर टैक्स. मिल्स	मुम्बई	10.91	95.48
33.	मुम्बई टैक्स. मिल्स	मुम्बई	23.83	151.86
34.	न्यू हिंद टैक्स. मिल्स	मुम्बई	8.33	97.51
35.	पोद्दार प्रोसेसर्स	मुम्बई	2.39	20.89
36.	श्री मधुसूदन मिल्स	मुम्बई	8.05	157.91

1	2	3	4	5
VI. एनटीसी (एम.पी.) लि.				
मध्य प्रदेश				
37.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	राजनंदगांव	52.10	12.71
38.	हीरा मिल्स	उज्जैन	69.20	45.75
39.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	इंदौर	103.80	71.86
40.	कल्याणमल मिल्स	इंदौर	33.57	20.16
41.	स्वदेशी टैक्स. मिल्स	इंदौर	15.32	13.76
VII. एनटीसी (उ.प्र.) लि.				
उत्तर प्रदेश				
42.	एथर्टन मिल्स	कानपुर	20.70	26.80
43.	बिजली काटन मिल्स	हाथरस	7.56	3.06
44.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	कानपुर	13.48	18.55
45.	लार्ड कृष्णा टैक्स. मिल्स	सहारनपुर	24.70	9.62
46.	मूइर मिल्स	कानपुर	37.28	79.52
47.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	कानपुर	29.67	66.03
48.	रायबरेली टैक्स. मिल्स	रायबरेली	30.43	12.31
49.	श्री विक्रम काटन मिल्स	लखनऊ	8.14	12.52
50.	स्वदेशी काटन मिल्स	कानपुर	55.86	68.30
VIII. एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी एंड ओ) लि.				
क. पं. बगांल				
51.	बंगश्री काटन मिल्स	सोनेपूर	29.08	25.30
52.	बंगाल फाइन एस एंड डब्ल्यू मिल्स नं. II	कटागंज	19.44	5.44
53.	मनिन्द्रा बीटी मिल्स	कासिम बाजार	35.28	5.25
54.	ज्योति विविंग फैक्ट्री	पटीपुकर	4.29	11.57
55.	सैंट्रल काटन मिल्स	बेलूर	11.67	14.00
56.	श्री महालक्ष्मी काटन	पलटा	11.24	13.49
57.	बंगाल फाइन एंड विविंग मिल्स सं. 1	कोन्नागर	18.83	16.94
58.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	सेरामपुर	27.97	22.66
59.	रामपूरिया काटन मिल्स	रिसरा	30.60	14.69

1	2	3	4	5
	ख. बिहार			
60.	गया काटन एंड जूट मिल्स	गया	32.77	5.20
IX.	एनटीसी (टीएनएंडपी) लि.			
	तमिलनाडु			
61.	बलरामवर्मा टैक्स. मिल्स	सेनकोट्टाह	20.20	1.01
62.	कृष्णावेनी टैक्स. मिल्स	कोयंबटूर	4.52	5.09
63.	ओमपारशक्ति टैक्स. मिल्स	कोयंबटूर	14.25	4.86
64.	सोमसुन्दरम टैक्स. मिल्स	कोयंबटूर	7.43	16.71
65.	कालेश्वरर मिल्स 'क' यूनिट	कोयंबटूर	16.05	36.36
		कुल	1732.69	2307.26

चीन को नमक का निर्यात

2796. **श्री संतोष गंगवार:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत से चीन को नमक का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किए गए नमक के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नमक के निर्यात के माध्यम से देश को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। चालू वर्ष (अर्थात् जनवरी से नवम्बर, 2004) के दौरान चीन को नमक के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पत्तन	निर्यात की मात्रा (एमटी में)
1	2
कान्दला	659159
पोरबन्दर	20900
सिक्का	16674
पिपावव	33170
रोजी	7737
नवलखी	20751
कुल	758391

(ग) चीन को नमक का निर्यात करने से उक्त अवधि के दौरान लगभग 35 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है।

बैंकों/वित्तीय संस्थानों में ओ.बी.सी. हेतु आरक्षण

2797. **श्री सुशिल कुमार महतो:**
श्री गिरिधारी यादव:
श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में श्रेणीवार उपर्युक्त कोटे की कितनी रिक्तियां भरी गई; और

(घ) पिछली बकाया रिक्तियां कब तक भर दिए जाने की संभावना है और इन दिशानिर्देशों का समुचित पालन न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

2798. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री सूरज सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी वस्त्र कंपनियों द्वारा वस्त्रों के निर्यात में राज्य-वार कोटा आवंटन निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों द्वारा कुछ राज्यों के संबंधित कोटे के अनुसार राज्यों से निर्यात नहीं किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों को घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन राज्यों को उनका हिस्सा/कोटा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यातकों के लाभ हेतु शुल्क पात्रता पास बुक योजना की दरों में कतिपय परिवर्तन किए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इसके बाद वस्त्र निर्यातकों को किस सीमा तक लाभ होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत के वस्त्र एवं क्लोदिंग (निटवियर सहित) के निर्यात, जो कुछ देशों में मात्रात्मक प्रतिबंधों के अध्यधीन हैं, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई गई निर्यात हकदारी नीतियों से विनियमित होते हैं। इन नीतियों के अनुसार निर्यातकों को आवंटन अखिल भारतीय आधार पर किए जाते हैं।

(च) से (ज) शुल्क हकदारी पास बुक योजना (डीईपीबी) ऋण दरें वस्त्र मदों के संबंध में हाल ही में 45% तक कम कर दी गई हैं।

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय

2799. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में कार्यरत कार्मिकों को वही परिलब्धियां मिलती रहेंगी जो वे इस बैंक के ओरियंटल बैंक आफ कामर्स (ओबीसी) में विलय से पूर्व प्राप्त कर रहे थे;

(ख) क्या ये परिलब्धियां ओ.बी.सी. के कार्मिकों को दी जा रही परिलब्धियों से अधिक हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैंक, जो कुप्रबंधन का शिकार है और घाटे में चल रहा है, को विशेष सुविधा देने का क्या औचित्य हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में ओ.बी.सी. के कर्मियों में असंतोष है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क), (ख) और (घ) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा संस्वीकृत समामेलन योजना की शर्तों के अनुसार पूर्व ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे तथा 24 जुलाई, 2004 को कारोबार के बंद होने के तत्काल पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू पारिश्रमिक एवं सेवा की शर्तों के साथ ओबीसी में नियुक्त माने जाएंगे। उपर्युक्त योजना की शर्तों के अनुसार ओबीसी, इस योजना की मंजूरी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद जीटीबी के कर्मचारियों, जिनकी सेवा ओबीसी में बनी हुई है, को वही पारिश्रमिक देगा अथवा सेवा की वही शर्तें मंजूर करेगा जो ओबीसी के समकक्ष पद अथवा हैसियत वाले कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य है।

(ङ) सरकार ने ओरियंटल बैंक आफ कामर्स को तीन वर्ष की निर्धारित पारगमन अवधि को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा है।

विदेशी सहायता नीति

2800. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान विदेशी सहायता नीति को पलट दिया है और सभी जी-8 देशों से द्विपक्षीय विकास सहायता स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान विदेशी सहायता नीति को पलटने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) विचारित नीति का ब्यौरा क्या है और यह पूर्ववर्ती नीति से किस हद तक भिन्न होगी; और

(घ) देश के लिए इस नीति के किस तरीके से अधिक लाभप्रद होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (घ) भारत सरकार ने भारत की आर्थिक नीति के उदारीकरण और सुधार प्रक्रिया की पुष्टि करने के प्रयोजन से द्विपक्षीय विकासात्मक सहयोग से संबंधित मौजूदा नीति की समीक्षा की है। पूर्ववर्ती नीति के अंतर्गत छ: विकासात्मक भागीदारों अर्थात् जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, रूसी परिसंघ तथा यूरोपियन कमीशन के बदले अब सभी जी-8 देशों के साथ-साथ यूरोपियन कमीशन से भी द्विपक्षीय विकासात्मक सहायता स्वीकार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जी-8 देशों से इतर यूरोपियन यूनियन के उन देशों से मिलने वाली सहायता भी स्वीकार की जाएगी जो भारत को प्रतिवर्ष 25 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम द्विपक्षीय सहायता पैकेज प्रदान करेंगे। अन्य देश जो उपर्युक्त नीति के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पहले की तरह सीधे ही द्विपक्षीय सहायता प्रदान करना जारी रख सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र तथा बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से भी विकास सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस नीति के अंतर्गत सहायता प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा जिससे गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त संस्थाओं को मिलने वाली द्विपक्षीय सहायता के प्रवाह को सुसाध्य बनाया जा सके।

भारत-लैटिन अमेरिकी देशों की बैठक

2801. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री के.एस. राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-लैटिन अमरिकी देशों की हाल ही में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके प्रत्याशित परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या भारत में लैटिन अमेरिकी देशों के साथ पहले एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस एफटीए से देश को कितना लाभ हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा भारत-लैटिन अमरीकी देशों की बैठक 26 व 27 नवम्बर, 2004 को क्रमश: दिल्ली एवं मुम्बई में आयोजित की गई थी। व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यवसाईयों की व्यक्तिगत बातचीत हेतु दोनों स्थानों पर 14 लैटिन अमेरीकी देशों के कुल 38 प्रतिनिधियों तथा 98 भारतीय कम्पनियों ने भाग लिया था। बैठक के दौरान मौके पर ही 1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आर्डर बुक किए गए थे और 15 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की व्यापार संबंधी पूछताछ हुई थीं जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में वास्तविक व्यापार हो सकता है।

(घ) जी नहीं। तथापि, भारत ने मर्कोसुर (चार लैटिन अमरीकी देशों नामत: अर्जेंटिना, ब्राजील, पराग्वे और उरूग्वे का व्यापार समूह) के साथ 25 जनवरी, 2004 को एक अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीटीए के अनुबंधों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् पीटीए लागू हो जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग को ब्याज संबंधी राजसहायता

2802. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री के.एस. राव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग के सुधार हेतु ब्याज संबंधी राजसहायता को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो वस्त्र उद्योग को ब्याज संबंधी राजसहायता को बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ब्याज संबंधी राजसहायता बढ़ाने में लघु वस्त्र उद्योगों को भी शामिल किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के उत्थान हेतु रियायतें दी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (च) वस्त्र उद्योग से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ब्याज सब्सिडी बढ़ाए जाने संबंधी अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन लघु स्तर के उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

निजी बीमा कंपनियां

2803. श्री गणेश सिंह:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़
श्री सुरेश चन्देल:
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास आज की स्थिति के अनुसार निजी बीमा कंपनियों की स्थापना हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) बीमा क्षेत्र की निजी कंपनियों की चल तथा अचल संपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश की सभी निजी जीवन बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण दायित्व को पूरा करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ निजी बीमा कंपनियां इस संबंध में इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई हैं;

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्त न कर पाने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि, कंपनी गायब हो गई अथवा दिवालिया हो गई है तो बीमा पालिसी धारक को किस प्रकार अपना पैसा वापस मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने सूचित किया है कि निजी बीमा कम्पनी की स्थापना के लिए उनके पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार आई आर डी ए द्वारा प्रस्तुत किया गया बीमा क्षेत्र में निजी कम्पनियों की चल और अचल परिसंपत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए जीवन बीमा कम्पनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलना अनिवार्य नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक क्षेत्रों में अंडर रायटिंग कारोबार की बाध्यताओं का अनुपालन करना उनके लिए अपेक्षित है।

(ङ) और (च) वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में बाध्यताओं को पूरा करने में गैर-जीवन क्षेत्र में एक कम्पनी और जीवन क्षेत्र में दो कम्पनियां असमर्थ रही हैं। आई आर डी ए ने इन कम्पनियों से अनुपालन न करने के कारण मांगे हैं और यह इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगा।

(छ) आई आर डी ए ने पालिसी धारकों के हित की रक्षा करने के लिए विनियम जारी किये हैं और साथ ही, नियमित रूप से बीमा कम्पनियों की सलिवैन्सी मार्जिन और वित्तीय स्थिति की निगरानी भी करते हैं।

विवरण

31.03.2004 की स्थिति के अनुसार निजी जीवन बीमाकर्ताओं की चल और अचल परिसंपत्तियां

(लाख रुपयों में)

	बिडला सन लाईफ इंश्योरेंस	आई सी आई सी पूर्ड.	इंग-वैश्य	एचडीएफ सी एस टी डी लाईफ	मैक्स न्यूयोर्क लिमिटेड	ए एम पी सनमार	एलिएन्ज बजाज	एसबीआई लाईफ	ओ एम कोटक	टाटा ए आई जी	मेट लाईफ	एविवा
निवेश	13150	79302	7039	40390	24532	9436	22667	37922	12989	25393	11216	12664
सहबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए धारित परिसंपत्तियां	50840	86500	2124	1665	-	983	2856	-	5031	1812	-	5197
ऋण	10	216	11	58	-	-	5	-	26	22	-	-
अचल परिसम्पत्तियां	3091	5481	3003	5028	5548	805	3112	690	2296	1662	984	1042
नकद और बैंक की शेष राशि	5120	5032	6351	5826	1694	690	4400	5072	2942	3244	1396	2128

31.03.2004 की स्थिति के अनुसार निजी गैर-जीवन बीमाकर्त्ताओं की चल और अचल परिसंपत्तियां

(लाख रुपयों में)

	रायल सुन्दरम	बजाज एलिएन्ज	टाटा ए आई जी	रिलायंस	ईफ्को टोक्यो	आई सी आई सी आई लोम्बार्ड	चोलमंडलम	एच डी एफ सी चुब
निवेश	20605	34863	22073	18210	14170	33287	17081	15386
ऋण	-	-	34	-	-	-	-	-
अचल परिसम्पत्तियां	1124	2892	1562	236	1288	1066	705	892
नकद और बैंक की शेष राशि	2224	4215	3608	561	8224	6293	892	859

[अनुवाद]

फटे-पुराने करेंसी नोट

2804. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक जनता को अभी भी फटे-पुराने करेंसी नोट जारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंक आर.बी.आई. से अपने समस्त फटे-पुराने करेंसी नोटों को बदलवाने हेतु स्वतंत्र नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार बैंकों से अपने द्वारा प्राप्त नोटों में से जारी किए जाने योग्य और जारी न किए जाने योग्य नोटों की छंटाई करने और आम जनता को केवल साफ-सुधरे नोटों को ही जारी करने की अपेक्षा की गई है। कभी-कभी बैंकों द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की गड्डियों में फटे पुराने-नोटों को शामिल किए जाने की शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त की जाती रही हैं।

(ग) बैंक अपने फटे-पुराने नोटों को विनिमय के लिए अपनी करेंसी चेस्ट शाखाओं के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं की सहायता

2805. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सरकारी वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक विकास हेतु ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में किस हद तक सफलता मिली है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराने हेतु नियमों को और सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार देश में औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय संस्थाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि गत 3 वर्ष के दौरान मंजूरियों एवं संवितरणों के लक्ष्य 41% से 159% तथा 76% से 219% के बीच थे। औद्योगिक क्रियाकलाप में सामान्य मंदी आने से लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई थी।

(घ) और (ङ) सरकार वित्तीय संस्थाओं के वाणिज्यिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

फ्रांस को निर्यात

2806. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे देश से फ्रांस को निर्यात किए गए माल का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) क्या सरकार का विचार फ्रांस को माल का निर्यात करने को बढ़ावा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) फ्रांस को किए जाने वाले निर्यातों में अनेक मदें शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान फ्रांस को निर्यात की प्रमुख मदों में अन्य मदों के साथ-साथ सहायक सामग्री सहित आर एम जी काटन, काटन यार्न/फैब्रिक्स/निर्मित सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, आर एम जी मानव निर्मित फाइबर्स, परिवहन उपकरण, मशीनें एवं उपकरण, औषधियां, भेषज और परिष्कृत रसायन इत्यादि शामिल हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फ्रांस को निर्यातित वस्तुओं का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य मिलियन अम. डालर में
2001-02	945.00
2002-03	1074.09
2003-04	1289.80

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय संयुक्त समिति और क्षेत्रीय कार्यकारी दलों के जरिए सरकारी स्तर पर पारस्परिक कार्यकलाप, व्यावसायिक स्तर के सीधे संपर्कों को प्रोत्साहित करना और सुकर बनाना, व्यापार संवर्धन

कार्यकलापों में भागीदारी, प्रतिनिधिमंडलों का आवागमन इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

कायर उत्पादों में अलापुज्हा सर्वोत्कृष्ट कस्बा

2807. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से अलापुज्हा को कायर उत्पाद के एक सर्वोत्कृष्ट कस्बे के रूप में घोषित करने का सुझाव देने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने अडूर को समुद्री खाद्य हेतु एक विशेष निर्यात क्षेत्र तथा कुन्नूर की हथकरघा उत्पादों हेतु एक विशेष निर्यात क्षेत्र घोषित करके इस प्रस्ताव को व्यवहार्यपरक बनाने का निर्णय लिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) अल्हापूजा को विदेश व्यापार निधि 2004-09 के अन्तर्गत कयर उत्पादों में निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में अधिसूचित करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) निर्यात उत्कृष्टता के शहरों के रूप में अरूर और कन्नूर बुनियादी संरचना के विकास और स्तर उन्नयन के लिए निर्यात बुनियादी संरचना और अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अन्तर्गत निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि इन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए सरकार, संयुक्त क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

निर्यातकों के लिए राष्ट्रीय बीमाकोष

2808. **श्री पंकज चौधरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातकों के जोखिम को बीमा कवर के अंतर्गत लाने हेतु राष्ट्रीय बीमाकोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कोष कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी, हां। जब (ई सी जी सी) को उपयुक्त पुनर्बीमा की अनुपलब्धता के कारण निर्यात ऋण बीमा, जो निर्यात ऋण गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई सी जी सी) द्वारा समर्थित है, उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसे समय में भारतीय निर्यातकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एन ई आई ए से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ने की संभावना है।

[अनुवाद]

निर्यात आयुक्त के कार्यालय में भ्रष्टाचार

2809. **श्री आलोक कुमार मेहता:**
श्री तूफानी सरोज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कारोबार संबंधी मानदंडों को निर्धारित करने हेतु कंपनियों से जबरन वसूली संबंधी भ्रष्टाचार के कितने मामले निर्यात आयुक्त कार्यालय के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के मामलों में नए नियुक्त किए गए निर्यात आयुक्त भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है जिसमें निर्यात आयुक्त अथवा उनका कार्यालय शामिल हो।

(ख) भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है जिसमें नए निर्यात आयुक्त शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केनरा बैंक/सिंडिकेट बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2810. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों को वी.आर.एस./पेंशन पैकेज देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) इस वी.आर.एस. प्रक्रिया के माध्यम से कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा; और

(घ) कितने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने की पेशकश की जाएगी और इस योजना की पात्रता हेतु मानदंड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तंबाकू कंपनियों द्वारा शुल्क अपवंचन

2811. श्री महेश कनोडीया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तंबाकू उत्पादक उत्पाद शुल्क का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो छापे के दौरान जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है तथा ये तंबाकू उत्पाद किन स्थानों से जब्त किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निम्न दर्जे की कपास की खरीद

2812. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी फसल होने तथा गत एक माह में कपास की कीमत में 25 प्रतिशत की चिंताजनक गिरावट के कारण सरकार ने भारतीय कपास निगम को तब तक कपास की असीमित खरीद करने का निदेश दिया है जब तक कि इनकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की अपेक्षा उच्च स्तर पर स्थिर न हो जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.सी.आई. ने सारे देश में कपास की खरीद शुरू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कपास निगम कपास की खरीद कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खरीदी गई कपास का निर्यात कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इससे कपास की कीमतें किस सीमा तक स्थिर हुई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) कपास (बीज कपास) की कीमतें चालू कपास वर्ष 2004-05 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान विद्यमान कीमतों से 7% से 28% कम चल रही हैं। 1 नवंबर, 2004 से कपास (बीज कपास) की कीमतें उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान), महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में 4% से 16% तक नीचे आई है। तथापि, सी सी आई की दखल के कारण, कपास की बाजार कीमतें एम एस पी से नीचे नहीं गिरी हैं। जब कभी कपास की बाजार कीमत केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) के स्तर से नीचे गिरी हैं तो भारतीय कपास निगम (सी सी आई) ने एम एस पी अभियान चलाए हैं तथा बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कपास की खरीद की है। कपास मौसम के शेष भाग में सी सी आई उसी तरह एम एस पी अभियान चलाने के लिए अधिकृत है।

(ख) सी सी आई ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में पहले से ही एम एस पी अभियान शुरू कर दिए हैं।

(ग) और (घ) 08.12.2004 तक, सी सी आई ने 19,03,514 क्विंटल कपास (प्रत्येक 170 किग्रा. की 3,59,514 लिंट कपास की गांठों के बराबर) खरीदी। राज्य-वार खरीद निम्नलिखितानुसार हैं:

राज्य	क्विंटल में
आंध्र प्रदेश	12,66,251
गुजरात	2,65,690
हरियाणा	64,418
कर्नाटक	32,646
मध्य प्रदेश	52,502
उड़ीसा	43
पंजाब	92,643
राजस्थान	1,29,321
कुल	19,03,514

(ङ) और (च) सी सी आई ने अब तक देश में घरेलू बाजार से खरीदी गई किसी कपास का निर्यात नहीं किया है। तथापि, कपास सलाहकार बोर्ड के अनुमान के अनुसार, आशा है कि भारत से करीब 12 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा.) का निर्यात किया जा सकता है।

(छ) घरेलू कपास की कीमतें अब लगभग न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर पर स्थिर हो गई हैं। सी सी आई अपने समर्थन कीमत संबंधी अभियान को तब तक जारी रखेगा जब तक कि कपास की कीमतें एम एस पी से उच्चतर स्तर पर स्थिर नहीं हो जाती है।

कच्ची चीनी का आयात

2813. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कच्ची चीनी का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान कंपनीवार कितनी कच्ची चीनी का आयात किया गया है और उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन निबंधन और शर्तों के आधार पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई तथा आयात मूल्य, लगाए गए/माफ किए गए आयात शुल्क, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अब कच्ची चीनी के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब इन संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत स्वदेशी बाजार में आयातित कच्ची चीनी की बिक्री की अनुमति दी है;

(च) क्या इस नीति से आयातित कच्ची चीनी तथा घरेलू चीनी के बीच मूल्य ढांचे में असंतुलन पैदा हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चीनी (अपरिष्कृत चीनी सहित) के आयात की अनुमति निर्यात और आयात मदों के आई टी (एच एस) वर्गीकरण के अनुसार प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार की विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार अपरिष्कृत चीनी सहित विभिन्न कच्ची सामग्रियों का आयात वास्तविक प्रयोक्ता सम्बन्धी शर्त के साथ अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत भी किया जा सकता है और ऐसे आयातों पर शुल्क से छूट प्रदान की जाती है किन्तु ये आयात निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात दायित्व की पूर्ति के अधीन होते हैं। पिछले 2 वर्षों, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आयातित अपरिष्कृत चीनी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत अपरिष्कृत चीनी के आयात हेतु निबन्धन एवं शर्तें विदेश व्यापार नीति, क्रियाविधि पुस्तिका खण्ड-1, क्रियाविधि पुस्तिका खण्ड-2 के प्रावधानों और आयात एवं निर्यात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण द्वारा शासित होती हैं। अग्रिम लाइसेंसों के तहत हुए आयातों पर मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटनरोधी शुल्क और रक्षोपाय शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्रदान की जाती है। जहां तक आयात कीमत का सम्बन्ध है यह क्रेता और विक्रेता के बीच वाणिज्यिक समझौते पर निर्भर होती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

अपरिष्कृत चीनी के आयातों के ब्यौरे (अनंतिम)

सं.	कंपनी का नाम	मात्रा (मी. टन में)
1	2	3
अवधि: 2002-03		
1.	शक्ति शुगर	35,700
2.	रेणुका	8,000
3.	रेणुका	6,000
4.	शक्ति शुगर	36,500
5.	शक्ति शुगर	38,000
	कुल	124,200
अवधि: 2003-04		
1.	रेणुका	8,000
2.	रेणुका	15,500
3.	शक्ति शुगर	18,100
4.	ई आई डी पैरी	15,200
5.	रेणुका	25,750
6.	बेन्नारी अमान	23,750
7.	अम्बिका शुगर्स	34,500
8.	शक्ति शुगर	23,000
9.	तान्ना (धामपुर)	24,000
10.	तान्ना (धामपुर)	2,232
11.	अम्बिका शुगर्स	23,000
12.	ई आई डी पैरी	10,000
13.	सागर शुगर	8,000
14.	धरणी शुगर्स	24,000
15.	अम्बिका शुगर्स	43,250
16.	एन सी एस शुगर	23,100
17.	तान्ना (धामपुर)	24,000
18.	पोन्नी	10,500
19.	सागर शुगर	1,850
20.	शक्ति शुगर	9,150
21.	शक्ति	29,850
22.	सागर शुगर	9,150
23.	बेन्नारी अमान	38,500
24.	एन सी एस शुगर	26,500
25.	ई आई डी पैरी	20,050
26.	सागर शुगर	20,050
27.	अम्बिका शुगर्स	42,000
	कुल	552,982

जूट उद्योग संबंधी सम्मेलन

2814. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक जूट नीति पर चर्चा के लिए कोलकाता में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 550 करोड़ रुपये से जूट प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जूट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु नई जूट नीति के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। व्यापक पटसन नीति तैयार करने के पूर्व दावेदारों के विचार जानने के लिए कोलकाता में 19 और 20 नवम्बर, 2004 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, वे निम्नलिखित से संबंधित हैं:

1. पटसन कृषि एवं कच्चे पटसन का विपणन;
2. श्रम संबंधी मुद्दे;
3. विनिर्माण और उत्पादकता;
4. अनुसंधान एवं विकास;
5. उत्पादन का विविधीकरण;
6. विपणन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार; और
7. सुपुर्दगी तंत्र और सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत ढांचा और प्रणालियां।

सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया गया है।

(ग) से (च) भारत सरकार पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना; पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना; और पटसन उद्यमी सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) योजना जैसी योजनाएं पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करती हैं। इसके अलावा, सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का लघु मिशन-IV भारतीय पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के बारे में है। पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के ब्यौरे और वित्तीय परिव्यय अभी निर्धारित किए जाने हैं।

स्थानीय बैंक

2815. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री के.एस. राव:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को राज्यों से राज्य-वार स्थानीय बैंक स्थापित करने हेतु प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्यवार उन आवेदनों पर की-गई-कार्यवाही का ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना के लिए 227 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 217 आवेदनों को रद्द कर दिया तथा 4 आवेदनों को वापस ले लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इन आवेदनों से संबंधित राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। 6 स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जिनमें से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में एक-एक तथा आंध्र प्रदेश में दो के लिए जारी किए गए।

जम्मू और कश्मीर में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2816. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिलेवार किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई;

(ग) अनियमितताएं करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

2817. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संचित अशोध्य ऋणों की अनुमानित राशि को 11,915 करोड़ रुपये बताया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों, नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच विनियामक शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्विरोधी निदेशों से बैंकों के कार्यकरण को कम करके आंका जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल तालाबंदी का सामना कर रहे 205 बैंकों का वर्ग IV के रूप में वर्गीकरण किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार देश में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 11922 करोड़ रुपए हैं।

(ख) यूसीबी के विनियमन का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों का है। तथापि, सहकारी समितियों को केन्द्रीय रजिस्ट्रार भी बहुराज्य सहकारी बैंकों को विनियमित करता है। शहरी सहकारी बैंक, प्राथमिक रूप से सहकारी समितयां होने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अलावा बहुराज्य/राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। बैंकिंग से संबद्ध मुद्दे जैसे नए बैंक/शाखाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी करना, ब्याज दरों से संबंधित मामले, ऋण नीतियां, निवेश, विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों आदि को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत आर.बी.आई. द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है जबकि निगमन, पंजीयन, समामेलन, पुनर्संरचना या परिसमापन राज्य के संबंधित सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत संबद्ध राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है तथा बहुराज्य सहकारी बैंक के मामले में सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। बहुधा इससे न्यायनिर्णयन परस्पर व्यापी हो जाता है तथा विनियामक उपाय कार्यान्वित करने में परेशानी होती है। विनियामक परस्पर व्याप्तता से बचने के लिए आरबीआई से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में कतिपय संशोधन करने के संबंध में सुझाव देने के लिये कहा गया है।

(ग) और (घ) जून, 2004 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 203 बैंकों को ग्रेड-IV बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया है जिन्हें तत्काल पर्यवेक्षी उपायों की आवश्यकता है। इन बैंकों के निदेशक मंडलों को बैंकों में त्वरित आमूल परिवर्तन लाने हेतु कार्य योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने संबंधी उपायों में अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए कार्य योजना तैयार करना, आरक्षित निधियों के वृहतर अभिवृद्धि के माध्यम से पूंजी आधार को मजबूत करना, लाभांश के भुगतान को सीमित करना आदि शामिल हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने निदेशकों या उनके सगे-संबंधियों/फर्मों को दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की वसूली करें, जमाराशियों पर ब्याज की दर घटाएं। जमाकर्ता आधार को व्यापक बनाकर उच्च लागत वाली जमाराशियों पर निर्भरता कम करें। संवेदनशील क्षेत्रों को एक्सपोजर में लाएं, आदि।

मिर्चों का निर्यात

2818. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004 के दौरान मिर्चों के निर्यात में पर्याप्त सुधार आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित वस्तुओं की मात्रा तथा इन मदों से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है;

(ग) क्या पिछले छह महीनों के दौरान निर्यात पिछले वित्त वर्ष के 55,000 टन के मुकाबले 70,000 टन पर पहुंच गया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक मिर्चों का कुल कितना निर्यात किया जा चुका है तथा क्या सरकार 2004 के दौरान मिर्चों की निर्यात मांगों को पूरा करने के प्रति आश्वस्त है;

(ङ) अगले फसल मौसम के दौरान मिर्चों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार ने मिर्च उत्पादकों को कई सुविधाएं और लाभ दिए हैं, जिससे कि वे चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों की बढ़ती मांग के मद्देनजर अगले मौसम में उत्पादन बढ़ा सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मिर्च के निर्यातों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य	
		करोड़ रु.	मिलियन अम. डा.
2001-02	69,998	252.44	53.06
2002-03	81,022	315.15	65.16
2003-04 (अ)	81,500	355.11	77.39

(अ): अनुमानित
स्रोत: मसाला बोर्ड

(ग) और (घ) मसाला बोर्ड से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से अक्तूबर, 2004 के दौरान मिर्च का कुल निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 34,000 टन की तुलना में 83,500 टन का हुआ था। इस समय निर्यात मांग का सही-

सही आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि यह उपभोक्ता अधिमानों, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, घरेलू मांग एवं आपूर्ति की स्थिति आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, कृषि मंत्रालय "कार्य योजना के जरिए कृषि के क्षेत्र में राज्य के प्रयासों की अनुपूरकता/सम्पूरकता का वृहद प्रबंधन" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, क्षेत्र विस्तार, बड़े पैमाने पर विविधीकरण, नई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, कीट एवं रोग प्रबंधन और किसानों को प्रशिक्षण देने जैसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।

निर्यात मांग को पूरा करने की दृष्टि से, मिर्च के उत्पादन को बढ़ाने, फसलोत्तर प्रहस्तन एवं प्रबंधन के लिए उपजकर्ताओं की सहायता हेतु मसाला बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

* सीमेंट/कंक्रीट के ड्राइंग याड्र्स या पोलीथीन शीट्स पर मिर्च को स्वच्छतापूर्वक सुखाने की पद्धति अपनाना।

* मसालों के उपजकर्त्ताओं, विशेष रूप से मिर्च के उपजकर्त्ताओं को रियायती दरों पर पोलीथीन शीट्स की आपूर्ति करना।

* पीड़कनाशी अवशिष्ट के स्तर को कम करने के लिए समेकित कीट प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना।

* लागत भागीदारी आधार पर, मिर्च को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर की स्थापना करना।

* उन किसानों से मिर्च की खरीद के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना जो समेकित कीट प्रबंधन पद्धतियों को अपनाते हैं और जो सोलर ड्रायरों का प्रयोग करके मिर्च को सुखाते हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में व्यापारियों को प्रोत्साहन

2819. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड कार्गो हैंडलिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं तथा रियायती ऋण जैसी अवसंरचना सहायता प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान खरीदारों-विक्रेताओं की कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं तथा निर्यात संवर्धन के लिए कितना रियायती ऋण प्रदान किया गया है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में सेबों तथा अन्य फलों के निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) राज्यों को निर्यात अवसंरचना और संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत नियातों से सीधे तौर पर जुड़ी बुनियादी संरचना संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आज तक इस स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 15.50 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। कार्गो हैंडलिंग, शीत भंडारण इत्यादि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद समिति (एस एल ई पी सी) द्वारा किया जाता है। समेकित कार्गो हैंडलिंग, शीत भंडारण सुविधाओं आदि की स्थापना पर राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में कोई क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित नहीं की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा फलों के राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

बीदर बिना उद्योग वाला जिला

2820. श्री नरसिंगराव हु. सूर्यवंशी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के बीदर जिले को 1982-83 के दौरान 'बिना उद्योग वाला' जिला घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी राजसहायता जारी हुई तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा यूनिटवार कितना ऋण मंजूर किया गया और जारी किया गया;

(ग) कार्य कर रहे/रुग्ण पड़े उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(घ) 'बिना उद्योग वाले' क्षेत्र में रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उक्त योजना वर्ष 1982-83 में आरंभ की गई थी और यह 1990-91 तक चालू थी। इस अवधि के दौरान बीदर जिले में स्थित 848 इकाइयों को 859.37 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय राजसहायता जारी की गई थी। दिनांक 31.3.2003 की स्थिति के अनुसार, इस जिले में 3328 पंजीकृत लघु उद्योग हैं। इनमें से 1850 इकाइयां कार्य कर रही हैं तथा 1478 इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या रुग्ण हैं। 34 मझौली और बड़ी इकाइयों में से 13 इकाइयां कार्य कर रही हैं तथा 21 इकाइयां बंद हो गई हैं। उद्योग रहित जिलों में रुग्ण उद्योगों को पुन: चालू करने के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

तथापि, दिनांक 16.1.2002 की आरपीसीडी सं. पीएलएनएफएस. बीसी. 57/06.04.01/2001-02 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचाने गए रुग्ण उद्योगों और रुग्ण तथा पुनर्वासित के रूप में घोषित उद्योगों को दिनांक 25.9.2002 के जी.ओ. सं. सीआई 167 एसपीआई 2001 बंगलोर के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

1. रुग्ण उद्योग, पुनर्वास पर परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तक मूल सीमांत राशि का ऋण पाने के पात्र हैं, जो कि ब्याज मुक्त है (जिसकी अधिकतम सीमा 2.50 लाख रुपये है)।

2. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा अन्य क्षेत्रीय विद्युत आपूर्ति कंपनियां उद्योग के बंद रहने की अवधि के दौरान नियत प्रभार/मान्य प्रभार एकत्र नहीं करेंगी।

3. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को बकाया ऊर्जा बिलों का भुगतान 6 छमाही किश्तों में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से किया जाना होता है।

4. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड बंद रहने की अवधि के दौरान ब्याज की गणना नहीं करेगी।

5. कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड/कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम/कर्नाटक इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम की देय राशियों को छूट की एक वर्ष की अवधि के साथ पुन: चरणबद्ध करना और इनका भुगतान ब्याज रहित 4 समान वार्षिक किस्तों में करना।

6. विकास ऋण को पुनर्वास आरंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में बिना ब्याज के पुन: चरणबद्ध किया जाना।

7. वाणिज्यिक कर संबंधी देय राशियों का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर के साथ 6 छमाही किस्तों में करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. रुग्ण उद्योग द्वारा देय भावी कर ब्याज के बिना 3 वर्ष की अवधि हेतु आस्थगित किया जाता है। इसका भुगतान आस्थगन अवधि के समाप्त होने के बाद संबंधित वर्षों के वर्तमान करों के साथ 3 वार्षिक किस्तों में किया जाना होता है।

किसानों के ऋण के लिए लंबित आवेदन

2821. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में ऋण के लिए किसानों के कितने आवेदन बैंकवार राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास लंबित पड़े हुए हैं; और

(ख) बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की आंकड़े निर्माण प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश जारी किए हैं कि कृषि क्षेत्र समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत् 25,000/-रुपये तक की ऋण सीमा वालों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

2822. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वाली बस्तियों में व्यक्तिगत लाभ योजनाओं तथा आवश्यकता पर आधारित बुनियादी ढांचे के विकास पर धनराशि खर्च करने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि तथा उक्त योजनाओं से राज्य-वार लाभान्वित होने वाले कौन-कौन हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत, जिले में, जिला पंचायत और मध्यवर्तीय पंचायतों को आबंटित संसाधनों का 22.5% बी.पी.एल. अनु.जाति/अनु. जनजाति परिवारों के व्यक्तिगत लाभार्थी की आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसी तरह, जिले में, ग्राम पंचायतों को आबंटित संसाधनों का 50%, अनु. जाति/अनु. जनजाति बसावटों में आवश्यकता आधारित ग्राम सुविधाओं के लिए उपयोग की जानी होती है। योजना, प्रत्येक पंचायत को नियोजन, अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु, दिशानिर्देशों की परिधि में, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है।

माइक्रो क्रेडिट

2823. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माइक्रो क्रेडिट विनियामक प्रणाली आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को स्व-सहायता समूहों को उन हजारों गरीब महिलाओं की समस्याओं की जानकारी है जिनसे इनके माइक्रो क्रेडिट पर उच्च ब्याज दर लगाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या निजी और बहुराष्ट्रीय बैंक भी उक्त प्रणाली को लागू करने के लिए बाध्य होंगे; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त प्रणाली को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूक्ष्म वित्त के लिए समर्थक नीति एवं विनयामक ढांचे के संबंध में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्य दल ने सिफारिश की थी कि केवल ऋण दिलाने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) ग्राहकों/ऋणकर्ताओं से (कुछ सीमा से कम) ऋण दिलाने वाली एवं बचत जुटाने वाली एमएफआई को विनियामक ढांचे से बाहर रखा जा सकता है तथा इसके बदले स्व-विनियमन पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित "कृषि के ऋण प्रवाह एवं सम्बद्ध मामलों से संबंधित सलाहकार समिति" (व्यास समिति) द्वारा ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएफआई को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति तब तक नहीं देने का निर्णय किया है जब तक वे आरबीआई के वर्तमान विनियामक ढांचे का अनुपालन नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) बैंकों द्वारा एसएचजी को दिए गए ऋण पर प्रभारित ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा पूर्णत: नियंत्रित होती हैं। प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं यथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहकारी बैंक के लिए ब्याज दर सीमा पर आरबीआई के दिशानिर्देश ऋणदात्री संस्थाओं को अपनी स्वयं की उधार दरें निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। तथापि, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार 2.00 लाख रु. की सीमा तक के सभी ऋणों पर अपनी मूल्य उधार दर से अधिक नहीं ले सकते। वर्तमान में बैंक एसएचजी को ऋण पर 8.5% से 12% सालाना की ब्याज दर ले रहे हैं जिसे उनकी निधियों की औसत लागत, लेनदेन लागत, परिचालन मार्जिन तथा अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संतोषजनक माना जा सकता है।

(ङ) और (च) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं।

दोहरे कराधान को समाप्त करने की मांग

2824. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएशन आफ चार्टर आफ कामर्स ने 2004-2005 के बजटीय प्रस्ताव में लाभांश पर दोहरे कराधान को हटाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। तथापि, बजट 2004-05 के लिए एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें लाभांश वितरण कर को समाप्त करने की मांग की गई है।

(ख) 2004-05 के लिए बजट प्रक्रिया के दौरान एसोचैम के अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2825. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में रुचि है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है;

(ग) मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद अनुमानत: कितना व्यापार होगा;

(घ) उक्त समझौता होने के बाद भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या रणनीति अपनाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या व्यापार के बारे में चर्चा करने के लिए चीन का शिष्टमंडल भारत आया था; और

(च) यदि हां, तो आपसी सहयोग के लिए पहचान किये गये क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जून, 2003 में प्रधानमंत्री के बीजिंग की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए "भारत गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों की घोषणा" के अनुसरण में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में दोनों देशों के बीच संभावित सम्पूरक कार्यों की जांच करने के लिए अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों का एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया गया है। संयुक्त अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापार आर्थिक सहयोग करार करने की साध्यता की जांच करना शामिल है और यदि ऐसी कोई व्यवस्था व्यवहारिक पाई जाती है तो इसकी व्याप्ति, ढांचे और कार्यान्वयन के बारे में सिफारिश करना भी शामिल है। संयुक्त अध्ययन दल की अभी तक तीन बैठकें हुई हैं।

(ङ) और (च) जी हां। "भारत-चीन व्यवसाय गुप्त सभा" की बैठक के लिए एक चीनी शिष्टमंडल ने कोलकाता का दौरा किया था। अपने भाषण में चीन के यून्नान प्रांत के उपराज्यपाल और चीनी शिष्टमंडल के नेता ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे दो तरफा निवेश को बढ़ाने, इंजीनियरी और श्रमिक सेवा संविदा को सुकर बनाने, तकनीकी सहयोग को मजबूत करने तथा पर्यटन और परिवहन में आदान-प्रदान बढ़ाने में सहयोग का प्रस्ताव किया था।

बैंक आफ महाराष्ट्र में अनियमितताएं

2826. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 22 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3970 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप-समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट सौंपने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष जांच दल को उपरोक्त उप-समिति के विचारार्थ विषयों पर विचार करने तथा निर्धारित अवधि में रिपोर्ट देने का निदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त बोर्ड की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और आंतरिक नियंत्रण तंत्र, उन अधिकारियों की पदोन्नति, जिनके विरुद्ध चूकों का पता चला था तथा संबंधित स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने में विलम्ब में कतिपय चूकें पाई हैं। इसके अलावा, समिति को सौंपे गए सभी मामलों के संबंध में स्टाफ को उत्तरदायित्व की जांच की गई है और उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। उप समिति द्वारा जांच किए गए 13 मामलों में से, 8 मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भित किए गए हैं और इन 8 मामलों में से 6 मामलों की सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी दी गई है। बैंक ने अधिकांश खातों की जांच की है और चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई शुरु की गईहै।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-इटली व्यापार

2827. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में इटली की वस्तुओं का आयात बढ़ा है, जबकि इटली को किया जाने वाला निर्यात कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इटली के लिए निर्यात बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इटली को हुए भारतीय निर्यातों और वहां से हुए आयातों में वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति वर्ष 2004-05 के दौरान बरकरार है।

(ग) इटली को भारतीय निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार स्तर पर सीधे संपर्कों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सुकर बनाना, व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलापों में भाग लेना, प्रतिनिधिमण्डलों को भेजना-बुलाना आदि शामिल हैं।

पुराने वस्त्रों का आयात

2828. श्री अतीक अहमद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुराने वस्त्रों के आयात के साथ ही देश में कई प्रकार की बीमारियां भी आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुराने वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुराने वस्त्रों के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पुराने वस्त्रों और अन्य पुरानी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करते हुए दिनांक 27/10/2004 को एक अधिसूचना संख्या-7 पहले ही जारी कर दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

काजूगिरी के मूल्य में कमी

2829. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री गुरूदास कामत:
श्री के.सी. पलनिसामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने देश से निर्यात की जाने वाली काजू गिरी के मूल्यों में कमी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मूल्य-स्तर क्या रहा;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) मूल्य में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों से काजू का निर्यात किया जाता है उनका ब्यौरा क्या है तथा उनकी गुणवत्ता किस प्रकार की थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी का इकाई निर्यात मूल्य निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	औसत इकाई निर्यात मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
2001-02	182.14
2002-03	185.62
2003-2004	178.96
2004-05 (अप्रैल-अक्तूबर)	204.58

(स्रोत: सीईपीसी)

पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू गिरी के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है:

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)
2001-02	1794.61
2002-03	1942.28
2003-2004	1811.46
2004-05 (अप्रैल-अक्तूबर)	1484.49

(स्रोत: सीईपीसी)

वर्ष 2004-05 में काजू गिरी का इकाई निर्यात मूल्य बढ़ा है। पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में ये कीमतें अधिक हैं।

भारत से निर्यातित काजू गिरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। निर्यात संबंधी आंकड़े पूरे देश के लिए रखे जाते हैं न कि राज्य-वार।

कॉयर क्षेत्र को सहायता

2830. श्री पी. करूणाकरन:
श्री वी.के. दुग्गर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉयर निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत सरकार ने 1.4.79 से लागू एमईपी तथा पीपीईएस को वापस ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो योजना के वापस लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक योजना शुरू की है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार कॉयर क्षेत्र को सहायता देने के लिए तत्काल कदम उठायेगी;

(च) क्या कॉयर उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बहाल करने तथा कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कॉयर उद्योग में आज की तारीख के अनुसार लगे कुल लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कयर और कयर उत्पादों तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा की राशि के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:

(मात्रा मीट्रिक टन में)
(विदेशी मुद्रा की राशि-रुपये लाख में)

मद	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
योग	71334.81	32058.43	84182.59	35270.53	102256.48	40750.68

(ख) से (छ) कयर और कयर उत्पादों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त सरकार द्वारा 9 अप्रैल, 2002 को वापस ले ली गई थी। न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को वापस लेने का निर्णय, विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर विचार करने के उपरांत कयर उद्योग के वृहद् हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था, अत: खरीद मूल्य (प्रवर्तन) योजना भी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी थी, और, इसलिए उसे वापस ले लिया गया। कयर और कयर उत्पादों के निर्यात के संबंध में, न्यूनतम निर्यात मूल्य शर्त अथवा खरीद मूल्य (प्रवर्तन) योजना में से किसी को भी दुबारा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। किसी वैकल्पिक योजना को शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को समाप्त करने के बाद, कयर और कयर उत्पादों के निर्यातों की कुल मात्रा और राशि, दोनों में ही कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) कयर क्षेत्र में लघु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से, वर्ष 2000-2001 में "बाहरी बाजार विकास सहायता" नाम से एक योजना आरंभ की गई है। यह सहायता निर्यातकों और उनके प्रतिनिधिमंडलों को विदेशों में क्रेता-विक्रेता आयोजनों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु हवाई यात्रा और स्टालों के किराये पर आने वाले खर्च के प्रमुख भाग को पूरा करने हेतु उन्हें सरकारी अनुदान उपलब्ध कराने के रूप में है। इस योजना के तहत अलग-अलग लघु निर्यातकों को विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दौरे और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(2) इसी प्रकार सरकार का कयर बोर्ड भी विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों और कैटेलाग

शो में भाग लेता है, ताकि उन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, जिन्हें अन्यथा विशिष्ट निर्यातक, आदि प्रदर्शित नहीं कर पाते।

(ज) कयर उद्योग से जुड़े कामगारों के राज्य-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	रोजगार (कामगारों की संख्या)
1.	केरल	4,33,000
2.	तमिलनाडु	72,840
3.	आन्ध्र प्रदेश	41,400
4.	कर्नाटक	18,000
5.	उड़ीसा	6,520
6.	अन्य राज्य	14,900
	योग	5,86,660

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

2831. श्री सुरेश कुरूप: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) हथकरघा उत्पादों के विकास के लिए योजना के अंतर्गत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी के लिए सरकार ने क्या प्रणाली बनाई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इसमें विशेष परियोजनाओं के लिए की गई केन्द्रीय रिलीज शामिल नहीं है।

(ख) योजना की शरुआत अर्थात् 1.4.1999 से अबतक एस जी एस वाई के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत विशेष परियोजनाएं संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) एस जी एस वाई के अंतर्गत निगरानी की एक व्यापक प्रणाली अपनाई गई है। केन्द्र स्तर से लेकर निचले स्तर तक कार्यक्रम की निगरानी की जाती है। केन्द्र स्तर पर, केन्द्र स्तरीय एस जी एस वाई समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करती है और एस जी एस वाई के लिए ऋण संपर्कों से संबंधित सभी पहलूओं के लिए नीति संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। विभाग की कार्य निष्पादन समीक्षा समिति भी एस जी एस वाई के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वयन समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है। जिला एवं ब्लाक स्तरों पर, कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तरीय एस जी एस वाई समिति तथा ब्लाक स्तरीय एस जी एस वाई समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, एस जी एस वाई के अंतर्गत डी आर डी ए/राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों एवं विवरणियों के जरिए प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। क्षेत्र दौरों तथा परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच के जरिए भी निगरानी की जाती है।

विवरण I

2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय रिलीज

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3738.02	3942.42	10748.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.34	78.06	139.60	324.00
3.	असम	3328.48	2802.61	5313.00	11444.09

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	3348.37	3493.34	5488.81	12330.52
5.	छत्तीसगढ़	1467.21	1968.76	2025.44	5461.41
6.	गोवा	25.00	17.65	17.65	60.30
7.	गुजरात	885.51	1403.27	1508.00	3796.78
8.	हरियाणा	679.48	827.79	932.06	2439.33
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	348.62	304.77	939.55
10.	जम्मू और कश्मीर	342.81	350.44	427.45	1120.70
11.	झारखंड	1196.01	1801.02	2817.41	5814.44
12.	कर्नाटक	1659.33	2686.99	2777.12	7123.44
13.	केरल	1039.64	1266.55	1435.18	3741.37
14.	मध्य प्रदेश	3425.29	4332.53	4397.14	12054.96
15.	महाराष्ट्र	3842.09	5579.85	5712.39	15134.33
16.	मणिपुर	13.02	0.00	56.75	69.77
17.	मेघालय	83.38	27.51	117.12	228.01
18.	मिजोरम	64.17	77.47	99.96	241.60
19.	नागालैण्ड	69.98	83.15	157.80	310.93
20.	उड़ीसा	2744.13	4181.99	4553.07	11479.19
21.	पंजाब	325.37	391.58	444.25	1161.20
22.	राजस्थान	1759.38	2143.41	2261.24	6164.03
23.	सिक्किम	82.38	95.33	110.76	288.47
24.	तमिलनाडु	2713.06	3290.35	3690.70	9694.11
25.	त्रिपुरा	622.08	599.65	696.74	1918.47
26.	उत्तर प्रदेश	6316.37	7126.87	11756.85	25200.09
27.	उत्तरांचल	496.90	667.95	686.02	1850.87
28.	पश्चिम बंगाल	78.26	1121.19	2617.59	3817.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.50	0.00	0.00	12.50
30.	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
31.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	28.93	53.64	25.00	107.57
	कुल	40109.94	50455.59	64512.29	155077.82

विवरण II

योजना के प्रारंभ से अब तक एस.जी.एस.वाई. विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत हथकरघा परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसी	अवधि जिसमें परियोजना स्वीकृत की गई	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	रिलीज किया गया केन्द्रीय अंश: रिलीज की गई पहली किस्त	रिलीज की गई दूसरी किस्त	रिलीज की गई तीसरी किस्त	कुल केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम के गोलपाड़ा, कामरूप और सोनीतपुर जिलों में महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विविध हथकरघा उत्पादों की विशेष परियोजना	असम	हथकरघा	एसआईआरडी असम	2002-2003 (21.03.2003)	2	750.000	450.000	180.000	180.000		360.000
2.	असम के नलबाड़ी, बरपेटा और दरांग जिलों में ग्रामीण बुनकरों का आर्थिक उत्थान	असम	हथकरघा	डीआरडीए नलबाड़ी	2002-2003 (28.03.2003)	2	535.000	251.250	100.500			100.500
3.	जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में हथकरघा/दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए एस.जी.एस.वाई. की विशेष परियोजना	जम्मू और कश्मीर	हथकरघा	डीआरडीए बडगाम	2003-04	3	278.750	82.500	33.000			33.000
4.	प. इंफाल में विविध हथकरघा उत्पादों की विशेष परियोजना	मणिपुर	हथकरघा	डीआरडीए प. इंफाल	2003 (26.03.04)	2	600.000	337.500	135.000			135.000
5.	नागालैंड के फेक जिले में विविध हथकरघा उत्पादों के जरिए स्वरोजगार संबंधी परियोजना	नागालैंड	हथकरघा	डीआरडीए फेक	2003-04 (3.09.03)	2	690.000	405.000	126.000			126.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	पंजाब के भटिंडा जिले में हथकरघा लगाने के लिए विशेष परियोजना	पंजाब	हथकरघा	डीआरडीए भटिंडा	2000-2001 (28.9.2000)	2	797.500	363.000	181.500			181.500
7.	पंजाब के फिरोजपुर जिले में हथकरघा लगाने, आधारभूत सुविधा विकास के लिए विशेष परियोजना	पंजाब	हथकरघा	डीआरडीए फिरोजपुर	2001-2002 (17.4.2001)	2	755.300	331.350	165.680			165.680
8.	तमिलनाडु के 13 जिलों में ग्रामीण बुनकरों के आर्थिक उत्थान की परियोजना	तमिलनाडु	हथकरघा		2003-04 (1.09.03)	1	1447.920	1085.940	434.376			434.376
9.	त्रिपुरा के द. त्रिपुरा जिले के बगाफा ब्लाक में हथकरघा, रंगाई और प्रिंटिंग संबंधी परियोजना	त्रिपुरा	हथकरघा	द. त्रिपुरा डीआरडीए	2003-04 (4.09.03)	2	229.839	136.459	51.028			51.028
10.	उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल में रोजगार और आय सृजन हेतु अंगूरा रैबिट ऊन के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए प्रायोगिक परियोजना	उत्तरांचल	हथकरघा	डीआरडीए टिहरी	2001-02 (11.3.02)	2	954.000	425.250	170.100	170.100		340.200
	कुल योग						7038.309	3868.249	1577.184	350.100	0.000	1927.284

कहवा बागान कार्य में पूर्णत: परिवर्तन करना

2832. श्री जी.एम. सिद्धीश्वर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी बोर्ड का अपने बागान कार्य में पूर्णत: परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या काफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बागान कार्य में पूर्णत: और परिवर्तन करने में किन अन्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) काफी बोर्ड द्वारा काफी के उत्पादन, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने तथा काफी के विकास हेतु काफी उपजकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं जिनके अंतर्गत परम्परागत और गैर-परम्परागत, दोनों काफी उत्पादक क्षेत्रों में काफी उपजकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा भारतीय काफी की फार्मगत उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रसंस्करण और विपणनीयता में सुधार करने तथा काफी उत्पादकों के ऋण संबंधी बोझ को कम करने के लिए काफी बोर्ड द्वारा दसवीं योजना के दौरान अनेक विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें काफी उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता/सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें पुनर्रोपण, जल संवर्धन आदि जैसे कार्यकलापों के लिए

सहायता प्रदान करना, बोर्ड को विस्तार नेटवर्क के जरिए कृषि अनुसंधान के रूप में सहायता प्रदान करना शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किराए के परिसरों में कार्य कर रहीं निचली अदालतें

2833. श्री एस.के. खास्वेनथन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में निचली अदालतों सहित बहुत सी अदालतें किराए के परिसरों में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अदालतों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ङ) राज्यों में विभिन्न न्यायालयों, जिनके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, की स्थापना और उनके प्रशासनिक व्यय, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

न्यायिक अवसंरचना के, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका के लिए भवनों का संनिर्माण भी है, विकास से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम न्याय विभाग द्वारा राज्य सरकारों के संसाधनों में संवर्धन करने के लिए, क्रियान्वित की जा रही है। उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में व्यय (जिसके अंतर्गत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए प्रावधान भी है) की पूर्ति मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तथापि, योजना आयोग राज्यों में न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए न्याय विभाग को योजना निधि आबंटित करता है। इस आबंटन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच योजना आयोग द्वारा अधिकथित मानदंड के आधार पर वितरित किया जाता है। इसकी एक मुख्य शर्त यह है कि राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने के लिए बराबर का अंश उपलब्ध कराना पड़ता है। तथापि, राज्य सरकारें न्यायिक अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

वर्ष, 1993-94 से तमिलनाडु राज्य को 41.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। अपने बराबर के अंश सहित, तमिलनाडु सरकार ने इस स्कीम के अधीन न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के लिए आवासीय भवनों के संनिर्माण के लिए 97.43 करोड़ रुपए का उपयोग किया है।

निवेशक जागरूकता अभियान

2834. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा चलाये गए निवेशक जागरूकता अभियान का कोई परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य क्या हैं तथा संकल्पना क्या है;

(घ) क्या इस अभियान से छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचा है;

(ङ) क्या छोटे निवेशकों के लिए सावधानी संबंधी कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने सूचित किया है कि बीमाकृत और बीमा पालिसियां खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उन्होंने व्यापक रूप से बीमा जागरूकता अभियान चलाया है। यह अभियान दस भाषाओं यथा बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलगु में तुकबन्दी के प्रसारण/दूरसंचारण और लाइव फोन इन प्रोग्राम्स के माध्यम से भारत के विभिन्न शहरों में चलाया गया था। अभियान का उद्देश्य जनता के बीच उनकी जीवन, स्वास्थ्य और परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में बीमा की महत्ता के प्रति जागरूकता लाना था और उन्हें उपलब्ध सुरक्षा के प्रति भी जागरूक बनाना था। प्राधिकरण ने सूचित किया है कि छोटी पालिसियों के बीमाकर्ताओं को इस अभियान द्वारा लाभ हुआ होगा।

(ङ) और (च) प्राधिकरण ने पालिसीधारकों की रक्षा के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों की रक्षा) विनियम, 2002 द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो

प्राधिकरण के वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईआरडीएआईएनडीआईए.ओआरजी पर उपलब्ध हैं।

मितव्ययिता संबंधी उपाय

2835. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारित अनुदानों/प्रभारित विनियोगों पर अत्यधिक व्यय करने से बचने के संबंध में अनुदेश जारी करने के बावजूद भी यह काम अबाध गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी करने के बाद मंत्रालयों/विभागों द्वारा पारित अनुदानों/प्रभारित विनियोगों पर अत्यधिक व्यय करने का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में यह व्यवस्था है कि किसी वित्तीय वर्ष में संसद में विधि द्वारा प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोग से अधिक कोई व्यय न किया जाए। इसके बावजूद, कुछ अनुदानों/विनियोगों के तहत अधिक व्यय के मामले प्रकाश में आए हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर प्राधिकृत प्रावधानों की तुलना में व्यय के प्रवाह पर कठोरता से निगरानी रखने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय/विभागवार अतिरिक्त व्यय का ब्यौरा कारणों सहित, समय-समय पर संबद्ध वर्ष के लिए जिसमें अतिरिक्त व्यय हुआ है, अनुदान की अतिरिक्त मांगों के रूप में सदन के समक्ष लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार के लिए तथा इन अतिरिक्त अनुदानों को पारित करने हेतु रखा जाता है। ऐसे ब्यौरे सदन के समक्ष वर्ष 2001-02 तक रखे गए हैं जिनके संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आत्महत्या के मामले

2836. **श्री डी. विट्टल राव:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग के कामगार/बुनकर तपेदिक, दमा आदि जैसी बीमारियों से गंभीर रूप से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इन कामगारों तथा बुनकरों के विकास तथा कल्याण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प के कामगारों/बुनकरों ने अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या की है तथा भुखमरी के कारण मरे हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) भारत सरकार हथकरघा बुनाई के व्यवसाय में कार्यरत हथकरघा बुनकरों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य पैकेज योजना कार्यान्वित कर रही है और उसके तहत बीमारियों के इलाज हेतु खर्च जैसे: टी.बी., अस्थमा और श्वसन तंत्र में सूजन, आंखों की जांच एवं चश्मे पर होने वाले खर्च, पेय जल की आपूर्ति, महिला बुनकरों को मातृत्व लाभ, परिवार नियोजन के स्थायी उपायों के लिए अतिरिक्त अनुकंपा आधार पर भुगतान एवं प्राथमिक स्वास्थ्य, देख-भाल इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना के तहत विभिन्न सरकारों को 221.25 लाख रुपये जारी किए गए और 26814 हथकरघा बुनकर लाभांवित हुए। हथकरघा क्षेत्र में ऐसे मामलों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाएं अर्थात् दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, हथकरघा निर्यात योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, बुनकर बीमा योजना, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन एवं हथकरघा उत्पादों पर 10% छूट योजना कार्यान्वित कर रही है।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के 11 जिलों में विभिन्न कारणों से 13 हथकरघा बुनकरों के आत्महत्या करने की सूचना दी है। इन कारणों में व्यक्तिगत ऋण, पारिवारिक समस्या, अस्वस्थता इत्यादि के कारण वित्तीय संकट शामिल है। हथकरघा बुनकरों के आत्महत्या के बारे में अन्य राज्यों से कोई

सूचना नहीं मिली है। देश में आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित हस्तशिल्प कारीगरों की आत्महत्या करने की कोई सूचना नहीं है।

(च) और (छ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का पता लगाने के लिए माननीय वित्त मंत्री (आन्ध्र प्रदेश सरकार) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कारीगर क्रेडिट कार्ड, रोजगार सृजन कार्यक्रम, नेता बाजार, बुनकर आवास कार्यक्रम एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुनकरों को सहायता दी जा रही है।

भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार

2837. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान भारत सरकार ने आउटसोर्सिंग तथा उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार सहित द्विपक्षीय व्यापार पर ब्रिटेन सरकार से विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा वहां क्या समझौता अथवा सहमति हुई; और

(ग) इस समझौते के परिणामस्वरूप ब्रिटेन के व्यापार के कितने बढ़ जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच लन्दन में दिनांक 20.09.2004 को हुई बैठक के दौरान सेवा एवं ज्ञान आधारित उद्योगों के मुद्दों सहित भारत-ब्रिटिश व्यापार एवं निवेश सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) दोनों पक्षों ने कार्यनीतिक आर्थिक सम्बन्ध को आगे और बढ़ाने के लिए मंत्री-नीत संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन हेतु एक करार किया है।

(ग) प्रस्तावित संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति द्वारा द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार सहित आर्थिक सहयोग की गुंजाइश को बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाया जाएगा जिनसे दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करने तथा उसे आगे और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

2838. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री बी. विनोद कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को कितना सहायता अनुदान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त धनराशि के उपयोग के प्रभाव की समीक्षा की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो विशेष सहायता अनुदान उपलब्ध कराए जाने के बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना (अभी तक) के दौरान राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार को निम्नवत सहायता अनुदान उपलब्ध कराई गई है:

(करोड़ रुपए में)

वार्षिक योजना	उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान
9वीं पंचवर्षीय योजना	
1997-98	623.87
1998-99	574.83
1999-2000	724.14
2000-01	992.05
2001-02	1750.14
10वीं पंचवर्षीय योजना	
2002-03	1122.90
2003-04	2293.64
2004-05 (अभी तक)	777.03

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार सामान्य केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के अनुसार अन्य सहायता उपलब्ध कराती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कपार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2839. श्री वी.के. दुम्मर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन को कपार्ट द्वारा राज्यवार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे अनुदानों/निधियों के उचित उपयोग की निगरानी के लिए कोई एजेन्सी अथवा विभाग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) कापार्ट ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। अनिवार्य और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कापार्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सहायता नहीं देता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ सेवा प्रदाताओं पर कर

2840. श्री हरिभाऊ राठौड़:
मो. मुकीम:
श्री किशन सिंह सांगवान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कुरियर, विज्ञापन कंपनी और विवाह आयोजित करने में शामिल सेवा प्रदाताओं पर सेवा कर लगाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) कुरियर एजेंसी और विज्ञापन एजेंसी पर सेवा कर दिनांक 1.11.1996 से प्रभार्य है। मंडपवाले, आंतरिक साज-सज्जा वाले, फोटोग्राफी स्टूडियो अथवा एजेंसी, वीडियो उत्पादन एजेंसी, कार्यक्रम प्रबंधक (इवेंट मैनेजर), बाह्य खान-पान व्यवस्थापक, पंडाल अथवा शामियाना ठेकेदार जैसे विवाह से संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर भी सेवा कर प्रभार्य है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में नमक आधारित उद्योग

2841. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में, विशेषत: राजस्थान में नमक आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राजस्थान में स्थापित कुछ नमक उद्योग घाटा उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) मै. साम्भर साल्ट लि., जो कि भारत सरकार के एक उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट लि. की एक सहायक कंपनी है, को छोड़कर सरकार को राजस्थान स्थित नमक कारखानों में हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मै. साम्भर साल्ट लि. में हानि के निम्नलिखित कारण हैं:

(1) अन्य नमक उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा;

(2) पिछले 4-5 वर्षों से राजस्थान में सूखे की स्थिति;

(3) आस-पास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में निजी नमक विनिर्माताओं द्वारा मूल्यवान खारे पानी का बहुत बड़ा भाग पंप द्वारा बाहर निकाला जाना;

(4) राजस्थान में झील के पानी का उपलब्ध न होना;

(5) 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

एस.एफ.आई.ओ. की जांच

2842. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक सीरियस फ्राड इन्वेस्टीगेशन आफिस (एस.एफ.आई.ओ.) द्वारा कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) एस.एफ.आई.ओ. द्वारा जिन मामलों में कार्रवाई की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यालय द्वारा किसी मामले में कोई अर्थदण्ड दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सीरियस फ्राड इन्वेस्टीगेशन आफिस (एस.एफ.आई.ओ.) ने अब तक दो मामलों, नामत: मैसर्स देवू मोटर्स (इंडिया) लि. और मैसर्स वत्स कारपोरेशन लि. की जांच की है। रिपोर्टों को कम्पनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) एस.एफ.आई.ओ. को कोई अर्थदण्ड लगाने का अधिकार नहीं है।

[अनुवाद]

पुराने हो गए अधिनियम

2843. श्री सीता राम यादव: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय बीतने के साथ-साथ बड़ी संख्या में अधिनियम पुराने हो गए हैं और विधि आयोग ने भी ऐसे अधिनियमों का ब्यौरा उद्धृत किया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निरसित अधिनियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष पुराने हो गए अधिनियमों के निरसन हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) विधि आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य अप्रचलित विधियों के निरसन/संशोधन के लिए सिफारिश करना है। विधि आयोग की 159वीं रिपोर्ट में, जो कि इस विषय पर नवीनतम रिपोर्ट है, कुछ अप्रचलित विधियों के निरसन के लिए सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रशासनिक विधियों का पुनर्विलोकन करने के लिए पी.सी. जैन आयोग की स्थापना की। निरसन और संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा 315 अधिनियमों को निरसित किया गया था। 62 अन्य अधिनियमों को भी निरसित किया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 से संबंधित 114 केंद्रीय अधिनियमों की पहचान की गई है, जिनके निरसन के लिए कार्रवाई की पहल राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

निर्यात संवर्धन

2844. श्री राम सिंह कस्वां: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु 450 करोड़ रुपए का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें निर्यातकों के बीच वितरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और निर्यातकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) निर्यातों के संवर्धन हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 552 करोड़ रुपए के परिव्यय से "बाजार पहुंच पहल" स्कीम चलाई जा रही है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों/शीर्षस्थ मंडलों/पंजीकृत व्यापार निकायों/विदेश स्थित भारतीय मिशनों/राज्य सरकारों को निधियां इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित किए जाने के बाद स्वीकृत की जाती हैं। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस स्कीम के तहत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर चुने गए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के कार्यकलाप

2845. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बोर्ड की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) इस बोर्ड द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत/शुरू की जाने की संभावना वाली राज्यवार विशेषत: पूर्वोत्तर राज्यों हेतु परियोजनाएं कौन सी हैं और इनकी उपयोगिता का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (एन.डब्ल्यू.डी.बी.) को देश में बंजरभूमि का पता लगाने, इसे वर्गीकृत करने और विकसित करने के दायित्व के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में गठित किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को अंतरित किया गया था, जिसके तहत जुलाई, 1992 में अलग से बंजरभूमि विकास विभाग का सृजन किया गया था। बाद में इस विभाग का नाम बदलकर वर्ष 1999 में भूमि संसाधन विभाग कर दिया गया था। भूमि संसाधन विभाग सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को सूखा मुक्त करने, मरुभूमि को विकसित करने तथा बंजरभूमि को विकसित करने के लिए क्रमश: तीन मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) 9वीं योजना के दौरान कार्यक्रम-वार उपलब्धियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:

योजना	उपलब्धियां	
	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक (लाख हैक्टेयर में)
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	962.27	35.798
डी.पी.ए.पी.	668.26	44.935
डी.डी.पी.	519.80	24.770
योग	2150.33	105.503

(ग) राज्य-वार और कार्यक्रम-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं का संलग्न विवरण-I और III में दिया गया है। 10वीं योजना के दौरान कार्यक्रम-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दिए गए अनुसार हैं:

योजना	लक्ष्य		उपलब्धियां (30.11.2004 तक)
	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक (लाख हैक्टेयर में)
आई.डबल्यू.डी.पी.	1800.00	875.73	21.752
डी.पी.ए.पी.	1500.00	744.69	37.815
डी.डी.पी.	1100.00	542.35	23.820
योग	4400.00	2162.77	83.387

दसवीं योजना के लिए निर्धारित निधियों के लगभग 50% भाग का 30.11.2004 तक उपयोग कर लिया गया है। शेष राशि का दसवीं योजना के अंत तक उपयोग करने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

विवरण I

दसवीं योजना अवधि (30.11.2004 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य	2002-2003		2003-2004		2004-2005		कुल परियोजनाएं	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)
		परियोजनाओं की संख्या (हैक्टेयर में)	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	12000	10	60000	10	60000	22	132000
2.	बिहार			9	45000	9	45000	18	90000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	छत्तीसगढ़			8	40000	9	45000	17	85000
4.	गोवा			2	10000	0	0	2	10000
5.	गुजरात			11	57500	9	45000	20	102500
6.	हरियाणा			4	20000	4	15000	8	35000
7.	हिमाचल प्रदेश			8	43000	2	15000	10	58000
8.	जम्मू और कश्मीर			1	5000	4	19000	5	24000
9.	झारखण्ड			6	33000	4	20000	10	53000
10.	कर्नाटक	1	6448	9	45000	10	50000	20	101448
11.	केरल			3	15000	0	0	3	15000
12.	महाराष्ट्र			9	45000	10	50000	19	95000
13.	मध्य प्रदेश	1	7972	16	87000	14	60000	31	154972
14.	उड़ीसा			7	38000	9	45000	16	83000
15.	पंजाब					4	15000	4	15000
16.	राजस्थान			9	45000	9	45000	18	90000
17.	तमिलनाडु			11	55000	10	51025	21	106025
18.	उत्तर प्रदेश			13	65000	13	65000	26	130000
19.	उत्तरांचल	4	22063	3	16000	6	34400	13	72463
20.	पश्चिम बंगाल			2	10000	4	13820	6	23820
	कुल	8	48483	141	734500	140	693245	289	1476228
1.	अरुणाचल प्रदेश	8	54171	10	32000			18	86171
2.	असम	15	90432	14	84000	20	100000	49	274432
3.	मणिपुर	6	44500	5	30000			11	74500
4.	मेघालय			7	28000			7	28000
5.	मिजोरम	5	40685	5	40000			10	80685
6.	नागालैण्ड	7	57250	5	40000	5	40000	17	137250
7.	सिक्किम			3	18000			3	18000
8.	त्रिपुरा							0	0
	योग	41	287038	49	272000	25	140000	115	699038
	कुल योग	49	335521	190	1006500	165	833245	404	2175266

विवरण II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

दसवीं योजना अवधि (30.11.2004 तक) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1.	आंध्र प्रदेश	291	287	287	865
2.	बिहार	60	60	68	188
3.	छत्तीसगढ़	116	116	116	1053
4.	गुजरात	241	250	250	741
5.	हिमाचल प्रदेश	50	40	40	130
6.	जम्मू व कश्मीर	66	66	66	871
7.	झारखंड	164	200	200	564
8.	कर्नाटक	221	227	227	675
9.	मध्य प्रदेश	265	269	269	803
10.	महाराष्ट्र	300	296	303	899
11.	उड़ीसा	160	146	146	452
12.	राजस्थान	113	96	96	305
13.	तमिलनाडु	144	160	160	464
14.	उत्तर प्रदेश	158	160	160	478
15.	उत्तरांचल	97	90	90	277
16.	पश्चिम बंगाल	32	72	72	277
	योग	2478	2535	2550	7563

टिप्पणी: एक परियोजना में सामान्यत: 500 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र शामिल होता है।

विवरण III

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

दसवीं योजना अवधि (30.11.2004 तक) के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	110	110	110	330
2.	गुजरात	277	298	298	873

1	2	3	4	5	6
3.	हरियाणा	121	118	118	357
4.	हिमाचल प्रदेश	73	49	38	160
5.	जम्मू व कश्मीर	77	41	40	158
6.	कर्नाटक	165	166	166	497
7.	राजस्थान	779	780	830	2389
	कुल	1602	1562	1600	4764

टिप्पणी: एक परियोजना में सामान्यत: 500 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र शामिल होता है।

[हिन्दी]

एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड

2846. श्री बालेश्वर यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.आई.सी. हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड एक अलग कंपनी है और इसका भारतीय जीवन बीमा निगम से कोई संबंध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस अधिनियम द्वारा अपना गृह ऋण कारोबार चला रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में एल.आई.सी.एच.एफ.एल. को अपने ग्राहकों से गृह ऋण के लिए आवेदन से पूर्व एक शर्त के रूप में एक निश्चित राशि की जीवन बीमा पालिसी खरीदना लागू करने की अनुमति दी गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) एल आई सी हाऊसिंग फायनन्स लिमिटेड (एल आई सी एच एफ एल) ने सूचित किया है कि एल आई सी एच एफ एल सरकारी लिमिटेड कम्पनी है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है। कम्पनी, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित की गई है और वर्तमान में कम्पनी में इसकी धारिता 33.96 प्रतिशत है।

(ग) आवास ऋण की मंजूरी से जीवन बीमा पालिसी खरीदने का कोई संबंध नहीं है। तथापि, एल आई सी एच एफ एल द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 4 दिसम्बर, 2004 तक जीवन बीमा के पालिसी धारकों को, ब्याज दर में 25 आधार बिन्दुओं की दर से रियायत दी जाती थी।

दावों का निपटान

2847. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी.आई.सी.जी.सी. से अपेक्षित है कि वह दावों का निपटान 60 दिनों के भीतर करे और सामान्यत: दावों को बैंक द्वारा भेजे गए लेखा परीक्षा प्रमाणन के आधार पर निगम द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तथा हाल ही में निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार के माध्यम से दावों का लेखा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है जिसके परिणामत: दावों के निपटान में विलम्ब हो रहा है जिससे जमाकर्ताओं में असंतोष फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा दी गई सूचनानुसार, जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए दावों की सूची को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमोदित सूची में उपलब्ध सनदी लेखाकार फर्मों से प्रमाणीकृत/सत्यापित कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ मामलों के संबंध में बैंकों/परिसमापकों द्वारा प्रस्तुत की गई दावों की सूची और आंकड़े निम्न/अत्यंत निम्न कोटि के पाए गए हैं जिसका परिणाम रहा है परिहार्य पत्र-व्यवहार और एक से अधिक बार आंकड़ों का पुन: प्रस्तुतिकरण। इससे दावों के निपटान में विलम्ब हो रहा था। हालांकि, डीआईसीजीसी दावों के त्वरित निपटान को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, लेकिन वह गलत दावों को नहीं निपटा सकता। इस संबंध में सुधार लाने के उद्देश्य से, हाल ही में सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा दावों की सूची के सत्यापन

की पद्धति आरम्भ की गई है, जो डीआईसीजीसी में दावों के संसाधन में भी तेजी लाएगी। इसके अलावा, सभी संबंधित जमाकर्त्ताओं को सही और समय पर भुगतान करने के ध्येय से निगम द्वारा निक्षेप बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया पर निगरानी रखी जाती है।

अकार्यक्षम चर्मशोधन क्षेत्र

2848. श्री परसुराम माझी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में चर्मशोधन क्षेत्र में कमियों की जानकारी है;

(ख) क्या चर्मशोधन में ऐसी कमियों के कारण चमड़े की वस्तुओं के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो चर्मशोधन क्षेत्र में कमियों के क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) देश में चर्मशोधन क्षेत्र मुख्यत: लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत है और इसे पर्यावरण संबंधी विनियमों और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने तथा तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी एवं कारोबार प्रथाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का मुख्य कारण मुख्यत: पर्याप्त पूंजी निवेश का अभाव और ढांचागत सुविधाओं की कमी है। वर्ष 2003-04 के दौरान, डालर की दृष्टि से चमड़े व चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में 10% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है।

(घ) योजना आयोग द्वारा गठित किए गए 'चमड़ा व चमड़े की वस्तुओं पर कार्यदल' की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस कार्यक्रम के तहत ये शामिल हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण, उत्पाद विशिष्ट औद्योगिक पार्कों का विकास, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण दस्तकारों का कौशल उन्नयन और बाजार विकास।

ट्रैक्टर के लिए ऋण

2849. श्री ए.के. मूर्ति: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक ने ट्रैक्टर के लिए ऋण दिए जाने हेतु मानदण्डों को आसान बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य बैंकों द्वारा भी ऐसा ही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मार्गदर्शन में बैंकों के एक सहायता संघ का गठन ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपस्करों के निर्माताओं एवं डीलरों से ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनरी की खरीद के लिए ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं को आगे दी जाने वाली यथा संभव छूट तथा रियायतें प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए किया गया है। तदनन्तर, भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए मैसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट (टी ए एफ ई), चेन्नई के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे जबकि मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मशीनरी कृषि को विविध एवं वाणिज्यिक उद्यम में बदलने के एक साधन के रूप में लगातार महत्वपूर्ण बनती जा रही है तथा कुछ बैंक मुख्य ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी के निर्माताओं के साथ लागत प्रभावी तरीके से उन्हें वित्तपोषित करने के लिए तालमेल पर पहले से हस्ताक्षर कर चुके हैं, बैंकिंग प्रणाली से कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों को ऋण का प्रवाह संबंधी सलाहकार समिति (व्यास समिति) ने सिफारिश की थी कि अन्य बैंकों को भी ऐसी संभावनाओं की खोज करना चाहिए। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को सलाह दी है कि वे सिफारिश कर कार्रवाई शुरू करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में उनके नियंत्रक कार्यालयों एवं शाखाओं को उचित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

गुजरात को सिडबी द्वारा सहायता

2850. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अगस्त 2004 के अंत ऋण उपलब्ध करा कर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा गुजरात में कितनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गयी है; और

(ख) तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गुजरात राज्य में गत तीन वर्षों में तथा अगस्त 2004 तक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की संख्या 986 है। गुजरात राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान सिडबी द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों की जिला-वार संख्या और साथ ही उनको संस्वीकृत और संवितरित राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

जिला	2001-02			2002-03			2003-04			2004-05 (अगस्त तक)		
	सं.	संस्वीकृत	संवितरित	सं.	संस्वीकृत	संवितरित	सं.	संस्वीकृत	संवितरित	सं.	संस्वीकृत	संवितरित
अहमदाबाद	118	479.35	313.40	27	412.68	323.23	53	300.18	213.18	24	53.13	36.19
अमरेली	11	1.21	0.91	03	0.30	0.21	01	1.25	0.75	00	0.00	0.00
बड़ौदा	45	106.40	64.20	07	121.06	71.36	13	56.67	8.37	04	17.98	8.55
बनासकांठा	03	0.37	0.34	14	1.84	0.10	01	0.60	0.20	00	0.00	0.00
भावनगर	39	44.75	3.85	01	2.23	1.57	01	30.28	9.57	01	2.54	1.39
भरूच	09	2.49	2.02	01	0.83	0.69	01	2.38	1.05	00	0.00	0.00
डांग	00	0.00	0.00	01	1.50	0.89	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
वलसाड	15	47.38	36.19	02	10.05	9.08	01	22.93	6.92	00	0.00	0.00
गांधीनगर	11	1.79	1.66	01	3.10	2.01	01	26.54	7.54	01	5.19	4.83
जामनगर	24	14.73	3.95	01	39.05	30.76	01	32.42	4.28	01	4.68	3.92
जूनागढ़	46	68.18	46.94	05	0.40	0.53	01	13.09	2.47	01	2.53	1.62
खेडा	10	7.84	3.68	01	0.76	0.72	01	3.56	0.45	00	0.00	0.00
कच्छ	32	4.07	3.23	15	111.76	34.90	02	18.63	5.20	02	4.37	2.64
मेहसाना	16	9.25	9.23	19	4.78	4.75	01	3.67	1.12	00	0.00	0.00
पंचमहल	14	1.85	1.79	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	00	0.00	0.00
राजकोट	150	122.54	36.05	36	64.12	37.74	03	57.26	11.45	03	6.28	2.67
साबरकांठा	16	3.03	2.33	01	0.41	0.37	01	1.24	0.21	00	0.00	0.00
सुरेन्द्रनगर	89	7.19	5.51	44	2.68	2.52	01	3.35	0.16	01	0.85	0.37
सूरत	18	52.75	40.00	09	45.83	19.80	04	49.12	13.79	07	6.32	0.83
कुल	666	975.17	575.28	188	823.38	541.23	87	623.17	286.71	45	103.87	63.01

अवसंरचना विकास हेतु विश्व बैंक ऋण

2851. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से विश्व बैंक से विशेष अवसंरचना ऋण लेने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे राज्यों के नाम हैं–कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, असम, उत्तरांचल, महाराष्ट्र और दिल्ली।

(ग) ये परियोजनाएं अभी शुरू की जाने वाली हैं और ये परियोजना की पहचान, तैयारी, मूल्यांकन और इसके बाद विश्व बैंक के साथ वार्ता की प्रक्रिया से गुजरती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न चरणों पर भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच विचार-विमर्श चलता रहता है।

सीमा शुल्क कार्यालयों पर पोत परिवहन से संबंधित दस्तावेजों का ढेर

2852. श्री जुएल ओराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषत: मुम्बई में सीमा शुल्क कार्यालयों में पोत परिवहन से संबंधित दस्तावेजों के भारी ढेर जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके पोत परिवहन कंपनियों और आयातकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने आयात एवं निर्यात दस्तावेजों को दायर करने एवं निकासी प्रदान करने के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ई.डी.आई.) प्रणाली-एक पूर्णरुपेण स्वत: चालित सीमा शुल्क निकासी प्रणाली आरम्भ की है। आयातक एवं निर्यातक परिसर से घोषणाओं को दूर दराज से दायर करने की प्रणाली भी आरम्भ की है। कार्गों की जांच और लदान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उपर्युक्त उपायों का अभिप्राय आयात/निर्यात कार्गो के सीमा शुल्क की निकासी में लगने वाले समय को कम करना तथा आयात एवं निर्यात दस्तावेजों को शीघ्रता निपटाना है।

रेशम बुनकर सहकारी समिति में संकट

2853. श्री के.सी. पलनिसामी:
श्री मणीकुमार सुब्बा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देश में विशेषत: असम में रेशम उद्योग की दोहन न की गयी अपार क्षमताओं और निर्यात क्षमताओं के विषय में सरकार को बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का देश-वार निर्यात सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कांचीपुरम क्षेत्र की रेशम बुनकर सहकारी समितियां बहुत अधिक कपड़े के भंडार के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के विशेषत: तमिलनाडु के रेशम बुनकरों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां। भारत को रेशम उत्पादन में प्राकृतिक रूप से लाभ प्राप्त है और यही एक ऐसा विलक्षण देश है जहां रेशम की वाणिज्यिक रूप से लाभ प्रदान करने वाली समस्त 4 किस्मों यथा शहतूत, तसर, मूगा और ऐरी का उत्पादन किया जाता है। भारत में असम में स्वर्ण मूगा रेशम विशिष्ट है। रेशम उत्पादन श्रम कृषि आधारित कुटीर उद्योग है जो कि लगभग 57 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है। असम सहित इस देश को कच्चे माल की कृषि से लेकर तैयार उत्पाद का उत्पादन करने की समग्र मूल्य श्रृंखला

में क्षमता प्राप्त है। 10वीं योजना के दौरान रेशम के उत्पादन और निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे तालिका में दिए गए हैं।

क्र.सं.	विवरण	10वीं योजना के लिए लक्ष्य
1.	अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन (मी.टन)	26450
2.	निर्यात आय (करोड़ रु. में)	4000

(ग) रेशम के घरेलू उत्पादन और निर्यात को अनुकूल बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखितानुसार हैं:

* अधिक उत्पादक और दाब सहनशील प्रजातियों तथा शहतूत और गैर-शहतूत खाद्य पादपों और रेशम कीटों की संकर प्रजातियों के विकास द्वारा, रेशम उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करने तथा रेशम में कम लागत वाली रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयास तेज किए गए हैं।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों, किसानों एवं रीलर्स को मूल प्रजाति एवं मूल बीज के रखरखाव, वाणिज्यिक बीज की आपूर्ति और रोग मुक्त अधिक पैदावार और सूखा रोधक बीजों के उत्पादन के लिए खाद्यान्न सुविधाओं के संवर्धन द्वारा बीज सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

* राज्यों को कृषि अध्यसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेशम उत्पादन के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि, रीलिंग सुविधाओं के उन्नयन, परिष्करण प्रक्रियाओं में सुधार, बीज आपूर्ति, कोया एवं रेशम परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विकसित की गई निम्न लागत एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियों को लाभार्थियों केंद्रीय सहायता, राज्यों की विस्तार मशीनरी एवं लाभार्थियों को प्रशिक्षण, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जा रहा है।

* स्वदेशी रेशम उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वस्त्र क्षेत्र के वास्ते प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) के तहत, लागू बैंक दर से 5% बिंदु कम पर ऋण अन्य बातों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र के लिए उपलब्ध है।

* किसानों, अपरिष्कृत रेशम उत्पादकों और बुनकरों के मध्य आपूर्ति श्रृंखला संबधी मुद्दों का, कांट्रेक्ट खेती माडल, कीमत संबद्ध ग्रेडिंग आदि का पक्ष लेकर समाधान किया जा रहा है।

* उपर्युक्त कार्य नीति एवं कार्यक्रमों की सहायता के लिए रेशम उत्पादन क्षेत्र के वास्ते 10वीं योजना में 450 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गई है।

रेशम के सामान के देशवार निर्यात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) कांचीपुरम में 23 रेशम हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां काम कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों में रेशम बुनकर सहकारी समितियों का वार्षिक कारोबार निम्नलिखितानुसार है:

वर्ष	उत्पादन की लागत	बिक्री की लागत
2001-02	6021.10	8510.05
2002-03	5067.61	9696.54
2003-04	6696.61	7853.52

30-11-2004 की स्थिति के अनुसार रेशम बुनकर सहकारी समितियों के पास स्टाक 6759.31 लाख रुपए का है। इससे पता चलता है कि हथकरघा उत्पादों के स्टाक का नियमित लेनदेन हो रहा है।

(च) भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, यथा-दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, बुनकर कल्याण योजना, मिल गेट मूल्य योजना, बुनकर बीमा योजना, विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 का क्रियान्वयन। विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2003-04 और 2004-05 (10.12.2004 तक) तमिलनाडु सरकार को क्रमशः 3180.32 लाख रुपए और 1076.21 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। तमिलनाडु सरकार ने रेशम बुनकर सहकारी समितियों के पास जमा स्टाक का परिसमापन करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। तमिलनाडु सरकार रेशम किस्मों सहित संपूर्ण वर्ष के दौरान हथकरघा समान पर 20% की छूट दे रही है। भारत सरकार भी कुछ त्योहारों के दौरान 10% की विशेष छूट सब्सिडी प्रदान कर रही है। एक वर्ष और दो वर्ष से अधिक रेशम फैबिक्रों के स्टाक का परिसमापन करने के लिए 45% और 55% की विशेष छूट भी

दी गई थी। वर्ष 2004-05 के दौरान 10 जिलास्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त लूम वर्ड ने भी प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

विवरण

रेशम मदों के श्रेणीवार निर्यात के विवरण नीचे दिए गए हैं

(मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2001-02	2002-03	2003-04
संयुक्त राज्य अमरीका	680.90	712.73	789.47
जर्मनी	159.03	141.34	161.67
ब्रिटेन	166.29	188.12	208.86
हांगकांग	192.60	186.64	133.31
इटली	114.46	121.22	129.34
यूएई	104.29	139.21	241.07
सिंगापुर	71.41	65.96	84.93
फ्रांस	97.53	99.69	90.50
स्पेन	64.45	71.85	108.78
सऊदी अरब	47.59	67.05	64.69
कनाडा	34.65	39.04	उपलब्ध नहीं
जापान	31.20	23.83	उपलब्ध नहीं
अन्य	626.36	461.2	563.90
कुल योग	2359.56	2294.05	2576.52

औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2854. श्री के.एस. राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सतत् आधार पर औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए वाणिज्य और उद्योग की स्थायी समिति का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आर्थिक कानूनों की समीक्षा का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो समीक्षा हेतु प्रस्तावित कानूनों का संभावित संशोधनों सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस उद्देश्यार्थ हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) उच्च विकास की संभावना वाले मौजूदा उन औद्योगिक समूहों/स्थापना स्थलों में अवसंरचना की गुणवत्ता को उन्नत बनाने तथा इसे बढ़ाने के लिए यह विभाग औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिनके लिए अनुकूल हस्तक्षेपों की आवश्यकता होती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार स्तर पर स्थायी अन्त: मंत्रालयीय शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना होता है। योजना के क्रियान्वयन में मौजूदा आर्थिक नियमों की किसी समीक्षा की जरूरत नहीं होती है।

[अनुवाद]

व्यापार समूह

2855. श्री मोहन रावले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने एक व्यापार समूह बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत को ऐसे समझौते से लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों में व्यापार में कितनी वृद्धि की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को हानि

2856. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रिलाएंस इण्डिया लिमिटेड के चूककर्ता ग्राहकों के पैसे के भुगतान के बारे में

रिलाएंस इण्डिया लिमिटेड के साथ हुए अविवेकपूर्ण समझौते के कारण नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भारी घाटा उठा रही हैं;

(ख) क्या समझौते के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में 15 करोड़ रु. प्रतिवर्ष मिला है जबकि इसने रिलाएंस इण्डिया को 150 करोड़ रु. से अधिक का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एन आई सी) ने वर्ष 2003-04 में रिलायन्स इनफोकाम को तीन वर्षों के लिए आकस्मिकता पालिसी जारी की, जिसमें पारगमन के लिए हैण्डसेटों, आकस्मिकता क्षति और ग्राहकों द्वारा उपयोग संबंधी बिल की चूक सहित अन्य सम्बद्ध जोखिमों की सुरक्षा दी गई है। इस पालिसी के अधीन कंपनी ने 60.43 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम प्राप्त किया और वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 152.34 करोड़ रुपए के दावे रिपोर्ट किए गए। 31 अक्तूबर, 2004 तक कंपनी द्वारा चुकाए गए दावों का मूल्य 120.60 रुपए था और बाकी के 31.74 करोड़ रुपए उस तारीख को बकाया था।

(घ) पालिसी के अधीन अधिक दावों के मामले को सुलझाने के लिए कंपनी ने बहुत से कदम उठाये हैं। इनमें दावों की जांच, ग्राहकों से वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही आदि शामिल हैं। अप्रत्याशित बड़ी हानियों से निजात पाने के लिए कंपनी के वैकल्पिक जोखिम अंतरण (ए आर टी) पुनर्बीमा सुरक्षा की भी व्यवस्था की है।

संदूषित पेयजल

2857. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री राजेश पाठक:
श्री निखिल कुमार:
श्री बुसदेव आचार्य:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में 2 लाख अधिवासों में रहने वाले लाखों लोग स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना कर रहे हैं हैं क्योंकि वे भारत के विभिन्न भागों में अधिक फ्लोराइड, लौह तत्व, नाइट्रेट, आर्सेनिक और खारापन युक्त पानी पीने को बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितने अधिवासों में लोग अनुमत्य सीमा से अधिक संदूषित जल पी रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में सभी अधिवासों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस समस्या के निदान के संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) मार्च, 2000 में किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य सरकारों ने यह जानकारी दी है कि 216968 ग्रामीण बसावटें पेयजल गुणवत्ता समस्या वाली हैं। इन बसावटों में से 31306 बसावटें अत्यधिक फ्लोराइड, 23495 अत्यधिक खारापन, 118088 अत्यधिक लौह, 5029 अत्यधिक आर्सेनिक, 13958 अत्यधिक नाइट्रेट और 25092 बसावटें विविध जल गुणवत्ता समस्याओं वाली हैं। गणवत्ता प्रभावित बसावटों में राज्य सरकारों ने या तो घरेलू और समुदाय आधारित उपचार इकाइयों के माध्यम से अथवा संदूषणमुक्त एक्वीफर से निकाले गए जल अथवा सतही जल निकायों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की है।

(ग) और (घ) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से ग्रामीण बसावटों की कवरेज बढ़ाने के लिए भारत सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की समस्याओं को दूर करने में राज्य सरकारों को मदद करना राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग के उद्देश्यों में से एक है। जल गुणवत्ता और स्थायित्व की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1992-93 में उप-मिशन शुरू किए गए थे। केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषण के आधार पर जल गुणवत्ता की समस्या को दूर करने के लिए उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 31.03.1998 तक 1342 करोड़ रु. के परिव्यय से 120 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। तथापि, 1.4.1998 से उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। तथापि, 1.4.1998 से उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत

करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषण करने की पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राज्यों को रिलीज की गई 15 प्रतिशत ए आर डब्ल्यू एस पी निधियां जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए निर्धारित है। पूरी तरह कवर किए गए राज्य, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से जल गुणवत्ता की समस्या को दूर करने वाली परियोजनाओं पर अधिक निधियां खर्च कर सकते हैं।

(ङ) और (च) 675 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय से 2682 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों की कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश से, 1166 करोड़ रु. की लागत से आर्सेनिक मुक्त जल मुहैया कराने के लिए 6 योजनाओं के संबंध में पश्चिम बंगाल से, 6660 करोड़ रु. की लागत से 41072 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए 12 परियोजनाओं के संबंध में राजस्थान से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। चूंकि राज्य सरकारें जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए पूरी तरह अधिकार सम्पन्न हैं इसलिए इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

कताई मिलों का पुनरूद्धार

2858. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कताई मिलों के पुनरूद्धार हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) देश में कार्यरत और बन्द पड़ी कताई मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार बंद मिलों के पुनरुद्धार हेतु कोई कार्य योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना की कताई मिलों का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) कामगारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसका कब तक पुनरुद्धार किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) सरकार कताई मिलों सहित समग्र रूप से वस्त्र उद्योग के विकास का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाती रही है।

(ख) देश में 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार कार्यरत और बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र कताई मिलों (गैर एसएसआई) की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) चूंकि विवरण में उल्लिखित बंद वस्त्र मिलें निजी क्षेत्र में हैं अत: उनके पुनरुद्धार की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके प्रबंधन की है। तथापि, बंद वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार के पास कोई मौजूदा योजना नहीं है। बंद की जाने वाली अथवा बंद न की जाने वाली रुग्ण मिलों के लिए, सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड गठित किया है जिसका उद्देश्य रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने की व्यवस्था करना तथा ऐसे प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों का त्वरित निर्धारण करना है जिन्हें इस प्रकार की कंपनियों के संबंध में किए जाने की आवश्यकता है। सहकारी क्षेत्र बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मैसर्स नगीना सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड जिसके पास 1034 कामगार हैं, जनवरी 2000 में बंद कर दी गई थी। यह सहकारी क्षेत्र की एक कताई मिल है जो बीआईएफआर के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। चूंकि यह संघ सरकार की किसी योजना के तहत शामिल नहीं है, अत: पुनरुद्धार की पहल राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

विवरण

कार्यरत और बंद सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर एसएसआई) की 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	कताई मिलें	
		कार्यरत	बंद
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58	40
2.	असम	1	5
3.	बिहार	1	5
4.	छत्तीसगढ़	0	1

1	2	3	4
5.	दादरा नागर हवेली	4	0
6.	दमन और दीव	1	0
7.	गोवा	1	0
8.	गुजरात	28	30
9.	हरियाणा	51	25
10.	हिमाचल प्रदेश	16	0
11.	जम्मू व कश्मीर	1	1
12.	झारखंड	1	0
13.	कर्नाटक	32	15
14.	केरल	24	9
15.	मध्य प्रदेश	33	7
16.	महाराष्ट्र	99	33
17.	मणिपुर	0	1
18.	उड़ीसा	6	10
19.	पांडिचेरी	8	1
20.	पंजाब	60	15
21.	राजस्थान	27	17
22.	तमिलनाडु	693	115
23.	उत्तर प्रदेश	24	34
24.	उत्तरांचल	1	4
25.	पश्चिम बंगाल	14	9
	कुल	1184	377*

*31.10.2004 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त 377 बंद कताई मिलों में से, 26 मिलें सरकारी परिसमापक के अधीन हैं।

[अनुवाद]

100 दिन रोजगार योजना

2859. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोग सामान्यत: मार्च से सितम्बर के दौरान, जब काम की कमी होती है, भुखमरी के कगार पर होते हैं; और

(ख) निर्धनों को 100 दिन की कार्य योजना उपलब्ध कराने के पश्चात् उक्त अवधि को इसमें सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसका उद्देस्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराकर, उनकी जीविकोपार्जक सुरक्षा में बढ़ोत्तरी करना है।

खाद्यान्नों में कीटनाशकों की अधिक मात्रा के कारण अस्वीकार किया जाना

2860. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत से भेजी गयी खाद्य पदार्थों की कुछ खेपों को उनमें कीटनाशकों की अधिक मात्रा होने के कारण अस्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए निरीक्षण सुविधाओं को स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) यूरोपीय आयोग ने मसालों और अंगूरों के भारतीय परेषणों में फालतू कीटनाशी अपशिष्ट पाये जाने के संबंध में रेपिड अलर्ट नोटिस जारी किए हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) खाद्य उत्पादों के निर्यातों में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य मदों के लिए मानक और अपशिष्ट निगरानी योजनाएं तैयार की हैं। सरकार की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन, जांच/निरीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता, गुणवत्ता आश्वासन सहित अनुसंधान और विकास एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अंतर्गत मान्यता, बुनियादी सुविधा के सृजन एवं मानव संसाधन के विकास इत्यादि के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

जाली बैंक दस्तावेज

2861. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न दस्तावेजों जैसे स्टांप पेपर, साख-पत्रों और सर्टिफिकेट्स आफ अथारिटी, बैंक गारंटियों, सभी प्रकार के बीमा कवर नोटों और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों इत्यादि जैसे सरकारी लेने-देन के साधनों की व्यापक जालसाजी और इनकी जाली अनुलिपि से राजस्व को होने वाले भारी नुकसान और सरकार की विश्वसनीयता में आई गंभीर कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे सभी दस्तावेजों और साधनों को त्रुटिरहित और जालसाजी रहित बनाने हेतु प्रभावी निवारणात्मक कदम उठाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) (1) वित्त मंत्रालय में गठित दो कार्य दलों/समितियों की सिफारिशों पर आधारित मंत्रालय ने गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों और चिपकाने वाली टिकटों (स्टैंपो) में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को समाविष्ट करने हेतु अनुमोदन कर दिया है। सुरक्षा के नए उपायों जिन्हें चरणबद्ध रूप में शुरू किया जा रहा है, से जालसाजी करना कठिन होगा।

(2) राजस्व संग्रहण करने की नई तकनीक आरम्भ करने और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए, वित्त मंत्रालय में राज्यों के राजस्व सचिवों की दो बैठकें आयोजित की गई।

(3) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) स्टाम्प पत्र को "डी-मैट" करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को बनाने के लिए भारत सरकार की मदद कर रही है। यह प्रणाली प्रारंभ में 10-12 शहरों में प्रचालन में आएगी। प्रारंभ में प्रणाली की संपूर्ण पूंजी लागत का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, तथा

(4) राजस्व संग्रहण करने के तरीके सुकर बनाने के लिए स्टाम्प अधिनियम को संशोधित किया गया है। राजस्व संग्रहण करने की त्रुटिहीन नई तकनीक शुरू करने के संबंध में भारत सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम भेजने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है।

पाकिस्तान द्वारा भारत में बनी औषधियों के आयात पर प्रतिबंध

2862. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में पाकिस्तान ने स्थानीय औषधि उद्योग द्वारा अब तक भारत से आयात हो रही औषधियों का उत्पादन शुरू किए जाने के आधार पर भारत में बनी बल्क औषधियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या अभी भी पाकिस्तान चीन, थाइलैंड और कोरिया से बल्क औषधियों के आयात को अनुमति दे रहा है जिनका उत्पादन स्वयं भी कर रहा है;

(ग) क्या भार एकमात्र ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान द्वारा भेदभाव करते हुए हटा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पाकिस्तान ने स्थानीय बल्क औषधि उद्योग की रक्षा करने के लिए भारत से औषधियों के आयात हेतु लगभग पांच वर्ष पूर्व अपनी नीति में कथित रूप से परिवर्तन किया है। पाकिस्तान में स्थानीय उत्पादन को संरक्षण प्रदान करने के लिए 25 प्रतिशत के सीमाशुल्क के अधीन भारत से बल्क औषधियों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी, हां। स्थानीय रूप से उत्पादित औषधियों के लिए भी पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और कोरिया से बल्क औषधियों के आयात की अनुमति दे रहा है।

(ग) और (घ) दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है ताकि पारस्परिक लाभ हेतु इन मुद्दों का समाधान किया जा सके।

[हिन्दी]

आसियान देशों के साथ व्यापार

2863. श्री देविदास पिंगले:
प्रो. महादेव राव शिवनकर:
श्री मुन्नी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आसियान देशों के साथ पारस्परिक व्यापार में वृद्धि करने हेतु सहयोग बढ़ाने पर सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-03 से आज की तिथि तक आसियान देशों के साथ वर्ष-वार कितनी मात्रा में व्यापार किया गया है;

(घ) नए समझौते के अंतर्गत वर्ष-वार कितने करोड़ रुपए के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है;

(ङ) नए समझौते के अंतर्गत व्यापार हेतु वस्तुओं का मूल्य कितना है; और

(च) प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी इत्यादि के क्षेत्र में वाणिज्यिक समझौता करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार का प्रयास अपनी लुक ईस्ट पालिसी के समनरूप आसियान देशों के साथ सहयोग एवं व्यापार को बढ़ाने का रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) और भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग संबंधी एक कार्य ढांचा करार पर भारत के प्रधानमंत्री और आसियान के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकारों द्वारा दिनांक 8 अक्तूबर, 2003 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र में संबंधित उपबंध शामिल हैं और इसमें आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है।

(ग) वर्ष 2002-03 से आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार की वर्ष-वार मात्रा निम्नानुसार रही है:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
2002-03	4618.54	5150.17	9768.71	(-) 531.63
2003-04	5798.13	7350.32	13148.45	(-) 1552.19
2004-05 (अप्रैल-अगस्त)	2931.26	3291.86	6233.12	(-) 360.60

(स्रोत डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता)

(घ) और (ङ) इस करार के अंतर्गत व्यापार की मात्रा या वस्तुओं के मूल्य के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(च) इस करार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी आदि समेत आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

शंख-हस्तशिल्पी

2864. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र में राज्य द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के पूरक के रूप में हस्तशिल्प हेतु विभिन्न विकास योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के शंख हस्तशिल्पियों को अंडमान के समुद्र से घरेलू शंख एकत्रित करने की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा द्वीप समूह के शिल्पियों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय आरंभ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल उन्हीं समुद्री शंखों की प्रजातियों के एकत्रीकरण पर प्रतिबंध है जो वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है। तथापि, समुद्री शंखों की अन्य प्रजातियों का एकत्रीकरण अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह मत्स्य विनियमन, 2003 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह समुद्री मत्स्य नियम, 2004 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराना

2865. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री काशीराम राणा:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आतंकवादियों को अन्य देशों से हवाला चैनल के माध्यम से धन प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आतंकवादियों को हवाला के माध्यम से धन प्राप्त न हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

2866. श्री उदय सिंह: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना कंपनियों की परिसमापन प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल गठित करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कब तक गठन किया जाएगा;

(ग) क्या कंपनियों की परिसमापन प्रक्रिया में लगने वाली 15-20 वर्षों की अवधि को कम किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो ट्रिब्यूनल उक्त प्रक्रिया को समयबद्ध अवधि में किस सीमा तक पूरा करेगा?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) और (ख) जी हां। तथापि, कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के कुछ उपबन्धों को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय के विनिर्णय के कारण; उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के कारण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि टिब्यूनल (एनसीएलटी) का गठन न्यायाधीन है। इसलिए फिलहाल एनसीएलटी की स्थापना की कोई समयसारिणी नहीं बताई जा सकती।

(ग) और (घ) जी, हां। कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 में उपबन्धों को शामिल कर दिया गया है, ताकि समापन संबंधी कार्रवाईयों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। तथापि, ऊपर (क) और (ख) में दिए गए कारणों से एनसीएलटी का गठन न हो पाने पर, इन उपबन्धों को अभी अधिसूचित किया जाना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित बैंक का दर्जा

2867. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान किया गया है:

(ख) सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ग) मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान करने से संबंधित कितने आवेदन/प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि. को ही अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (6) के क्रम बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है:

(1) बैंकों के पास पांच लाख रु. से अधिक के कुल मूल्य की चुकता पूंजी और आरक्षित निधि होनी चाहिए। तथापि, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सिर्फ वही प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के उप-खंड (iii) के उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थाओं के रूप में माने जाने के लिए अर्हक होंगे जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हैं और जिनकी मांग और सावधि देयताएं 250 करोड़ रु. से कम नहीं है;

(2) भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंक के कार्य इस प्रकार से न किये जा रहे हों कि वह जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल हो;

(3) बैंक कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित राज्य सहकारी बैंक है या कोई कंपनी, या इसके बदले में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई संस्थान या भारत के बाहर किसी स्थान पर प्रचलित किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगम या कंपनी है।

सांविधिक प्रावधानों के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय आंतरिक मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं कि वित्तीय रूप से सक्षम बैंकों को ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ) किसी भी ग्रामीण सहकारी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त कोई आवेदन/प्रस्ताव नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित नहीं है।

उत्पाद शुल्क न्यायालयों में लंबित मामले

2868. श्री वीर सिंह महतो:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31.10.2004 के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं और इनका किन कारणों से निपटान नहीं किया गया है तथा इन मामलों के निपटान में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की संख्या 30.9.2004 को समाप्त होने वाली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार निम्नवत है: (चूंकि रिपोर्ट तिमाही आधार पर इकट्ठी की गई हैं।)

क्र.सं.	न्यायालय	अपीलों की संख्या
1.	सर्वोच्च न्यायालय	2051
2.	उच्च न्यायालय	8564
3.	सीइएसटीएटी	22333
	कुल	32948

(ख) दिन प्रतिदिन आधार पर जुड़ने वाले मामलों सहित अधिकांश मामले पांच से अधिक वर्षों से लंबित हैं। चूंकि मुकदमेबाजी एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए विलंब के लिए किसी विशिष्ट कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तथापि, सरकार ने बकाया लंबित मामलों के परिसमापन के अपने प्रयास के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं, नामत:,

(1) न्यायालयों द्वारा इंगित की गई कमी को सुधारने संबंधी वैधानिक उपाय;

(2) उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिन-प्रतिदिन आधार पर मामलों की निगरानी द्वारा मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समर्पित इकाईयों की स्थापना।

(3) वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए विधि मंत्रालय के कार्मिकों के साथ आवधिक बैठकें।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

2869. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर:**
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में वस्त्र हथकरघों, विद्युतकरघों तथा सिंथेटिक धागे, सिले-सिलाए वस्त्रों और हौजरी सामानों का निर्माण करने वाली इकाइयों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) उक्त इकाइयों में विनिर्मित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) आज की तारीख के अनुसार, एसएसआई/गैर एसएसआई क्षेत्रों में हथकरघा, विद्युतकरघा, सिंथेटिक यार्न, सिले-सिलाए परिधानों और हौजरी क्षेत्रों में काफी संख्या में विनिर्मात्री एकक हैं और ऐसे कारकों की स्थान-वार संख्या देना संभव नहीं है। तथापि, देश में 4 लाख से अधिक विद्युतकरघा और 25 लाख से अधिक हथकरघा एकक हैं और इनमें से विद्युतकरघा में 0.25 लाख एकक और हथकरघा क्षेत्र में 1.37 लाख एकक उत्तर प्रदेश में हैं।

(ख) सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	वस्त्र उद्योग में रिलीज की गई निधियां	हथकरघा में रिलीज की गई निधियां	हस्तशिल्प में रिलीज की गई निधियां
2001-02	220.14	112.37	26.19
2002-03	225.25	150.38	27.42
2003-04	266.61	184.65	40.30

(ग) सरकार ने फैब्रिक्स सहित वस्त्र मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:

(1) अनिवार्य केंद्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवैट) श्रृंखला समाप्त कर दी गई है। सेनवैट योजना को वैकल्पिक बनाया गया है। फलस्वरूप, विशुद्ध सूती यार्न, फैब्रिक्रों अथवा परिधानों पर कोई अनिवार्य उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(2) अध्याय 50 से 63 के तहत आने वाले सभी वस्त्र व वस्त्र वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र व वस्त्र वस्तुएं) अधिनियम के तहत जहां भी लागू हो, लगाए जाने वाले शुल्कों से पूरी तरह छूट दी गई है।

(3) विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं जैसी शुल्क हकदारी पासबुक योजना/शुल्क वापसी योजना आदि के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहन की उपलब्धता।

(4) निर्यात योग्य उत्पादों तथा उनके प्रचार और विपणन के विकास के लिए हथकरघा निर्यात योजना के तहत प्रदत्त वित्तीय सहायता।

(5) गैर कोटा देशों को सूती यार्न के निर्यात पर सीमा एवं प्रतिबंध 1 जनवरी, 2002 से हटा दिए गए थे।

(6) विदेश में महत्वपूर्ण बाजारों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना; और

(7) हथकरघा निर्यातकों को बाजार संवर्धन संबंधी गतिविधियों के लिए एमडीए योजना के तहत हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से वित्तीय सहायता।

विस्फोटक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन

2870. **श्री मदन लाल शर्मा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विस्फोटक अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या किए गए उल्लंघन गंभीर प्रकृति के थे; और

(ग) भविष्य में उक्त उल्लंघनों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान, विस्फोटक अधिनियम, के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में विस्फोटक विभाग के ध्यान में आए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

उल्लंघनों की प्रकृति	मामलों की संख्या
अधिक भंडारण	16
मासिक विवरणियां न प्रस्तुत करना	23
सुरक्षा संबंधी दूरियों का अतिक्रमण	5
अनधिकृत विस्फोटकों का विनिर्माण/भंडारण	13
दुर्घटनाएं	6
असुरक्षित व्यवहार	113
योग	176

इनमें से कुछ उल्लंघन गंभीर स्वरूप के थे। उल्लंघनों के मामले में, विस्फोटक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लाइसेंस धारकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। उल्लंघनों पर रोक लगाने की दृष्टि से विस्फोटक विभाग द्वारा ऐसे परिसरों के नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। विभाग ने सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी फील्ड कार्यालयों के जरिये सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी आरंभ किया है।

विद्युतकरघा उद्योग की स्थिति

2871. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में विद्युतकरघा उद्योग की बिगड़ती दशा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने विद्युतकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो देश में विशेषकर कर्नाटक राज्य में विद्युतकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

(ङ) क्या सरकार ने विद्युतकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण/उन्नयन हेतु कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) देश में विद्युतकरघा उद्योग बहुत गतिशील है। देश में विद्युतकरघा उद्योग की स्थिति में कोई गिरावट नहीं आयी है। इसके बजाय विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन और विद्युतकरघों की संस्थापना में सतत वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है:

वर्ष	पंजीकृत करघों की संख्या	विद्युतकरघा क्षेत्र में उत्पादन (मिलियन वर्ग मी. में)	देश में कुल कपड़ा उत्पादन (मिलियन वर्ग मी. में)	विद्युतकरघा कपड़ा उत्पादन की प्रतिशतता
2001-02	1666033	25192	42034	59.93
2002-03	1692737	25954	41973	62.00
2003-04	1836856	27258	40613	67.00

कर्नाटक राज्य में संस्थापित करघों की संख्या में भी सतत वृद्धि हुई है:

राज्य का नाम	की स्थिति अनुसार	एककों की सं.	संस्थापित करघों की संख्या	कार्यरत कामगारों की संख्या
कर्नाटक	31.03.02	24433	80985	202463
	31.03.03	24574	81832	204580
	31.03.04	24579	81869	204673
	31.10.04	24579	81869	204673

(ग) कर्नाटक की राज्य सरकार ने उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार लाने तथा मूल्य वृद्धि के लिए स्वचालित हथकरघा का उपयोग शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता/राज सहायता से वर्कशेड के निर्माण के लिए इस मंत्रालय के ग्रूप वर्कशेड स्कीम के तहत एक परियोजना प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

(घ) से (च) सरकार कर्नाटक राज्य सहित संपूर्ण देश में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से विद्युतकरघा क्षेत्र का संवर्धन करना चाहती है:

* विभिन्न सेवाओं जैसे कौशल उन्नयन और विद्युतकरघा बुनकरों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) का योजना स्कीम विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के तहत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए आधुनिक करघों, अन्य मशीनरी और उपकरणों के साथ उन्नयन किया गया है।

* फैशन में तेजी से बदलती वैश्विक परंपरा में नये डिजायनों का सृजन आसान करने, डिजायनों और उत्पादन में सुधार लाने के लिए, कंप्यूर सहायित डिजायन (सीएडी) केन्द्रों की स्थापना 17 प्रमुख विद्युतकरघा समूहों में की गई थी। सरकार इन केन्द्रों को कम्प्यूटर सहायित डिजायन केन्द्रों को सहायता योजना स्कीम के तहत प्रति वर्ष रुपए 6.75 लाख की निर्धारित दर पर वित्तीय सहायता देती है।

* विद्युतकरघा कामगारों को आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और अपंगता के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समूह बीमा योजना क्रियान्वित की गई है।

* उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने में विद्युतकरघा कामगारों को समर्थ बनाने तथा कार्य संबंधी वातावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से, सरकार ने समूह कार्यशाला योजना क्रियान्वित की है। इस योजना में 80 रु. प्रति वर्ग फीट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन निर्माण की इकाई लागत के 25% की सीमा तक कार्यगृहों के निर्माण के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। अन्य अध्यसंरचना संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, इस योजना में वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के साथ संपर्क की परिकल्पना है जिसमें मौजूदा अथवा उभरते हुए वस्त्र केन्द्रों में महत्वपूर्ण अध्यसंरचना में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है।

* विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए, विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटलरहित और 2.50 लाख अर्द्ध-स्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे विद्युतकरघा मालिक उधार पूंजी की लागत को या तो 20% ऋण संबद्ध सब्सिडी लेकर अथवा लिए गए ऋण पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति प्राप्त कर कम कर सकते हैं।

[हिन्दी]

जाली बैंक ड्राफ्ट बनाने वाला गिरोह

2872. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में जाली बैंक ड्राफ्ट बनाने वाले गिरोह का पता लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारा इस गिरोह की गतिविधियों को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्हें देश में जाली ड्राफ्टों के किसी बड़े गिरोह की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशों में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंक

2873. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देशों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या देश-वार कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी घाटे में चल रही हैं;

(ग) इन बैंकों द्वारा उस देश की सरकार को कितनी धनराशि की भुगतान किया जाना है जहां इनकी शाखा/शाखाएं अवस्थित हैं; और

(घ) उन विदेशी बैंकों द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, जिनकी शाखाएं भारतीय शहरों में अवस्थित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेश में कार्यरत शाखाओं की संख्या का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नुकसान उठाने वाली शाखाओं से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशी शाखाओं की सूची (राज्य-वार)

बैंक	देश	शाखा
1	2	3
बैंक आफ बड़ौदा	बहामस द्वीप	नसाऊ
	बेल्जियम	ब्रूसेल्स
	फिजी द्वीप	बा
		लबासा
		लौटका
		नाड़ी
		नासोरी
		राकि राकि
		सिगालका
		सूवा
		क्योर पाईप
	मारिशस	फ्लेक्स
		मारिशस ओबीयू
		पोर्ट लुईस
		कतर बोर्नस
		रोज हिल
		बकोस
	सुल्तनत आफ ओमान	मुत्तराह
		रुवी (मस्कट)
		सलालाह
	सेशेल्स	सेशेल्स
	दक्षिणी अफ्रीका	डर्बन
	अमरीका (यूएसए)	न्यूयार्क
	युनाइटेड अरब अमीरात	अल ऐन
		अबु धाबी मेन
		डेरा दुबई
		दुबई
		रास अल खेमा
		शारजाह
	यू.के.	हेन्डस्वर्थ
		हैरो (स्लो)
		किलबर्न
		लंदन
		मान्चेस्टर
		साऊथहाल
		स्ट्रीथान (टूटिंग)
		वेम्बली
भारतीय स्टेट बैंक	बहामस द्वीप	नसाऊ
	बहरीन	बहरीन ओबीयू
	बंगलादेश	ढाका
	बेल्जियम	एन्टवर्प
	फ्रांस	पैरिस
	जर्मनी	फ्रैंकफर्ट
	हांगकांग	हांगकांग
	जापान	ओसाका
		टोकियो
	मालद्वीप	माली
	सिंगापुर	सिंगापुर
	दक्षिणी अफ्रीका	जोहानसबर्ग
	श्रीलंका	कोलम्बो
		कोलम्बो एफसीबीयू
	यू.एस.ए.	शिकागो
		लास एन्जलेस एजेंसी
		न्यूयार्क
	यू.के.	गोल्डन ग्रीन लंदन
		लंदन मेन
		साउथहाल

1	2	3
बैंक आफ इंडिया	केमैन द्वीप	ग्रैंड केमैन आफ शोर शाखा
	चैनल द्वीप	जर्सी
	फ्रांस	पैरिस
	हांगकांग	हांगकांग
		कोलून
	जापान	ओसाका
		टोकियो
	केन्या	मोम्बासा
		नैरोबी
	सिंगापुर	सिंगापुर
	यू.एस.ए.	न्यूयार्क
		सैनफ्रांसिसको
	यू.के.	बरमिंघम
		ईस्टहैम
		लेलसस्टर
		लंदन
		मेनचेस्टर
		वेम्बली
इण्डियन ओवरसीज बैंक	हांगकांग	हांगकांग मेन
		सम शा सुई
	दक्षिण कोरिया	सियोल
	सिंगापुर	सिंगापुर
	श्रीलंका	कोलम्बो
यूको बैंक	हांगकांग	हांगकांग मेन
		कोबलून
	सिंगापुर	सेरंगून रोड
		सिंगापुर मेन
इंडियन बैंक	सिंगापुर	सिंगापुर
	श्री लंका	कोलम्बो डीयू
		कोलम्बो एफसीबीयू
केनरा बैंक	यू.के.	लंदन
सिंडिकेट बैंक	यू.के.	लंदन

विवरण II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हानि उठाने वाली शाखाएं

वर्ष 2003-04 में परिचालन हानि उठाने वाली शाखा

भारतीय स्टेट बैंक की गोल्डन ग्रीन लंदन शाखा

वर्ष 2003-04 में निवल हानि उठाने वाली शाखा

बैंक आफ बड़ौदा, न्यूयार्क शाखा

बैंक आफ इंडिया की लंदन शाखा

भारतीय स्टेट बैंक की एंटवर्प शाखा

भारतीय स्टेट बैंक की गोल्डन ग्रीन लंदन शाखा

[हिन्दी]

मितव्ययिता उपाय

2874. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के खर्चे को कम करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई निर्देश दिए हैं जिससे उनकी दीर्घ-कालिक संपोषणता और लाभप्रदता कायम रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में बैंकों ने कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ बैंकिंग संबंध

2875. श्री गुरूदास कामत:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान बैंकिंग संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों में बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु दोनों देशों में बैंकों की शाखाएं खोलने के संबंध में समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो वे बैंक कौन से हैं जिनकी पाकिस्तान में शाखाएं खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्तमान में दोनों देशों में कार्यरत बैंकों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग को प्रोत्साहन

2876. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री इलियास आजमी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों में कालीन का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या केवल कुछ निर्यातकों ने ही कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत कालीन का निर्यात किया;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कालीन उद्योग में कार्यरत मजदूरों और शिल्पियों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) देश में कालीन उद्योग के संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों में शामिल हैं: डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु योजनाओं; विपणन एवं सहायता सेवाओं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण एवं विस्तारण इत्यादि का कार्यान्वयन। बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई) के अंतर्गत कारीगरों को स्वत: सहायता समूहों में संगठित करते हुए शिल्प समूहों का एकीकृत विकास किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कालीन उद्योग के विकास एवं संवर्धन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं अन्य आवश्यक तकनीकी इनपुटों को मुहैया कराने की दृष्टि से श्रीनगर एवं जयपुर स्थित दो सेटेलाइट केंन्द्रों सहित भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। भदोही में एक विशेष इकानोमिक जोन (एसईजेड) की भी स्थापना की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों को कालीन निर्यात किए गए और इस निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्नलिखितानुसार है:

(करोड़ रुपये में मूल्य)

क्र.सं.	देश	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अर्जेंटिना	1.90	9.70	8.74
2.	आस्ट्रेलिया	22.80	24.50	21.85
3.	आस्ट्रिया	23.29	22.90	20.47
4.	बेल्जियम	21.32	15.12	9.57
5.	केनेडा	38.55	37.34	33.35
6.	डेनमार्क	23.37	23.90	15.50
7.	फिनलैंड	12.77	14.65	12.11
8.	फ्रांस	57.89	58.96	40.44
9.	जर्मनी	602.32	642.79	508.41
10.	इटली	31.54	29.16	20.99
11.	जापान	58.28	50.92	40.31
12.	लक्समबर्ग	0.38	0.80	0.70
13.	नीदरलैंड	23.25	24.58	15.85
14.	नार्वे	5.28	5.97	5.29
15.	स्वीडन	14.46	33.74	15.13
16.	स्वीटजरलैंड	28.33	37.06	22.20
17.	स्पेन	27.47	27.50	20.61
18.	यू.एस.ए.	1157.43	1203.11	1218.01
19.	यू.के.	123.46	127.23	93.17
20.	अन्य	162.94	200.33	177.34
	कुल	2436.13	2590.26	2300.04

(ग) कालीनों के निर्यात पर निर्यातक-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कालीन उद्योग में लगे कारीगरों एवं बुनकरों को सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वे इस प्रकार से हैं: प्रशिक्षण द्वारा कार्यकुशलता का उन्नयन; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; निर्यात सहित विपणन; जीवन बीमा; अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना तथा आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत मार्जिन राशि सहायता के मार्फत ऋण सुविधा।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में वर्कशेडों के निर्माण हेतु सहायता संबंधी सुविधाओं के अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी स्कीम के मार्फत शीघ्र ऋण मुहैया कराने तथा कच्चा माल बैंक (रा मेटिरियल बैंक) के मार्फत अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल उपलब्ध कराने संबंधी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

[अनुवाद]

शहरी एवं जिला सहकारी बैंक

2877. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 नवम्बर, 2004 के अनुसार घाटे में चल रहे शहरी एवं जिला सहकारी बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इस घाटे के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि अधिकतर सहकारी बैंक वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं फिर भी सरकार नए सहकारी बैंक खोलने की अनुमति दे रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बैंक छोटे जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखें, सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में गठ-बंधन के भागीदार दलों का प्रबंधन नियंत्रण

2878. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व सहयोगी दलों के बीच प्रबंधन नियंत्रण के मुद्दे को सुलझा लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को कब तक बढ़ाकर 74 प्रतिशत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने 2004-05 के बजट में दूरसंचार के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की क्षेत्रीय सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव किया था। एफ.डी.आई. सीमा में संशोधन करने का निर्णय अंतर-मंत्रालयीय परामर्श लेने के अध्यधीन है, जिसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

प्लांटेशन कंपनियां

2879. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुबेर प्लांटेशन हेलियोस कारपोरेशन लिमिटेड, अनुभव प्लांटेशन एवं गोल्डन फारेस्ट आदि जैसी कुल कितनी प्लांटेशन कंपनियां खोली गईं जो बाद में बंद कर दी गईं;

(ख) इन कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि का गबन किया गया;

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या निवेशकों को जमा धनराशि का भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा परिसमापक की नियुक्ति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

2880. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की इक्विटियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश एक कैलंडर वर्ष में रिकार्ड ₹6.64 बिलियन तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी संस्थागत निवेशकों से किन प्रमुख क्षेत्रों को लाभ मिला है; और

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों को किस ब्याज की दर की अपेक्षा है और घरेलू बचत पर मिलने वाले ब्याज दर से यह किस प्रकार तुलनीय है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान कैलेंडर वर्ष 2004 के दौरान, 13 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार इक्विटी लिखतों में कुल विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवल निवेश की राशि 7.90 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) भारतीय इक्विटियों में विदशी संस्थागत निवेशकों के निवेश 654 स्क्रिपों में विविधीकृत हैं, जो विविध क्षेत्रकों में फैले हुए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

	क्षेत्रक	धारिता का प्रतिशत
1.	पेट्रोलियम	31%
2.	बैंकिंग	19%
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	14%
4.	विद्युत	11%
5.	दूरसंचार	4%
6.	लौह और इस्पात	4%
7.	एफएमसीजी	3%
8.	अन्य	14%
	जोड़	100%

(ग) इक्विटी में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों के संबंध में, घरेलू बचतों पर ब्याज के साथ तुलना के लिए ब्याज दर, एक महत्वपूर्ण प्राचल नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

2881. श्री रामदास आठवले:
श्री जुएल ओराम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रगति मैदान या दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों पर कितना व्यय हुआ है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे वर्ष-वार कितनी आय अर्जित की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने पूर्व/अगले तीन वर्षों के लिए देश के अन्य भागों में ऐसी प्रदर्शनी/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन देशों का भारत के साथ दीर्घकालिक व्यापार स्थापि करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने हाल ही में सम्पन्न हुई आई आई टी एफ 2004 में भाग लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है/सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक दिल्ली से इतर अन्य शहरों में निम्नलिखित सात प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं:

(1) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, चेन्नई (31 जनवरी-4 फरवरी, 2002)

(2) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, चेन्नई (31 जनवरी-4 फरवरी, 2003)

(3) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, चेन्नई (31 जनवरी-4 फरवरी, 2004)

(4) अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, कोलकाता (9-11 मार्च, 2002)

(5) अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, कोलकाता (8-11 मार्च, 2003)

(6) अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, कोलकाता (2-4 अक्तूबर, 2004)

(7) मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सामग्री मेला, मुंबई (2-4 अक्तूबर, 2004)

वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित चार प्रर्दशनियां आयोजित किए जाने की योजना है:

(1) आरोग्य, चेन्नई, बंगलौर (जनवरी)

(2) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला, चेन्नई (जनवरी-फरवरी)

(3) अंतर्राष्ट्रीय चर्म वस्तु मेला, कोलकाता (मार्च)

(4) मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सामग्री मेला, मुंबई (फरवरी)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2001-02 के दौरान इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा (-)
1	2	3	4	5
1.	कंज्युमेक्स (5/2001)	23.29	12.99	10.30
2.	सामाजिक विकास मेला (5/2001)	25.83	15.60	10.23
3.	सजावट (9/2001)	35.85	12.86	22.99
4.	दिल्ली पुस्तक मेला (9/2001)	69.61	32.21	37.40
5.	लेखन सामग्री मेला (9/2001)	21.90	12.46	9.44
6.	कृषि एक्सपो (2/2002)	52.44	26.32	26.12
7.	आहार (3/2002)	156.84	24.00	132.84
8.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जूता मेला (6/2001)	126.81	33.10	93.71
9.	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बचाव प्रदर्शनी (12/2001)	47.36	27.49	19.87
10.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया (2/2002)	270.34	121.84	148.50
11.	आरोग्य (12/2001)	44.30	24.50	19.80
12.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (11/2001)	1990.26	381.79	1608.47
	कुल	2864.83	725.16	2139.67

वर्ष 2002-03 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित मेले

1.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला (4/2002)	139.92	53.31	86.61
2.	दिल्ली पुस्तक मेला (8/2002)	81.25	33.84	47.41

1	2	3	4	5
3.	सजावट (8/2002)	33.53	13.32	20.21
4.	लेखन सामग्री मेला (8/2002)	23.38	14.42	8.96
5.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया (2/2003)	294.57	109.04	185.53
6.	आहार (3/2003)	149.38	35.66	113.72
7.	सामाजिक विकास मेला (12/2002)	25.78	12.07	13.71
8.	राष्ट्रीय फर्नीचर शो (10/2002)	33.49	17.48	16.01
9.	कंज्यूमेक्स (12/2002)	13.94	8.25	5.69
10.	आरोग्य (12/2002)	46.95	20.26	26.69
11.	कृषि एक्सपो 2003	54.39	23.94	30.45
12.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (11/2002)	2237.21	510.62	1726.59
	कुल	3133.79	852.21	2281.58
	वर्ष 2003-04 के दौरान आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित मेले			
1.	कूल होम मेला (5/2003)	9.67	12.17	(-) 2.50
2.	दिल्ली पुस्तक मेला (8/2003)	105.80	45.33	60.47
3.	लेखन सामग्री मेला(8/2003)	27.42	13.89	13.53
4.	सजावट (8/2003)	27.92	12.37	15.55
5.	आरोग्य (9/2003)	55.08	23.55	31.53
6.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चर्म मेला (10/2003)	104.42	34.32	70.10
7.	राष्ट्रीय फर्नीचर शो (10/2003)	34.83	13.83	21.00
8.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (11/2003)	2579.08	576.16	2002.92
9.	अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं बचाव प्रदर्शनी (12/2003)	82.69	30.13	52.56
10.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया (2/2004)	339.29	150.29	189.00
11.	आहार (3/2004)	187.21	36.98	150.23
	कुल	3553.41	949.02	2604.39

पारिस्थितिकी अनुकूल उद्योग को प्रोत्साहन

2882. श्री सीताराम सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्चक्रण और पारिस्थितिकी अनुकूल रक्षात्मक उपाय अपनाने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था

2883. श्री बी. विनोद कुमार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए मौजूद विनियमों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले कुछ महीनों के दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा बढ़ती जा रही विभिन्न अनियमितताओं संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा बरती जा रही विभिन्न अनियमितताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों में किए जा रहे परिवर्तन से किस हद तक रोक लगने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क), (ख) और (ङ) गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं के लिए विद्यमान विनियमों को आशोधित करने का एक प्रस्ताव था। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में हाल ही की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक के उपबंधों पर पुनरावलोकन कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दोहा घोषणा में विश्व व्यापार संगठन वार्ता

2884. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने दोहा घोषणा के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अपने अनुरोध रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत ने किन सेवाओं में रुचि प्रदर्शित की है;

(ग) मुद्दों पर इसकी बातचीत का स्तर क्या रहा है;

(घ) क्या आपात सुरक्षा उपायों संबंधी वार्ता योजनानुसार समाप्त हो गयी है;

(ङ) क्या किन्हीं विशिष्ट प्रतिबद्धताओं पर वार्ता हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। भारत ने लेखा एवं मुनीमी, वास्तुकला, स्वास्थ्य, कम्प्यूटर संबंधी सेवाएं, निर्माण एवं इंजीनियरी, वित्तीय, दृश्य-श्रव्य, पर्यटन एवं समुद्री परिवहन सेवाओं जैसे अनेक सेवा क्षेत्रों में अधिक उदार वचनबद्धताओं की मांग करने और इन सेवा क्षेत्रों में वचनबद्धताओं की उनकी वर्तमान अनुसूची में सोमाबंधनों को हटाने के लिए भी अनेक सदस्य देशों से अनुरोध किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने पद्धति 4 के अंतर्गत अपने व्यावसायिकों के मुक्त आवागमन के लिए समस्तरीय तथा क्षेत्रीय वचनबद्धताओं की मांग करते हुए 62 सदस्य देशों से अनुरोध किए हैं। ये अनुरोध उस अनुरोध पेशकश प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो डब्ल्यू टी ओ में चल रही है।

(घ) आपातकालीन रक्षोपाय (ई एस एम) संबंधी वार्ताओं को मार्च, 2004 के बाद और आगे बढ़ा दिया गया है और इन वार्ताओं के परिणाम किसी ऐसी तारीख को लागू होंगे जो सेवाओं संबंधी वार्ताओं के वर्तमान दौर के परिणामों के लागू होने की तारीख के बाद नहीं होगी।

(ङ) और (च) बाजार पहुंच तथा सदस्य देशों द्वारा की जाने वाली राष्ट्रीय व्यवहार संबंधी वचनबद्धताओं के लिए सेवा से

संबंधित वार्ताएं चल रही हैं और डब्ल्यू.टी.ओ. की महापरिषद द्वारा 1 अगस्त, 2004 को लिए गए निर्णय के अनुसार उनके द्वारा अपनी ''संशोधित पेशकशें'' मई, 2005 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

गुजरात में भूकंप प्रभावित उद्योगों को ऋण

2885. श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के भूकंप प्रभावित उद्योगों और व्यापार इकाइयों तथा व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये ऋणों और वास्तव में वितरित किये गये ऋणों में करीब 60 करोड़ रुपए का भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुनर्वास कार्य में तेजी लाने हेतु इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) गुजरात राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) के संयोजक बैंक, देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य में भूकम्प प्रभावित औद्योगिक/व्यापारिक इकाइयों/व्यक्तियों को मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता 48957 मामलों के संबंध में 310.20 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में 48524 मामलों के संबंध में 293.54 करोड़ रुपए की रकम संवितरित की गई थी। इस प्रकार, गुजरात के भूकम्प प्रभावित औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों एवं व्यक्तियों को बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित भत्तों के बीच 16.66 करोड़ रुपए का अन्तर है। यह अन्तर मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 45.30 करोड़ रुपए क्रमश: घटकर जून 2004 की स्थिति के अनुसार 16.66 करोड़ रुपए रह गया है। मंजूरियों और संवितरण के बीच अन्तर के कारण निम्नानुसार हैं:

(1) कुल अन्तर में से, 409 करोड़ रुपए मुख्य रूप से आवास क्षेत्र में है, जहां संवितरण किए गए कार्य की प्रगति के अनुसार किया जाता है;

(2) 7.50 करोड़ रुपए का अन्तर कथित रूप मे लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में है क्योंकि संवितरण सब्सिडी जारी किए जाने के साथ-साथ चरणों में किया जाता है;

(3) कुछ मामलों में, उधारकर्ता द्वारा और संवितरण किए जाने की मांग नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) संयोजक बैंक ने भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों/व्यवसाय को राहत के उपाय उपलब्ध कराने के मामले में बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए गुजरात में निगरानी समिति की कई बैठकें और एसएसबीसी की दो बैठकें आयोजित की हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों और बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधकों को स्वीकृत एवं संवितरित ऋण मामलों के बीच अन्तर को पूरा करने का परामर्श दिया गया है। इसके अलावा, जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। संयोजक बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की वजह से, अन्तर में पर्याप्त कमी आई है, जो स्वीकृत रकम का 5.38% और स्वीकृत मामलों का 0.89% है।

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का विवाद

2886. श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके अनुषंगी बैंकों की यह नीति है कि किराया बकाया आदि से जुड़े पट्टे वाले परिसरों के संबंध में उठे विवादों को ''न्यायालय के बाहर'' निपटा लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों द्वारा पिछले एक वर्ष में इस तरह से बैंक-वार कितने विवादों को निपटाया गया;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में इसके द्वारा कब्जा किए गए परिसर का विवाद शामिल है;

(घ) यदि हां, तो विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में न्यायालय के बाहर विवाद को निपटाने की नीति का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र द्वारा सार्वजनिक धन को लंबे मुकदमेबाजी पर होने वाले व्यय में कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि ऐसे

विवादों से निबटने के लिए आंचलिक कार्यालय/स्थानीय प्रधान कार्यालय स्तर पर एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण मंच है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है क्योंकि विवाद/शिकायतों का निपटाना विभिन्न आंचलिक कार्यालय/स्थानीय प्रधान कार्यालय स्तर पर किया जाता है।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (एसबीएस) ने सूचित किया है कि सुजा फैमिली ट्रस्ट तथा जोगेश ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच विरोध तथा स्वामित्व में परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक विवाद उठा है। माननीय उच्च न्यायालय ने बेदखली पर रोक लगाई है तथा मामला लंबित है।

(ङ) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र (एसबीएस) ने इस मामले में भी न्यायालय से बाहर विवाद का निपटान करने का प्रयास किया था। एसबीएस ने श्री सुरेश (निदेशक, जोगेश ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) के साथ किराए में पर्याप्त वृद्धि करके मामला निपटाए जाने के लिए बातचीत करने हेतु मई 2004 में एक समिति गठित की थी। एसबीएस का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

(च) एस.बी.एस. मुकदमेबाजी में विश्वास नहीं रखता है तथा उसने मामले को बातचीत के द्वारा आपस में निबटाने का प्रस्ताव किया है।

कृषि उत्पाद निर्यात पर रोक

2887. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार केवल उन पत्तनों के माध्यम से कृषि उत्पादों के आयात को रोकने का है जहां भारत के पास फाइटो सैनिटरी चेक्स, प्लांट क्वारंटाइन आदि जैसे आयातित वस्तुओं की गुणवत्ता जांचने का प्रबंध है;

(ख) क्या केरल भी यही कहना चाहता है कि कृषि उत्पादों का निर्यात तभी किया जाये जब आयातित कृषि उत्पादों का मूल्यवर्द्धन हो; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कृषि उत्पादों (पादपों/पादप सामग्री) के आयात को नाशक कीट एवं नाशक जीव (डी आई पी) अधिनियम, 1914 के अंतर्गत जारी पादप संगरोधन (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के जरिए विनियमित किया जाता है। पादप संगरोधन आदेश, 2003 के अनुसार कृषि वस्तुओं के आयात के लिए 59 प्रवेश स्थलों को अधिसूचित किया गया है। पत्तनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केरल सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि रियायती शुल्क के जरिए किए जाने वाले आयात की सीमा निर्धारित की जाए और यदि कृषि वस्तु वापसी निर्यात के लिए हो, तो न्यूनतम मूल्यवर्धन का आग्रह करते हुए किसी सुरक्षा तंत्र की स्थापना भी की जाए।

(ग) मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्यातों पर जोर देने के लिए सरकार की एक सामान्य नीति के रूप में वापसी निर्यात के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति है। मूल्यवर्धित मदों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमतें प्राप्त होती हैं।

विवरण

पादपों/पादप सामग्रियों और अन्य वस्तुओं के आयात के लिए प्रवेश स्थल

समुद्री पत्तन

1. अलेप्पी (केरल)*
2. भावनगर (गुजरात)
3. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. कालीकट (केरल)
5. चेन्नई (तमिलनाडु)
6. कोचीन (केरल)
7. कडालोर (तमिलनाडु)*
8. गोवा* (गोवा)
9. गोपालपुर (उड़ीसा)*
10. हल्दिया (पश्चिम बंगाल)
11. जामनगर (गुजरात)*
12. बेपोर (केरल)*
13. काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश)
14. कांडला (गुजरात)
15. कारवार (कर्नाटक)*
16. कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश)*
17. मछलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश)*

18. मांडवी (गुजरात)
19. मंगलौर (कर्नाटक)
20. मुम्बई (महाराष्ट्र)
21. मुंदरा (गुजरात)
22. नागापट्टनम (तमिलनाडु)*
23. न्हावा शिवा (महाराष्ट्र)
24. नवलखी (गुजरात)*
25. ओखा (गुजरात)*
26. पारद्वीप (उड़ीसा)
27. पांडिचेरी
28. पोरबंदर (गुजरात)*
29. रामेश्वरम (तमिलनाडु)
30. तिरुवन्तपुरम (केरल)
31. तूतीकोरिन (तमिलनाडु)
32. वेरावल (गुजरात)*
33. विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
34. विझिन्जेम (केरल)

विमानपत्तन

1. अमृतसर (पंजाब)
2. बंगलौर (कर्नाटक)
3. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. चेन्नई (तमिलनाडु)
5. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
6. मुम्बई (महाराष्ट्र)
7. नई दिल्ली (दिल्ली)
8. पटना (बिहार)
9. तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु)
10. त्रिवेन्द्रम (केरल)
11. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
12. गुवाहाटी (असम)

भू सीमा स्टेशन

1. अगरतला (त्रिपुरा)
2. अमृतसर रेलवे स्टेशन (पंजाब)
3. अटारी रेलवे स्टेशन (पंजाब)
4. अटारी वाघा बार्डर (पंजाब)
5. बोनगांव (पश्चिम बंगाल)
6. गेडे रोड रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल)
7. जोगबानी (बिहार)
8. मोरेह (मणिपुर)
9. पानी टंकी (पश्चिम बंगाल)
10. रक्सौल (बिहार)
11. रूपाडिहा (उत्तर प्रदेश)
12. सोनौली (उत्तर प्रदेश)
13. बानबासा (उत्तरांचल)

*केवल खाद्यान्नों और इमारती लकड़ी के आयात के लिए।

नाबार्ड से सहायता

2888. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नाबार्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी.एच.सी.) के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाबार्ड की सहायता से राज्यों में विशेषकर गुजरात में राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वर्ष 1999-2000 से ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मंजूर किये गए

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या और स्वीकृत राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	स्वीकृत पीएचसी की संख्या	स्वीकृत राशि
जम्मू और कश्मीर	22	32.67
कर्नाटक	1761	41.63
मिजोरम	84	9.25
तमिलनाडु	304	22.77
पश्चिम बंगाल	1296	44.21
छत्तीसगढ़	1200	15.30
कुल	4667	165.83

आरआईडीएफ के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए गुजरात सरकार से गुजरात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) के निर्माण के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

2889. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बावजूद ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक और वित्तीय दोनों रूप से योजना-वार और राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(घ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किस तरह से इस राशि का उपयोग किया गया था; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के जरिए युवाओं सहित गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के सदस्यों के लाभ के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जो एक स्व-रोजगार योजना है तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) जो एक मजदूरी रोजगार योजना है, कार्यान्वित कर रहा है। सभी जिलों के पात्र बेरोजगार युवा इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। 2003-04 तथा 2004-05 (अक्तूबर, 2004 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	एसजीएसवाई		एस जी आर वाई	
	उपयोग की गई निधियां (रु. करोड़ में)	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की सं. (सं. लाख में)	उपयोग की गई निधियां (रु. करोड़ में)	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
2001-02	970.32	9.37	4192.07	5229.79
2002-03	921.16	8.26	5000.01	7482.93
2003-04	1044.25	8.96	5957.75	8560.24

(घ) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयुक्त की जाती हैं।

(ङ) चालू वर्ष (2004-05) के दौरान निधियों का केन्द्रीय आबंटन तथा अनुमानित वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

योजना का नाम	केन्द्रीय आबंटन (रु. करोड़ में)	अनुमानित वास्तविक उपलब्धि
एस जी एस वाई	1000.00	9.00 (लाख स्वरोजगारी)
एस जी आर वाई	4495.25	8565.00 (लाख श्रमदिन अनुमानत:)

इसके अतिरिक्त, हाल में शुरू किए गए काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जाएगा, के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 2020 करोड़ रु. तथा 20 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए।

कर वसूली के लंबित मामले

2890. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से राजस्व बकाये की वसूली हेतु विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कुल कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) इस वित्तीय वर्ष में अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) बेहतर राजस्व संग्रहण हेतु इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार केवल कर वसूली मामलों को ही निपटाने हेतु विशेष पीठ या न्यायालय गठित करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) देय राशियों की वसूली के लिए विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मामलों की संख्या	तारीख
प्रत्यक्ष कर	1,06,201	30.6.2004 की स्थिति के अनुसार
अप्रत्यक्ष कर	32,948	30.9.2004 की स्थिति के अनुसार

(ख) इस वित्तीय वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	मामलों की संख्या	तारीख
प्रत्यक्ष कर	8170	30.6.2004 की स्थिति के अनुसार
अप्रत्यक्ष कर	4350	30.9.2004 की स्थिति के अनुसार

(ग) बेहतर राजस्व संग्रहण के शीघ्रता से निपटान के लिए उठाए गए कदमों में अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का अनुवीक्षण करना, मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में अपील दर्ज करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मौद्रिक सीमा नियत करने संबंधी अनुदेश जारी करना, न्यायालय द्वारा बताई गई कमी को ठीक करने के लिए कानूनी उपाय, उच्च मांग वाली अपीलों के प्राथमिकता के आधार पर समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें करना, आदि शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण की स्थापना के लिए सरकार ने संसद के चालू सत्र में राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 प्रस्तुत किया है। इससे कर संबंधी मामलों का शीघ्रता से समाधान होगा और कर बकाया की शीघ्रता से वसूली करने में भी सुविधा होगी।

स्विस बैंक में खाता खोलना

2891. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नागरिकों को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना स्विस बैंक में अपनी धनराशि जमा कराने की स्वतंत्रता है;

(ख) यदि हां, तो स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय नागरिक को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी बैंक में खाता खोलने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों के लिए मानदंड

2892. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन और बैसेल-II द्वार बैंकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों से कृषि ऋण/लघु उद्योगों, शिक्षा और सफाई एवं पेयजल जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान दुरूह प्रणाली को आम आदमी के लिए किस तरह से आसान बनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2004 में अपने वार्षिक नीति विवरण में यह घोषणा की है कि भारत में बैंकों को बेसल-II के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प की गहराई से जांच करनी चाहिए तथा बेसल II में स्थानांतरण के लिए दिसम्बर 2004 के अंत तक खाका तैयार कर लेना चाहिए और तत्संबंधी हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए। बेसल II में निर्बाध स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालन समिति का गठन किया है जिसमें 14 बैंकों, आईबीए और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न मामलों के निपटान के लिए इस संचालन समिति में छोटे-छोटे उप समूह भी होंगे।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनमें कृषि, लघु उद्योग, कमजोर वर्ग के लोग आदि सम्मिलित हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शिक्षा के लिए ऋण का दिया जाना भी शामिल है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत
कृषि	निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत
लघु उद्योग	कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं
कमजोर वर्ग	निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत या प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत

देश में किसानों को और सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा जून 2004 में किसानों के लिए एक विशेष राहत पैकेज को स्वीकृत किया गया था। इसमें ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, किसानों के लिए नया वित्त, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना और गैर संस्थागत उधार में ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत उपाय भी शामिल थे।

शिक्षा ऋण पर ब्याज

2893. श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
डा. चिन्ता मोहन:
डा. आर. सेनथिल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च तथा व्यावसायिक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज वसूला जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक विद्यार्थियों को राज्य-वार एवं वर्ष-वार कितना ऋण वितरित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) 4 लाख रु. तक के शैक्षिक ऋणों पर ब्याज दर आधार प्राथमिक उधार दरों (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 4 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए यह बीपीएलआर जमा (प्लस) 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में भारत तथा विदेश में स्कूलों तथा कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित सभी प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से संवितरित शैक्षिक ऋणों के बारे में राज्य-वार सूचना का ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। तथापि, पिछले तीन वर्ष (अर्थात 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (अगस्त, 2004 तक) के दौरान शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत खातों की संख्या और संवितरित राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 (अगस्त, 2004 तक) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋणों के खातों की बैंक-वार संख्या तथा संवितरित राशि

(रु. लाख में)

क्रम सं.	बैंक का नाम	2002-03		2003-04		2004-05 (अगस्त, 2004 तक)	
		खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	3311	4752	3315	3689	424	498
2.	आन्ध्र बैंक	23174	28564	29339	39091	3030	7324
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	2690	2607	827	1288	456	825
4.	बैंक आफ इंडिया	5115	6650	7392	8616	3571	4425
5.	बैंक आफ बड़ौदा	4435	5650	4268	5938	15676	22585
6.	केनरा बैंक	15641	15773	3418	18600	9281	5590
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1501	3616	3531	8494	647	1218
8.	कारपोरेशन बैंक	2764	3323	4036	5880	2094	1243
9.	देना बैंक	778	1095	1030	1533	816	1137
10.	इंडियन बैंक	2307	3335	2881	3872	2746	3813
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	7021	14297	5849	14012	2143	4368
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	7607	9516	10503	15421	598	1774
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	787	1543	905	2732	294	907
14.	पंजाब नैशनल बैंक	6462	16384	7287	18696	2730	6563
15.	सिंडिकेट बैंक	3303	1956	7656	9055	1628	2442
16.	भारतीय स्टेट बैंक	29610	44639	20422	43128	2650	8082
17.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1376	2603	3246	4996	899	2028
18.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1112	1107	1019	1034	468	476
19.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8996	11646	14296	19960	2745	3054
20.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2476	4841	8986	15533	1114	2967

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	971	2100	936	1903	367	811
22.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	402	822	444	1038	153	341
23.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	639	954	1068	1937	610	1114
24.	यूको बैंक	1485	1988	2282	2963	391	1442
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2114	2145	1096	1404	1934	2041
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	3341	5031	5016	6431	2541	2802
27.	विजया बैंक	1507	2351	2227	3173	1454	1677
	कुल	140925	199488	153275	260699	61460	91547

करघों का आधुनिकीकरण

2894. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनकरों को उनके करघों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने करघों को आधुनिकीकृत किया गया; और

(घ) देश में हथकरघा बुनकरों के और उत्थान हेतु किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनकरों को उनके करघों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता दी जा रही है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत करघों की संख्या और दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र की मांग के आधार पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में हथकरघा क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

विकासात्मक योजनाएं:

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
4. डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
5. मिल गेट कीमत योजना।
6. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
7. हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% की एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना।

कल्याणकारी योजनाएं:

1. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
2. स्वास्थ्य पैकेज योजना।
3. ग्रिफ्ट फंड योजना।
4. बुनकर बीमा योजना।
5. नई बीमा योजना।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यों को आधुनिकीकृत करने के लिए स्वीकृत डाक्विज, बेकार्ड उपकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
		2001-02	
1.	आंध्र प्रदेश	5024	81.31850
2.	अरुणाचल प्रदेश	2700	90.25300
3.	असम	15120	752.95000
4.	छत्तीसगढ़	407	4.07500
5.	हिमाचल प्रदेश	575	41.75000
6.	कर्नाटक	0	0.00000
7.	मध्य प्रदेश	265	3.35000
8.	नागालैंड	7500	113.07000
9.	तमिलनाडु	7771	46.45900
10.	उत्तर प्रदेश	13236	427.46500
11.	उत्तरांचल	742	21.99000
12.	पश्चिम बंगाल	860	41.60000
	कुल	54200	1624.28050
		2002-03	
1.	आंध्र प्रदेश	4710	131.66000
2.	अरुणाचल प्रदेश	200	10.75000
3.	असम	14300	671.90000
4.	छत्तीसगढ़	1330	33.65000
5.	हिमाचल प्रदेश	1175	36.25000
6.	केरल	800	19.22500
7.	मध्य प्रदेश	165	3.19000
8.	मणिपुर	7913	255.19600
9.	नागालैंड	2550	38.25000
10.	राजस्थान	150	2.82000
11.	तमिलनाडु	17067	166.20000
12.	उत्तर प्रदेश	8540	251.69500
13.	उत्तरांचल	563	17.81500
14.	पश्चिम बंगाल	3460	207.87300
	कुल	62923	1846.47400
		2003-04	
1.	असम	5400	239.35000
2.	बिहार	484	8.22000
3.	छत्तीसगढ़	464	11.68000
4.	हिमाचल प्रदेश	700	36.50000
5.	कर्नाटक	100	1.00000
6.	केरल	5900	89.23000
7.	मध्य प्रदेश	150	1.55000
8.	नागालैंड	7644	249.43000
9.	उत्तर प्रदेश	9207	188.29000
10.	पश्चिम बंगाल	225	11.15000
11.	तमिलनाडु	12980	145.64000
	कुल	43254	982.04000

सरदार सरोवर परियोजना के लिए धनराशि

2895. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर के कारकों के कारण सरदार सरोवर परियोजना में ज्यादा समय लगने से उत्पन्न ऋण भार के कारण गुजरात सरकार को समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को अतिरिक्त ब्याज भार के वित्त पोषण हेतु गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि विभिन्न कारणों की वजह से परियोजना को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण उनकी सरकार अधिक ब्याज भार से ग्रस्त है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार ऐसे प्रयोजनों के लिए कोई अनुदान सहायता प्रदान नहीं करती है।

बैंकों द्वारा निवेश

2896. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों में निवेश हेतु बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को क्या मार्गनिर्देश दिए गए हैं;

(ख) क्या बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कितना निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए उपलब्ध ऋण सुविधाएं बहुत कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और अधिक लोगों को ऋण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्टाक दलालों को सहकारी बैंक का अग्रिम

2897. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों को शेयर दलालों को कोई अग्रिम देने से रोका गया था;

(ख) क्या सरकार को शेयर/स्टाक दलालों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मागनिर्देशों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शेयर बाजार में धनराशि निवेश पर इन बैंकों के प्रबंधन द्वारा बरती गई अनियमितताओं के कारण कितने सहकारी बैंक रुग्ण हो गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मामले पर और छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई.आई.टी.एफ. 2004 की जाली टिकटें

2898. श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री कीर्तिवर्द्धन सिंह:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मेले में जाली टिकटों की बिक्री का मामला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जाली टिकटों की बिक्री का कोई भी मामला इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) के

ध्यान में नहीं आया है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने कुछ मुद्रकों के परिसरों से फालतू टिकटें बरामद की हैं तथा वह इस मामले में जांच कर रही है।

[अनुवाद]

शिक्षा उपकर

2899. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 2004 से लगाए गए शिक्षा उपकर से विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो करदाताओं के श्रम को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि शिक्षा उपकर को लगाने से कोई विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उच्च कर ढांचा

2900. श्री चंद्रकान्त खैरे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कर ढांचा अधिक ऊंचा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियां यहां अपना कारोबार स्थापित करने की इच्छुक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर नीति दीर्घकालिक बनाई जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) भारत वर्तमान में एक संतुलित कर दर प्रणाली का पालन कर रहा है जोकि वैश्विक रूझानों के अनुरूप है। भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार को स्थापित करना अनेक कारकों पर निर्भर करता है और विदेशी कंपनियों की भारत में व्यापार स्थापित करने की अनिच्छा, यदि कोई, हो तो उसके लिए देश का कर ढांचा एक मात्र जिम्मेदार नहीं है।

(ख) दीर्घकालिक आधार पर कर नीति का प्रतिपादन करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और वर्तमान संतुलित कर दर प्रणाली ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है। अनुपालन की सुगमता, उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना और पर्याप्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर दरों को विकसित किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा पूंजी

2901. श्री सुरेश कुरूप:
श्री राजेश कुमार मांझी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमा पूंजी में गत दो वर्षों की जमा पूंजी की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 और अप्रैल, 2004 से आज तक भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक खाताधारी अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा पर ब्याज की दर संशोधित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बकाया एनआरआई जमाराशियां नीचे दी गई है:

की स्थिति के अनुसार	एनआरआई जमा-अमरीकी मिलियन डालर में बकाया राशि
31.03.2002	25,174
31.03.2003	28,529
31.03.2004	33,266
31 अगस्त, 2004 (अनन्तिम)	31,560

(घ) और (ङ) अनिवासी जमाराशि पर ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि सरकार द्वारा। बैंक अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाराशियां तथा देशी मुद्रा में अनिवासी बाह्य जमाराशियां प्रदान कर सकते हैं।

हस्तनिर्मित कालीन हेतु विश्व मंच

2902. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का हस्तनिर्मित कालीनों का विश्व मंच स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मंच के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसमें सम्मिलित किए जाने वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) हमारे कालीन उद्योग के लिए यह कहां तक सहायक होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नामांकित सहकारी समितियों से खरीद

2903. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने अर्थव्यवस्था को खोलने, नियंत्रण हटाने और उदारीकरण का आश्रय लेने के लिए प्रतिक्रिया की है;

(ख) यदि हां, तो केवल दो नामांकित सहकारी समितियों से अपनी आवश्यकताओं की खरीद करने के लिए सरकारी कार्यालयों पर प्रतिबंध के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लेखन सामग्री और अन्य मदों की खरीद से प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव है ताकि सरकारी कार्यालय खुले बाजार से प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीद कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिनांक 14.07.1981 को सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) में निर्धारित निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने की प्रक्रिया में छूट देते हुए एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें केन्द्र सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित तथा/अथवा नियंत्रित अन्य संगठनों के लिए लेखन-सामग्री एवं अन्य मदों की सभी स्थानीय खरीद केवल केन्द्रीय भण्डार से ही करना अनिवार्य कर दिया था। बाद में ये रियायतें वर्ष 1987 तथा 1994 में क्रमश: सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. के लिए भी लागू कर दी गईं थीं। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए तथा केन्द्रीय सरकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक तथा आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश की समीक्षा अंतर्मंत्रालयी बैठक में की गई थी, जिसमें व्यापक रूप में यह निर्णय लिया गया कि जी.एफ.आर. के निविदा आमंत्रण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद के लिए भी किया जाए। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अपेक्षा है कि वह अंतर्मंत्रालयी बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर संशोधित आदेश जारी करे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता

2904. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण स्वायत्तता देकर वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) ब्याज दरों में अविनियमन, कई क्षेत्रों में बैंकों के कार्य स्वायत्तता तथा गैर-सरकारी तथा विदेशी बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी की अनुमति के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में प्रतिस्पर्धा पैदा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने भी बैंकिंग क्षेत्र में अनुपयोज्य आस्तियों को घटना में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अविनियमन के भाग के रूप में ऋण बाजार पर नियंत्रण में भारी कमी आई है क्योंकि सांविधिक चल निधि अनुपात तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात के सांविधिक अनुपात को कम कर दिया गया है। अधिकांश ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है। प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लोक निर्गमों के माध्यम से इक्विटी जुटाने की अनुमति दी गई जिसके द्वारा सरकार द्वारा धारित इक्विटी

की शेयर प्रतिशतता में कमी लाई जा सके। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई सीमा को विद्यमान 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी तथा गैर-सरकारी बैंकों को लाइसेंस दिए हैं ताकि बेहतर प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता प्राप्त कौशल, बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, पोर्टफोलियों का अधिकाधिक विविधीकरण तथा वित्तीय बाजारों के सघनीकरण से वित्तीय लाभान्वित हो सके।

क्रेडिट कार्ड

2905. **प्रो. रासा सिंह रावत:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिटी बैंक/आईसीआईसीआई बैंक व्यक्तियों से बिना किसी लिखित अनुरोध के स्वयं उनको क्रेडिट कार्ड जारी कर देते हैं और फिर उन्हें ऐसे क्रेडिट कार्डों का प्रयोग किये बिना खाते के रख-रखाव और सेवा कर बिल भेज देते हैं;

(ख) यदि हां, तो बिना लिखित अनुरोध के क्रेडिट कार्ड को जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा लोगों को इन बैंकों की धोखेबाजी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा लोगों से बिना किसी लिखित अनुरोध के जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की संख्या कितनी है और उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें खाते के रख-रखाव और सेवा करों के बिल जारी किए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिटी बैंक/आईसीआईसीआई बैंक को यह निदेश देने का है कि वे लोगों को बिना किसी लिखित अनुरोध के क्रेडिट कार्डों को जारी करना बंद करें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों को अवनियमित कर दिया गया है। बैंक क्रेडिट कार्ड कारबार विभाग से कर सकते हैं अथवा इस प्रयोजन के लिए गठित एक सहायक कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। वे घरेलू क्रेडिट कार्ड कारबार पहले से क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था रखने वाले किसी बैंक के साथ तालमेल व्यवस्था करके भी कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य कार्ड जारी करने वाले बैंकों के साथ तालमेल व्यवस्था करके क्रेडिट कार्ड का कारबार करने के इच्छुक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है। बैंक ऐसा अपने बोर्ड के अनुमोदन से कर सकते हैं।

वर्ष 2004-05 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक एवं ग्राहक सुरक्षा पहलू की जांच करने तथा कार्ड का प्रयोग एक सुरक्षित, निरापद तथा ग्राहक अनुकूल तरीके से करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक कार्य दल का गठन कर दिया गया है। यह भी निर्णय किया गया है कि क्रेडिट कार्ड शिकायतों को बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना के क्षेत्राधिकार में शामिल कर दिया जाए।

[हिन्दी]

बलात्कार हेतु सजा

2906. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी है कि बलात्कार की सजा अपराध की तुलना में कम और अविवेकपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बलात्कार की सजा को अपराध के अनुसार ही कठोर बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय की कोई विनिर्दिष्ट राय प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय दंड संहिता, 1860 के विद्यमान उपबंध, बलात्संग के अपराध के मामले में आजीवन कारावास तक का दंड विहित करते हैं। विधि आयोग और दंड न्याय प्रणाली के संबंध में सिफारिशें करने के लिए गठित समिति ने बलात्संग के अपराध के लिए मृत्यु दंड की सिफारिश नहीं की है। तद्नुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र संबंधी विश्व व्यापार संगठन का करार

2907. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री अभलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र संबंधी विश्व व्यापार संगठन के करारों के प्रस्ताव की जांच हेतु कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार पर बातचीत के मुद्दों के संबंध में सतत आधार पर सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए वाणिज्य विभाग ने मई, 2002 में कृषि संबंधी विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसमें ख्याति प्राप्त कृषि-अर्थशास्त्री शामिल हैं। यह विशेषज्ञ दल समय-समय पर बैठकें कर रहा है और वार्ताओं की तात्कालिकता के अनुसार वार्ताकारों का मार्गदर्शन कर रहा है। कृषि संबंधी चल रही व्यापार वार्ताओं के संभावित प्रभाव की जांच करने और प्रतिकूल परिणामों को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग ने नवम्बर, 2004 में एक अंतर्मंत्रालयी परामर्शदात्री दल का गठन किया है। किसी भी दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

ग्रामीण स्वच्छता

2908. श्री गिरिधारी यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों पर प्रसाधनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार प्रदान की गई विभिन्न राजसहायताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजसहायता को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को बी पी एल परिवारों के लिए घरेलू शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु वित्तीय सहायता देती है। लोगों में बुनियादी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में जागरुकता पैदा करने और स्वच्छता संबंधी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को बढ़ाने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। टी एस सी के अंतर्गत घटक-वार लागत वहन प्रणाली संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसी पंचायती राज्य संस्थाओं को निर्मल ग्राम पुरस्कार के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जो स्वच्छता की पूर्ण कवरेज हासिल करती हैं तथा अपने अधिकार क्षेत्र में खुले में मल-त्याग की प्रथा को समाप्त करती हैं।

(ख) से (घ) सरकार ने मौजूदा सब्सिडी संरचना सहित टी एस सी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन कराया है। मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक निर्णय लिये जाएंगे।

विवरण

क्र.सं.	घटक	अंशदान प्रतिशत		
		भारत सरकार	राज्य	परिवार/समुदाय
क.	शुरू किए गए क्रियाकलाप (प्रारंभिक सर्वेक्षण, प्रचार-प्रसार आदि)	100	0	0
ख.	आईईसी, इसमें प्रेरणात्मक जागरूकता तथा शिक्षा अभियान, सहयोग आदि शामिल हैं	80	20	0
ग.	वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र (उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता बाजार)	80	20	0
घ.	बीपीएल/अक्षम परिवारों के लिए अलग-अलग शौचालय	60	20	20
	(1) यदि मूल लागत 625 रु. तक है	30	30	40
	(2) यदि मूल लागत 625 रु. से अधिक किंतु 1000 रु. से कम है	0	0	100
	(3) यदि मूल लागत 1000 रु. से अधिक है			
ङ.	एपीएल के लिए अलग-अलग घरेलू शौचालय	0	0	100
च.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	60	20	20
छ.	आंगनवाड़ियों सहित स्कूल स्वच्छता (हार्डवेयर तथा सहयोगी सेवाएं)	60	30	10
ज.	प्रशासनिक प्रभार इसमें प्रशिक्षण, स्टाफ, सहयोगी सेवाएं, निगरानी एवं मूल्यांकन आदि शामिल है	80	20	0

[हिन्दी]

आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

2909. श्री किशन सिंह सांगवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का भी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों पर कितनी शास्ति लगाई गई है;

(ग) क्या किसी बैंक को जारी किया गया लाइसेंस बार-बार उन पर शास्ति लगाने से निरस्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण भवन केन्द्र

2910. श्री सीताराम यादव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई मानदण्ड अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापित ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है और इस संबंध में केन्द्र द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता कितनी है; और

(घ) सरकार के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रत्येक राज्य से लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी है और ये कब से लंबित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना की योजना 1999-2000 से 2003-2004 तक संचलन में थी तथा इसे पहले ही चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1.4.2004 से समाप्त कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी मुहैया कराना, सूचना का प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण के जरिए कौशल बढ़ाना और किफायती तथा पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उत्पादन है।

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्यवार तथा वर्ष-वार ब्यौरे।

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत ग्रा. भवन केंद्रों की सं.	वर्ष		
			2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9	3.00	6.00	20.98
2.	असम	3	–	12.00	6.00
3.	बिहार	5	3.00	14.00	12.00
4.	कर्नाटक	6	3.00	6.00	3.00
5.	जम्मू व काश्मीर	2	–	–	10.00
6.	झारखंड*	1	–	–	–
7.	गुजरात	14	69.00	21.60	10.76
8.	हरियाणा	3	–	12.00	2.40
9.	हिमाचल प्रदेश	4	–	6.00	–
10.	मध्य प्रदेश	7	–	17.20	23.00
11.	महाराष्ट्र	1	–	6.00	6.00
12.	उड़ीसा	9	–	18.00	24.00

1	2	3	4	5	6
13.	राजस्थान	1	–	6.00	–
14.	तमिलनाडु	3	–	12.00	6.00
15.	मणिपुर	2	–	6.00	12.00
16.	नागालैंड	2	–	12.00	6.00
17.	उत्तर प्रदेश	7	–	12.00	24.00
18.	उत्तरांचल	3	–	6.00	12.00
19.	पश्चिम बंगाल	2	–	6.00	6.00
20.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–	6.00
	कुल	85	78.00	178.80	190.14

*हुडको द्वारा निधियां रिलीज नहीं की गई है।

(घ) चूंकि योजना को 1.4.2004 से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए योजना के अंतर्गत प्रस्तावों के लंबित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2911. **श्री डी. विट्टल रावः**
श्री पी. राजेन्द्रनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते की स्वीकार्यता एवं पात्रता राशन कार्ड, एल.पी.जी. कनेक्शन, मतदाता पहचान पत्र, मकान मालिक से मकान किराया रसीद आदि प्रस्तुत करने के अध्यधीन होती है अन्यथा वे मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के पात्र और हकदार नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकारी कर्मचारियों से उपरोक्त अपेक्षाओं की मांग हेतु मकान किराया भत्ता के नियम के प्रावधान और कारण क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1.1.1996 से मकान किराया भत्ते के भुगतान से संबंधित माध्यमस्थम पंचाट को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 01.01.1996 से 31.07.1997 तक पूर्व-संशोधित दरों से संशोधित मूल वेतन पर मकान किराया भत्ते (एच.आर.ए.) का भुगतान किए जाने संबंधी विवाचन बोर्ड का अधिनिर्णय जे.सी.एम. स्कीम के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है।

दीन दयाल हथकरघा योजना

2912. **श्री असादूद्दीन आवेसी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समेकित एवं व्यापक तरीके से शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य और केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम को 50:50 के आधार पर वित्त पोषित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें इस कार्यक्रम के लिए अपना हिस्सा प्रदान नहीं कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस कार्यक्रम हेतु अपना हिस्सा प्रदान नहीं कर रहे हैं; और

(च) राज्यों को अपना हिस्सा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य व्यापक गतिविधियों: जैसे उत्पाद विकास, अवसंरचना सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों की प्रशिक्षण, उपकरणों की आपूर्ति एवं विपणन सहायता इत्यादि हेतु समेकित एवं समन्वित तरीके से सूक्ष्म एवं वृहद दोनों स्तरों पर हथकरघा क्षेत्र के समग्र एवं हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचाना है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात् सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश के संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार के बीच निधियन प्रणाली 90:10 के अनुपात में है और अन्य राज्यों के मामले में यह प्रणाली 50:50 के अनुपात में है। उन एजेंसियों के मामले में जहां 100% लाभार्थी सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के हैं वहां पर केन्द्र और राज्य के बीच यह भागीदारी 75:25 के अनुपात में है। तथापि योजना के तहत विपणन प्रोत्साहन घटक के लिए सभी राज्यों के मामले में यह भागीदारी 50:50 के अनुपात में है।

(घ) से (च) राज्य सरकारों द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के बाद ही योजना के तहत परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं कि राज्य सरकार के पास अपेक्षित शेयर वहन करने के लिए उनके पास पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा पुन: वित्त पोषण

2913. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान लघु अवधि (मौसमी कृषि कार्यकलापों) के लिए नाबार्ड द्वारा पुन: वित्त पोषण औसतन 10% से कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) नाबार्ड सहकारी बैंकों (अल्पावधि संरचना) एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) एसटी (एसएओ) प्रयोजन के लिए पुनर्वित्त देता है। सहकारी बैंकों एवं आरआरबी द्वारा बुनियादी स्तर के संवितरणों की तुलना में नाबार्ड से एसटी-एसएओ पुनर्वित्त का हिस्सा (संस्वीकृत सीमा के बदले अधिकतम बकाया) नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बुनियादी स्तर के संवितरण	संस्वीकृत सीमा	उपयोग की गई सीमा	कालम (2) की तुलना में कालम (4) का प्रतिशत
2000-01	16583	6507.51	5176	31
2001-02	18828	6546.93	5447	29
2002-03	19707	6746.67	5420	27
2003-04	22697	7314.28	5361	24

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बुनियादी स्तर के संवितरण	संस्वीकृत सीमा	उपयोग की गई सीमा	कालम (2) की तुलना में कालम (4) का प्रतिशत
2000-01	3245	1115.95	1058	32
2001-02	3777	1192.13	1114	29
2002-03	4775	1252.36	1093	23
2003-04	6088	1346.62	937	15

गत चार वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों को एसटी (एसएओ) के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त 24% से 31% के बीच रहा जबकि आरआरबी को पुनर्वित्त का स्तर 15% से 32% के बीच रहा। नाबार्ड के पुनर्वित्त का उपयोग करने में पाई गई गिरावट की प्रवृत्ति का मुख्य कारण आरआरबी स्तर पर सुखद चलनिधि की स्थिति थी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को फसल ऋण की प्रयोजन से वे नाबार्ड के पुनर्वित्त पर आश्रित नहीं थे। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2003-04 के दौरान मंजूर की गई सीमा का केवल 70% आरआरबी द्वारा आहरित किया गया था।

राज्य सहकारी बैंकों को एसएओ पुनर्वित्त का न्यायसंगत संवितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा परिचालन में लोच देने के लिए, नाबार्ड ने 2004-05 से एसटी (एसएओ) नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति के अनुसार, पात्र जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के संबंध में एससीबी के माध्यम से एससीबी की अंतर्ग्रस्तता के आधार पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को बकाया उनके ऋण की 30% अथवा 20% की सीमा तक समेकित सीमा मंजूर की जा रही है। आशा है कि इन उपायों से बुनियादी स्तर के ऋणों में नाबार्ड के पुनर्वित्त का हिस्सा और बढ़ेगा।

नोटेरी पब्लिक हेतु गुजरात से आवेदन

2914. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार से नोटेरियों की नियुक्तियों के लिए कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) केंद्रीय सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार से नोटेरियों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केंद्रीय सरकार को गुजरात से पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 2001, 2002 और 2003 के दौरान नोटेरियों के रूप में व्यवसाय करने के लिए नियुक्ति हेतु 159 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इन आवेदनों में से कुछ आवेदनों पर केंद्रीय सरकार के विनिश्चय की संसूचना आवेदकों को दे दी गई थी और शेष आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।

खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण

2915. श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या अन्य राज्यों से भी समान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को न्याय प्रदान करने के लिए विशेष न्यायालय

2916. श्री जुएल ओराम: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यवार स्थापित किए जाने वाले विशेष न्यायालयों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार, राज्य सरकार, शीघ्र विचारण की व्यवस्था करने के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए अधिनियम के अधीन अपराधों का विवरण करने हेतु एक सेशन न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, जो प्रधानत: जनजाति बहुल क्षेत्र वाले राज्य हैं, को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने

अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विद्यमान सेशन, न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित कर दिया है। तथापि, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन अपराधों के विचारण के लिए स्थापित अनन्य विशेष न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. गुंटूर 2. तिरुपति (चित्तूर) 3. महबूब नगर 4. नेल्लौर 5. कुरनूल 6. मेडक 7. प्रकासम (ओंगोल) 8. सिकन्दराबाद।
2.	बिहार	9 मंडलीय मुख्यालयों पर और साथ ही पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) और भोजपुर जिलों में भी
3.	छत्तीसगढ़	1. बस्तर 2. रायपुर, 3. बिलासपुर 4. दुर्ग 5. रायगढ़ 6. राजनंदगांव 7. सरगुजा
4.	गुजरात	1. बनासकांठा (पालनपुर) 2. अहमदाबाद (ग्रामीण) 3. कच्छ (भुज) 4. अमरेली 5. वडोदरा 6. जूनागढ़ 7. पंचमहल (गोधरा) 8. राजकोट 9. सूरत 10. सुरेन्द्रनगर।
5.	कर्नाटक	1. बेलगाम 2. मैसूर, 3. कोलार 4. रायचूर 5. बीजापुर 6. गुलबर्गा 7. टुमकूर।
6.	मध्य प्रदेश	1. धार 2. शाजापुर 3. मुरैना 4. शहडोल 5. दामोह 6. रायसेन 7. मण्डला 8. सिहौर 9. भिंड 10. टीकमगढ़ 11. मंडलेश्वर (खंडवा) 12. देवास 13. मनसौर 14. इंदौर 15. होशंगाबाद 16. जबलपुर 17. विदिशा 18. पन्ना 19. छतरपुर 20. उज्जैन 21. गुना 22. सतना 23. रीवा 24. नरसिंहपुर 25. सागर 26. ग्वालियर 27. राजगढ़ 28. भोपाल 29. झाबुआ।
7.	राजस्थान	1. अलवर 2. पाली 3. प्रतापगढ़ (चितौड़गढ़) 4. दौसा 5. जयपुर 6. अजमेर 7. उदयपुर 8. जोधपुर 9. कोटा 10. बीकानेर 11. मेड़ता 12. टोंक 13. श्री गंगानगर 14. बारां 15. सवाईमाधोपुर 16. झालावाड़ 17. भीलवाड़ा।
8.	तमिलनाडु	1. त्रिची 2. मदुरै 3. तंजावुर 4. तिरुनेलवेल्ली।
9.	उत्तर प्रदेश	1. फर्रुखाबाद 2. उन्नाव 3. बस्ती 4. बांदा 5. इटावा 6. हमीरपुर 7. गोंडा 8. कानपुर सिटी 9. बदायूं 10. सुल्तानपुर 11. बाराबंकी 12. बुलन्दशहर 13. गोरखपुर 14. वाराणसी 15. भीलीभीत 16. एटा 17. देवरिया 18. झांसी 19. फैजाबाद 20. आगरा 21. कानपुर ग्रामीण 22. बहराइच 23. लखनऊ 24. जालौन 25. मेरठ 26. गाजियाबाद 27. सिद्धार्थनगर 28. मिर्जापुर 29. चंदौसी 30. बलरामपुर 31. फतेहपुर 32. गाजीपुर 33. मैनपुरी 34. कन्नौज 35. गौतमबुद्धनगर 36. हरदोई 37. श्रावस्ती 38. बागपत 39. बरेली 40. ज्योतिबाफूलेनगर।

[हिन्दी]

व्यापार करारों का उल्लंघन

2917. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश स्थित मिशनों को भारतीय जनता एवं निजी कंपनियों के विरुद्ध व्यापार करारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। भारतीय कंपनियों और विदेशी कंपनियों के बीच संविदागत दायित्व के कथित उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

		संख्या
(1)	2001-2002	71
(2)	2002-2003	94
(3)	2003-2004	55

(ग) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर यह कार्यालय दोनों पक्षों के बीच मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के उपाय करता है। तथापि, यदि शिकायतें विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम अथवा एक्जिम नीति के उल्लंघन से संबंधित होती हैं तो भारतीय कंपनियों के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

आई आई टी एफ, 2004 के टिकटों का अधिक मुद्रण

2918. **श्री उदय सिंह:**
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संपन्न हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए कई लाख रुपयों के प्रवेश टिकटों का अधिक मुद्रण किया गया जिसके परिणामस्वरूप आई टी पी ओ को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है और इन टिकटों का मुद्रण करने वाले मुद्रणालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जाली टिकटों की बिक्री का ऐसा कोई मामला इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) की जानकारी में नहीं आया है जिससे राजस्व की हानि हुई हो। तथापि दिल्ली पुलिस ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रिंटरों के परिसरों से फालतू टिकट बरामद किए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

विवरण

क्र.सं.	मूल्य वर्ग	टिकटों की संख्या
1	2	3
1. मै. एवरेस्ट प्रैस		
1.	35/रुपये	13,066
2.	20/-रुपये	5,500
3.	15/-रुपये	2,070
4.	बिजनेस विजिटर कार्ड	3,600
5.	आई टी पी ओ	10,000
2. मै. गोपसन्स प्रिंटर		
1.	बिजनेस विजिटर कंप्लीमेंटरी	1725
2.	बिजनेस विजिटर एस सी	684
3.	बिजनेस विजिटर कंप्लीमेंटरी	2000 (2 को प्रवेश दें)*
4.	10/-रुपये	7860 (सी डब्ल्यू)
5.	मानार्थ	3165
6.	20/-रुपये	1650 (ए डब्ल्यू)

1	2	3
7.	35/-रुपये	825 (ए एच)
8.	20/-रुपये	1485 (पी सी एच)
9.	15/-रुपये	2010 (पी सी डब्ल्यू)
10.	40/-रुपये	135 (आर ए एच)
11.	300/-रुपये	4275 (बी वी)
12.	25/-रुपये	9825 (पी ए डब्ल्यू)
13.	300/-रुपये	1425 (बी वी)

*अधिक नहीं, क्योंकि यह आई टी पी ओ के आर्डर का भाग था और अभी तक डिलीवर नहीं किया गया।

शब्द संक्षेप:

सी डब्ल्यू	चिल्ड्रेन वीकडेज
ए डब्ल्यू	एडल्ट वीकडेज
ए एच	एडल्ट हालीडेज
पी सी एच	प्रगति मैदान चिल्ड्रेन हालीडेज
पी सी डब्ल्यू	प्रगति मैदान चिल्ड्रेन वीकडेज
आर ए एच	रौंग सीरिज-नाट आर्डर्ड
बी वी	बिजनेस विजिटर
पी ए डब्ल्यू	प्रगति मैदान एडल्ट वीकडेज
बिजनेस विजिटर एस सी	बिजनेस विजिटर सीजनल कार्ड

[हिन्दी]

डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत प्रस्ताव

2919. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री अनन्त नायक:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार विशेषत: गुजरात में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए जिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) डी.पी.ए.पी. से उन राज्यों में लाभान्वित कृषकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस कार्यक्रम के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पनधारा विकास कार्यक्रम के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित/प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है; और

(च) सूखा प्रवण क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और उपलब्धि क्या है और उनके द्वारा प्राप्त/प्रयुक्त धनराशि कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) गुजरात सहित, जहां पर इसमें 14 जिलों के 67 ब्लाकों में फैला 43938 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है, 16 कार्यक्रम वाले राज्यों के 182 जिलों के 972 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कवरेज का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चूंकि, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन आधार के वाटरशेड आधार पर नवीकरण के द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्र को सूखा मुक्त करने के लिए दीर्घकालिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, अत: इससे कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसानों सहित ग्राम समुदाय के संसाधनहीन गरीब लोग और उपेक्षित वर्ग लाभान्वित होते हैं।

(ग) से (ङ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम वाले राज्यों को निधियों का विशेष आबंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, 500-500 हैक्टेयर की नई परियोजनाएं वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत करता है तथा जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निधियां पांच वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान किस्तों में जारी की जाती हैं। केन्द्रीय निधियों की पहली किस्त नई परियोजनाओं की स्वीकृति के साथ ही जारी की जाती है और कार्यक्रम के मांग-आधारित होने के कारण बाद की किस्तें राज्य सरकार/जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण आदि सहित विशेष प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं। यह मंत्रालय चल रही परियोजनाओं के संबंध में निधियां जारी करने संबंधी प्रस्ताव सामान्य तौर पर जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/गुजरात सहित राज्यों से प्राप्त करता है। केन्द्रीय किस्तें जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिला पंचायत/जिला ग्रामीण

विकास अभिकरण ने इसे पहले जारी की गई निधियों के 50% से अधिक भाग का उपयोग कर लिया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत वर्ष 1995-96 से लेकर 2004-05 तक की अवधि के दौरान अभी तक 21353 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) की परियोजनाएं वाटरशेड संघों/ग्राम पंचायतों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका परियोजना को कार्यान्वित करने, कार्यान्वयन अभिकरण में क्षमता निर्माण करने और विभिन्न भागीदारों को प्रशिक्षण देने में सहयोग करने के रूप में होती है।

विवरण I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत कवर किए गए राज्य, जिले और ब्लाक

क्र.सं.	राज्यों का नाम	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1.	आंध्र प्रदेश	11	94	99218
2.	बिहार	6	30	9533
3.	छत्तीसगढ़	8	29	21801
4.	गुजरात	14	67	43938
5.	हिमाचल प्रदेश	3	10	3319
6.	जम्मू व कश्मीर	2	22	14705
7.	झारखंड	14	100	34843
8.	कर्नाटक	15	81	84332
9.	मध्य प्रदेश	23	105	89101
10.	महाराष्ट्र	25	149	194473
11.	उड़ीसा	8	47	26178
12.	राजस्थान	11	32	31969
13.	तमिलनाडु	16	80	29416
14.	उत्तर प्रदेश	15	60	35698
15.	उत्तरांचल	7	30	15796
16.	पश्चिम बंगाल	4	36	11594
	योग	182	972	75914

विवरण-II

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	वर्ष										
बैच	95-96 पहला	96-97 दूसरा	97-98 तीसरा	98-99 चौथा	99-00 पांचवां	00-01 छठा	01-02 सातवां	02-03 आठवां	03-04 हरियाली-I	04-05 हरियाली-II	योग
आंध्र प्रदेश	527	60	321	700	587	314	166	291	287	287	3540
बिहार	101	0	0	0	0	28	46	60	60	68	363
छत्तीसगढ़	234	0	0	0	0	197	106	116	116	116	885
गुजरात	275	100	19	55	230	329	110	241	250	250	1859
हिमाचल प्रदेश	33	21	0	0	17	77	40	50	40	40	318
जम्मू व कश्मीर	–	0	10	22	0	132	44	66	66	66	406
झारखंड	263	0	0	0	19	200	173	164	200	200	1219
कर्नाटक	406	0	0	0	248	266	245	221	227	227	1840
मध्य प्रदेश	661	0	0	0	265	657	238	265	269	269	2624
महाराष्ट्र	818	0	0	0	219	578	296	300	296	303	2810
उड़ीसा	192	0	0	0	0	111	221	160	146	146	976
राजस्थान	182	0	0	0	18	271	96	113	96	96	872
तमिलनाडु	297	0	0	103	299	0	61	144	160	160	1224
उत्तर प्रदेश	282	99	56	0	286	93	92	158	160	160	1386
उत्तरांचल	117	0	0	0	90	58	90	97	90	90	632
पश्चिम बंगाल	135	0	0	0	0	60	28	32	72	72	399
कुल	4523	280	406	880	2278	3371	2052	2478	2535	2550	21353

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का बंद होना

2920. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की वस्त्र मिलों और पटसन मिलों की बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितनी वस्त्र और पटसन मिलों को बंद और रुग्ण घोषित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों को संयुक्त उद्यमों या निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन मिलों द्वारा वर्ष-वार कितना कारोबार किया गया;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मिलों को कितना लाभ/हानि हुई;

(च) सरकार द्वारा इन मिलों को चलाने में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) एनटीसी, बीआईएफआर/सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार उसकी 9 रुग्ण सहायक कंपनियों के लिए पुनर्वासन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन कंपनियों के पुनर्वासन करने के लिए बीआईएफआर ने प्रभावित कर्मचारियों को भी वीआरएस दिए जाने के बाद चिरकालिक रूप से रुग्ण/गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद करने के आदेश दिए। तदनुसार, अब तक 65 गैर-अर्थक्षम मिले बंद कर दी गई हैं।

देश में 78 पटसन मिलों में से केवल 6 केंद्र सरकार के उपक्रम हैं और वे सभी कार्य कर रहे हैं। 78 मिलों में से 37 मिलें रुग्ण हैं और 14 मिलें 2 माह से 2 वर्ष तक की अलग-अलग अवधियों से बंद पड़ी है।

(ग) इस समय, ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

(घ) उपर्युक्त सभी बंद मिलें पिछले कई वर्षों से कोई उत्पादन नहीं कर रही है।

(ङ) एनटीसी की 65 बंद मिलों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ घाटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) इन मिलों को कई कमियों का सामना करना पड़ा है, यथा-पुरानी एवं अप्रचलित मशीनें, पुरानी प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त श्रम बल तथा आधुनिकीकरण के लिए कार्यशील पूंजी का अभाव।

(छ) सरकार ने बीआईएफआर के परामर्श से 3918.84 करोड़ रु. की कुल लागत से 53 अर्थक्षम मिलों का पुनरुद्धार करने तथा 66 गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद करने के लिए एनटीसी की 9 सहायक कंपनियों के लिए पुनर्वासन योजनाएं तैयारी की है। इस लागत से अधिकांश वित्त व्यवस्था बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से की जाएगी।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.

वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक की अवधि के लिए निवल लाभ (+)/हानि(-) दर्शाने वाली 65 बंद मिलों की सूची

रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मिल व सहायक कंपनी का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
	एनटीसी (डीपीआर) लि.			
	पंजाब			
1.	दयालबाल स्पि. एंड विविंग मिल्स	-7.46	-7.94	-17.00
2.	पानीपत वूलेन मिल्स	-8.83	-10.08	-10.75
	राजस्थान			
3.	इडवार्ड मिल्स	-5.43	-7.48	-6.89
	एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.			
	छत्तीसगढ़			
4.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	-17.95	-8.89	-35.30

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
5.	हीरा मिल्स	-11.35	-0.69	-24.84
6.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	-18.16	-14.31	-41.29
7.	कल्याणमल मिल्स	-16.69	-10.81	-40.60
8.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	-10.46	-2.81	-18.87
	एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.			
	उत्तर प्रदेश			
9.	अर्थटन मिल्स	-11.58	-12.67	-39.02
10.	बिजली काटन मिल्स	-2.54	-1.99	-4.81
11.	लक्ष्मीरतन काटन मिल्स	-14.71	-16.54	-52.26
12.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	-7.65	-1.40	-17.64
13.	मयूर मिल्स	-19.29	-9.17	-54.69
14.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	-20.67	-7.11	-54.77
15.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	-2.44	-4.23	-6.55
16.	श्री विक्रम काटन मिल्स	-4.61	-4.94	-16.33
17.	स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर	-20.81	-18.58	-16.79
	एनटीसी (साऊथ महाराष्ट्र) लि.			
	महाराष्ट्र			
18.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	-13.26	-4.97	-11.83
19.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स	-17.70	-5.17	-15.94
20.	एलिफिंस्टन स्पि. एंड विविंग मिल्स	-12.22	-13.56	-13.76
21.	ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स	-17.36	12.06	-3.78
22.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स	-15.85	-5.89	-8.09
23.	न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स	-17.14	3.00	-9.70
24.	पोद्दार प्रोसेसर्स	-7.78	-8.39	-9.06
25.	श्री मधुसूदन मिल्स	-8.41	-9.83	-7.94

1	2	3	4	5
	एनटीसी (नार्थ महाराष्ट्र) लि.			
	महाराष्ट्र			
26.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 2	-15.69	-11.12	-15.82
27. और 28.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 3 एवं 4	-23.34	-19.51	-19.70
29.	जैम मैन्यू. मिल्स	-9.39	-11.97	-10.97
30. और 31.	कोहिनूर मिल सं. 2 एवं 3	-17.71	-19.58	-19.18
32.	माडल मिल्स	-21.20	-9.74	-20.32
33.	आरएसआरजी मिल्स	-6.99	-6.20	-9.86
34.	श्री सीताराम मिल्स	-8.60	-10.18	-8.81
35.	विदर्भ मिल्स	-6.76	-6.15	-7.46
	एटीसी (गुजरात) लि.			
	गुजरात			
36.	अहमदाबाद ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स	-17.10	-8.66	-17.63
37.	हिमाद्रि टेक्सटाइल मिल्स	-12.70	-3.53	-13.55
38.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	-21.07	-7.45	-21.34
39.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स	-13.20	-1.93	-13.98
40.	न्यू मानिकचौक टेक्सटाइल मिल्स	-14.89	-8.59	-12.94
41.	पेटलाड टेक्सटाइल मिल्स	-6.94	0.04	-5.88
42.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स	-6.06	-3.30	-4.97
43.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स-2	-19.59	-8.56	-20.51
44.	विरंघम टेक्सटाइल मिल्स	-12.30	-8.65	-10.60
	एनटीसी (एपीकेकेएंडएम) लि.			
	आंध्र प्रदेश			
45.	अदोनी काटन मिल्स	-1.91	-1.04	-3.31
46.	आजम जाही मिल्स	-8.71	3.59	-17.36

1	2	3	4	5
47.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	-4.53	8.02	-3.65
48.	नेहटा स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स	-2.15	-1.45	-3.57
	कर्नाटक			
49.	एमएसके मिल्स	-10.72	-2.47	-28.34
50.	मैसूर स्पिं एंड मैन्य. मिल्स	-8.59	0.53	-8.83
	एनटीसी (टीएनएंडपी) लि.			
	तमिलनाडु			
51.	बलरामवर्मा टेक्सटाइल मिल्स	-1.37	-2.41	-1.36
52.	किश्नावेणी टेक्सटाइल मिल्स	2.08	-1.56	7.57
53.	ओम पराशक्ति मिल्स	-1.06	-2.56	-0.01
54.	सौमासुंदरम मिल्स	-2.33	-4.22	-0.75
55.	कालिश्वर मिल्स 'ए' यूनिट	-10.78	-15.75	-10.28
	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीईंडओ) लि.			
	बिहार			
56.	गया काटन एवं जूट मिल्स	-7.15	-7.23	बंद
	पश्चिम बंगाल			
57.	बंगाश्री काटन मिल्स	-3.94	-3.75	बंद
58.	बंगाल फाइन स्पि एंड वि. मिल्स सं. 1	-9.01	-8.41	-3.17
59.	बंगाल फाइन स्पि एंड वि. मिल्स सं. 2	-2.77	-2.69	बंद
60.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स	-10.59	-9.89	-3.75
61.	मनिंद्रा बी टी मिल्स	-7.51	-6.50	बंद
62.	ज्योति विविंग फैक्ट्री	-4.04	-4.81	बंद
63.	रामपूरिया काटन मिल्स	-10.14	-9.77	-3.49
64.	सैंट्रल काटन मिल्स	-12.39	-13.40	बंद
65.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स	-10.22	-11.55	बंद

[अनुवाद]

पश्मीना शिल्प को बढ़ावा देना

2921. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में पश्मीना शिल्प को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार पश्मीना शिल्प को बढ़ावा देने और विकास करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) पशमीना शिल्प के नाम से कोई भी शिल्प विद्यमान नहीं है। तथापि, शिल्प कार्यकलाप के दायरे के अंतर्गत आने वाली पश्मीना शाल पर कशीदाकारी इत्यादि की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में इस शिल्प के संवर्धन के लिए जो राशि मंजूर एवं जारी की गई है वह क्रमश: 53.98 लाख रुपये तथा 44.62 लाख रुपये है।

(ख) और (ग) इस शिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वे हैं। कार्यकुशलता हेतु प्रशिक्षण: डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के मार्फत उत्पाद में विकास करना; प्रचार-प्रसार सहित विपणन एवं निर्यात संवर्धन। कानी शाल के पुनरुत्थान एवं संवर्धन का कार्य भी मई, 2002 में प्रधान मंत्री के जम्मू एवं कश्मीर पैकेज के रूप में घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर सरकारी संगठनों को आबंटित धनराशि

2922. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत तथा सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कितनी धनराशि आबंटित तथा मंजूर की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य विशेषकर कर्नाटक में गैर सरकारी संगठनों द्वारा कितनी परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(ग) क्या मंजूर की गई परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई सरकारी प्राधिकरण मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ)

(1) हथकरघा क्षेत्र में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मानीटरिंग राज्य सरकार के हथकरघा सचिव-प्रभारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा की जाती है। एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी) योजना की मानीटरिंग संबंधित बुनकर सेवा केन्द्रों और/अथवा राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशक द्वारा की जा रही है। अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संबंधी तकनीकी समिति डिजायन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुसंधान एवं विकास संघटक (आरएंडडी) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मानीटरिंग कर रही है।

(2) हस्तशिल्प क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं की मानीटरिंग विकास आयुक्त हस्तशिल्प के कार्यालय के क्षेत्रीय एककों द्वारा की जाती है।

(3) रेशम उत्पादन क्षेत्र में गैर-शहतूती रेशम के विकास के लिए यूएनडीपी उप-कार्यक्रम की मानीटरिंग स्थायी समिति तथा उप-कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें वस्त्र मंत्रालय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) परियोजनाओं की मानीटरिंग परियोजना समन्वय समिति द्वारा की जा रही है जिसमें संबंधित राज्यों के ग्रामीण विकास विभागों के प्रतिनिधि हैं। अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं तथा एरी कृषि शुरू करने की परियोजना की मानीटरिंग, मानीटरिंग समिति द्वारा की जाती है जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारें होती हैं।

(4) संगठित वस्त्र उद्योग में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में तथा योजना आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों तथा सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशकों वाली 18 सदस्यीय अनुसंधान एवं विकास समिति वस्त्र अनुसंधान संघों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं अन्य अनुसंधान संगठनों की अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन करती है।

विवरण

(क) और (ख)

(1) **हथकरघा क्षेत्र**

दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीडीएचपीवाई)

राज्य	वर्ष	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजना
–	2001-02	शून्य	शून्य
–	2002-03	शून्य	शून्य
–	2003-04	शून्य	शून्य
केरल	2004-05	126.875 लाख रु. (13.12.2004 की स्थिति के अनुसार)	25 (बेसिक इनपुट)

एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04	2004-05 (13.12.04 की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	3.21	14.40
2.	असम	2.81	–
3.	बिहार	3.58	–
4.	हरियाणा	2.22	–
5.	केरल	3.92	–
6.	मणिपुर	7.00	–
7.	नागालैंड	3.21	–
8.	उड़ीसा	–	10.43
9.	राजस्थान	–	7.48
10.	तमिलनाडु	6.12	–
11.	पश्चिम बंगाल	4.28	–
12.	झारखंड	4.01	–
	कुल	40.36	32.31

डिजायन विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुसंधान व विकास (आरएंडडी))

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04
1.	जम्मू व कश्मीर	1.25	2.50
2.	उत्तरांचल	–	4.16
	कुल	1.25	6.66

(2) **हस्तशिल्प क्षेत्र**

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	70.44	32.14	80.67
2.	अंडमान और निकोबार आइलैंड	0.98		
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.82	4.63	25.25
4.	असम	71.75	42.78	184.94
5.	बिहार	7.87	4.55	4.44

1	2	3	4	5
	चंडीगढ़			3.75
6.	छत्तीसगढ़	16.03	13.85	2.2
7.	गोवा	1.69		
8.	गुजरात	28.86	17.02	68.94
9.	हरियाणा	9.90	17.79	27.51
10.	हिमाचल प्रदेश	40.02	31.42	57.59
11.	जम्मू व कश्मीर	32.72	28.94	46.78
12.	झारखंड	0.27	5.15	5.88
13.	कर्नाटक	16.88	15.60	37.63
14.	केरल	7.31	11.48	47.02
15.	मध्य प्रदेश	42.05	38.10	44.24
16.	महाराष्ट्र	35.73	29.73	33.92
17.	मणिपुर	42.59	7.77	27.7
18.	मेघालय	0.20	0.43	11.66
19.	मिजोरम	0.53	0.00	
20.	नागालैण्ड	26.85	2.92	7.25
21.	नई दिल्ली	145.96	281.09	377.34
22.	उड़ीसा	47.04	62.16	53.88
23.	पंजाब	10.24	16.75	34.79
24.	पांडिचेरी	10.90	1.00	
25.	राजस्थान	19.70	44.98	91.28
26.	तमिलनाडु	16.55	22.61	51.45
27.	त्रिपुरा	13.49	20.91	28.89
28.	उत्तर प्रदेश	236.39	202.61	154.45
29.	उत्तरांचल	37.58	19.29	56.52
30.	पश्चिम बंगाल	77.33	55.47	98.19
	कुल	1070.67	1031.17	1664.16

हस्तशिल्प क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम की संख्या	परियोजना
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अंडमान व निकोबार आइलैंड	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	असम	22
5.	बिहार	9
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	चंडीगढ़	0
8.	दिल्ली	7
9.	गोवा	0
10.	गुजरात	18
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	14
13.	जम्मू व कश्मीर	17
14.	झारखंड	8
15.	कर्नाटक	11
16.	केरल	14
17.	मध्य प्रदेश	23
18.	महाराष्ट्र	10
19.	मणिपुर	5
20.	मेघालय	4
21.	मिजोरम	1

1	2	3
22.	नागालैंड	7
23.	उड़ीसा	30
24.	पंजाब	7
25.	पांडिचेरी	1
26.	राजस्थान	18
27.	सिक्किम	1
28.	तमिलनाडु	14
29.	त्रिपुरा	12
30.	उत्तर प्रदेश	37
31.	उत्तरांचल	12
32.	पश्चिम बंगाल	27
	कुल	367

कुल 367 परियोजनाओं में से, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में दो-दो और अरूणाचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में प्रत्येक में एक-एक परियोजना को क्रियान्वित किया गया था और शेष परियोजनाएं चालू परियोजनाएं हैं।

(3) रेशम उत्पादन क्षेत्र

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटित निधि	के दौरान स्वीकृत निधि			
			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	झारखंड	2139.00	50.99	43.70	41.71	–
2.	उड़ीसा	(कोई पृथक आवंटन नहीं)	66.16	33.96	8.45	–
3.	असम		152.96	42.22	33.76	–
4.	पश्चिम बंगाल		58.42	62.28	25.29	–
5.	मेघालय		22.42	13.42	5.26	–
6.	उत्तरांचल		24.59	53.64	–	–
7.	कर्नाटक	14.00	–	–	14.00	0.34
8.	तमिलनाडु	15.66			6.68	–
9.	बिहार	831.49	–	126.16	79.30	77.27
10.	झारखंड	809.39	–	73.84	228.92	90.06
11.	उत्तर प्रदेश	1.65	–	0.26	–	–

पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही रेशम उत्पादन परियोजना का नाम
1.	झारखंड	*गैर-शहतूती रेशम के विकास के लिए यूएनडीपी साहायित उप कार्यक्रम
2.	उड़ीसा	
3.	असम	
4.	पश्चिम बंगाल	
5.	मेघालय	
6.	उत्तरांचल	
7.	कर्नाटक	(क) *गैर-शहतूती रेशम के विकास के लिए यूएनडीपी साहायित उप कार्यक्रम (ख) एरी कृषि का विकास
8.	तमिलनाडु/पांडिचेरी और केरल	एरी कृषि के लिए अनुसंधान व विकास परियोजना
9.	बिहार/झारखंड	तसर और एरी कृषि के विकास के लिए विशेष स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना परियोजना
10.	उत्तर प्रदेश	एरी कृषि का प्रारंभ

*31 दिसम्बर, 2002 को समाप्त यूएनडीपी साहायित उप कार्यक्रम

(4) संगठित वस्त्र उद्योग

	गैर-सरकारी संगठनों का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1.	अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ (अटीरा), अहमदाबाद, गुजरात	210	217.42	183.5
2.	बंबई वस्त्र अनुसंधान संघ (बटरा), मुंबई, महाराष्ट्र	215	224.12	162.5
3.	दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (सिटरा) कोयम्बटूर, तमिलनाडु	190	230	168
4.	उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (निटरा), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	140	158.6	165.73
5.	सिंथेटिक व आर्ट सिल्क मिल्स अनुसंधान संघ (ससमीरा), मुंबई, महाराष्ट्र	255	278.88	160.57
6.	मानव-निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ (मंत्रा) सूरत, गुजरात	100	135	82
7.	ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), थाणे, महाराष्ट्र	93	123.23	73.61
8.	भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजिरा), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	730	689	331.5
	कुल	1933	2056.25	1327.41

मकान किराए भत्ते के लिए शहरों की श्रेणी का उन्नयन

2923. श्री परसुराम माझी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता तथा शहरी प्रतिपूर्ति भत्ता देने के उद्देश्य से कुछ शहरों तथा नगरों की श्रेणी का उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में शहरों तथा नगरों के संबंध में क्या वर्गीकरण किए गए हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव के कार्यान्वित होने पर क्या अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ग) 2001 की जनगणना के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजनार्थ उच्च ग्रेड के लिए कुछ शहरों और नगरों का स्तरोन्नय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और प्रत्येक राज्य में विभिन्न शहरों/नगरों का वर्गीकरण करने के लिए आदेश इस मंत्रालय के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. संख्या 2(21)/04-संस्था-2 (ख) के तहत जारी किए गए हैं।

(घ) मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए शहरों/नगरों के स्तरोन्नयन में अतिरिक्त वित्तीय भार प्रतिवर्ष 144 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौता

2924. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यूजीलैंड के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन समझौतों के फलस्वरूप होने वाले लाभ सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुए विचार-विमर्शों के दौरान दोनों देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत पर बल दिया था। दोनों नेताओं ने व्यापार के परम्परागत क्षेत्रों के अलावा, पर्यटन, बानिकी, आई टी, सेवा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आयकर देनदारी का प्रतिदाय

2925. श्री राजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर निर्धारिती को आयकर प्रतिदाय का भुगतान किया जाता है;

(ख) आयकर विभाग द्वारा आयकर प्रतिदाय हेतु क्या समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई हैं;

(ग) क्या प्रतिदाय समय पर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आज की तारीख के अनुसार राज्य-वार आयकर प्रतिदाय हेतु कितने मामले लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) विभागीय दिशा-निर्देश हैं कि प्रतिदाय का दावा करने वाली प्राप्त विवरणियों पर विवरणियों के प्राप्त होने के चार माह के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ग) सामान्यतया दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाता है। प्रतिदायों को जारी करने की प्रक्रिया की उच्च प्राधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है।

(घ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिदाय दावों के निपटान का ब्यौरा निम्नवत है:

वित्त वर्ष	प्रतिदाय दावों का निपटान
2001-02	1,75,883
2002-03	5,15,427
2003-04	3,23,375

क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिदायों को जारी करने की समुचित प्रक्रिया की आयकर आयुक्तों और मुख्य आयकर आयुक्तों द्वारा निगरानी की जाती है।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) प्रतिदाय की लम्बितता के आंकड़े दिन-प्रतिदिन आधार पर अथवा राज्यवार नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अमरीका को वस्त्र निर्यात बढ़ावा

2926. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत गलाकाट अमरीकी घरेलू वस्त्र बाजार में प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 जनवरी, 2005 के बाद भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा अमरीकी घरेलू वस्त्र बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) भारत पिछले वर्ष अमरीकी बाजार को टैरी टावल, पिलो केस, बेड स्प्रैड, बेड लिनन, परदों आजि जैसे गृह वस्त्रों सहित वस्त्र मेड-अप्स के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है।

(ख) हाल ही के अध्ययनों के अनुसार, 1 जनवरी, 2005 से शुरू होने वाली कोटा पश्चात व्यवस्था में भारत का वस्त्र निर्यात मूल्यवर्धित मेड-अप्स और अपैरल क्षेत्रों से चलेगा और अमरीका गृह वस्त्र बाजार में अपनी स्थिति को समेकित करने के लिए भारत के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।

(ग) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें नियमित रूप से निर्यात संवर्धन उपाय कर रही हैं जिनमें अमरीकी गृह वस्त्र बाजार के लिए उपाय भी शामिल हैं। ये उपाय हैं-विदेश स्थित भारतीय मिशनों के परामर्श से विदेशों में प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, विदेशों में प्रचार, व्यापारिक शिष्ट मंडल प्रायोजित करना आदि। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टेक्सप्रोसिल) ने मैसर्स इन एंड ब्राडस्ट्रीट से अमरीकी बाजार का एक अध्ययन शुरू करवाया था और भारतीय निर्यातकों को अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है ताकि वे बाजार को पूरी तरह समझ सकें तथा उपयुक्त नीतियां विकसित कर सकें। यह परिषद बाजार की नियमित रूप से मानीटरिंग करने तथा उपयुक्त संवर्धनात्मक क्रियाकलाप करने के लिए अमरीका में एक कार्यालय भी खोल रही है।

वित्तपोषण हेतु नए मार्गनिर्देश

2927. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने कृषि समुदाय को बैंकों से वित्तपोषण के लिए नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक इन मार्गनिर्देशों का पालन करने पर सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) कृषि एवं इससे सम्बद्ध कार्यों के लिए ऋण प्रवाह को अगले तीन वर्षों में दुगुना करने के लिए 18 जून, 2004 को सरकार द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने उपुर्यक्त पैकेज को लागू करने तथा विशेष रूपसे आपदाग्रस्त किसानों, कर्ज में डूबे किसानों, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) तथा साहूकारों के पास कर्जदार किसानों के लिए राहत उपाय करने के लिए 30 जून तथा 26 जुलाई, 2004 को विस्तृत दिशानिर्देशों को जारी किया। तदनंतर, नाबार्ड ने कृषि उधार के लक्ष्य की प्राप्ति

करने हेतु बैंकों द्वारा इसे अपनाए जाने हेतु कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यपालकों की एक बैठक आयोजित की थी। इन बैठकों के दौरान बैंकिंग संस्थाओं के प्रमुखों ने सरकार द्वारा घोषित विभिन्न उपायों को लागू किए जाने और नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने में अपने समर्थन की पुष्टि की।

कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण में गिरावट

2928. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र और समग्र क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का प्रतिशत कितना है;

(ख) चालू वर्ष हेतु कृषि और अन्य क्षेत्रों में लक्षित जी.डी.पी. कितना है;

(ग) केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए लक्षित जी.डी.पी. किस प्रकार से प्राप्त करेगी;

(घ) क्या अर्थशास्त्रियों ने उपर्युक्त परिदृश्य के कारण देश की समग्र वृद्धि पर संभावित प्रभाव के बारे में चिन्ता प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अनुमानित जीडीपी प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों से प्राप्त कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में स्थिर मूल्यों पर घटक लागत पर प्रतिशतता भाग नीचे दिए गए हैं।

	क्षेत्र	2002-03(त्व.अ.)	2003-04(सं.अ.)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन	22.0	22.1
2.	उद्योग	27.2	26.9
3.	सेवाएं	50.8	51.0
	सभी क्षेत्र	100.0	100.0

त्व.अ.: त्वरित अनुमान सं.अ.: अनुमान

(ख) सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में जी.डी.पी. वृद्धि के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून में 13 प्रतिशत कमी के कारण खरीफ उत्पादन में मामूली गिरावट प्रत्याशित है। तथापि, रबी के अच्छी फसल की प्रत्याशा ने खरीफ की गिरावट की भरपाई की संभावना है। वर्तमान वृद्धि वाली प्रवृत्तियों को देखते हुए उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों से अच्छे कार्यनिष्पादन की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2004-05 (26 अक्तूबर, 2004) के वार्षिक नीति विवरण की अपनी मध्यावधि समीक्षा में 2004-05 की समग्र वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि को यह मानते हुए 6.0 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रखा है कि उच्च एवं अनिश्चित तेल मूल्यों के संयुक्त अधोमुखी जोखिम तथा अंतर्राष्ट्रीय नकदी वातावरण में अकस्मात् परिवर्तन नियंत्रणीय रहते हैं।

(घ) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अर्थव्यवस्था में वृद्धि के संभावित प्रभाव पर चिन्ताएं बढ़ती रही हैं। इन चिन्ताओं के निवारण के लिए सरकार ने चालू वर्ष में दो बार, पहले जून में और बाद में अगस्त में, चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों को कम कर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में लगातार बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार ने चालू वर्ष में वृद्धि की रफ्तार को बनाए रखने के लिए कई उपाय भी किए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन वर्षों में कृषि क्रेडिट के प्रवाह को दोगुना करने पर लक्षित ऋण संबंधी एक समग्र नीति, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन उच्च आवंटन, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि का पुनरुद्धार, सभी जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्बहाली के लिए एक योजना प्रारम्भ करना, अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, एक निवेश आयोग की स्थापना और वार्षिक आयोजना 2004-05 को 10,000 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता का अतिरिक्त प्रावधान करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

अन्य देशों द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

2929. श्री रामदास आठवले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषत: महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अन्य देशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) वर्तमान नीति के अन्तर्गत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के माध्यम से 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। स्वत: मार्ग के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने 6748 अनुमोदन प्रदान किए हैं जिनमें जनवरी, 2001 से सितंबर, 2004 के दौरान भारत में 45359 करोड़ रुपये के एफ.डी.आई. के निवेश का प्रस्ताव है। इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र में एफ.डी.आई. के लिए अनुमोदनों की संख्या 1704 थी, जिनमें 10057 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार

2930. श्री सीताराम सिंह:
डा. बाबू राव भिडियम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर अधिक जोर देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महिलाओं/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के संबंध में राज्य-वार तथा परियोजना-वार उपलब्धि क्या रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय दो प्रमुख रोजगार सर्जक कार्यक्रम अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) नामक स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एस जी आर वाई के अंतर्गत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं को मुहैया कराने हेतु हैं और ग्राम पंचायत आबंटन (खाद्यान्न सहित) का न्यूनतम 50 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों में आवश्यकता आधारित ग्रामीण आधारभूत सुविधा के विकास के लिए निर्धारित है। साथ ही, जिला एवं मध्यस्तरीय पंचायत दोनों स्तरों पर आबंटित वार्षिक आबंटन (खाद्यान्न सहित) का 22.5 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के व्यक्तियों/समूह लाभार्थी योजनाओं के लिए निर्धारित है। एस जी एस वाई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत लाभ आरक्षित कर अत्यंत कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

(श्रम दिवस लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना											
		2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	79.27	35.73	110.75	105.53	58.07	139.74	113.21	71.51	167.40	39.58	21.82	56.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	13.41	4.14	0.00	23.69	7.33	0.00	18.36	5.28	0.00	1.49	0.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	66.36	155.52	49.81	90.94	175.83	49.21	109.35	221.43	72.27	35.23	63.76	20.35
4.	बिहार	176.62	12.02	87.48	215.10	14.84	108.77	206.32	14.67	92.42	45.70	3.25	16.58
5.	छत्तीसगढ़	75.09	124.89	141.97	64.95	141.46	132.46	48.79	129.70	107.05	37.44	100.40	74.65
6.	गोवा	0.00	0.00	0.93	0.01	0.00	0.20	0.91	0.00	0.23	0.00	0.00	0.13
7.	गुजरात	11.51	30.12	19.91	38.22	75.10	59.73	70.99	108.29	92.14	28.98	48.73	40.36
8.	हरियाणा	64.79	0.00	23.83	72.53	0.00	32.64	42.36	0.00	19.55	21.92	0.00	10.70
9.	हिमाचल प्रदेश	9.78	3.73	1.75	8.71	2.53	1.24	16.54	2.78	2.25	0.03	0.00	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	1.49	0.00
11.	झारखण्ड	74.39	99.76	78.45	76.01	101.14	79.90	142.98	124.57	92.32	18.18	26.72	32.43
12.	कर्नाटक	78.10	32.09	87.50	163.78	58.49	151.76	154.85	52.70	172.94	38.10	15.50	43.69
13.	केरल	19.90	2.74	23.37	20.82	2.56	21.53	32.96	5.09	34.75	17.96	1.88	18.97
14.	मध्य प्रदेश	119.47	185.42	171.01	141.44	208.47	202.43	168.36	217.27	212.79	65.46	117.28	96.74
15.	महाराष्ट्र	115.25	114.32	153.49	123.88	108.03	159.27	171.61	135.32	202.71	67.48	59.51	78.25
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.80	8.83	3.71	1.46	9.36	3.73	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.11	28.73	8.29	0.36	22.79	8.90	0.89	33.02	11.15	0.14	5.37	1.44
18.	मिजोरम	0.00	10.00	3.56	0.00	12.99	4.67	0.00	12.73	4.55	0.00	3.53	1.25
19.	नगालैण्ड	0.00	8.05	3.69	0.00	16.39	3.81	0.00	610.06	95.66	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	131.97	178.34	136.50	166.21	223.47	173.14	163.96	238.04	206.66	75.62	107.12	86.98
21.	पंजाब	13.68	0.00	0.50	19.35	0.00	0.46	33.78	0.00	0.26	16.29	0.00	0.39
22.	राजस्थान	51.58	45.67	60.50	129.73	124.66	153.38	99.23	74.91	108.44	51.71	44.89	61.53
23.	सिक्किम	1.31	1.79	1.77	0.74	3.06	2.53	1.20	3.16	2.97	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	124.64	6.60	96.34	240.28	14.50	166.67	246.64	16.99	186.03	164.54	10.74	116.57
25.	त्रिपुरा	15.60	35.67	19.22	19.76	45.51	27.12	24.90	57.35	33.67	10.75	24.88	13.73
26.	उत्तरांचल	13.30	0.43	7.45	2.40	0.29	3.33	29.83	4.94	16.95	13.60	2.11	7.53
27.	उत्तर प्रदेश	389.91	0.45	114.70	756.56	5.12	175.59	714.59	1.61	183.66	498.21	1.01	110.04
28.	पश्चिम बंगाल	71.79	29.57	37.00	177.54	60.21	83.20	190.16	69.66	91.54	117.28	47.32	59.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.07	0.00	0.01	0.00
30.	दादर व नागर हवेली	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.15	0.11	0.81	0.07	0.30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
33.	पांडिचेरी	0.30	0.00	0.11	2.37	0.00	1.12	0.99	0.00	0.47	0.02	0.00	0.00

विवरण II

(श्रम दिवस लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना											
		2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	31717	8,715	62859	25,443	7144	56847	27364	7202	66814	9070	2649	29803
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1,564	472	0	1053	321	–	1220	338	–	–	–
3.	असम	2145	2,624	5,246	8,624	15049	35229	4416	8949	26207	5256	9674	28829
4.	बिहार	46665	3,725	33997	38236	2115	24801	39383	1855	26467	9979	155	7675
5.	छत्तीसगढ़	3545	12,161.00	3362	3205	11533	4068	3518	9814	4181	750	7464	5240
6.	गोवा	147	0	672	49	0	252	40	0	123	28	74	558
7.	गुजरात	3472	6,517	5987	2894	6385	6798	4153	6926	8304	1864	5138	6031
8.	हरियाणा	6956	0	7614	5575	0	6431	5308	0	7009	8321	0	21732
9.	हिमाचल प्रदेश	3625	702	4980	2478	631	3222	3291	817	4606	1137	484	1351
10.	जम्मू व कश्मीर	411	1,363	7146	514	1092	4493	395	1170	2674	0	12	0
11.	झारखण्ड	11621	28,898	21678	9491	23513	10867	10939	29985	26864	827	1258	2623
12.	कर्नाटक	12519	3,642	26391	10824	3039	26963	13879	3610	36163	4732	1646	13215
13.	केरल	7537	449	14397	7665	483	13875	7281	601	15650	5329	189	12209
14.	मध्य प्रदेश	16450	15,487	18709	12346	15364	16489	11544	13560	17373	8957	9465	15182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	17646	14,252	314,14	13947	11872	32007	16793	12166	40019	21282	7892	67140
16.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	0	743	112	9	1926	857	12	5502	2284	0	5601	2474
18.	मिजोरम	0	3,822	2270	0	884	291	0	1457	866	–	72	23
19.	नागालैण्ड	0	3,681	645	0	2218	658		3536	744	–	–	–
20.	उड़ीसा	13773	16,158	19,842	10,808	15334	21149	13527	17777	38667	2982	3248	7616
21.	पंजाब	3655	–	2348	4045	0	3376	4038	0	3634	962	0	835
22.	राजस्थान	11408	6052	15807	8899	4667	12657	9139	4952	13635	2080	1316	3324
23.	सिक्किम	160	899	542	119	588	264	139	886	509	18	130	303
24.	तमिलनाडु	24278	1521	50785	23221	812	54860	23574	1858	60048	15505	845	37545
25.	त्रिपुरा	3631	8792	9090	1327	3023	2532	1246	2541	2203	5967	8100	17750
26.	उत्तर प्रदेश	55402	225	30422	50842	196	30470	66134	239	44899	122690	853	92814
27.	उत्तरांचल	3512	804	4931	2074	381	3830	2695	532	5871	888	54	1566
28.	पश्चिम बंगाल	3969	427	3969	6643	844	8302	5986	866	12765	38781	4674	80840
29.	अंडमान और निकोबार	0	110	128	–	94	29	0	119	143	–	–	–
30.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	10	115	48	–	–	–
31.	दमन व द्वीव	2	72	48		13	5	–	–	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	7	1	–	26	10	–	–	–
33.	पांडिचेरी	194	214	29	278	–	669	382	–	706	20	–	180

[अनुवाद]

रोजगार आश्वासन योजना

2931. श्री बी. विनोद कुमार: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग राज्यों द्वारा कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) अब मौजूद नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम

2932. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री अनन्त नायक:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों से राष्ट्रीय जूट उत्पादक निगम तथा अन्य जूट मिलों का राज्य-वार संचित घाटा कितना है;

(ख) इस घाटे के विश्लेषित कारण क्या हैं;

(ग) क्या कई इच्छुक कर्मियों को वीआरएस नहीं दी जा रही/कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) रुग्ण/बंद की गई जूट मिलों को पुन: चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) रुग्ण/बंद की गई जूट मिलों के प्रभावित कर्मियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण परिषद (एनजेएमसी) के 31.03.2000 से संचित घाटे नीचे दिए गए हैं:

(रुपए करोड़ में)

2001-2002	3126.94 रु.
2002-2003	3554.87 रु.
2003-2004	3991.99 रु.

देश में वर्ष 2000-2001 से 2002-03 के लिए निजी पटसन मिलों के संबंध में संचित घाटों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) नीचे दिए गए अनुसार ऐसे कई कारक हैं जिनके फलस्वरूप पटसन उद्योग में व्यापक रुग्णता आई है और परिणामस्वरूप घाटा हुआ है:

(1) समान विनिर्देशनों के गुणवत्ता के कच्चे पटसन की आपूर्ति में अस्थिरता।

(2) उच्च श्रम लागत।

(3) सिंथेटिक्स से प्रतिस्पर्धा के कारण मांग में कमी।

(4) मशीनरी की अप्रचलन।

(5) खर्चीली प्रबंधन प्रथाएं।

इन सामान्य कारकों के अलावा, एनजेएमसी मिलें कुछ विशिष्ट कारकों जैसे (1) अधिग्रहण पूर्व अवधि से वेशी श्रमिकों को उत्तराधिकार में प्राप्त करना, (2) पटसन उद्योग के औसत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मानव दिवस/टन, (3) अगस्त 1986 में भीषण आग के कारण इकाई नेशनल में व्यापक उत्पादन क्षमता की बर्बादी और (4) बाजार में उपलब्ध कीमत पर निर्भर उत्पाद मिश्रण प्राप्त करने में असमर्थता का सामना करती हैं।

(ग) और (घ) जहां तक एनजेएमसी का सबंध है, एनजेएमसी में निधियों की कमी के कारण अप्रैल, 2001 से इसके कर्मचारियों को किसी वीआरएस योजना की पेशकश नहीं की गई है। निजी पटसन मिलों में कामगारों को वीआरएस लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी उन मिलों के प्रबंधन की है।

(ङ) मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, रुग्ण एककों के मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो (बीआईएफआर) को भेजे जाते हैं ताकि वह उनके पुनर्वासन और पुनरूद्धार की जांच कर सके। तत्पश्चात्, इन एककों की पुनरूद्धार योजना बीआईएफआर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा तैयार/जांच की जाती है जो सामान्यतया एक वित्तीय संस्था है। योजना की प्राप्ति पर, बीआईएफआर अलग-अलग एककों के मामले अथवा पुनर्वासन के बारे में निर्णय लेता है।

(च) भारत सरकार ने उन वस्त्र एककों में कामगारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए उपायों की पहचान तथा व्यवस्था की है जो गैर-अर्थक्षम हैं और स्थायी बंदी का सामना कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में वस्त्र एककों की स्थायी बंदी/परिसमान के फलस्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना पटसन वस्त्र क्षेत्र के लिए भी लागू है। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस लाभ देती है जो रुग्ण मिलों की ऐसी श्रेणी में आते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए मिलों का संचित घाटा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	पश्चिम बंगाल में मिल	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	अगरपारा	-3501.91	-3425.4	-3449.97
2.	एंग्लो-इंडिया	-1428.71	-988.34	-886.79
3.	अंगुस	-6212.57	-6569.28	-6901.64
4.	बरनगोड़		-1492.37	-1466.97
5.	भरत	-10330.89	-11233.05	-12141.57
6.	सूरह	-106.09	-44.94	-76.56
7.	बज बज	-1879.96	-1787.94	-1740.70
8.	कलकत्ता	-123.67	-117.81	-113.80
9.	कालेडोनियन	-2269.99	-2217.39	-2209.36
10.	डेल्टा	-673.51	-1536.27	-2150.24
11.	एम्पायर	-1116.35	-1170.4	-1202.74
12.	गंगेज	-2974.71	-3056.98	-3083.39
13.	हावड़ा	-221.32	-175.71	उपलब्ध नहीं
14.	जगतदल	-146.42	-141.02	-145.84
15.	कमरहत्ती	-459.10	-258.85	-296.58
16.	कनकनराह	-1138.71	-1052.99	-1296.77
17.	केल्विन (ट्रेंड व्यापार)	-61.24	-114.71	-73.68
18.	महादेव	-21.04	-2.67	-3.93
19.	मेघना (गजानंद सीओएमएल)	-5506.66	-5608.28	-5616.64
20.	नैहती	-92.92	-41.7	-28.44
21.	न्यू सेंट्रल	-21657.01	-22833.44	-23238.77
22.	नार्थ बुक	-2543.27	-3135.47	-3479.55
23.	नुदेइआ	-2110.11	-2154.76	-2560.07

1	2	3	4	5
24.	नेशनल			
25.	किन्नीसन			
26.	खारदाह			
27.	अलेक्जेंद्रा	राष्ट्रीय प वि निगम -276261.00	-312694.35	-355486.71
28.	यूनियन			
29.	आरबीएचएम			
30.	प्रवर्तक	-76.54	-48.95	-112.23
31.	प्रेमचंद (एसएसजी लि.)	-112.54	155.61	-169.75
32.	विक्टोरिया (आरडीबी टेक्सटाइल्स)	-1496.85	-1303.27	-1384.86
33.	श्री गौरीशंकर	-1635.09	-1633.97	-1700.77
34.	श्री हनुमान (टेप्कान)	-552.84	-619.46	-810.52
35.	तिरूपति	-38.92	-23.96	-27.38
36.	टीटागौढ़ (लूमटैक्स)		-1286.99	-1672.21
37.	यूनियन खनरल	-433.26	-464.99	-529.59
38.	विजयश्री	-374.86	-166.12	-150.96
39.	विस्लॉड	-1597.45	-2970.23	-3421.51
	कुल	-347155.31	-390527.67	-437630.49
उड़ीसा में मिल				
40.	कोणार्क (सनातन काम्पलैक्स)	-3.65	-9.15	-15.56
त्रिपुरा में मिल				
41.	त्रिपुरा	-6210.97	-6915.14	-7600.17
आंध्र प्रदेश में मिल				
42.	नेल्लीमारला	-919.47	-378.51	-414.59
बिहार में मिल				
43.	विनसम	-17.20	0.00	-125.41
उत्तर प्रदेश में मिल				
44.	जेके	-1855.17	-2156.75	-3571.12
	कुल योग	-356161.77	-399987.22	-449357.34

टिप्पणी: आरबीएचएम बिहार में स्थित है लेकिन एनजेएमसी समेकित लेखाओं के तहत दर्शाया गया है।

अरूर और कन्नूर में प्रस्तावित सुविधाएं

2933. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई आयात-निर्यात नीति में निर्यात उत्कृष्टता नगरों के रूप में घोषित केरल के अरूर तथा कन्नूर में किन विशेष सुविधाओं के सृजन किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विशिष्ट भौगोलिक स्थानों पर ऐसे अनेक कस्बों को निर्यात उत्कृष्टता कस्बों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है जो प्रगतिशील औद्योगिक समूह के रूप में उभरे और जो भारत के निर्यातों में बेहतर योगदान कर रहे हैं। निर्यात उत्कृष्टता वाले ये कस्बे क्रियाविधि पुस्तिका (खंड 1) की परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध हैं। 250 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात वृद्धि की क्षमता रखने वाले हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में निर्यात उत्कृष्टता कस्बों को निर्यात उत्कृष्टता कस्बों के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। इस प्रकार से अधिसूचित निर्यात उत्कृष्टता कस्बों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:

1. इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता इ पी सी जी स्कीम की सुविधा के हकदार होंगे।

2. इन क्षेत्रों में यूनिटों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनें संकेन्द्रित प्रौद्योगिकीय सेवाएं सृजित करने के लिए बाजार' पहुंच पहल (एम ए आई) स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकेंगी।

3. ऐसे क्षेत्रों को निर्यात अवस्थापना के विकास और संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम से अभिज्ञात आकस्मिक अवस्थापनागत अंतर को दूर करने के लिए सहायता हेतु प्राथमिकता भी दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक लाइसेंस हेतु लम्बित आवेदन

2934. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्यों के विशेष रूप से गुजरात से अनुमोदन हेतु लम्बित औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक परियोजना की लागत क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को संशोधन सहित पुन: भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) लम्बित परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) वर्ष 1991 में औद्योगिक नीति का उदारीकरण हो जाने के फलस्वरूप, औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम कर दी गई है। वर्तमान में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत विनिर्माण कार्य के लिए औद्योगिक लाइसेंस केवल तभी आवश्यक है जब (1) उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन रखा गया हो (2) यदि कोई गैर-लघु उद्योग एकक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करना चाहता हो और (3) जब प्रस्ताव पर स्थापना-स्थल संबंधी प्रतिबंध लागू होते हों। औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा दायर किए जाते हैं, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक होता है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने हेतु किसी भी राज्य सरकार का कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारत में विदेशी कम्पनियां

2935. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़ती रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्ता): (क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों की देश-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कार्यरत विदेशी कम्पनियों का विवरण निम्न प्रकार है:

	कार्यरत कम्पनियां (गत वर्ष में वृद्धि % में)
31 मार्च, 2002 को	: 1285 (12.6%)
31 मार्च, 2003 को	: 1497 (16.5%)
31 मार्च, 2004 को	: 1654 (10.5%)

विवरण

दिनांक 30.09.2004 को प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों का देश-वार वितरण

	यू के	यूएसए	जापान	फ्रांस	जर्मनी	इटली	कनाडा	हांगकांग	पाकिस्तान	बांग्लादेश	नीदरलैण्ड	स्विटजरलैण्ड	स्वीडन	आस्ट्रेलिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उत्तरी क्षेत्र														
हरियाणा	7	4	3			1	2	4			1	2		
हिमाचल प्रदेश	1													
जम्मू और कश्मीर														
पंजाब														
राजस्थान														
उत्तर प्रदेश	2	1	1			1	1							
चण्डीगढ़														
दिल्ली	115	168	64	43	38	14	19	39	1		25	12	14	24
पूर्वी क्षेत्र														
असम	1													
बिहार														
मणिपुर														
मेघालय														
उड़ीसा														1
त्रिपुरा														
पश्चिम बंगाल	56	8	11		6			1	2	5	4			2
अरुणाचल प्रदेश														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मिजोरम														
पश्चिमी क्षेत्र														
गुजरात	2	2			1		1			1	1			
मध्य प्रदेश			34											
महाराष्ट्र	71	117		19	33	10	3	20	2	1	17	13	3	10
दादर और नगर हवेली														
गोवा			1											
दमन और दीव														
लक्षद्वीप														
दक्षिणी क्षेत्र														
आन्ध्र प्रदेश	11	9	2			1		1				1		
कर्नाटक	18	48	4	3	7	2	2	8			1	2	1	1
केरल	1					1								
तमिलनाडु	8	22	10	2	5	3	1	7			3	1	1	4
पांडिचेरी														
अन्य	14	4						1						
योग	307	383	130	67	91	33	29	81	5	7	52	31	19	42

	दक्षिण कोरिया	बेल्जियम	थाईलैण्ड	मलेशिया	यूएई	सिंगापुर	अन्य	योग
	16	17	18	19	20	21	22	23
उत्तरी क्षेत्र								
हरियाणा				1			3	28
हिमाचल प्रदेश								1
जम्मू और कश्मीर								0
पंजाब								0
राजस्थान				1			1	2
उत्तर प्रदेश	1		1					8

	16	17	18	19	20	21	22	23
चंडीगढ़	1							
दिल्ली	13	7	5	12	3	66	92	2
पूर्वी क्षेत्र								774
असम								
बिहार								1
मणिपुर								0
मेघालय								0
नागालैण्ड								0
उड़ीसा								0
त्रिपुरा							1	2
पश्चिम बंगाल		1			2		8	0
अरुणाचल प्रदेश								106
मिजोरम								0
पश्चिमी क्षेत्र								0
गुजरात					1	3	4	16
मध्य प्रदेश								34
महाराष्ट्र	5	12	4	1	8	59	61	469
दादर एवं नागर हवेली								0
गोवा							1	2
दमन और दीव								0
लक्षद्वीप								0
दक्षिणी क्षेत्र								
आन्ध्र प्रदेश		2		1		4	1	33
कर्नाटक	1		1	2		23	11	135
केरल							3	5
तमिलनाडु	2	1	1	4		13	13	101
पांडिचेरी								0
अन्य							12	31
योग	23	23	12	22	14	168	211	1750

चूककर्ता कंपनियां

2936. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन छोटे निवेशकों की दुर्दशा के बारे में जानकारी है जिन्होंने विभिन्न चूककर्ता कंपनियों में अपना मेहनत से बकाया धन गंवा दिया है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कंपनियों की सूची बनाई है जिन्होंने छोटे निवेशकों को लाखों रुपयों का धोखा दिया है;

(ग) क्या इन कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्य योजना बनाई गई है ताकि छोटे निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस तरह के धोखे से छोटे निवेशकों को बचाने के लिए कोई फार्मूला बनाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद्र गुप्त): (क) और (ख) जी हां। वर्तमान में 122 कंपनियों की पहचान गायब होती कंपनियों के रूप में की गयी है।

(ग) और (घ) एक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति, जिसके संयुक्त अध्यक्ष, कंपनी कार्य मंत्रालय के सचिव एवं भारतीय संरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष हैं, का गठन, अपचारी/गायब होती कंपनियों एवं उनके संप्रवर्तकों से संबंधित मामलों को देखने के लिए और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए किया गया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएं 63, 68 एवं 628 के अंतर्गत 111 गायब होती कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए गये थे। इसके अतिरिक्त भारतीय पैनल कोड के अंतर्गत गायब होती 90 कंपनियों के निदेशकों/संप्रवर्तकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर किये गये हैं। दो चुनिंदा गायब होती कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 406 के साथ पठित धाराएं 397/398/402/408 के अंतर्गत, कंपनी विधि बोर्ड में याचिकाएं भी दायर की गयी हैं।

(ङ) और (च) सरकार कंपनियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने उपर्युक्त को लागू करने में कंपनी अधिनियम, 1956 को संशोधित करने के उद्देश्य से इसका व्यापक पुनरीक्षण भी किया है। एक व्यापक रूप से संशोधित कंपनी विधेयक के निर्माण में इस मंत्रालय ने अगस्त, 2004 में, विस्तृत प्रचार एवं परामर्श के लिए, कंपनी कानून पर अभिधारण पत्र जारी किया है। प्रस्तावित नया कंपनी कानून, जिसमें छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा भी शामिल हैं, पर सरकार को सलाह देने के लिए डा. जे.जे. ईरानी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया गया है। अलग से, भारतीय संरक्षा एवं विनिमय बोर्ड ने, कंपनियों के संप्रवर्तकों से संबंधित आवश्यकताओं के उच्च स्तरीय प्रकटीकरण को लागू करने के लिए दिनांक 14.08.2003 के परिपत्र द्वारा सेबी (प्रकटीकरण एवं निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

विशेष अदालतें

2937. श्री सनत कुमार मंडल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मामलों को तेजी से निपटाने के लिए और अधिक विशेष अदालतों को गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रस्तावित विशेष अदालतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) अब तक स्थापित की गई विशेष अदालतों की संख्या कितनी है; और

(घ) बची हुई विशेष अदालतें कब तक स्थापित की जाएंगी?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) ग्यारहवें वित्त आयोग ने सेशन और अन्य मामलों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों के नाम से ज्ञात 1734 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है।

(ख) प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य-वार संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभी तक 1690 त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें से 1509 न्यायालय कार्यरत हैं।

(घ) उच्चतम न्यायालय बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना किए जाने के संबंध में मानीटरी कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6 मई, 2002 के अपने निर्णय में सभी राज्य सरकारों को यह निदेश दिया है कि वे तीन मास के भीतर शेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करें।

विवरण

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	37
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	29
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	45
27.	उत्तर प्रदेश	242
28.	पश्चिम बंगाल	152
	योग	1734

खेलों को बढ़ावा देने वाले संघों को कर में छूट देना

2938. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलों को बढ़ावा देने वाले संघों को दी गई कर छूट को 1.4.2003 से वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एक संस्था के रूप में पंजीकृत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी सी सी आई) जो प्रसारण अधिकारों को बेचने में लगा हुआ है, को किस प्रकार कर छूट का विशेषाधिकार प्राप्त है; और

(ग) क्या बी सी सी आई अपने खिलाड़ियों को दिए गए पारिश्रमिक/फीस पर स्रोत पर कर कटौती नहीं करता है?"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। भारत में स्थापित खेल संघ अथवा संस्थान को विशेष रूप से धारा 10 (23) के अन्तर्गत उपलब्ध छूट 01.04.2003 से वापस ले ली गई है। तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 24.09.1984 के परिपत्र सं. 395 के आधार पर इस अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत खेल तथा कूद को बढ़ावा देने में लगे संघों अथवा संस्थानों को छूट अभी भी ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसे संघ/संस्थान कर छूट के लिए भी दावा कर सकते हैं।

(ख) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कर निर्धारण वर्ष 1998-99 तक ही कर छूट प्रदान की गई थी।

(ग) जी, हां। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने खिलाड़ियों को संदत्त पारिश्रमिक/शुल्क पर स्रोत पर कर कटौती नहीं करता है।

राज्यों को वित्तीय संस्थाओं से सहायता

2939. श्री अशोक कुमार रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस प्रकार से अन्य राज्यों को प्रदान की गई सहायता की तुलना में उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) किसी राज्य को वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता आर्थिक कारणों की वजह से व्यवहार्य समझे जाने वाले परियोजना प्रस्तावों की आर्थिक व्यवहार्यता एवं वाणिज्यिक संभाव्यता, विकास के स्तर और संबंधित राज्य सरकार से सहायता पर आधारित होती है। उत्तर प्रदेश जैसे कतिपय राज्यों को वित्तीय सहायता का कम स्तर खराब आधारभूत सुविधाओं की अड़चनों, सामाजिक-आर्थिक विकास के निम्न स्तर एवं सरकार से प्रोत्साहनों के निम्न स्तर की वजह से है।

विवरण

2002-03, 2003-04 और 2004-05 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान वित्तीय संस्थाओं (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई, एक्जिम बैंक, आईआईबीआई) द्वारा संवितरित राज्य-वार सहायता

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	2002-2003					2003-04					2004-05				
	आईडीबीआई	सिडबी	आईएफसीआई	एक्जिम बैंक	आईआईबीआई	आईडीबीआई	सिडबी	आईएफसीआई	एक्जिम बैंक	आईआईबीआई	आईडीबीआई	सिडबी	आईएफसीआई	एक्जिम बैंक	आईआईबीआई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	281.8	534	12.31	338.0	7.61	653	289.5	7.39	582.0	2.53	82.1	120.2	2.30	359.0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0			0	0	0.2			0	0	0			0
असम	0.1	6.4	0.0		0	40	4.9			0	1.1	1.8			0.85
बिहार	12.6	21.8			0	2.9	4.9			3.3	2	0.1			0
छत्तीसगढ़	20.1	6.5	0.0		0	0.4	2.4		48.0	0	0.1	1.1			0
गोवा	4.4	30.3	9.12		0	9.1	18.5	1.0		0	1.1	5.8			0
गुजरात	575.7	542.3	363.05	328.0	2.5	461.9	287	37.14	450.0	0.85	270.6	257.7	0.27	425.0	0.11
हरियाणा	103.4	270.2	0.0		0	50.5	70.7	26.73	50.0	0	78.6	23.9			0
हिमाचल प्रदेश	20.2	17.7	13.78		6	26.5	12.2	37.49		0	0	15.5			0
जम्मू और कश्मीर	0	67		0.5	0	0	70.8			0	0	5.5			0
झारखंड	6.5	3.1			0	0.5	0.7			0	0	19			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कर्नाटक	361.1	620.7	157.27	102.0	17.13	682.8	299.3	2.59	246	0	22.4	402.8		255.0	0
केरल	42.3	258.2	0.0	18.0	0	25.2	212.7		49.0	0	7.5	61.6		102.0	0
मध्य प्रदेश	81.9	68.1	0.0	31.0	0.86	78.1	103.4		37.0	0	36.7	102.1		11.0	0
महाराष्ट्र	2593.2	1534.1	527.66	2444.0	2.43	1040	711.6	100.62	2759	0	667.9	746	29.48	1478	0
मणिपुर	0	0		0.6	0	0	0.2		2	0	0	0			0
मेघालय	2	2.4			0	0	3			0	0	0		0.3	0
मिजोरम	0	0			0	0	0			0	0	0			0
नागालैंड	0	0			0	0	0.1			0	0	0			0
उड़ीसा	74.7	56	0.0		0	110.1	26.3	10.91		0	91.2	11.8			0
पंजाब	62.9	297.1	19.85	106.0	0	85	107.6	4.20		0	76.8	25.2			0
राजस्थान	190.7	146.7	0.0	10.0	1.8	124	250.8		57.0	0	18.4	58.5		21.0	0
सिक्किम	0	0.2			0	0	1.5			0	0	0			0
तमिलनाडु	455.4	923.4	17.66	318.0	12.69	287.9	610.6	226.0	749	6.97	216.4	267.2		896	0
त्रिपुरा	0	5.2			0	0	0.5			0	0	0			0
उत्तर प्रदेश	323.8	177.5	26.82	124	0	99.9	93.9	19.15	109	0	80.3	65.8	8.60	257	0
उत्तरांचल	1.1	10.6	0.70		0	69.9	5.3	2.30		0	52.5	8.9			0
पश्चिम बंगाल	140.8	160	56.71	499	0	202	81.7	26.41	397	15.77	161.4	25.1	18.09	549	6.6
एन सी टी दिल्ली	954.7	641.2	572.0	860	0	708.3	667		1081	0	216.8	539.3		602	0
अंडमान एवं निकोबार	0	0.7			0	0	0			0	0	0			0
चंडीगढ़	1.9	34.1			0	0.5	66.2			0	1.2	23.5		0.2	0
दादरा और नगर हवेली	24.2	10.9	3.0		0	4.5	0.8			0	11.6	0			0
दमन द्वीव	0	3.1			0	0	6			0	0	0			0
लक्षद्वीप	0	0			0	0	0			0	0	0			0
पांडिचेरी	0	10			0	0	16.4			0	0	0			0
अन्य	0	329.9			0	0	407.5			0	0	0			0

[हिन्दी]

पोस्त उत्पादकों को लाइसेंस

2940. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के पोस्त उत्पादकों का लाइसेंस वर्ष 2003-2004 के दौरान मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पोस्त उत्पादकों के लाइसेंस रद्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का पोस्त उत्पादकों की स्थिति को देखते हुए उनके लाइसेंसों को उन्हें फिर से प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के अफीम पोस्त कृषकों के लाइसेंस को स्वेच्छा से रद्द करने का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा प्रवर्तन संबंधी कार्यकलाप

2941. श्री अधीर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत वर्ष 1999 से 2003 तक प्रतिवर्ष अलग-अलग कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया;

(ख) उनमें से कितने लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ और कारावास की सजा दी गई;

(ग) वर्ष 1999 से 2003 तक प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियमों और कानूनों के अधीन आयकर के कितने चूककर्ताओं को कर वसूली अधिकारी के वाद पर निरुद्ध किया गया;

(घ) क्या आयकर विभाग के पास चूककर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के पश्चात तथा उन्हें जेल भेजने के पहले उन्हें निरुद्ध करने हेतु हवालात हैं;

(ङ) क्या आयकर विभाग ने चूककर्ताओं को निरुद्ध आदेश के तहत जेल भेजने से पहले कर वसूली अधिकारी के पास उनके अल्पकालिक कैद के दौरान उनकी देखभाल (जैसे भोजन, शौचालयों, आश्रय, बिस्तर आदि) करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) अपेक्षित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों/संबंधित कार्यालय (कार्यालयों) से मंगाई गई है तथा वह अभी भी प्रतीक्षित है। जब सूचना प्राप्त हो जाएगी, उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक को शिक्षा के लिए ई.एफ.सी. अनुदान

2942. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में 1000 क्लासरूमों के निर्माण के लिए प्रारंभिक शिक्षा हेतु ई.एफ.सी. अनुदानों के अंतर्गत धनराशि प्रदान की है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र भी भेजे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सकार को बकाया अधिक धनराशि जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा बकाया धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्र सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 19 करोड़ रुपए के आबंटन का अनुमोदन किया है। राज्य सरकार ने इस अनुदान से 1000 क्लासरूमों के निर्माण और कुछ अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृति दी है।

(ख) और (ग) सितम्बर, 2004 को समाप्त अवधि के लिए यह राशि 708.41 लाख रुपए है, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2943. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुनिश्चित करने के लिए नई नीति बनाई है चूंकि भारत एकल नियामक सहित वित्तीय सेवाओं के लिए एक वैश्विक आउट सोर्सिंग हब, तथा वैश्विक सर्राफा एवं पूंजी बाजार के लिए व्यापारिक हब के रूप में विकसित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एकीकृत कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रतिभूतियों तथा वस्तु बाजार के लिए समान विनियमन बनाने का निर्णय लिया है;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के संबंध में एक उदार तथा पारदर्शी नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है। सरकार पूंजी बाजारों के व्यवस्थिति विकास एवं कार्यकरण के प्रति भी बचनबद्ध है। पूंजी बाजारों का विस्तार व विकास करने के साथ-साथ विनियामक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। भारतीय पूंजी बाजार को मजबूत तथा आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2004-05 के बजट में अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु बाजारों और प्रतिभूति बाजारों को एकीकृत करने के उपाय आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

गरीब तथा विकलांग व्यक्तियों को ऋण

2944. श्री किशन सिंह सांगवान:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीब लोगों, किसानों तथा विकलांग व्यक्तियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बीस हजार रुपये, पचास हजार रुपये तथा एक लाख रुपये का ऋण प्रदान करने के लिए समय-सीमा क्या है तथा ये ऋण किस स्तर पर मंजूर किये जाते हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सरकार ने गरीबों, किसानों तथा विकलांग व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की कोई नई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों के व्यक्तियों को विद्यमान योजनाओं, अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), राष्ट्रीय स्कैवेंजर उन्मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एनएसएलआरएस) तथा विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत का आरक्षण है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 18 जून, 2004 को किसानों के लिए राहत उपायों के पैकेज की घोषणा की है और जोर देकर कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की मात्रा और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण ढंग से वृद्धि करने के लिए कहा है।

एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई तथा एनएसएलआरएस के अंतर्गत ऋण मंजूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा नीचे दी गई है:

(1) एसजीएसवाई योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर और अधिक से अधिक एक महीने में निपटाया जाना होता है। बैंकों से इस योजना के अंतर्गत ऋणों की मंजूरी और संवितरण के बीच के अंतर कम करने तथा शाखा प्रबंधक को अपने उच्चाधिकारियों से पत्राचार किए बिना प्रस्तावों की मंजूरी की पर्याप्त विवेकपूर्ण शक्तियां प्रदान करने के लिए कहा गया है।

(2) एसजेएसआरवाई तथा एनएसएलआरएस योजनाओं के अंतर्गत 25,000 रु. तक के ऋण दो सप्ताह के भीतर और 25,000 रु. से अधिक के ऋण 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाए जाने होते हैं।

[अनुवाद]

सेवा कर में राज्यों का हिस्सा

2945. श्री गुरूदास कामत:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुरेश अंगडि:
प्रो. एम. रामदास:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र से सेवा कर को उनके साथ 50:50 आधार पर बांटने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों की केन्द्र के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(घ) राज्य सरकारों की इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) केन्द्र और राज्यों के बीच सेवा-कर से होने वाली आय के उद्ग्रहण संग्रहण और वितरण के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त-मंत्रियों की दिनांक 30.11.2004 को नई दिल्ली में बैठक हुई। राज्य सरकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र और राज्यों के बीच सेवा-कर की आय का बंटवारा करने के संबंध में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए। कुछ राज्य सरकारों ने यह विचार भी व्यक्त किया कि केन्द्र और राज्यों के बीच सेवा कर की आय को 50:50 आधार पर बांटा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

गुजरात को 'ओपेक' सहायता

2946. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री गुजरात को ओपेक के बारे में 26.11.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): जैसाकि लोक सभा के दिनांक 26.11.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 1181 के उत्तर में बताया गया था, पेयजल आपूर्ति विभाग ने गुजरात में पेयजल आपूर्ति के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव "ओपेक" (ओ पी ई सी) को भेजने के लिए दिनांक 12.7.2002 को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजा था। आर्थिक कार्य विभाग ने उक्त प्रस्ताव ओपेक अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष को दिनांक 26.7.2002 को भेजा था। इस प्रस्ताव के संबंध में ओपेक कोष से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

भेषज हेतु कच्चे माल पर केन्द्रीय बिक्री कर

2947. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में भेषज हेतु कच्चे माल और दवाओं पर केन्द्रीय बिक्री कर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में 2.2 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर की दर में इस असंतुलन जिसकी वजह से अन्य राज्यों में भेषज उद्योग की वृद्धि प्रभावित हो रही है को शीघ्र रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कम्पनियों पर उपकर लगाना

2948. श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती सिवेदितम माने:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नया विधान बना कर कंपनियों के 'क्रास टर्नओवर' पर उपकर लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को कंपनियों के कुछ संगठन और 'एसोचैम' से उक्त उपकर हेतु अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसे अनुरोधों पर सरकार कब तक अंतिम निर्णय लेने जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में आयकर पर अतिरिक्त अधिभार के रूप में 2% की दर से शिक्षा उपकर लगाया गया है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कुल उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क अथवा सेवा कर के 2% की दर से शिक्षा उपकर का परिकलन किया जाता है।

(ख) से (ङ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के लिए हेलीकाप्टर सेवा

2949. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 8.7.2003 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें कोई पत्र भेजा है जिसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भारी हिमपात के कारण लगभग छह माह तक देश के शेष हिस्सों से कटे रहने वाले राज्य के लाहौल स्फीति और किन्नूर और चम्बा जिलों के पांगी-भरमाऊर तहसील के लोगों के बचाव और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की तरह उपलब्ध कराई जा रही हेलीकाप्टर सेवा को राजसहायता दिए जाने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने उक्त मामले में गैर-योजनागत व्यय के होने के कारण इसे वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और आज तक इसके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषयान्तर्गत एक पत्र दिनांक 15.9.2003 प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र दिनांक 12.12.2003 को आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था क्योंकि यह विषय गृह मंत्रालय से संबंधित है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को कर-छूट

2950. श्री एम. शिवन्ना:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को दी जाने वाली कर-छूट की सीमा 75,000/- रुपए तक थी;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग (बहु-नि:शक्तता) लोगों को धारा 80 डी डी एवं 80 एल आई के अंतर्गत लाभ प्रदान करते हुए कुल कितनी धनराशि पर कर-छूट दी जाती है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस छूट से कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। जैसा कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, वित्त वर्ष 2003-04 से आयकर अधिनियम में विकलांग व्यक्ति को 50,000 रु. की आय से कटौती और गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्ति को 75,000 रु. की कटौती का प्रावधान किया गया है।

(ख) आयकर अधिनियम में 80 एल आई नामक कोई धारा नहीं है। विकलांग व्यक्ति अथवा आटिजम, सेरेब्रल पल्सी अथवा बहु-विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80 घ और 80 प के अधीन कटौती उपलब्ध है।

किसी व्यष्टि द्वारा कोई आयकर संदेय नहीं होता है यदि वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान उसकी कुल आय, आयकर अधिनियम की धारा 80 घघ और 80 प के अधीन कटौती का लाभ प्रदान करने के बाद 1,00,000 रु. से अनधिक होती है।

(ग) ऐसे अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीमलेस स्टील पाईपों पर आयात-शुल्क

2951. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने हेतु सीमलेस स्टील पाईपों पर ज्यादा आयात शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सीमलेस स्टील पाईपों के मात्र दो घरेलू उत्पादकों को इस पर एकाधिकार है और ये इन पाईपों के मुख्य ग्राहकों यथा-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से ज्यादा दर वसूलते हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीमलेस पाईप बहुत सस्ते हैं, परन्तु यहां के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर भी घरेलू उत्पादकों से उच्च मूल्यों पर इसकी खरीद कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। सामान्यत: सीमलेस स्टील पाइपों पर सीमा शुल्क की प्रभावी दर 20 प्रतिशत है जो कि गैर-कृषीय माल पर सीमा शुल्क की सामान्य उच्चतम दर भी है।

(ख) वित्त मंत्रालय को घरेलू सीमलेस स्टील पाइप उत्पादकों द्वारा अपनाए गए उच्च मूल्यों तथा साथ ही आयात शुल्क के ज्यादा होने के कारण सीमलेस स्टील पाइपों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रतियोगी बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसी भी स्रोत से अपना कच्चा माल खरीद सकते हैं और सरकार उनकी खरीददारी की पसंदगी पर टिप्पणी नहीं कर सकती।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असम की बकाया राशि

2952. श्री अनवर हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय तेल निगम तथा अन्य तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री कर राशि असम राज्य को जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बिक्री कर देयता के संबंध में असम सरकार और इंडियन आयल कारपोरेशन के बीच विवाद है तथा मामला न्यायाधीन है।

निवेश आयोग

2953. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री रमाकांत यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेश आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) उक्त आयोग की स्थापना का क्या उद्देश्य है; और

(घ) उक्त आयोग द्वारा अध्ययन हेतु पहचान किए गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) निवेश आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और तीन व्यावसायिक शामिल होंगे।

(ग) और (घ) निवेश आयोग के गठन का उद्देश्य निवेश के संवर्धन के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों को प्रेरित करना और भारत में माहौल को और आकर्षक बनाने का है। आयोग प्रत्येक वर्ष निवेश के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, विशेषतया उन क्षेत्रकों में जहां निवेश की अत्यन्त आवश्यकता है, परन्तु अभी तक समुचित निवेश का प्रवाह नहीं हुआ है। भारतीय निवेशकों के संबंध में आयोग "घोषणाओं" और "प्रस्तावों" के बीच के अंतराल को तथा "प्रस्तावों" और "परियोजना क्रियान्वयन" के बीच के अंतर को दूर करने के मुद्दे का भी समाधान करेगा।

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद विपणन समिति

2954. श्री वी.के. दुम्मर:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद विपणन समिति तथा राज्य सरकार ने कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से उक्त समिति पर आयकर लगाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उदार कर व्यवस्था से असंगत सभी छूटों को हटाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के अधीन पद ''स्थानीय प्राधिकरण'' को परिभाषित करने एवं उसके द्वारा छूट को पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर पालिका समितियों, जिला बोर्डों तथा छावनी बोर्डों तक सीमित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक नीतिगत निर्णय लिया गया था। कृषि विपणन बोर्ड तथा बाजार समितियां इस परिभाषा में शामिल नहीं हैं, अत: वे इस धारा के अन्तर्गत कर छूट के लिए पात्र नहीं हैं।

विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग तथा फ्रेन्चाइज

2955. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुसंशति विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग तथा फ्रेन्चाइज सन्धियों क मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदन किये गए तकनीकी सहयोग समझौतों (टीसीए) की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या पेट्रोलियम इंजिनों के लिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के लिए भारतीय कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों के बीच कुछ ट्रेड मार्क समझौते हुए है और यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जनवरी, 2004 से विदेशी तकनीकी सहयोग जिसमें ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम/फ्रेंचाइज अनुबंध भी शामिल हैं, के कुल 132 मामले अनुमोदित किये हैं। मैसर्स रौबर्ट बाश्च इंडिया लि., बेंगलूर का मोटर वाहनों के पेट्रोल इंजनों के लिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तथा उसके हिस्से-पुर्जों के लिए मैसर्स रौबर्ट बाश्च जीएमबीएच, जर्मनी के साथ ट्रेड मार्क अनुबंध करने का प्रस्ताव अक्तूबर, 2003 में अनुमोदित किया गया था।

स्टील बिलेट पर आयात शुल्क

2956. श्री गणेश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू सीमलैस स्टील बिलेट पाइप निर्माताओं से स्टील बिलेट पर आयात शुल्क के कारण कोई लाभ नहीं हो रहा है;

(ख) क्या घरेलू सीमलैस स्टील पाइप निर्माता बिलेट के आयात पर आयात शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं तथा घरेलू बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री से भी मानद निर्यात लाभ प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) स्टील बिलेट्स के लिए सीमा शुल्क की सामान्य प्रभावी दर नान-एलाय स्टील बिलेट्स के लिए 5 प्रतिशत तथा एलोय स्टील बिलेट्स के लिए 15 प्रतिशत है। केवल घरेलू सीमलैस स्टील पाईप निर्माताओं के लिए कोई अलग आयात शुल्क ढांचा नहीं बना है।

(ख) और (ग) विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के अध्याय-8 के तहत विनिर्दिष्ट मानद निर्यात लाभ उपलब्ध हैं। मानद निर्यातों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले माल के विनिर्माण एवं आपूर्ति के संबंध में मध्यवर्ती आपूर्तियों के लिए मध्यवर्ती आपूर्ति/मानद निर्यात/डीएफआरसी/डी.एफ.आर.सी. के लिए अग्रिम लाइसेंस सहित विनिर्दिष्ट मानद निर्यात लाभ उपलब्ध हैं। घरेलू सीमलैस स्टील पाइप निर्माता यथा प्रयोज्य मानद निर्यात लाभों के लिए भी पात्र होंगे जहां उनके द्वारा आपूर्ति किया गया माल उन्हें मानद निर्यातों के रूप में अर्हक बनाता है।

पाकिस्तान को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा

2957. **श्री मोहन रावले:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को एक पक्षीय रूप से सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दे दिया है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पाकिस्तान ने भारत को कितनी वस्तुओं पर सीमा शुल्क रियायत दी है तथा भारत ने पाकिस्तान को कितनी वस्तुओं पर ऐसी ही रियायत दी है; और

(घ) समान लाभ प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क रियायतों में समानता लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हालांकि भारत ने पाकिस्तान को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया है परन्तु उस देश द्वारा अभी भारत को यह दर्जा दिया जाना है। यद्यपि इस दर्जे से इन्कार करना डब्ल्यू टी ओ करार का उल्लंघन होता है तथापि हमें एम एफ एन का दर्जा प्रदान करने के लिए भारत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठा रहा है।

(ग) और (घ) भारत और पाकिस्तान ने सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) से संबंधित करार के अंतर्गत चार दौर की व्यापार वार्ताओं में टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया है। इन वार्ताओं के पहले तीन दौरों में भारत ने 20 प्रतिशत की औसत टैरिफ रियायत से पाकिस्तान को 477 टैरिफ लाइनों (6-अंकीय एच एस) की कुल संख्या पर रियायतें प्रदान की थीं जबकि पाकिस्तान ने भारत को 262 टैरिफ लाइनों पर रियायतें प्रदान की थीं। सार्क सचिवालय, काठमांडू में 2-3 दिसम्बर, 2003 को सम्पन्न चौथे दौर के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भारत ने 262 कुल टैरिफ लाइनों पर पाकिस्तान को 10-20 प्रतिशत तक रियायतें प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी जबकि पाकिस्तान 223 टैरिफ लाइनों पर 10-20 प्रतिशत तक रियायतें प्रदान करने के लिए सहमत हुआ था। भविष्य में इन रियायतों का आदान-प्रदान और इनसे संबंधित वार्ताएं भारत के निर्यात हित और पारस्परिकता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाएगी।

बिक्री कर अधिनियम

2958. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर भी लागू है;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में समरी बिक्री कर छूट की सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है जबकि पंजाब ने इसे पहले ही संशोधित कर 1 लाख रुपये कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो चंडीगढ़ के मामले में भी सीमा न बढ़ाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 कतिपय संशोधनों के साथ संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू होता है।

(ख) और (ग) जैसा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में संक्षिप्त कर-निर्धारण की सीमा 5 लाख रुपए तक है जबकि पंजाब राज्य में यह केवल स्थानीय बिक्री कर के लिए 75 लाख रुपए तक है। पंजाब राज्य में 75 लाख रुपए की बढ़ी हुई सीमा को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अब तक नहीं अपनाया गया है।

पेस्टीसाइड्स रेजीड्यू क्योर्ड लीफ

2959. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेस्टीसाइड्स रेजीड्यू क्योर्ड लीफ तंबाकू उत्पादन की चिंता का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातोन्मुखी फ्लू-क्योर्ड और बरले तम्बाकू का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता का महत्व क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश तम्बाकू का आयात कीटनाशी अपशिष्टों के स्वीकार्य स्तर पर ही करता है;

(घ) क्या सरकार कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों का बेहतर गुणवत्ता वाले कीटनाशी अपशिष्ट उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। तथापि, यह गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि तम्बाकू की उपचारित पत्ती में कीटनाशी अपशिष्टों का स्तर आयातक देशों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एम आर एल) से काफी कम है।

(ख) जी, हां। निर्यात बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए तम्बाकू की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। तथापि, वैश्विक आपूर्ति, मांग और तम्बाकू के बाजार में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों का भी भारतीय तम्बाकू की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) सामान्य तौर पर कृषि उत्पाद में कीटनाशी अवशिष्ट वांछनीय नहीं हैं। तथापि, चूंकि तम्बाकू की उपचारित पत्ती एक खाद्य मद नहीं है इसलिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत इसके लिए कीटनाशी अवशिष्टों की अधिकतम सह्य सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.टी.सी. के कम कारोबार का तम्बाकू किसानों पर प्रभाव

2960. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.टी.सी. ने दीर्घकाल में अपने कुल कारोबार के अनुपात के अनुसार अपने तम्बाकू कारोबार शेयर को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी के इस निर्णय से देश में हजारों तम्बाकू किसानों के भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तम्बाकू किसानों के लिए वैकल्पिक प्रबंध करने और वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में कौन-से ठोस कदम उठाने पर विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि आई.टी.सी. ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कम्यूटेड पेंशन इक्वेवैलेंट की पुनर्बहाली

2961. श्री एस.पी.वाई. रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने 15 वर्षों की बजाय बारह वर्षों के बाद ही कम्यूटेड पेंशन इक्वेवैलेंट की पुनर्बहाली की सिफारिश की है;

(ख) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ वर्ष पहले इसी तरह की सिफारिश की थी; और

(ग) क्या सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब से?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई निर्णय वित्त मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

बाजार विकास सहायता के लिए धनराशि

2962. श्री सुरेश कुरुप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राज्य सरकारों से बाजार विकास सहायता के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को दिए जाने वाली अनुमानित केन्द्रीय सहायता को कम करने में राज्यों पर बोझ पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) बाजार विकास सहायता जैसी केन्द्रीय स्कीमों के लिए बजट प्रावधान संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों के भाग के रूप में संसद के अनुमोदन से किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में कोई कमी नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कर की बकाया राशि

2963. **श्री रघुनाथ झा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थगन आदेशों को रद्द कराके कर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई;

(ग) क्या सरकार की नीति सभी मामलों में मुकदमेबाजी न्यूनतम करने की है और यदि हां, तो मुकदमेबाजी के दिन रात बढ़ने के क्या कारण हैं और क्या मुकदमेबाजी बढ़ने के लिए सरकारी विभाग भी उत्तरदायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि देश में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) न्यायालयों और अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में स्थगन आदेशों का निरस्त होना एक कानूनी प्रक्रिया है। जब कभी किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष कोई स्थगन आवेदन रखा जाता है तो सरकार गुणों के आधार पर ऐसे आवेदनों का उपयुक्त ढंग से विरोध करती है। बकाया की वसूली पर कार्य बलों का गठन अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों/अधिकरण द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों की निगरानी के उद्देश्यों से किया गया है।

(ख) स्थगन आदेशों को निरस्त करने के कारण, कर की वसूली संबंधी सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है। समूचे देश में अवस्थित क्षेत्रीय प्राधिकरणों से ऐसी सूचना एकत्र करने में पर्याप्त समय और प्रयास की आवश्यकता होगी जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) सरकार मुकदमेबाजी को कम करने का प्रयास करती है तथापि कानून के जटिल प्रश्नों पर कर कानूनों की कानूनी व्याख्या के लिए न्यायालयों का स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करके मुकदमेबाजी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विवादों पर बनी समिति द्वारा सहमति के बिना कोई मामला न्यायालय में न जाए।

(घ) मामलों के शीघ्र निपटान को सरल बनाने के लिए मुकदमेबाजी कम करने के लिए बड़े उपाय किए गए हैं जिसमें अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का अनुवीक्षण करना, मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में अपील दर्ज करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मौद्रिक सीमा नियत करने संबंधी अनुदेश जारी करना, न्यायालय द्वारा बताई गई कमी को ठीक करने के लिए कानूनी उपाय, उच्च मांग वाली अपीलों के प्राथमिकता के आधार पर समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें करना, आदि शामिल है।

अपराह्न 12.10 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वुल एंड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल एंड वुलेन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1216/04]

(2) (एक) सेन्ट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1217/04]

(3) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1218/04]

(4) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1219/04]

(5) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1220/04]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ कारपेट टेक्नोलाजी, भदोही के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ कारपेट टेक्नोलाजी, भदोही के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1221/04]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1222/04]

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1223/04]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बार काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बार काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1224/04]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट आफ कांस्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ कांस्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1225/04]

(3) (एक) इंटरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल सेंटर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1226/04]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष, महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1227/04]

[अनुवाद]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 91(अ) जो 3 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन उसमें उल्लिखित चार कंपनियों को 'निधियों' के रूप में घोषित किया गया है तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 8 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा.का.नि. 547(अ) जो 27 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन उसमें उल्लिखित पन्द्रह कंपनियों को 'निधियों' के रूप में घोषित किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1228/04]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1229/04]

(ख) (एक) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1230/04]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1231/04]

(दो) बैंक आफ बड़ौदा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1232/04]

(तीन) बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1233/04]

(चार) बैंक आफ महाराष्ट्र के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1234/04]

(पांच) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1235/04]

(छह) इंडियन बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1236/04]

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1237/04]

(आठ) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1238/04]

(नौ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1239/04]

(दस) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1240/04]

(ग्यारह) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1241/04]

(बारह) ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1242/04]

(तेरह) विजया बैंक के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1243/04]

(3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2003-2004 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:

(एक) भारतीय स्टेट बैंक

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1244/04]

(दो) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1245/04]

(तीन) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1246/04]

(चार) स्टेट बैंक आफ इंदौर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1247/04]

(पांच) स्टेट बैंक आफ मैसूर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1248/04]

(छह) स्टेट बैंक आफ पटियाला

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1249/04]

(सात) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1250/04]

(आठ) स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1251/04]

(4) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के चौथे मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1252/04]

(5) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1253/04]

(6) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1254/04]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 2081 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मुख्यमंत्री राहत कोष, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2082 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "वेस्ट बंगाल काउंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2083 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "अमलगामेटिड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट वार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फंड एंड स्पेशल फंड फार रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलीटेशन आफ एक्स-सर्विसमैन, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2084 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2085 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, इंडिया, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2086 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "ज्वाइंट प्लांट कमेटी, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से

2004-2005 तक की अवधि के छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2087 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2088 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2089 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि क्लीयरिंग एण्ड फारवार्डिंग अनप्रोटेक्टेड डाक लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2090 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, वृन्दावन, बंगलौर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2091 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''टी.टी. रंगनाथन क्लीनिकल रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2092 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग इस्टेब्लिस्मेंट लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2093 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग इस्टेब्लिस्मेंट लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2153 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग इस्टेब्लिस्मेंट लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2154 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग अनप्रोटेक्टेड डाक लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2155 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि रेलवे गुड्स क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग अनप्रोटेक्टेड डाक लेबर बोर्ड, मुंबई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2156 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाम्बे आयरन एण्ड स्टील लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1993-1994 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2157 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाम्बे आयरन एण्ड स्टील लेबर बोर्ड, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2158 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाम्बे आयरन एण्ड स्टील लेबर बोर्ड, कलमबोली, ताल्लुका-पनवेल, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2159 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "बाम्बे आयरन एण्ड स्टील लेबर बोर्ड, कलमबोली, ताल्लुका-पनवेल, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2413 जो 2 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "द इस्टिट्यूट आफ कम्पनी सैकरेटरिज आफ इण्डिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2414 जो 2 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "गांधी स्मारक संग्रहालय समिति, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2415 जो 2 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडियन म्यूजियम, कोलकाता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2845 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फाउंडेशन आगा खां, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2846 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "बाला मंदिर कामराज ट्रस्ट, चेन्नई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2847 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2848 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2005-2006 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2849 जो 13 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आगेनाइजेशन, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन निर्धारण वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1255/04]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पर्याप्त शेयरों का अर्जन और ग्रहण) (संशोधन) विनिमय, 2004 जो 3 सितंबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 982(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच के लिए प्रक्रिया और शास्ति लगाना) (दूसरा संशोधन) विनिमय, 2004 जो 9 सितंबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 997(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1256/04]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार में भाग लेने वालों का केन्द्रीय डाटाबेस) विनिमय, 2003 के विनियमन 5क और 6 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 954(अ) जो 26 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उस तारीख को बढ़ाने के बारे में है जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट इंटरमीडिरियों के प्रमोटरों या निदेशकों, जो भारत के बाहर के निवासी हैं, को यूनिक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर दिया जा सके।

(दो) का.आ. 1077(अ) जो 1 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 के खंड (क) के प्रयोजनार्थ कतिपय शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1257/04]

(10) स्टेट बैंक आफ इंडिया (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी-4/2004 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अनुषंगी बैंक सामान्य विनियम, 1959 के विनियमन 42 में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1258/04]

(11) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 787(अ) जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मालवाहक वाहन में सड़क से माल के परिवहन के संबंध में किसी उपभोक्ता को परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उतने सेवा कर से छूट देना है जो प्रभारित सकल धनराशि के 25 प्रतिशत पर परिकलित सेवा कर से अधिक है, बशर्ते कि इनपुट या पूंजीगत माल ऋण की सुविधा नहीं ली गई हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 788(अ) जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मालवाहक वाहन में सड़क द्वारा फल, सब्जियां, अंडे या दूध के परिवहन के संबंध में किसी उपभोक्ता को माल परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय पूरे सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 789(अ) जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी मालवाहक वाहन में सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में किसी उपभोक्ता को माल परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2004 जो 3 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1259/04]

(12) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विजया बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम जो 15 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में 28 मई, 2004 को अधिसूचना संख्या पीइआर/पीए एंड पीडी/पेंस/150/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बैंक आफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 30 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ:एचआर एम 95:ई 1: आरईजी 41(6) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 14 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 11 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/पीईएन/एमेंड 1/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बैंक आफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/2911/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एएक्स-1/एसटी/डीएम/265/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आंध्रा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 11 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 666/20/आईआर/182 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 28 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1281/पीडी:आईआरडी (ओ)/0089/रेग. 17 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन विनियम, 2004 जो 25 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ:पीआरएस: लीगल: मिस-3965:04-05:585 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3942 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) युनाइटेड बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशानस और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 4 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 16 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/आईआरडी/3789/2004 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) यूनियन बैंक आफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 जो 25 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4 (क)/12.08.2004 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1260/04]

(13) भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्यात आयात बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 2004 जो 17 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/सर्विस/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1261/04]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1262/04]

(15) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, नियम, 2004 जो 2 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, (संशोधन) नियम, 2004 जो 27 अक्तूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1263/04]

(16) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2004 जो 19 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुई थी, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1264/04]

(17) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776 (अ) जो 25 नवम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसका आशय ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर तथा थाईलैण्ड में उद्भूत या वहां से निर्यातित बीओपीपी फिल्म पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1265/04]

(18) औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 और 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 769(अ) जो 2 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2003 के उपबंध लागू होने की तारीख 2 जुलाई, 2004 नियत की गई है।

(दो) का.आ. 1062(अ) जो 29 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विकास बैंक के उपक्रम को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड में अंतरित करने तथा उसमें निहित होने की तारीख 1 अक्तूबर, 2004 नियत की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1266/04]

(19) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 8/5/2004-आई एफ-आई जो 18 जून, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लेखाओं के बंद करने की अवधि को 31 मार्च, 2004 से बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2004 किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1267/04]

(21) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत 30 जून, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) नई दिल्ली के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1268/04]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. ऐलेंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1269/04]

(ख) (एक) स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1270/04]

(ग) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1271/04]

(2) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1272/04]

(3) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण).

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1273/04]

(4) (एक) इंडियन रबड़ मेन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मेन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1274/04]

(5) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय बायलर (संशोधन) विनियम, 2003 जो 22 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण).

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1275/04]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1276/04]

(8) (एक) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1277/04]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1278/04]

(दो) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1279/04]

(11) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बौद्धिक सम्पत्ति अपील बोर्ड (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 जो 15 सितम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) व्यापार चिह्न (बौद्धिक सम्पत्ति अपील बोर्ड के लिए आवेदन और अपील) नियम, 2003 जो 5 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 928 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) बौद्धिक सम्पत्ति अपील बोर्ड (प्रक्रिया) नियम, 2003 जो 5 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 929(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1280/04]

अपराह्न 12.11 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए विशेष अधिकरण (अनुपूरक उपबंध) निरसन विधेयक, 2004 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.12 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

157वां से 159वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) "पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में कयर उद्योग में संभाव्यता और संवर्धन (कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय)" के बारे में समिति के 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 157वां प्रतिवेदन;

(2) "भारतीय पूंजीगत माल उद्योग के लिए समान अवसर (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)" के बारे में

समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 158वां प्रतिवेदन; और

(3) "इस्पात की अधिप्राप्ति में लघु उद्योगों को पेश आ रही समस्याओं (लघु उद्योग मंत्रालय)" के बारे में समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 159वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.13 बजे

सभा कार्य

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं घोषणा करता हूं कि शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

(एक) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(दो) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

(क) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2004

(ख) प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2004

(तीन) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार और पारित करना।

(चार) दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आज के निर्धारित कार्यक्रम की सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये:

(एक) जयपुर में पानी के घोर संकट को हल करने के लिए बनास योजना शीघ्र प्रारम्भ की जाये जिसके लिए केन्द्र सरकार आर्थिक मदद करे।

(दो) पुरानी रेलवे लाइन जो टोडा राय सिंह सन, 1890 से चलती थी, उसे अचानक बंद कर देने के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेरव फांगी, मालपुरा, टोडा राय सिंह लाखों लोगों को असुविधा हो गयी है। इसे बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित कर शीघ्र प्रारम्भ किया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

(एक) शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सहानुभूति की इच्छा नहीं होती है बल्कि वे कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों के हकदार हैं। किन्तु इस संबंध में केंद्रीय नियम का अनुपालन मेरे राज्य केरल सहित कई राज्यों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(दो) सभी महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों के परिसरों में डा. अम्बेडकर की प्रतिमाएं और स्मृति-चिन्ह लगाकर उन्हें सम्मानित किया जाना है। इस संबंध में नीति बनाई जाए और आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा करें:

(एक) जमशेदपुर में केन्द्र स्तर पर हवाई अड्डे का विस्तार कार्य एवं उस पर से हवाई सेवा शुरू करने का कार्य।

(दो) दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटा नगर आदित्यपुर रेलवे खंड स्थित जुगसलाई फाटक पर ढपरिपुल के निर्माण का कार्य।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:

(1) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की परिभाषा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की परिभाषा पर चर्चा।

(2) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर चर्चा।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:

(1) योजना आयोग द्वारा विधिवत स्वीकृत की गयी और उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में लागू की गयी संशोधित दीर्घकालिक कार्य योजना की समीक्षा।

(2) जल संसाधन विभाग, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के ऊपरी इंद्रावती बहु उद्देशीय परियोजना के लिए लिफ्ट कैनाल प्रणाली हेतु ए.आई.बी.पी. निधि का आबंटन और कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं:

1. उत्तरांचल के जिला पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा संरचित धौलीगंगा (चरण-दो सोबला) तथा गोरीगंगा परियोजना अर्थात् दोनों जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता।

2. उत्तरांचल के जिला पिथौरागढ़ में माओवादियों की बढ़ती गतिविधियों पर प्रभावी रोक सहित सुरक्षा संबंधी उपायों हेतु त्वरित परिवहन सुविधा तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नैनी सैनी हवाई पट्टी शीघ्रातिशीघ्र संचालित किये जाने की आवश्यकता।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. देश की आबादी के अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2000 को आधार वर्ष मानकर नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था किए जाने से संबंधित विषय।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों के लिए आगामी पांच वर्षों के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी परिवारों को 100 दिन तक रोजगार दिया जाए। इसके लिए आवश्यक धनराशि काला धन जमा करने वालों से एकत्र की जाए।

(2) सड़कों पर जीवन-यापन करने वाले बच्चों के लिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए आवश्यक धनराशि तीर्थ स्थलों पर कर लगा कर अर्जित की जा सकती है जहां आम लोग काफी धनराशि दान करते हैं।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह के कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने की कृपा की जाये:

1. "झारखंड राज्य में मलेरिया और कालाजार कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के साथ-साथ रैबिज एवं सर्प विष रोधी (एंटी वेनम) दवाओं को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा।"

2. "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम के अनुपालन हेतु उनके लोक सभा व विधान सभा की सीटों में कमी नहीं करने हेतु भारत के परिसीमन आयोग को आवश्यक निर्देश जारी करने और तत्संबंधी विधान बनाने की अपेक्षा।"

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

(1) उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है। संकर उर्वरकों के लिए वर्तमान मूल्य रियायत योजना की समीक्षा की मांग और विसंगतियों में सुधार को बिना किसी देरी के स्वीकृत किया जाए।

(2) केरल विधान सभा और आम जनता की ओर से लम्बे समय से त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की खंड-पीठ स्थापित किए जाने की मांग।

अपराह्न 12.19 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 16 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि के कथित प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले आप ही का नाम पुकारूंगा। मैं उसके लिए वचनबद्ध हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, कल इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री गरूदास दासगुप्त जी का सभी टी.वी. न्यूज चैनल्स पर बयान आया और आज सभी समाचार-पत्रों में भी उनका बयान आया कि उनकी प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने ई.पी.एफ. की ब्याज दर साढ़े आठ प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े नौ प्रतिशत करने की बात स्वीकार की है और कहा है कि अगले बजट सत्र के पहले यह कर देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी। अगर ऐसा तय हुआ है तो प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर यह बात कहनी चाहिए थी। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यह कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, विचार करना भी एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सदन में आकर उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए थी कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, जबकि सत्र चल रहा है और दो सदस्यों के डायमीट्रिकली आपोजिट बयान आएं। गरूदास दासगुप्त जी ने एक बात कही और प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कही। ...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): कंसीडर करना डिसीजन नहीं होता।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं जानता हूं।, लेकिन यह कोई छोटा मामला नहीं है। गरूदास दासगुप्त जी ने एक बात कही और प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कही

[अनुवाद]

यह सभा के विशेषाधिकार का भी विषय है।

[हिन्दी]

कांग्रेस पार्टी ने तो ई.पी.एफ. की ब्याज दर 12 प्रतिशत तक करने की बात कही थी। अब साढ़े नौ प्रतिशत करने की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह कम करने वाली बात आपके नोटिस में नहीं है। आपके सिद्धांत की बात पर कहना है। इसलिए उस पर कहें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: बाहर लाल झंडा दिखाएं, और अंदर हरी झंडी दिखाएं, यह नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, यह सदन को मालूम होना चाहिए।

[अनुवाद]

हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है क्या वे इसे बढ़ा रहे हैं अथवा नहीं बढ़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप यह मांग कर सकते हैं कि सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हां, सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री प्रणब मुखर्जी: जब निर्णय लिया जायेगा तो सभा को सूचित कर दिया जायेगा। यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा होगा तो यथासमय सूचित किया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: तो हाउस के बाहर कैसे बताया जा रहा है। सारे टी.वी. न्यूज चैनल्स पर यह बताया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, अब हो गया, आप बैठिए। मैंने आपकी मदद की है, अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या वे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बात करेंगे?

[हिन्दी]

सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी से ही बात करेंगे *...(व्यवधान)* आप रोज आकर अनाऊंस करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मुझे उत्तर देने दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को उत्तर देना है और सरकार इस संबंध में उत्तर दे चुकी है। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

श्री गरूदास दासगुप्त: महोदय, उन्होंने मेरे वक्तव्य का उल्लेख किया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शिशुपाल एन. पाटले।

...(व्यवधान)

श्री गरूदास दासगुप्त: वे नाराज हं क्योंकि सरकार *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे समाप्त कीजिए। आप सरकार में नहीं हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने तो 12 प्रतिशत तक करने की बात कही थी और अब साढ़े नौ प्रतिशत पर आ गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, बैठिए। मैंने आपके सदस्य का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिशुपाल एन. पाटले जो बोल रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके सदस्य का नाम बुलाया है, कृपया उन्हें बोलने दें।

[अनवाद]

मैं देर तक बैठने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन. पाटले (भन्डारा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान धान उत्पादन करने की जो पुरानी पद्धति है, देश के जो धान उत्पादन करने वाले किसान हैं, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धान के उत्पादन को गिनने की एक पद्धति है, जिसे अवरेडी कहते हैं। यह पद्धति अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, आज उसको बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों के समय से चली आ रही इस पद्धति के कारण देश के धान उत्पादन करने वाले किसानों को कृषि बीमा योजना एवम् अन्य अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इसका

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिशुपाल एन. पाटले]

कारण यह है कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही इस पद्धति के अनुसार अगर एक हैक्टेयर में सात क्विंटल धान की फसल होती थी तो उसे सरकार 100 प्रतिशत फसल हुई, ऐसा मानती है। लेकिन उस समय खेती नैसर्गिक साधन सम्पत्ति पर आधारित थी। अभी जो खेती की जाती है वह आधुनिक पद्धति से की जाती है, जिसके कारण लागत बढ़ी है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि अभी अगर एक हैक्टेयर में 40 क्विंटल धान की फसल होती है तो देश के किसान 100 प्रतिशत फसल हुई है, ऐसा माते हैं। लेकिन सरकार जब आने वाले उत्पादन को गिनने की पद्धति का उपयोग करती है, वह अंग्रेजों के समय से चली आ रही पद्धति का उपयोग करती है। अभी आधुनिक पद्धति से खेती करने से जो उत्पादन क्षमता बढ़ी है, उसके अनुसार अगर एक हेक्टेयर में सात क्विटंल धान की फसल हुई तो किसान उसको 20 प्रतिशत फसल हुई, ऐसा मानते हैं, जबकि सरकार की नजरों में वह 100 प्रतिशत फसल है। इस कारण देश के धान उत्पादन करने वाले किसानों को सरकारी सुविधाएं और कृषि बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता, वे उससे वंचित रहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह इस पद्धति को बदलने के लिए कोई विशेष योजना बनाए, जिससे किसानों को लाभ हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं। श्री हरिन पाठक।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष जी, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लाखों कामगारों के आर्थिक संकट की ओर मैं एक बार फिर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह गंभीर समस्या है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धीरज रखिए। मैं दो बजे अथवा तीन बजे तक भी बैठने के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: सन् 1985 की कपड़ा उद्योग नीति के दूरगामी असर से देश में एक के बाद एक मिलें बंद होने लगीं हैं लाखों कामगार बेकार और बेरोजगार होने लगे हैं। उस समय की सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया। तत्कालीन सरकार ने एक "टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम" नाम की योजना बनाई, जिसके तहत जो कामगार हैं, उन्हें कुछ धनराशि मुहैया कराई जाए। वह राशि देने का काम शुरू हो गया और राशि दी जा रही है। मिलें निरंतर बंद होती जा रही हैं और जो 41 आइडेंटिफाईड मिलें हैं, उनमें से 31 गुजरात में और 27 अहमदाबाद में हैं। अभी भी 25 हजार कामगारों को "टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम" से पैसा नहीं मिला है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार ने जब माननीय कांशी राम राणा जी टैक्सटाइल मंत्री थे, इन कामगारों की एक सीलिंग बनाई गयी थी कि मिल बंद होने के समय, जिनकी तनख्वाह 2500 रुपया थी, उस मर्यादा को बढ़ाकर 3500 रुपया करने का विचार किया गया ताकि स्कीम का लाभ उन्हें मिल सके। वह कैबिनेट द्वारा पास किया हुआ निर्णय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह जो निर्णय लिया है कि जिनकी तनख्वाह जब मिल बंद थी तब 3500 रुपया थी, उस कामगार को भी इस योजना के अंतर्गत लिया जाए और सन् 1986 से ही कामगार को पैसा दिया जाए। साथ-साथ जो स्टेच्युटरी राइट्स के लाभ हैं, ग्रेच्युटी और डिस्प्लेसमेंट बैनिफिट्स अभी तक देश में एक भी कामगार को नहीं मिले हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी मर्यादा 2500 रुपये के बदले 3500 रुपये की जाए और उनके जो स्टेच्युटरी राइट्स के बैनिफिट्स हैं, उन्हें वे दिये जाएं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): धन्यवाद, महोदय, मैं एक अत्यन्त गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं क्योंकि इस मामले पर सभा में पूरी चर्चा नहीं हुई थी। न्यायपालिका बड़ी तेजी से भ्रष्टाचार में फंसती जा रही है और सार्वजनिक जीवन में राजनीति, कार्यकारिणी और जीवन के अन्य पहलुओं का शिकार हो रही हैं।

इसलिए न्यापालिका में सुधार करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और इसे कई बार उठाया भी गया है।

हमें मालूम है कि न्याय में देरी करना न्याय से वंचित करना है। हमारी न्याय व्यवस्था *...* विश्व में सबसे धीमी है।

अध्यक्ष महोदय: इसका उल्लेख मत कीजिए। ऐसा कहिए कि इसमें कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री हन्नान मोल्लाह: यह अत्यन्त धीमी है और *...*

अध्यक्ष महोदय: इसे मेरे पास लाना और मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, $2^1/_2$ करोड़ मामले लम्बित पड़े हैं, *...* यह स्थिति आम आदमी के लिए अत्यन्त दुखदायी बनती

*....*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

जा रही है और दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यकरण में दखलअंदाजी संसदीय प्रजातन्त्र में शक्तियों के पृथक्करण के लिए खतरा बनता जाएगा।

मैं समझता हूं प्रबन्धन में दक्षता का अभाव है, *...* और जवाबदेही का अभाव और निष्क्रियता है। मैं समझता हूं कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग होना चाहिए जिसके पास न्यायधीशों के पदों के लिए निष्पादन कसौटी को पूरा करने संबंधी क्षमता मानकों की शक्तियां निहित होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय को मुख्य निष्पादन मानक बनाने चाहिए। उसी के आधार पर वे न्यायिक अधिकारियों के निष्पादन का आंकलन कर सकते हैं। प्रभावी न्यायिक व्यवस्था के लिए इस पहलू को बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करने पर तुरंत विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मैं आपको कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय के बारे में बताना अथवा स्मरण कराना चाहता हूं जोकि हम सबके लिए बाध्यकारी है कि एक माननीय सदस्य एक सप्ताह में एक ही मामला उठा सकता है। हमें इसको वरीयता देनी चाहिए। मेरे पास 21 सदस्यों की सूची है जिन्होंने इस सप्ताह में एक भी मामला नहीं उठाया है। उसके बाद यदि आपमें बैठने का धैर्य है, तो मैं इसे जारी रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक महत्व के तात्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अनुभवी हैं। मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, देश में 54 परसैंट लोग अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और मंडल कमीशन के तहत उन्हें 27 परसैंट आरक्षण देने का प्रावधान है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक खास तौर पर मानव संसाधन मंत्रालय की नजर में यह बात नहीं आई है। माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लें। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तहत आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसी संस्थाएं हैं लेकिन इनमें ओबीसी को जो 27 परसैंट आरक्षण देने का प्रावधान है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ओबीसी के छात्रों के लिए अलग से परीक्षा करने का भी प्रावधान है और अंकों में 5 परसैंट छूट देने का भी प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद आईआईटी, आईआईएम एवं एम्स जैसी संस्थाओं में मंडल आयोग की सिफारिशों का इम्पीलमैंटेशन नहीं हो रहा है जिससे ओबीसी के छात्रों और देश भर के लोगों में काफी असंतोष है। मानव संसाधन मंत्रालय इस मामले को गम्भीरता से ले और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं समरूप संस्थाओं में ओबीसी के छात्र राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेकर कार्रवाई करे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, अमूमन मैं शून्यकाल में कोई बात उठाना नहीं चाहता हूं लेकिन मेरी मजबूरी है कि जो घटना हुई, मेरे परिचित लोग उसमें एक-आध हैं इसलिए गम्भीरतापूर्वक शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसे उठाना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों आंतरिक सुरक्षा पर हुई बहस के दौरान माननीय गृह मंत्री जी ने दावा किया था कि मणिपुर की हालत सुधर रही है और अपेक्षा से अधिक सुधार हुआ है लेकिन आज वहां के विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एन. विजय और रजिस्ट्रार श्री आर.के. रंजन का अपहरण कर लिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने अपहण किया वे रजिस्ट्रार के परिवार से एक करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही थी। कल हमने अल्पसंख्यक आयोग का विधेयक भी पास किया है। हमने उसमें मणिपुर विश्वविद्यालय से भी जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, उनको एफिलिएशन में छूट दी। जब वहां के कुलपति और रजिस्ट्रार का अपहरण हो गया, ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि इस प्रावधान को कैसे इम्पलीमैंट किया जा सकेगा? आज पूरे देश की शैक्षिक संस्थाओं में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मैं गम्भीरतापूर्वक शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए गृह मंत्री जी से एक वक्तव्य चाहूंगा। इन दोनों व्यक्तियों के अपहरण के संबंध में भारत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? इन दोनों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा कर एक सामान्य वातावरण बनाने की दिशा में भारत सरकार पहल करे।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आपको मालूम है कि मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता हूं। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि जब कभी भी कोई मामला उठाया जाता है तो मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता कि वह इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह पूरी तरह सरकार पर निर्भर है कि वह इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

*...*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्हें इसके बारे में इतना संवेदनाशून्य नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि जब सभा में कोई मामला उठाया जाता है तो सरकार हमेशा उस पर विचार करती है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका जवाब देगी।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, देशभर के सामने ईंधन की कमी का विषय बार-बार आ रहा है, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। पिछली सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे, जिसमें इथानोल को शुरू में 5 प्रतिशत पेट्रोल में मिलाये जाने और बाद में इसे 10 प्रतिशत किये जाने का निर्णय किया गया था। इसके अलावा रतनजोत को खेती के माध्यम से बायो-डीजल की पैदावार देश में बढ़ाई जायेगी। जो पेट्रोल में शुरुआत की गई है, वह इस बात का आभास करते हुये कि निकट भविष्य में तेल के भंडार समाप्त हो जायेंगे। इसके अलावा समुद्र तल से कार्बन गैस हाइड्रेट का दोहन करके वैकल्पिक रूप से लाभ उठाया जायेगा, इस प्रकार से रिकार्ड समय में इसकी स्टडी होकर योजनाबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका प्रयोग लोकोमोटिव, बी.ई.एस.टी. मुम्बई आदि में किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन का 1430 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव सामने आया है लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, ऐसी बात जानकारी में आई है कि शीरे से जुड़े हुये उद्योगों की जो लाबी है या आयल टैंकर्स इम्पोर्ट करने वाली लाबी है, उनके दबाव से यह कार्यक्रम शिथिल किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये और हमारे तेल इम्पोर्ट जो प्रतिवर्ष 70-75 हजार करोड़ का हो रहा है, को देखते हुये इन वैकल्पिक ईंधन के कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ायें और राष्ट्र हित में जो कार्यक्रम पिछली सरकार ने शुरू किये थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाये।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में स्थित है। विशाल मुक्त समुद्र के कारण अधिकतर लोग मत्स्यन पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखते है कि इन मछली पकड़ने वालों पर काफी प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं और उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनका जीविकोपार्जन कठिनाई में है। मैं सरकार का ध्यान इस पर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन मछली पकड़ने वालों की देखभाल की जाए। गावों में रह रहे काफी लोग समुद्र में जाते हैं जहां उन्हें अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। अत: मैं मत्स्य पालन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसकी छानबीन की जाए और मछुआरों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक दल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह भेजा जाए ताकि उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान सामान्यतौर पर चाय उद्योग और विभिन्न राज्यों में छोटे चाय उत्पादकों और श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न संकट की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, मेरे अपने राज्य केरल में लगभग 20,000 श्रमिक पिछले तीन वर्षों में बेरोजगार हैं। महिला श्रमिकों सहित 49 श्रमिकों ने आत्महत्या की है। अभी तक लगभग 8 चाय बागान बन्द हुए हैं। तमिलनाडु में नीलगिरि जिले में भी स्थिति इसी प्रकार की है। लगभग 80,000 छोटे चाय उत्पादकों और उनके परिवार के सदस्य, जो कि लगभग चार लाख हैं इसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। चाय का समर्थ मूल्य 15 रु. और 16 रुपये के बजाय बढ़कर 5-6 रुपये तक हो गया है। उसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, वे अपनी निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: हमने इस पर विस्तृत चर्चा की थी।

श्री पी. करूणाकरन: पिछले छह वर्षों से चाय उत्पादक न्यूनतम मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के हस्तक्षेप के साथ ही भारतीय बैंक संघों ने विशेष चाय पैकेज तैयार किया है लेकिन कई बैंकों ने उसे क्रियान्वित नहीं किया है। यही बात पश्चिमी बंगाल के मामले में भी है। कई चाय बागान उस राज्य में हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकरन, हमने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की थी।

श्री पी. करूणाकरन: महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उन्हें 15 रु. का समर्थन मूल्य दे और इसके साथ-साथ छोटे चाय उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान के लिए दी गई समय-सीमा को भी बढ़ाया जाए। चाय बोर्ड को इस क्षेत्र में आगे आना होगा और उसे कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। परोक्षी निविदा और विभाजनीयता नियम चाय के मूल्यों में कमी आने के मुख्य कारण हैं। इसका निराकरण करना होगा।

[हिन्दी]

श्री अजित कुमार सिंह (बिक्रमगंज): सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में डी.ए.पी., एन.पी.के. और पोटाश फर्टिलाइजर की कमी हो रही है और खासकर बिहार में

[अनुवाद]

इसे 700 रु. में भी अधिक के प्रिमियम मूल्य पर बेचा जाता है और यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने राजसहायता राशि को प्रमाणीकृत नहीं किया है। अत: मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए क्योंकि आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और आधा बिहार सूखे की चपेट में है। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूं और आप देखें कि पोटेशियम उर्वरक (पोटेशियम फर्टिलाइजर) किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: काश! मेरे पास यह अधिकार होता!

श्री सुरेश चन्देल।

...(व्यवधान)

श्री अजित कुमार सिंह: महोदय, यह अत्यन्त आवश्यक है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपको इसका उल्लेख करने के लिए कहा है और आपने इसका अत्यन्त जोरदार तरीके से उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसे नोट कर रही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अजित कुमार सिंह: एक ही हफ्ता बचा है, नहीं तो फिर उसके बाद बुवाई भी नहीं हो पायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रतिदिन बिहार से सम्बन्धित 2-3 मामले उठाने की अनुमति दे रहा हूं। मुझे इसके कारणों के बारे में पता है और वे कारण तर्कसंगत हैं।

श्री अजित कुमार सिंह: महोदय, आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और आधा बिहार सूखे की चपेट में है। *...(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: क्या बिहार आपका प्रिय राज्य है?

अध्यक्ष महोदय: यह मेरा पड़ोसी राज्य है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान हिमालय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सदियों से हिमालय देश की सुरक्षा का प्रहरी रहा है और हिमालय से इस देश को वायु और जल भी उपलब्ध होता है। हिमालय के बगैर हम इस देश की कल्पना नहीं कर सकते। हिमालय से हमारे देश को प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल भी प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिमालय की देखरेख करने के लिए और वहां किस तरीके से इकोलोजिकल चेंजिज आ रहे हैं, इन सबका अध्ययन करने के लिए कोई विशेष संस्था हमारे देश में नहीं है। आज हिमालय में बहुत से इकोलोजिकल चेंजिज आ रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग जाते हैं और वे वहां कूड़ा-कचरा फेंककर आ जाते हैं, जिसके कारण वहां कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हिमालय के विकास के लिए और वहां की देखरेख करने के लिए एक ट्रांस हिमालयन डेवलपमैन्ट अथारिटी की स्थापना की जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रवास के दौरान 24 मार्च को इसकी घोषणा की थी। उसके बाद हिमाचल सरकार ने इस विषय को योजना आयोग के समक्ष उठाया था। योजना आयोग ने यह विषय रक्षा मंत्रालय के रीसैटलमैन्ट डिपार्टमैन्ट को सौंपा था और उन्हें एक एप्रोच पेपर तैयार करने के लिए कहा था। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले पत्र भी लिखा था, जिसका मुझे उत्तर नहीं मिला है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमालय के महत्व को समझते हुए और जैसा कुछ लोगों का विचार है कि आने वाले समय में तीसरी लड़ाई पानी के लिए होगी, इस बात की गंभीरता को समझते हुए एक ट्रांस हिमालयन डेवलपमैन्ट अथारिटी का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए। ताकि हिमालय की सुरक्षा के संदर्भ में जो लापरवाही हो रही है, उसे रोका जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती परमजीत कौर गुलशन—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में रेलवे द्वारा प्रति माह लगभग चार हजार मासिक सीजन टिकट दिये जाते हैं। यह धनराशि यात्रा पूर्व प्रति माह रेलवे को एम.एस.टी. के रूप में यात्रियों द्वारा प्रदान की जाती है।

[श्री सुरेश वाघमारे]

अत: रेलवे द्वारा इस लाइन पर लोकल ट्रेनें डाली नहीं जातीं। इसलिए इन मासिक टिकट धारकों को सुपरफास्ट और एक्सप्रैस से आना जाना पड़ता है। मासिक टिकट की सुविधा दैनिक यात्रियों के लिए दी गई है। इस सुविधा के अंतर्गत सीजन टिकट यात्रियों को भी रेलवे द्वारा सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह सुविधा प्रदान न करते हुए सिर्फ आरक्षित यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि मासिक सीजन टिकट यात्रियों के लिए उपर्युक्त रेलवे स्टेशन से सुपरचार्ज का बंधन हटा दिया जाना चाहिए या सुपरफास्ट में एमएसटी यात्रियों के लिए बोगी लगाने के व्यवस्था करें। यदि सुपरचार्ज लगाने के लिए कोई आर्थिक आपत्ति है तो रेलवे द्वारा मासिक सीजन टिकट में कम से कम सुपरचार्ज का अतिरिक्त भुगतान जोड़कर मासिक सीजन टिकट रेलवे टिकट धारकों को उपलब्ध कराया जाए। अत: काजीपेट पैसेन्जर 3355 अप और 3356 डाउन पहले जैसी चलाई जाए। मासिक सीजन टिकट करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए दिया जाना चाहिए। सरकार आने-जाने के लिए विद्यार्थियों को कन्सैशनल पास प्रदान करती है तो प्रतिदिन सुपरचार्ज वहन करना इन प्रवासी यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कठिन है। कृपया उपर्युक्त मुद्दों पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य उग्रवाद प्रभावित राज्य है और आये दिन वहां पुलिस जुल्म गांवों में होता है। बराबर अखबारों के माध्यम से और अन्य स्रोतों से सूचना मिलती है कि वहां पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो स्टेट मैटर है, लेकिन आप बोलिये क्या कहना चाहते हैं।

श्री मनोज कुमार: वहां फर्जी मुठभेड़ों में निर्दोष लोगों को मारा जाता है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक जांच टीम झारखंड में भेजकर ऐसे मामलों की जांच कराई जाए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात में कुछ मल्टीनेशनल फाइनैन्स कंपनियों और कुछ बड़ी कंपनियों ने इनडायरैक्टली अपने एजेन्टों को आदेश दिया है कि पोलिटीशियन और उनके रिश्तेदारों को लोन नहीं दिया जाए। गुजरात में लोन मेला लगता है, वहां आम जनता तो लोन ले रही है लेकिन अगर कोई जानता है कि यह किसी पोलिटीशियन का रिश्तेदार है तो उसको लोन नहीं दिया जाता है। अगर यह बात सही है तो गलत है। यह सभी राजनीतिज्ञों का अपमान है, जैसे पोलिटीशियन का संबंधी बनना तो गुनाह हो गया है। यदि यह सही है तो आपकी ओर से निर्देश जाएं और कंपनियों द्वारा अपने एजेन्टों को दिया हुआ इनडायरैक्ट आदेश वापस लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें भी आत्म निरीक्षण करना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती चानी बागड़ी नाम की एक महिला जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला के मलिआरा की रहने वाली है, दुर्गापुर स्थित हिन्द फैक्ट्री में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य करती थी। जब वह सेवानिवृत्त हुई तो उसने अपने दुर्गापुर स्थित भविष्य निधि निपटान कार्यालय में भविष्य निधि प्रपत्र भरा ताकि भविष्य निधि में उसके द्वारा जमा की गयी राशि उसे वापस मिल सके। लेकिन, दुर्भाग्य से, भविष्य निधि कार्यालय द्वारा उसे बताया गया कि भविष्य निधि में उसके द्वारा जमा की गयी राशि की वापसी पहले ही हो चुकी है। यह बताये जाने पर उसने दिल्ली स्थित भविष्य निधि कार्यालय से सम्पर्क किया। उसे आश्वस्त किया गया कि उसका पैसा उसे वापस मिल जायेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां व्यक्तिगत मामलों को नहीं उठाया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां: उसने इसके लिए वर्ष 2003 में आवेदन किया था। लेकिन अभी तक उसे पैसा वापस नहीं मिला है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपया इस मामले को देखें ताकि उस गरीब महिला को भविष्य निधि में जमा किया गया अपना पैसा वापस मिल सके और इस परेशानी के लिए दोषी अधिकारी को दंडित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप समझते हैं, कि बिना जांच के ही अधिकारी को दंडित कर दिया जाये। इसके लिए आप मंत्री जी को उचित ढंग से पत्र लिखें। तब वह उस पर विचार करेंगे। यह व्यक्तिगत मामलों को उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। यह सभा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें वन विभाग की जो जगह पड़ रही है, उसकी वजह से कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 500 मीटर और कहीं 1 किलोमीटर सड़क बनने से रोक दी गई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सभी प्रदेशों में इस प्रकार का निर्देश केन्द्र सरकार की ओर से दिया जाए कि इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत जितनी भी सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की वन विभाग की जमीनों पर निर्माणाधीन हैं, उन्हें बनने दिया जाए। उन्हें वन भूमि होने के कारण न रोका जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पक्की सड़कें बन सकें और ग्रामीण इलाके के लोगों को सुविधा मिल सके।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला चीनी उद्योग सरकार की उदासीनता और प्रबन्धन की लूट के कारण धीरे-धीरे चौपट होता जा रहा है। अलाभकर मूल्य निर्धारण तथा गन्ने के मूल्य भुगतान में देरी के कारण गन्ने की खेती में किसानों की रुचि कम होती जा रही है जिसके चलते गन्ना क्षेत्रफल में निरन्तर कमी होती जा रही है। उ.प्र. के अधिकांश किसानों की तो गन्ना ही एकमात्र नगदी फसल है, लेकिन यहां सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की अधिकांश मिलें बन्द और बीमार हैं। वे ेय सहायता से इन मिलों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार कराया जाना आवश्यक है ताकि देश के इस सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य और चीनी मिलों के क्षेत्र में बसे पूरे किसानों की खराब आर्थिक स्थिति सुधर सके और उनकी गरीबी दूर हो सके। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों को बिना शर्त विशेष पैकेज देकर चीनी उद्योग को बचाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री अशोक अर्गल—अनुपस्थित

श्री किशन लाल दिलेर (हाथरस): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15.12.2004 को जन्तर-मन्तर पर हजारों बाल्मीकियों ने जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री किशन लाल दिलेर: जिनमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लोग थे। हजारों हजार लोगों ने प्रदर्शन किया था और वे मांग कर रहे थे कि सफाई कर्मचारी आयोग में जो गैर-बाल्मीकि लोग रखे गए हैं उन्हें नहीं रखा जाना चाहिए।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जब इस आयोग का गठन हुआ था तब यह तय किया गया था कि सफाई कर्मचारियों का मैला ढोने का काम खत्म कर दिया जाएगा, उनकी समस्याओं को आयोग के द्वारा सुलझाया जाएगा, लेकिन अब जब इस आयोग में गैर-बाल्मीकि लोग रखे जा रहे हैं, तो वे बाल्मीकियों की समस्याओं को कैसे जान पाएंगे? वे उनकी समस्याओं को नहीं जानते हैं। वे उनकी कठिनाइयों को समझते नहीं हैं। इसलिए वे क्या बताएंगे और किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? इससे तो वह कहावत चरितार्थ होती है कि "घोसी की भैंस ब्याए और कलंदर शीरनी बांटे" जब वे उस समाज की बातों को, उनकी समस्याओं को, उनकी जरूरतों को और उनकी कठिनाइयों को जानते ही नहीं, तो वे उनकी समस्याओं को समाधान कैसे करेंगे?

महोदय, मेरा निवेदन है कि सफाई कर्मचारी आयोग में बाल्मीकि समाज के ही लोग रखे जाएं और उस आयोग के सात सदस्यों में से केवल चार सदस्य ही नियुक्त किए गए हैं। मेरा आग्रह है कि शेष तीन सदस्यों की नियुक्ति भी बाल्मीकियों में से की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्व के पूर्वी पाकिस्तान के हजारों लोग वहां से आकर उत्तर प्रदेश, में तथा अब के उत्तरांचल के कुछ जिलों में, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तथा उड़ीसा के दो-तीन जिलों में बस गये इनमें से अधिकतर लोग नामशूद्र हैं।

नामशूद्र जाति के लोगों को पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन इसी नामशूद्र जाति के उत्तरांचल राज्य में अनुसूचित जाति की मान्यता नहीं मिली है। यद्यपि विगत में जब उत्तरांचल उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, तब पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने की सिफारिश की थी।

नामशूद्र जाति के लोगों को अपनी जमीन अर्थात् पट्टे का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें पट्टे पर जमीन नहीं दी गयी है। वे न्याय के लिए पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कल उत्तरांचल से 10,000 से भी अधिक लोग दिल्ली आये थे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इस आशय का ज्ञापन सौंपा कि नामशूद्र जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नामशूद्र जाति को देश के तीन राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है अत: उत्तरांचल राज्य में भी इसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाये।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं भी स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सीरियस विषय के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में, खास कर नासिक डिस्ट्रिक्ट में 25 साल से सात-आठ तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हुआ है। वहां सारे फोरेस्ट की इल्लिगल कटाई हो रही है और कुछ स्मगलिंग भी हो रही है। हमारे नासिक डिस्ट्रिक्ट में एनक्रोचमेंट के बारे में 45 हजार लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि वह लैंड हमारे नाम पर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का सितम्बर, 2002 में एक आर्डर आया कि जितना एनक्रोंचमेंट हुआ है, उसे हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 सितम्बर, 2002 तक वेकेंट करने का आर्डर दिया था, मगर हमारे यहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी फार्म की, लेकिन वहां अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1972 से 1978 तक जितने लीगल एप्लीकेंट्स हैं, उनके नाम पर फोरेस्ट लैंड करनी चाहिए। हमारे यहां नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो 45 हजार एप्लीकेशंस आई, उनमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स की उम्र 25 साल भी नहीं है। ये सब इल्लिगल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूं कि जो एप्लिकेंट्स लीगल हैं, उनके नाम पर यह लैंड होनी चाहिए। हमारे यहां इलैक्ट्रिक पोल और वाटर सप्लाई के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमीशन लेनी पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि वहां अगले पांच साल के बाद इंसान के अंतिम संस्कार के लिए भी लकड़ी नहीं मिलेगी। वहां इतनी गंभीर समस्या पैदा हो गई है, क्या इसके बारे में सरकार कुछ करने वाली है?

अध्यक्ष महोदय: चव्हाण जी, हम आपको बधाई देते हैं। यह आपका पहला भाषण है और आपने बहुत अच्छा बोला है।

श्री राजेश कुमार मांझी—उपस्थित नहीं हैं।

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बुहत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आप मेरे से नाराज नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज दो माननीय सदस्यों ने 10 बज कर 11 मिनट पर नोटिस दिया तब भी मैंने उन्हें बुलाया। आपको मौका दिया है।

[अनुवाद]

आप 58 मिनट विलम्ब से आये। फिर भी मैं आपको इसलिए अपनी बात रखने का मौका दे रहा हूं क्योंकि आपने इस हफ्ते कोई और मामला नहीं उठाया है और आज आप शांत रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एंड आफिसर्स आर्गनाइजेशन के आह्वान पर संसद के बाहर धरना दिया जा रहा है। वित्त मंत्री जी विराजमान हैं, सरकार की जानकारी में है कि हमारे देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और उनमें से 165 बैंक लाभ में चल रहे हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन बैंकों को जो अधिकार मिलने चाहिए, वे नहीं मिले हैं। उन्हें 15 प्रतिशत ऋण किसानों को देने का अधिकार मिला हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सबसे बड़ी डिमाण्ड यह है कि इन बैंकों की एक ऐसी यूनियन बनाई जाये, जिसमें इन 196 बैंकों का विलयीकरण किया जाये। विलयीकरण करके उनको ऐसी सुविधाएं दी जायें, जिन सुविधाओं के माध्यम से, जो शहरों के बैंकों ने सुविधाएं दे रखी हैं, वे सुविधाएं ये गांव के लोगों को दे सकें। इन बैंकों को सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित रूप से बड़े उद्योगों को गांवों में बढ़ाने का जो हम विचार करते हैं, उन्हें बढ़ाने का हमें अवसर मिलेगा और जो गांवों के लोग दूरदराज शहरों तक जाते हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा।

जहां तक मेरी जानकारी है कि 31 तारीख को जो सर्वे हुआ था, उसमें 26 करोड़ रुपये का संचित लाभ इन ग्रामीण बैंकों में हुआ है। हमारा यह मानना है कि यदि इनका विलयीकरण हो जाता है और ग्रामीण विकास बैंक की अगर स्थापना हो जाती है तो प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।

मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हजारों लोग जो आज बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी डिमांड को मानते हुए वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की जो अनुशंसा थी, जो अभी पूरी नहीं हुई है, उसे पूरा करेंगे। जितनी भी हमारी सरकारी समितियां हैं, उन्होंने और पूर्व सरकार ने भी इस तरह का निर्णय लिया था कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का विलयीकरण करके उसकी स्थापना की जाये ताकि ग्रामीण बैंकों को यह सुविधा मिल सके। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी

इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और हमारे गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सकेगा।

इतना ही मुझे निवेदन करना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कृपलानी द्वारा उठाये गये मामले से निम्नलिखित माननीय सदस्य भी अपने आपको संबद्ध करते हैं:

1. श्री संतोष गंगवार,
2. श्री गिरधारी लाल भार्गव,
3. प्रो. रासा सिंह रावत,
4. श्री किशन लाल सांगवान,
5. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई,
6. डा. रामकृष्ण कुसमरिया,
7. श्री सुरेश अंगड़ि,
8. श्री कृष्णा मुरारी मोघे,
9. श्री बिक्रम केशरी देव,
10. डा. वल्लभभाई कथीरिया।

माननीय सदस्यो, मुझे आपके मार्गनिर्देशन की आवश्यकता है। सबसे पहले, मैंने उन 21 माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है जिन्होंने इस सप्ताह दूसरे कोई मामले नहीं उठाये। अभी 19 ऐसे सदस्य भी बोलना चाहते हैं जिन्होंने इस हफ्ते इससे पूर्व भी मामले उठाये हैं। अब कार्यमंत्रणा समिति के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य यहां उपस्थित हैं। यदि सभी माननीय सदस्य देर तक यहां बैठना चाहते हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए। अन्यथा शेष सभी 19 सदस्य सोमवार को सूचना दे सकते हैं, और मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य: सभा की बैठक स्थगित कर देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.006 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबद्ध मद सं. 14 लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:

मांग संख्या 1, 3, 5 से 7, 12 से 15, 18, 20 और 21, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 47 से 50, 56 से 59, 61, 65 और 66, 68 से 70, 72 और 73, 80, 82 से 93, 95 से 100 और 104"।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व (रुपये)	पूंजी (रुपये)
1	कृषि और सहकारिता विभाग	397,03,00,000	-
3	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	94,50,00,000	5,50,00,000

1	2	3	
5	परमाणु ऊर्जा	3,00,000	–
6	नाभिकीय विद्युत स्कीमें	–	273,20,00,000
7	रसायन और पैट्रो–रसायन विभाग	300,00,00,000	–
12	वाणिज्य विभाग	1,00,000	1,00,000
13	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	2,00,000	–
14	डाक विभाग	1,00,000	–
15	दूरसंचार विभाग	2008,00,00,000	–
18	उपभोक्ता कार्य विभाग	1,00,000	20,20,00,000
20	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
21	रक्षा मंत्रालय	1,00,000	–
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	6,01,00,000
32	आर्थिक कार्य विभाग	5,00,000	–
34	वित्तीय संस्थाओं को आदायगियां	109,87,00,000	500,00,00,000
36	राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को अंतरण	3678,00,00,000	–
40	पेंशन	321,06,00,000	0,00,00,000
42	राजस्व विभाग	5,98,00,000	–
44	अप्रत्यक्ष कर	9,60,00,000	–
47	स्वास्थ्य विभाग	408,00,00,000	–
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी-सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	33,47,00,000	–
49	परिवार कल्याण विभाग	280,01,00,000	–
50	भारी उद्योग विभाग	2,95,00,000	185,71,00,000
56	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	68,60,00,000	–
57	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	2000,02,00,000	–
58	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	250,02,00,000	–
59	महिला और बाल विकास विभाग	2,00,000	–
61	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,00,000	–
65	गैर-पारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय	1,00,000	–

1	2	3	
66	अप्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय	3,00,00,000	–
68	महासागर विकास विभाग	36,00,00,000	–
69	ससंदीय कार्य मंत्रालय	1,00,000	–
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,00,000	–
72	योजना मंत्रालय	1,00,000	–
73	विद्युत मंत्रालय	351,73,00,000	1,00,000
80	ग्रामीण विकास विभाग	2429,00,00,000	–
82	पेय जलापूर्ति विभाग	248,00,00,000	9,00,00,000
83	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	191,01,00,000	9,00,00,000
84	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	41,00,00,000	9,00,00,000
85	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	40,00,00,000	–
86	नौवहन मंत्रालय	66,00,000	40,01,00,000
87	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
88	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	–
89	अंतरिक्ष विभाग	–	1,00,000
90	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	–
91	इस्पात मंत्रालय	1,00,000	–
92	कपड़ा मंत्रालय	2,00,000	–
93	पर्यटन मंत्रालय	3,50,00,000	2,00,00,000
95	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20,00,000	–
96	चंडीगढ़	20,40,00,000	–
97	दादरा और नागर हवेली	4,10,00,000	–
98	दमन और दीव	8,10,00,000	–
99	लक्षद्वीप	2,05,00,000	–
100	शहरी विकास विभाग	5,00,00,000	500,00,00,000
104	जल संसाधन मंत्रालय	5,00,00,000	–
	कुल जोड़	13356,17,00,000	1550,67,00,000

उपाध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारिक रूप से अनुपूरक अनुदान की मांगों (सामान्य) का विरोध करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): क्यों? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आठवले जी, अभी तो बैठे नहीं, अभी तो काम शुरू नहीं हुआ और आपने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने 'अधिकारिक' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि अभी यह सरकार परिवीक्षाधीन है। अभी मुश्किल से इस सरकार को सात महीने हुए हैं और इसके कार्य की परख की जा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री अथवा भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक कहे जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री की कुशलता अथवा इरादों पर कोई प्रश्नचिह्न लगाना नहीं चाहता। माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री दोनों ही काफी सक्षम व्यक्ति हैं और वे अपनी ओर से उत्कृष्टतम प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते समय मैं केवल उन्हीं बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करूंगा, जो मेरी समझ से उपयुक्त नहीं हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अर्धवार्षिक समीक्षा में देश की अर्थव्यवस्था की बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश की है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बफर स्टाक सामान्य से 2.2 मिलियन टन अधिक है। भुगतान संतुलन के मामले में चालू लेखे और पूंजी लेखे में अधिशेष राशि दिखाई गयी है। बाह्य ऋण में वृद्धि नहीं हुई है। यह ऋण राशि 112.6 बिलियन डालर पर स्थिर है। दीर्घकालिक ऋण में 1.1 बिलियन डालर की कमी आयी है। लेकिन अल्पकालिक ऋण में 1.2 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर मैं निश्चितरूप से माननीय वित्तमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इस बारे में विस्तृत जानकारी उनके पास है। जब भी अल्पकालिक ऋण में वृद्धि होती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब भारतीय रुपये के मूल्य में वृद्धि हो गयी है। विद्युत में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विद्युत कमी 6.4 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत पर आ गयी।

मोबाईल फोन की संख्या में 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है, कर अधिग्रहण उत्साहवर्द्धक है, कारपोरेट आयकर और व्यक्तिगत आयकर के संदर्भ में बकाया करों की वसूली में वृद्धि हुई है, व्यय में कमी आई है, योजना-व्यय में 638 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, वित्तीय घाटा कम हुआ है, और राजस्व घाटे में भी 5473 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इस प्रकार की रंगीन तस्वीर दिखाई गई है। यह बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि यह पिछले वर्ष की 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर का नतीजा है। यह बहुत स्वाभाविक है कि इस सरकार के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सरकार ने पिछले सात महीनों में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन यह भी पिछले वर्ष की 8.2 प्रतिशत की वृद्धि-दर का परिणाम है।

जब कभी कोई समस्या आई है माननीय वित्त मंत्री ने उसका समाधान निकाला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कुछ चीजें क्यों नहीं हुई हैं।

प्रथमत:, जहां तक राजस्व वसूली का संबंध है, उन्होंने बताया कि, साल के पूर्वार्द्ध में, कुछ मामलों में, इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा है कि सामान्यत: वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में इसमें तेजी आती है। हम इससे सहमत हैं। हम इसकी प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने बताया है कि वित्त विधेयक के पारित होने में विलम्ब का कारण यह है कि धन सरकारी खजाने में नहीं आया। हम इससे भी सहमत हैं। उन्होंने बताया है कि अगले वर्ष के शुरू में जल निकायों को वे पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रायोगिक योजना शुरू करेंगे। उन्होंने एक निवेश आयोग की स्थापना पहले ही कर दी है जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को लाएगा और उसे सुगम बनाएगा। उन्होंने कहा है कि कर प्रशासन में वे सुधार लाएंगे। अगले वर्ष के बजट के दौरान वे परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे राजस्व घाटे को 2.5 प्रतिशत कर स्थिर करने की कोशिश करेंगे उन्होंने वसूली में तेजी लाने के लिए पिछले अगस्त में दो कार्यबलों का गठन किया है।

मेरे यह कहने के पीछे कि सरकार परीक्षण से गुजर रही है, कारण यह है कि हम एक वर्ष तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। एक वर्ष की समाप्ति के बाद परिणाम ही यह बताएगा कि उन्होंने जो कहा था उसे प्राप्त किया अथवा नहीं। अगले वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के दौरान भी हम यहां उपस्थित होंगे। उस समय हम अपने विचार रखेंगे। पूरा देश यह देखेगा कि उन्होंने आपने तथ्य प्राप्त किए हैं अथवा नहीं।

अब मुझे एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का नाम नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं वाम दल के माननीय सदस्यों, राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यों, समाजबादी पार्टी के माननीय सदस्यों का उल्लेख कर रहा हूं जो बारहवीं तथा तेरहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान तुरंत दौड़ते हुए सभा के मध्य में पहुंच जाते थे ताकि सभा न चल सके। उन्होंने हमेशा राजग सरकार पर यह कहकर आरोप लगाने की कोशिश की कि वह किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, आदि-आदि। इस सम्बंध में मध्यावधि समीक्षा से केवल दो या तीन बिंदुओं को पढ़ना चाहूंगा। वास्तव में, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई मध्यावधि समीक्षा के सम्बंध में दो या तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा।

अब मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा करता हूं। इन सभी दलों ने हर समय राजग सरकार को किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं तथा राजग सरकार किसानों को एक पैसा भी ज्यादा नहीं दे रही थी। हम विषय पर लौटें। हम यह देखें कि इस सरकार की मध्यावधि समीक्षा, सरकार जिसका समर्थन करती है, इस विषय में क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि प्रमुख अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में और वृद्धि को रोका जाना चाहिए।

प्रमुख अनाज कौन-कौन से हैं? वे धान और गेहूं हैं। इसमें कहा गया है कि:

"नए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।"

वे अन्य उत्पादों के लिए भी इस वृद्धि को रोकना चाहते हैं।

"और मौजूदा उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बहुत अधिक बढ़ाने की प्रवृत्ति की रोका जाए"

वे अब इसे भी बढ़ाना नहीं चाहते।

"और एक कृषि निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज न किया जाए।"

आगे उनका कहना है-

"...धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सी-2 लागत से अधिक है।"

इसका मतलब है नकद या जिन्स के रूप में कुल लागत वे कहते हैं कि सभी प्रकार की लागतों की गणना के बाद सरकार किसानों को धान के लिए 29 रु. प्रति क्विंटल तथा गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल अधिक भुगतान कर रही है।

अंत में, मध्यावधि समीक्षा में कहा गया है:

"पिछले तीन वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य को आदर्श स्तर पर रखा गया है।"

हमने जो कुछ किया था उससे वे सहमत हैं। वे कहते हैं कि "इसे जारी रखने की जरूरत है।" इसका मतलब है कि यह बढ़ना नहीं चाहिए इसके बाद यदि यह सरकार जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, वही कर रही जो हमने किया तो आप हम पर आरोप क्यों लगाते थे? हम भी उसी सिद्धांत का पालन कर रहे थे।

अब हम मिट्टी तेल पर सबसिडी की बात करें। मिट्टी तेल पर सबसिडी के सम्बंध में मध्यावधि-समीक्षा में कहा गया है:

घरेलू ईंधन, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) और मिट्टी तेल पर सबसिडी की समीक्षा से यह बात स्पष्ट हो गई है कि सबसिडी के कारण आकर्षक होने तथा स्वच्छ ईंधन होने के बावजूद ये ईंधन ग्रामीण परिवारों की जैव-ईंधन पर निर्भरता को कम करने में ज्यादा प्रभावी नहीं रहा है। ग्रामीण परिवारों का 90 प्रतिशत तथा शहरी परिवारों का 33 प्रतिशत ईंधन के रूप में उपलब्ध जैव-ईंधन का इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं।"

समीक्षा में अन्ततः कहा गया है:

"इस प्रकार की अलक्षित सबसिडी औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। हस्तांतरित आप बेसहारा तथा सबसे गरीब लोगों को न मिलकर जो गरीब नहीं हैं, उनको ही मुख्य रूप से मिल जाती जाती है।"

वे कहते हैं कि मिट्टी तेल और एल.पी.जी. पर वे सबसिडी नहीं बढ़ाएंगे। मध्यावधि समीक्षा में यही बात कही गई है। हमने क्या किया? फिर, आप लोगों ने हम पर दोषारोपण क्यों किया? आप इस सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं जबकि वे हमारे ही सिद्धांतों पर चल रहे हैं?

अब हम निवेश के विषय की चर्चा करे। वाम दल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात पर उछल जाएंगे। वे कहेंगे कि "कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं" होगा।

[हिन्दी]

देश को बर्बाद कर दिया। बेच दिया। देश को बेच दिया।

[अनुवाद]

वाम दल हमेशा यही कहते रहे। मध्यावधि-समीक्षा में निवेश के बारे में उनका कहना है कि वित्तीय समेकन और राजस्व घाटे को

[श्री खारबेल स्वाईं]

समाप्त करने के बाद भी 7-8 प्रतिशत की बड़ी वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश हेतु आवश्यक संसाधन सृजित करने में सरकार अकेली सक्षम नहीं होगी। इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। सरकार का कहना है कि वह विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना चाहती है।

पुन: मैं उसी विषय पर आता हूं। मेरा इस विषय पर उनसे कोई विरोध नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने जो कुछ किया है अच्छा किया है। यह इस देश के हित में है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन केवल यह कहना कि देश को बर्बाद कर दिया, बेच दिया, ठीक नहीं है। जब हम लोग अपनी नीति को लागू कर रहे थे हमें 'धोखेबाज' कहा गया। अब आप भी उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं और बाहर में इसे न लागू करने तथा भीतर ही भीतर इसे लागू करने का संकेत दे रहे हैं। इस सरकार के संदर्भ में वाम दलों का व्यवहार एकदम आडम्बरपूर्ण है।

महोदय, अब मैं दूसरे बिंदु पर चर्चा करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टिप्पणी न करें।

श्री खारबेल स्वाईं: अब सरकार कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस सम्बंध में घोषणा कर दी थी। माननीय वित्त मंत्री ने भी इस बात की घोषणा की है। वे सुधारों को सुदृढ़, गहन और व्यापक करना चाहते हैं। वे इन आर्थिक सुधारों से सहमत हैं और फिर भी वे इन्हें व्यापक और सुदृढ़ करना चाहते हैं। मेरा मुद्दा है कि कैसे?

जब सरकार सत्ता में आई तो माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक वादा किया था कि वह सुधार चाहते है लेकिन वह मानवीय पहलुओं के सुधार चाहते हैं। यदि मैं केन्द्रीय बजट में घोषित चुनिंदा सुधार उपायों की प्रगति के बारे में अवलोकन करूं तो मंत्री महोदय, आपने जिन अधिकांश बातों के बारे में कहा, वे यह बाते हैं। आपने पेंशन क्षेत्र में सुधार, मूल्यवर्धित कर शुरू करने, सहकारी बैंकिंग प्रणाली के लिए कार्य बल गठित करने, राष्ट्रीय जल संसाधन विकास योजना बनाने, राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना शुरू करने, देश में कृषि उत्पादों के लिए समान बाजार बनाने के लिए आदर्श कानून का परिचालन; लघु क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची से 85 मदों को सूची से हटाना; विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने तथा प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की ब्याज दर का प्रस्ताव करके एक नई 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू करने के बारे में कहा। क्या ये वहीं बातें नहीं हैं जो हमने शुरू की हैं? महोदय, नि:संदेह, एक नए नाम से उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन वे अभी भी कहते हैं कि वे इसके मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहते हैं। मानवीय पहलू क्या है?

मोटेतौर पर, मैंने ऐसे चार कारकों का पता लगाया है जिसे यह मानवीय पहलु को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहते हैं। पहला, अगले तीन वर्षों के भीतर किसानों के लिए कृषि ऋण को दुगना करना है। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मैंने देश का दौरा किया है। मैंने कई चीजें देखी हैं। वास्तव में माननीय वित्त मंत्री बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने तीन वर्षों के भीतर ऋण दोगुना करने हेतु बैंकर्स को समझाने की कोशिश की है। इस संबंध में उन्हें काफी सफलता पहले ही मिल चुकी है। मैं इन बातों से सहमत हूं। लेकिन पिछले सात माह के दौरान, आंध्र प्रदेश में ही 1860 किसानों ने आत्महत्या की है। श्री येरननायडु ने इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। इस तरह केवल कृषि राजसहायता प्रदान करके यदि वे आत्महत्याओं को रोकने तथा नियंत्रित करने के बारे में सोचते हैं तो पिछले सात माह में वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए? श्री चन्द्रबाबू नायडू के समय में कांग्रेस पार्टी ने उन पर काफी आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी ने नि:शुल्क बिजली, पानी तथा ऐसे कई मुद्दों पर उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा—इन सबको उपलब्ध कराने का वायदा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन फिर भी पिछले सात माह में ही 1860 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? ऐसा नहीं है कि ऋण उपलब्ध नहीं है। ऋण केवल सरकारी क्षेत्र से ही नहीं अपितु बाहरी स्रोत से भी उपलब्ध था।

मुख्य बात यह है कि किसानों ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि उनके उत्पाद को बाजार में अच्छे दामों पर नहीं बेचा जा रहा था। उन्हें अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमत नहीं मिली। यह मुख्य समस्या है। यह मुख्य बाधा है। ऋण उपलब्ध नहीं था। इस तरह, यह मानवीय पहलू के कारकों में से एक है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा।

दूसरा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि वे प्रतिवर्ष देश में प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सौ दिन तक रोजगार देंगे। क्या यह मानवीय पहलू है! यह विधेयक अभी आना है। सात माह व्यतीत हो चुके हैं। प्रत्येक वर्ष उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। स्वाभाविक है कि किसी भी सरकार को सोचना चाहिए कि धन कहां से मिलेगा। स्वाभाविक तौर पर इस सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। अब हमने सुना है कि कैबिनेट समिति ने विधेयक को स्वीकृति दे दी है और इस सत्र में ही इसे पुर:स्थापित किया जाएगा। उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने दीजिए।

मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक को कब प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रोजगार चाहता है और सरकार उसे

रोजगार प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो क्या वह न्यायालय में जाकर सरकार पर मुकदमा चला सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यदि सरकार किसी को रोजगार प्रदान नहीं करती है तो क्या राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। यह बताएं कि कितने राज्य ऐसा करने हेतु आगे आए हैं। आज के समाचार पत्र, "दि एशियन एज" में—जिसे मैंने अभी पढ़ा है—सी.पी.एम. ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है कि योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन ने इस अधिनियम की सार्थकता को कम कर दिया है। शुरू से ही उन्होंने सरकार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए, मैं कहता हूं कि हमें इस वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करनी होगी। हमें बताएं कि मानवीय पहलू किस तरह आएगा।

तीसरा प्रश्न निजी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में है। यह एक मानवीय पहलू है जिसके बारे में इस सरकार ने सोचा है। आजकल हम इसके बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र से काफी विरोध हुआ है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस संबंध में कितनी प्रगति की है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस संबंध में कोई विधेयक लाएगी।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है। वामपंथी दल के माननीय सदस्यों द्वारा इस बात पर बहुत अधिक जोर दिए जाने कि विनिवेश की प्रक्रिया रोक दी जाए, बहुत गर्व हुआ। महोदय, इसे रोक दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि मीडिया ने इसकी समीक्षा किस प्रकार की है। उसने औद्योगिक क्षेत्र में विनिवेश के बारे में काफी कुछ कहा है। अब वे कहते हैं कि उच्च विकास दर प्राप्त नहीं की जा सकती है और कहा कि जब तक अर्थव्यवस्था में विनिवेश के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है तब तक इस दर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निवेश में वृद्धि निवेश योग्य संसाधनों को बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र की पहल को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण सृजित करने पर निर्भर करेगा। मैं वामपंथी दल के माननीय सदस्यों के पास इसे भेजूंगा। वे निजी क्षेत्र की पहल चाहते हैं। वे कहते हैं कि वित्तीय संचयन करने तथा राजस्व घाटे को समाप्त करने के बाद भी सरकार सात से आठ प्रतिशत की सतत् वार्षिक दर बनाए रखने हेतु पर्याप्त निवेश के लिए आवश्यक संसाधनों का स्वयं सृजन नहीं कर पाएगी। इस तरह, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है। महोदय, यदि माननीय वित्त मंत्री वास्तव में ईमानदार हैं और यदि वह वास्तव में समझते और विश्वास करते हैं कि केवल निजी क्षेत्र इस देश में आर्थिक विकास शुरू कर सकता है तो उन्होंने विनिवेश की प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई? उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह मानवीय पहलू नहीं है।

महोदय, पिछले 25 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के एककों के पुनरुद्धार के लिए 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। क्या माननीय वित्त मंत्री बता सकते हैं कि एक भी—मैं कहता हूं कि 'सिर्फ एक'-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का पुनरुद्धार हुआ है। अब वे कहते हैं कि उन्होंने लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड का गठन किया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे तीन बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेने हैं। मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक-दो मैम्बर्स बोल लें तो अच्छा होगा। अब आप कनक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं पहला वक्ता हूं। आप मुझे केवल पांच या छह मिनट दें। मैं पांच या छह मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: अब वे कहते हैं कि उन्होंने लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की है। यह ठीक है। लेकिन किसने विनिवेश आयोग का गठन किया है। क्या हमने ऐसा किया था? इसका गठन तब हुआ था जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी और वर्तमान वित्त मंत्री उस सरकार में भी वित्त मंत्री थे। उन्होंने अब केवल नाम बदला है। हमने केवल विनिवेश आयोग की सिफारिशों का अनुसरण किया है। राजग सरकार ने ऐसा किया था। अब उन्होंने इसे बदल दिया है। उन्होंने इसे क्यों बदला है?

महोदय, सरकारी उपक्रमों में 2,79,000 करोड़ रुपये की राशि निवेशित की गई है और इससे केवल 3.5 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। कितना पैसा बेकार जा रहा है? केवल मजदूर संघ को संतुष्ट करने के लिए जब वे कहते हैं कि विनिवेश की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। जब सरकार अर्द्ध-वार्षिक पुनरीक्षा के माध्यम से अपनी मंशा दर्शाती है और कहती है कि केवल निजी क्षेत्र इस देश की अर्थव्यवस्था में विकास कर सकता है तो वे वामपंथी दलों की बातों में क्यों आईं?

मैं दो या तीन त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मुद्रास्फीति के बारे में है। जब माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन में मूल्य वृद्धि पर वाद-विवाद में उत्तर दिया था तो उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के अनेक कारण हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा पेट्रोलियम

[श्री खारबेल स्वाईं]

उत्पादों के मूल्य में वृद्धि, अनियमित मानसून, ट्रकों की हड़ताल तथा धातु मूल्य में वृद्धि के कारण हुआ तथा इन सभी कारकों के कारण मुद्रास्फीति सात प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। कि क्या वे यह कहना चाहते हैं कि राजग सरकार के छः वर्ष के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ? क्या उड़ीसा में भयंकर चक्रवात नहीं आया था? क्या गुजरात में भूकंप नहीं आया था? क्या इस शताब्दी का भयंकर सूखा नहीं पड़ा? क्या पूर्वी एशिया में वित्तीय संकट नहीं उत्पन्न हुआ? क्या बिहार, आंध्र प्रदेश, असम और उड़ीसा में बाढ़ नहीं आयी? क्या अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया? इन सबके बावजूद राजग सरकार ने फिर भी मुद्रास्फीति की दर को 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा और सात महीने के अंदर ही 7 प्रतिशत होकर यह आसमान छूने लगी है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के सम्बंध में अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर दिया है। उसने मई माह में कहा कि यह 5.5 प्रतिशत होगी। अब वह कह रहा है कि यह 6.5 प्रतिशत से ज्यादा होगी।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा। मध्य वार्षिक समीक्षा में बढ़ते हुए ढांचागत-संरचना के बारे में जोरदार ढंग से उल्लेख किया गया है। जब आप इस मध्य वार्षिक समीक्षा पर एक नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में केवल 56 प्रतिशत कार्य हुआ है। आप भारत में कहीं भी जाएं आप पायेंगे कि पिछले सात महीने में चार लेन वाले राजमार्ग परियोजना में निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी हुई है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि इसे संभवतः बिल्कुल रोक ही दिया गया है। इस परियोजना के प्रारंभ से ही हमें पता था कि यह 2004 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा लेकिन इस समय केवल 56 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।

अब, मैं नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजना की बात करता हूं। तमिलनाडु से माननीय सदस्य हमेशा कहते हैं कि यह एक उत्तम परियोजना है। इस परियोजना के प्रणेता, अग्रदूत यहां बैठे हुए हैं। इस समय यह उपेक्षित है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये देश में ढांचागत संरचना के विकास में दिलचस्पी रखते हैं? वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है।

उन्होंने यह स्वीकार किया है कि संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा इन्हीं सब कारणों से यह अभी चलता रहेगा। इसलिए वित्तीय घाटा बढ़ सकता है।

कर-संग्रह का अति-महत्वाकांक्षी, अवास्तविक प्रदर्शन किया गया है। इसका संग्रह संभव नहीं है। आप इसे देख लीजिए। 50 प्रतिशत का भी संग्रह नहीं हुआ है। यद्यपि वे कह रहे हैं कि इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में इसमें तेजी आएगी लेकिन फिर भी मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हम प्रतीक्षा करेंगे। हम उनकी मंगल कामना करते हैं। यदि वे संग्रह कर लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी।

अंत में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं कुछ दोषपूर्ण बिंदु है जिनका मैंने उल्लेख किया है। प्रश्नकाल के दौरान मैंने डी.आर.टी के संबंध में एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर वित्त मंत्री महोदय ने यह कहकर दिया कि उनके पास बकायों की वसूली के लिए ढांचागत संरचना नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा है कि वे कुछ लोगों को संग्रह अधिकारी के रूप में अधिकार देने वाले हैं। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

डी.आर.टी. के सम्बन्ध में दूसरा पहलू यह है कि वे 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर मामले को निपटाते हैं। लेकिन उनसे मेरी अपील है कि वे अधिक रकम वाले मामलों को पहले लें। इस सम्बंध में उन्हें कुछ करना चाहिए जिससे कि डी.आर.टी. अधिक रकम वाले मामलों को पहले निपटाए और उनके बाद कम रकम से सम्बंधित मामलों को निपटाया जा सकता है।

अब मैं दोपहर भोजन योजना की बात करता हूं। उनका कहना है कि यह एक बड़ी योजना है। लेकिन यह कैसी योजना है जिसमें एक समय के भोजन की कीमत 1.20 रुपये है। सभी को ज्ञात है कि ठीक दो-तीन दिन पहले ही विषाक्त भोजन का मामला सामने आया था और दिल्ली में इस भोजन को खाकर बहुत से बच्चे बीमार पड़ गए थे। इसलिए वित्त मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि इसे लक्ष्य बनाया जाना चाहिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसे हर किसी के हाथ में मत दें।

मेरे चुनाव क्षेत्र में कई विद्यालयों में, बच्चे इसे नहीं खाते हैं। केवल ग्राम-समिति द्वारा इसकी काला-बाजारी की जाती है और वे लोग इसे बेचकर इस पैसे से कुछ दूसरा ही काम करते हैं। अधिकांश विद्यालयों में एक शिक्षक खाना पकाने में ही लगा रहता है। पढ़ाने के सिवाए वह सब कुछ करता है जैसे खाना पकाना, अपना वेतन लेने के लिए ब्लाक कार्यालय पर जाना, राशन कार्ड बनाना, जनगणना कार्य करना और अन्य सभी प्रकार के कार्य करना। अब उसके कार्यों की सूची में बच्चों के लिए खाना पकाना भी जोड़ दिया गया है। यहां एक शिक्षक यही सब कर रहा है। केवल वह पढ़ाता नहीं है, बाकी सभी कार्य करता है।

दूसरा सुझाव है कि सीमा शुल्क विभाग को अपना स्वयं का वकील नियुक्त करना चाहिए जो इन मामलों को देखेगा। विधि मंत्रालय दिल्ली में कुछ वकीलों की सिफारिश कर रहा है जिनकी कार्य की गुणवत्ता बहुत ही खराब है। स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुआ कि अपना वकील नियुक्त करने के लिए

उन्हें सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ अधिकार देने पड़ेंगे? जिससे कि वे अपने मामलों की पैरवी प्रभावशाली ढंग से कर सकें।

इस समय आयकर विभाग में निरीक्षकों, तकनीकी सहायकों आदि, जो विभाग के आंख और कान हैं और जो अधिक से अधिक राजस्व की उगाही कर सकते हैं, के पद रिक्त पड़े हैं। इतने अधिक पद रिक्त पड़े हैं और वित्त मंत्री को चाहिए कि वे इस पर ध्यान दें ताकि इन पदों को शीघ्र भरा जा सके।

स्वयं सहायता समूहों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर बहुत अधिक है। इसे कम किया जाना चाहिए। जीवन बीमा निगम को निगमित किया जाना चाहिए। उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के चयन पर भी पुन: विचार करना चाहिए उन्हें किसी बाहरी एजेंसी को यह कार्य सौंपना चाहिए। यह एक बार हो जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें हर समय शिक्षक को भेजने की जरूरत नहीं होगी जो केवल हर व्यक्ति का नाम लिखेगा और कुछ नहीं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में 84 प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। यह एकदम जालसाजी है। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इसकी छानबीन करें। वास्तव में गरीबों की जितनी संख्या हम दिखा रहे हैं उतनी नहीं है।

हम जिस निवेश के माहौल की रट लगा रहे हैं यह क्या है? हम बंगलौर और मुम्बई का उदाहरण लें। ढांचागत संरचना के अभाव के कारण स्रोतों को बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है। वे वहां से पलायन करना चाहते हैं। मैं बंगलौर गया था। यहां बहुत भीड़-भाड़ हो गई है। सड़कों पर बहुत भीड़ है और वहां सभी प्रकार की परेशानियां हैं। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले पर ध्यान दें।

अंत में, मैं उड़ीसा के सम्बन्ध में तीन-चार वाक्य पढ़ना चाहूंगा। कोयले पर रायल्टी का पुनरीक्षण होना चाहिए क्योंकि इसके कारण उड़ीसा को धन का बहुत घाटा हो रहा है।

ऋण पर ब्याज के भुगतान में इसे अधिस्थगन मिलना चाहिए। पारादीप पेट्रो रिफाइनरी को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। बुर्ला इंजीनियरिंग कालेज को आई.आई.टी. का दर्जा दिया जाना चाहिए। झारसुगुडा को हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे इस्पात संयंत्र चाहिए क्योंकि उड़ीसा में बहुत सारे इस्पात संयंत्र बन रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जलेश्वर-चन्दनेश्वर सड़क जो अब सी.आर.एफ. के अधीन निर्माणाधीन है, को पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए और धन मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके। यह सबसे खराब सड़कों में से एक है। पर्यटन उद्योग हेतु उदयपुर और चांदीपुर-आन-सी के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। बालासोर जिले के बबाहलपुर को निर्यात प्रोत्साहन पत्तन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और बालारामगढ़ी को आदर्श मत्स्य बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं एक ऐसे विषय के संबंध में कहना चाहता हूं जो कम महत्व का नहीं है। इस सभा के सभी सदस्यों की ओर से यह अपील करना चाहूंगा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*। आपके पार्टी के सदस्य भी हाथ उठा रहे हैं। इसके विरुद्ध चलाए जाने वाले सभी प्रकार के अभियानों के बावजूद भारत में यह सबसे सुव्यवस्थित योजना है क्योंकि सभी सदस्यों की इसमें दिलचस्पी है। इसमें उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी है। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि-हम प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष महोदय से भी मिलने जा रहे हैं-आप इसमें वृद्धि करें। मैं पांच करोड़ रुपये के लिए नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसे 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया जाए। क्योंकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति ने इसकी सिफारिश कर दी है। आप इसे कम से कम लोक सभा के सदस्यों के लिए बढ़ा दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: डिस्टर्ब मत करें। वे आपके काम की बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमारे पास 3 बजे तक टाइम है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): वह 45 मिनट बोल चुके हैं। वह काफी बोल चुके हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: डिसकशन तो कंटीन्यू रखेंगे, लेकिन 3 बजे मैं प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। जैसा कि हमें पता है, नियमित बजट 8 जुलाई, 2004 को पेश किया गया था और यह 56 अनुपूरक अनुदानों का पहला बैच है।

हन्नाह मूर के अनुसार, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है एक बेहतर समझ को मूर्त रूप देना। एक परिकल्पना को कार्यरूप में परिणत करना। सामन्जस्य के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना। भावी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर अपनी कार्यनीति तैयार करना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया सभा की कार्यवाही में व्यवधान न डालें।

श्री अधीर चौधरी: भारत के जुझारू और दक्ष अर्थशास्त्री द्वारा ...*(व्यवधान)* हमने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के लोगों से जो वादा किया है वित्त मंत्री उस वादे को पूरा करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत हैं। हम अपनी ओर से देश की अर्थव्यवस्था की कोई आकर्षक तस्वीर पेश नहीं कर सकते क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था हमारे जीवन से परिलक्षित होती है। इसलिए अर्धवार्षिक समीक्षा में जो तस्वीर दिखायी गयी है वह कोई बनावटी तस्वीर नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर है।

महोदय, सरकार आर्थिक सुधार के एजेंडे पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर विशेष बल दिया है। हमने कराधार को व्यापक बनाकर अगले चरण के कर सुधार की शुरुआत की है। सरकार जल, खनिज तेल, परिवहन, ऊर्जा तथा अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में समेकित विकास परिदृश्य को बढ़ावा दे रही है। महोदय, राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूरे देश में मूल्य संवर्धित कर प्रणाली का सुभारम्भ करते हुए एक एकल राष्ट्रीय बाजार की दिशा में विशेष पहल की है।

संप्रग सरकार कृषि नियंत्रण पर से एकाधिकार समाप्त करना चाहती है। यदि हम अर्धवार्षिक समीक्षा पर दृष्टि डालें तो पायेंगे कि अनुपूरक अनुदानों की मांगें, तेल बाजार में बढ़ती अस्थिरता की पृष्ठभूमि में रखी गयी है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता।

महोदय, वित्त मंत्री ने पहले ही स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, कि तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण, जिनके पहले नियंत्रण में आने की आशा थी, अर्थव्यवस्था की विकास दर में थोड़ी कमी आयी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बजट के बाद शुल्कों में दी गयी रियायतों तथा दूसरी व्यय प्रतिबद्धताओं के कारण महत्वाकांक्षी राजस्व और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। दूसरी ओर, दूसरे करों से जिस राजस्व का संग्रह किया जाना है, जैसे शिक्षा उपकर, सेवा कर तथा प्रतिभूति विनिमय कर अभी भी सरकारी खजाने में नहीं आये हैं और उन्हें अभी एकत्रित किया जाना शेष है। तथापि, यहां वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम प्रचलन में है। इसलिए, हमें उन मामलों में वित्तीय दायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों और उल्लेखों का अनुपालन करना होगा, जहां यह पाया गया है कि राजस्व की कमी केवल 0.5 प्रतिशत वार्षिक रही है।

महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थात् कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र की पूरी तरह अवहेलना की गई है। औद्योगिक विकास के नाम पर प्राथमिक क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण नीतिगत अंतर आ गया है और यह सरकार उसको दुरुस्त करने का भरसक प्रयास कर रही है।

बजट प्रस्तावों के अनुसार, सात उद्देश्यों की पहचान की गई है। पहला उद्देश्य है एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिवर्ष सात से आठ प्रतिशत की विकास दर बनाये रखना। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार यह प्रत्याशा पूरी नहीं हो सकी है क्योंकि देश में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। महोदय, हमारे देश के 13 मंडलों में बहुत कम वर्षा हुई है।

दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होना। बजट का दूसरा उद्देश्य है, जैसा कि इसमें बताया गया है सर्वसाधारण को गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस सरकार द्वारा प्रस्तावित यह योजना सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार इन क्षेत्रों में 177 देशों में से हमारा स्थान 127वां है। यह वर्ष 2001 से हमें प्राप्त स्थान से भी काफी नीचे है। लेकिन इसका कारण यह बताया गया है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसीलिए पहली बार बजट में शिक्षा उपकर लगाया गया है।

तीसरा उद्देश है कृषि, विनिर्माण तथा सेवाओं के क्षेत्र में लाभकारी रोजगार सृजित करना और विनिवेश को बढ़ावा देना। माननीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक नयी नीति की घोषणा पहले ही की है। इसमें यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि तीन वर्षों के अंदर कृषि विकास दोगुना हो जायेगा। इतना ही नहीं कृषि ऋण में भी 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गयी है।

इतना ही नहीं, जैसा कि हमने देखा है वर्ष 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 61 प्रतिशत था जो अब मात्र 24.2 प्रतिशत रह गया है। तथापि, भारतीय लोगों की कृषि पर निर्भरता नाममात्र की ही कम हुई है। वर्ष 1950-51 में भारतीय लोगों की कृषि पर निर्भरता 77 प्रतिशत थी जो अब थोड़ी सी कम होकर 67 प्रतिशत पर आ गयी है। इसलिए, हम इस तथ्य के मद्देनजर कृषि क्षेत्र के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भारत में बहुत अधिक संभावनाएं हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में हमारा दूसरा स्थान है। विश्व की 10 प्रतिशत सब्जियां और फल हमारे देश के किसानों द्वारा पैदा की जा रही है। इसलिए, यह सरकार उस राष्ट्रीय कृषि नीति का दृढ़ता से अनुसरण कर रही है जिसका उद्देश्य हमारी कृषि विकास दर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत तक बनाये रखना है। लेकिन कृषि विकास को मूर्त रूप देने के लिए, हमें दूसरे उप-क्षेत्रों जैसे बागवानी, मत्स्यन, पशुपालन आदि में नयी संभावनाएं तलाशनी होंगी। दूसरे कृषि उप-क्षेत्रों में और अधिक विकास के लिए पहले से ही कई कार्यबलों का गठन किया जा चुका है।

महोदय, इस बजट का चौथा उद्देश्य है—न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना। महोदय, विधेयक के अस्तित्व में आने के पहले ही लोग इसका विरोध करने लग गये हैं। अभी भी विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा इस बात की जांच की जा रही है और विचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कानूनी प्रभाव क्या होंगे। संप्रग सरकार अभी केवल 7 महीने पुरानी है और ...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: एक बच्चा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी मत कीजिए।

श्री अधीर चौधरी: ठीक एक बच्चे के जन्म से पहले ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या यह लड़का है अथवा लड़की है। लेकिन हमें इस सरकार की प्रशंसा करनी होगी कि ग्रामीण भारत में गिरती स्थिति को ध्यान में रखते हुए-जहां निर्धनता और गरीबी छाई हुई है और जिसके कारण भुखमरी से मौतें आम बात हैं—सरकार ने 150 जिलों की पहचान की है जहां ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्पष्ट है यह न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्येक परिवार में कमाने वाले को 100 दिन रोजगार मुहैया करने की वचनबद्धता की ओर प्रथम प्रयास है।

पांचवां उद्देश्य कृषि अवसंरचना पर ध्यान देना है और छठा उद्देश्य राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने और सुधार को तेज करना है। सातवां उद्देश्य उच्चतर और अधिक सक्षम राजकोषीय अन्तरण सुनिश्चित करना है। महोदय, जैसाकि मैंने पहले बताया है इस वर्ष 78 प्रतिशत विकास दर प्राप्त नहीं की गई है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार हमारा वर्ष 2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 6-6.5 प्रतिशत के करीब है:

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप बाद में जारी रख सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य को लेते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।''

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(नए अनुच्छेद 100क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.01$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(अनुच्छेद 239कक आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 21—श्री चन्द्रकान्त खैरे। वह उपस्थित नहीं हैं।

मद संख्या 22—श्री योगी आदित्यनाथ।

अपराह्न 3.02 बजे

(तीन) गौ-वध पर पाबंदी विधेयक* 2004

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.02$^{1}/_{2}$ बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.03 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.03$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(अनुच्छेद 43क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.04 बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.04$^{1}/_{2}$ बजे

(आठ) हेरिटेज नगर (विकास) विधेयक* 2004

[अनुवाद]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में हेरिटेज नगरों का विकास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में हेरिटेज नगरों का विकास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.04$^{3}/_{4}$ बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(अनुच्छेद 85 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.05 बजे

(दस) उत्तरांचल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि तथा इसके संसाधनों का विकास, विदोहन और उचित उपयोग करने के प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय सहायता देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उत्तरांचल राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि तथा इसके संसाधनों का विकास, विदोहन और उचित उपयोग करने के प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय सहायता देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा': महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां—उपस्थित नहीं हैं।

अपराह्न 3.05$^{1}/_{2}$ बजे

(ग्यारह) द्रुत कार्यवाही बल विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने हेतु द्रुत कार्रवाई बल के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने हेतु द्रुत कार्रवाई बल के गठन तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.06 बजे

(बारह) शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण (गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए) विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए सभी शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बालकों के लिए सभी शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.07 बजे

(तेरह) बाल दत्तक ग्रहण (विनियमन) विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.08 बजे

(चौदह) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (विनियमन) विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को विनियमित करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को विनियमित करने और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 35—श्री सुरेश चन्देल—उपस्थित नहीं।

मद सं. 36—श्री एस.के. खारवेनथन

अपराह्न 3.09 बजे

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक* 2004
(अनुच्छेद 130 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री फग्गन सिंह कुलस्ते]

मैं वासुदेव आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि यह सरकार आपके समर्थन और सहयोग से चल रही है इसलिए आप सरकार को कहें कि उसे इस विषय पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार का कोई संशोधन या विधेयक आता है तो उसको इस पर गम्भीर होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, इस सभा में इस गैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं सच्चे मन से श्री बसुदेव आचार्य श्री प्रशंसा करता हूं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि संसद में इसी तरह का विधेयक लाऊं तथा दलगत भावनाओं से हटकर सभी संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त करूं।

सरकारी संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पेंशन देने का सिद्धांत है चाहे उन्होंने जीवन पर्यन्त कार्य न कर 20 वर्षों या 25 वर्षों तक ही कार्य क्यों न किया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का भी प्रावधान है, फिर भी इन सभी लोगों को उनके जीवन पर्यन्त पेंशन दिया जा रहा है। हम किन्हें पेंशन दे रहे हैं? हम इसे उन लोगों को दे रहे हैं जो सुविधा संपन्न हैं तथा जिनका वेतन या मेहनताना वास्तविक रूप में काफी ज्यादा है। उनके वेतन के अतिरिक्त उन्हें अन्य सभी भत्ते भी प्राप्त हो रहे हैं जैसे विभिन्न सरकारी माध्यमों द्वारा आवास, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, तथा अन्य कई सारी चीजों के रूप में सहायता प्राप्त करना। उन गैर सुविधा संपन्न या अभागे गरीब लोगों की स्थिति क्या होगी जो गांवों में रह रहे हैं तथा जो 10 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष या 70 वर्ष तक की आयु तक कार्य करते आ रहे हैं, क्या ये लोग अपने जीवन पर्यन्त के लिए पेंशन हेतु योग्य हो सकते थे?

महोदय, आप भी किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सदस्य हैं तथा आपका भी गांवों की आपकी यात्रा के अपने अनुभव होंगे तथा उन बुढ़ों को झोपड़ियों में रहते हुए देखना जहां उनके अपने बेटे और बेटियां थोड़े से भोजन, रहने के स्थान, स्वास्थ्य देखभाल आदि के साथ इस स्थिति में नहीं हैं कि वे उनका ख्याल रख सकें।

उनमें से कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। उन्हें मोतियाबिंद के आपरेशन की जरूरत है, उन्हें अस्पतालों में इलाज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है तथा वे अनाथों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जब कभी भी हम उन क्षेत्रों में जाते हैं और इन लोगों को देखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हमारे विचार पीछे हट जाते हैं और हम जनता के प्रतिनिधियों के रूप में अपने आप से पूछते हैं कि "हम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं?"

महोदय, हम संसद में इस पर कितनी चर्चा करते हैं कि संसद सदस्यों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाया जाना चाहिए। कभी-कभी हमने यह मांग भी की कि चाहे किसी संसद सदस्य ने एक ही कार्यकाल में सेवा दी हो फिर भी उसे जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त होना चाहिए। सभा में संशोधन किए गए और कहा गया कि इस तथ्य के बावजूद भी किसी संसद सदस्य ने पांच वर्ष का एक पूरा कार्यकाल पूरा किया हो या डेढ़ वर्ष या दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किया हो एक संसद सदस्य जीवन काल के लिए पेंशन का दावा कर सकता है। यदि हम, संसद सदस्य, जो सुविधा संपन्न लोग हैं-हमारे पास जीने के लिए न सिर्फ पर्याप्त संसाधन है बल्कि कम से कम आने वाले दशकों के लिए भी पर्याप्त संसाधन है, हम में से कुछ के पास तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन है-अपने को जीवन काल तक के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य मानते हैं तथा इसे कारणों के साथ न्यायोचित भी ठहराते हैं तब वे पेंशन के योग्य क्यों नहीं हैं? वे सरकार से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्यों योग्य नहीं हैं? वे किसी की दया पर क्यों जिएं?

आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार की मदद से ही उन सभी लोगों को जिनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा है बुढ़ापा पेंशन के रूप में 75 रुपए प्रतिमाह देती है। पचहत्तर रुपए ही वह राशि है जो उन्हें दी गई है। 75 रुपए में क्या मिलता है? फिर भी, वे खुश हैं। जब हम अपने संसदीय क्षेत्रों में जाते हैं तब कम से कम गांवों से 50 या 60 बुजुर्ग लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि "श्रीमान, हमारी पेंशन का क्या हुआ? हमारे पेंशन का क्या हुआ" राशि कितनी है? यह मात्र 75 रुपए है और वह भी सही ढंग से नहीं दी जा रही है। यह छह महीने तक नहीं दी गई थी। डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने इन लोगों की कठिनाइयों को महसूस किया और चुनाव के पहले और बाद में भी इन लोगों के लिए कुछ करने का वादा किया। उन्होंने इन बुजुर्ग लोगों की दयनीय दशा को देखा है; उन्हें पता है कि इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है और वे अनाथों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि वह भारत सरकार से बात करेंगे तथा प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों से पेंशन को 75 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए करने की आवश्यकता पर अनुरोध करेंगे। वह उस कार्य में लगे हुए हैं। मैं विनम्रतापूर्वक संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन लोगों को दिए जा रहे पेंशन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाली मांग का समर्थन करें। यह किसी एक राज्य या सरकार का प्रश्न नहीं है; चाहे कांग्रेस हो, गैर-कांग्रेस हो, भाजपा या कोई भी दल हो, हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठना है। यदि उनकी

देखभाल नहीं की जा रही है तब प्रतिदिन हम जो चर्चाएं करते हैं उनका उपयोग क्या है? कुछ दल कठोरतापूर्वक बहस करते हैं और दूसरे दल के विरुद्ध आरोप लगाते है तथा हम किसी अन्य दल पर आरोप लगाते हैं। हम किसके हितलाभ के लिए यह सब कर रहे हैं? क्या यह इन वंचित और दुर्भाग्यशाली लोगों की उपेक्षा किए जाने की कीमत पर हो सकता है? यदि हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा।

मेरा विश्वास करें, दस वर्ष की आयु से मैं स्वयं देख रहा हूं और आपने भी अवश्य देखा होगा कि उनके लिए कोई स्वास्थ्य परिचर्या नहीं है और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। यहां तक कि यदि वे किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो भी वे कुछ नहीं कर सकते; मोतियाबिंद जैसे मामूली रोगों के मामले में भी जिसके आपरेशन की लागत 1,000 रुपये या 1500 रुपये है, वे उसकी चिकित्सा नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास उतना धन भी नहीं है।

इस मामले पर, संभवतया दशकों से चर्चा चल रही है। प्रत्येक बार यह चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के रूप में होती है न कि सरकारी विधेयकों पर। सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए और एक विधान लाना चाहिए। यह न तो दया है और न ही हम किसी पर अनुग्रह कर रहे हैं; यह हमारा कर्त्तव्य है। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक कार्य किया है उनके पास बचत करने के लिए कुछ नहीं है। यहां तक कि उनके पास अपना घर भी नहीं है। निजी अस्पताल की बात तो छोड़ ही दें उनके पास सरकारी अस्पताल में जाने के लिए 100 रुपये भी नहीं हैं।

सिब्बल जी, एक विधि मंत्री होने के नाते नहीं अपितु विधि से संबंधित मुद्दों का अच्छा ज्ञान रखने वाले एक विख्यात व्यक्ति के रूप में आपको ऐसा नहीं लगता कि यह हमारी जिम्मेदारी है और सरकार को एक ऐसा विधान बनाना चाहिए?

इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। वस्तुत: इसे मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए। हमने ऐसा किया भी था। प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को शिक्षा आदि मिलनी चाहिए। यदि ऐसा था, तो हम यह सब अपनी आंखों से क्यों देख रहे हैं और क्यों इसे सहन कर रहे हैं। हम केवल भूतकाल में जा रहे हैं। हम केवल मीडिया से बातें करते हैं, मंच पर बात करते हैं; बड़े-बड़े भाषण देते हैं। हम जानते हैं, ''हम आपके लिए सब कुछ करेंगे; हम यह लाएंगे, हम वह लाएंगे।'' तथापि, वास्तविकता में कुछ नहीं होता है। मैं किसी दल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह कोई भी सरकार हो सकती है। कोई भी सरकार पहल नहीं कर रही है।

मैं यहां बैठे नेताओं से विशेषकर यहां बैठे मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे पहल करें और देश के प्रधानमंत्री पर इसके लिए दबाव डालें कि यह हमारा कर्त्तव्य है और हम किसी पर दया नहीं कर रहे हैं। हम किसी पर कोई अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी देखभाल करनी ही पड़ेगी।

किसी व्यक्ति को जीवन भर कार्य क्यों करना पड़े? इसे क्या इसका क्या लाभ होगा? यदि इसकी देखभाल नहीं की जाएगी तो फिर किसकी देखभाल की जाएगी? प्रत्येक स्थान पर इन चीजों में अंतर हो सकता है; यह शहर या गांव में हो सकता है, इसकी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है; लेकिन इसे अनिवार्य बनाया ही जाना चाहिए। इसे इस प्रकार भी नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ धन भेज दिया जाए और स्थानीय सचिव या राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार से वह धन वितरित करने के लिए कहा जाए। उनमें से कुछ लोग पत्र लिखकर पैसा बना रहे हैं। अब पूरे देश में कम्प्यूटरीकरण हो रहा है। भारत सरकार या राज्य सरकारों के माध्यम से सीधे व्यक्ति को पैसा दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ इस प्रकार का तंत्र बनाया जाना चाहिए जिससे कि यह पैसा किसी अधिकारी, किसी मध्यस्थ या इसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से होकर न गुजरे। इसे सीधे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें इस बात का संतोष होना चाहिए कि इतने लंबे समय तक कार्य करने के पश्चात् सरकार ने 60 या 70 वर्ष की आयु होने पर उनकी देखभाल की है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के.एस. राव, कृपया एक मिनट रूकिए।

मेरे पास यह नाम हैं। यदि सभा सहमत होती है तो हम सभा की बैठक का समय एक घंटे बढ़ा सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की बैठक के समय में एक घंटे की वृद्धि की जाती है।

श्री के.एस. राव: मैं उन अभागे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो कि न केवल गांवों में अपितु शहरों में भी रह रहे हैं। यहां तक की शहरों में भी गंदी बस्तियां हैं जहां लोग बहुत बुरी और अस्वास्थ्य कर परिस्थितियों में रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त करें।

श्री के.एस. राव: महोदय, मैंने अपने विचार और चिंताएं व्यक्त कीं। कोई भी मनुष्य जिसमें थोड़ी सी भी अंतरचेतना है, कोई भी मनुष्य जिसमें उन दूसरे अभागे लोगों के प्रति थोड़ी सी भी चिंता है तो उसे इन लोगों की सहायता करने हेतु स्वैच्छिक रूप से आगे आना चाहिए। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मेरे विचार से हम सभी को मिलकर एक प्रतिनिधि

[श्री के.एस. राव]

मण्डल के रूप में प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनसे यह अनुरोध करना चाहिए कि वे पहले यह विधान लाएं तथा अन्य विधान बाद में लाएं। हम यह चाहते हैं कि किसी अन्य विधेयक को इस सभा में लाने से पूर्व सरकार न कि कोई गैर-सरकारी सदस्य, इस विधेयक को इस सभा में लाए।

श्री सी.एच. विजयशंकर (मैसूर): हम तहेदिल से इसका समर्थन करते हैं।

श्री के.एस. राव: हममें से प्रत्येक सदस्य तहेदिल से इसका समर्थन करेगा। जन प्रतिनिधि होने के नाते हम सदा लोगों के सम्पर्क में रहते हैं ...*(व्यवधान)* हम राज्य सभा के सदस्य नहीं हैं। हम लोक सभा के सदस्य हैं। हमारा लोगों से सीधा सम्पर्क, आमना-सामना होता है। हम लोगों की आंखों में देखते हैं। हमने लोगों की वह दुखद स्थिति देखी है। हम उन्हें क्या उत्तर दें? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राव, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें न कि सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित करें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, माननीय सदस्य ने इस विषय का गहन अध्ययन किया है। हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

श्री के.एस. राव: महोदय, वास्तव में जब मैं 1985 में पहली बार संसद सदस्य बना था, उस समय से ही मैं इस विधेयक को लाना चाहता था। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी कई पत्र लिखे कि इस विधेयक को लाना हमारा मूल कर्त्तव्य है। यद्यपि, जैसा कि मेरे माननीय साथी आचार्य जी ने कहा कि इसे मूल अधिकार बनाया जाना चाहिए और इसे एक अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, उस पर निर्भर न रहते हुए मैं अब भी उनसे सहमत हूं। यदि लोग पीढ़ियों से साथ-साथ कार्य करते आ रहे हैं और हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो लोगों का इस व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा यदि जो लोग काम नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे और केवल दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करेंगे तो लोगों का इस व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा।

मैं आज दोपहर अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहता था। दुर्दान्त अपराधी जिन्होंने सरकार, जनता और देश के साथ करोड़ों रुपये का छल किया है, न्यायपालिका की सहायता ले रहे हैं। वे शहरों में नायकों की तरह रह रहे है। वे समाज के भद्र पुरुष है। कोई न्यायालय कोई न्यायपालिका कोई अधिनियम, कोई विधेयक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

कितने करोड़ रुपया है? सुबह, हमने यह सुना कि इन लोगों ने जो धनराशि ली है, ये ऋणी व्यक्ति 64 हजार करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मैं इसे समझ सकता हूं। यदि वे लोग गरीब हों, यदि वास्तविक कारणों से उन्हें उद्योग या व्यापार में असफलता मिली है और तब ऋण वापस नहीं कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। वे जानबूझकर चूककर्त्ता बने हैं। वे पैसे का गबन कर रहे हैं और उसे किन्हीं अन्य उद्योगों में लगा रहे है। मैं उस स्थिति को समझ सकता हूं जब किसी कम्पनी का प्रवर्तक असफल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' नामों से चार कम्पनियां हैं। यदि मुझे 'क' कम्पनी से करोड़ों रुपयों का लाभ हो रहा है। तो मैं उसका लाभ उठाता हूं। यदि मुझे 'ख' कम्पनी में घाटा हो रहा है तो मैं उसे बैंक की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में डाल देता हूं। क्या यह सही है? क्या मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए? निजी व्यवसाय या निजी उद्यम का क्या अर्थ है? यदि मुझे लाभ होता है तो मुझे उसका आनंद उठाना चाहिए और यदि मुझे हानि होती है तो मुझे उसका दुख भी झेलना चाहिए। मुझे दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं लाभ का तो आनंद उठाऊं परन्तु घाटे को गरीबों तथा सरकार को सहने के लिए छोड़ दूं। ये लोग इसका बहुत अनुचित लाभ ले रहे हैं। वे सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये अर्जित कर रहे हैं। इसकी लागत कितनी है?

यह उल्लेख किया गया है कि देश में 65 वर्ष की आयु के सात प्रतिशत लोग हैं। उनमें से यदि 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं तो यह जनसंख्या का केवल तीन प्रतिशत ही रह जाता है। ये ही वे लोग हैं जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। इसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। क्या 10,000 करोड़ रुपये की राशि एक बड़ी धनराशि है? इन गरीब लोगों ने अपने जीवन काल में अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यह केवल धन का प्रश्न नहीं है। महोदय, मेरा आपसे भी यही विनम्र अनुरोध है क्योंकि आप भी उसी का एक हिस्सा हैं। आपको भी उसी बात का अहसास होना चाहिए जिसका मुझे एक गांव का दौरा करने पर हुआ। मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर यह अनुरोध है कि आप पहल करें और कल कार्य-मंत्रणा समिति से यह कहें कि वह किसी अन्य विधेयक को लाने से पूर्व इस विधेयक को लेकर आएं। यदि आवश्यक हुआ तो, हम बिना किसी चर्चा के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इसका समर्थन करने को तैयार हैं। हम लम्बा भाषण नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मित्र श्री बसुदेव आचार्य तथा उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इस विधेयक का समर्थन किया। मेरी इच्छा है कि विधेयक इसी वर्ष अथवा 2005 में पारित हो जाना चाहिये। यह विधेयक एक आशा तथा विश्वास पैदा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा इससे खुशहाली आयेगी जो राष्ट्र निर्माण में मदद करेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य का नाम पुकारूं, मैं मद संख्या 30 लेना चाहूंगा। श्री सुनील खां विधेयक पुर:स्थापित करें।

अपराह्न 3.38 बजे

(सोलह) भारतीय वस्तु क्रय विधेयक* 2004

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थापनों और लोक निर्माण कार्यों के लिए अथवा लोक निधि की सहायता से स्थापित किए जा रहे अथवा चलाए जा रहे उद्योगों द्वारा स्वदेशी माल की अनिवार्य खरीद तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सरकारी स्थापनों और लोक निर्माण कार्यों के लिए अथवा लोक निधि की सहायता से स्थापित किए जा रहे अथवा चलाए जा रहे उद्योगों द्वारा स्वदेशी माल की अनिवार्य खरीद तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुनील खां: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.39 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004—*जारी*
(नए अनुच्छेद 21 ख, आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक का समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। एक विधायक के तौर पर सामाजिक सुरक्षा के संबंध में मेरा अनुभव रहा है। वर्ष 1980 के पहले दशक में जब मैं केरल विधान सभा का सदस्य था तब एक विधेयक विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया था। जिसके अनुसार सभी कृषि श्रमिकों जिनकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है के लिए वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान था।

यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। सभी कृषि श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हैं वे इस पेंशन के हकदार हैं। इस विधेयक को पारित किया गया। इसे कानून में शामिल किया गया, सरकार उन सभी कृषि श्रमिकों जो 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं को पेंशन देने के लिए बाध्य है। जहां तक मेरी जानकारी है देश की किसी भी विधान सभा द्वारा पारित यह पहला सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है।

उसके पश्चात् जब मैं केरल विधान सभा का अध्यक्ष था तब वहां 16 कल्याण निधि विधेयक पारित किए गए। जूट श्रमिक कल्याण निधि विधेयक अपनी तरह का पहला विधेयक था, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके सभी जूट श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ का प्रावधान था। जूट श्रमिकों, काजू श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों सहित लगभग 16 ऐसे कल्याण निधि विधेयक पारित किये गए तथा सभी श्रमिक जो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त होने के पश्चात् पेंशन लाभ के हकदार हैं। इतना ही नहीं यहां तक कि अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक भी पारित किया गया। केरल के वे अधिवक्ता जो 15 वर्ष या इससे अधिक समय तक व्यवसाय कर चुके हैं और अपने व्यवसाय को अब आगे जारी नहीं रखना चाहते अपने व्यवसाय से रिटायर होने पर उन्हें 3 लाख रु. की राशि दी जाती है। ठीक उसी प्रकार अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक भी विधान सभा में पारित किया गया था। जिसके अनुसार यदि अधिवक्ता लिपिक अपनी सेवाएं जारी नहीं रखना चाहते उस स्थिति में उन्हें भी भारी राशि दी जायेगी। यह मेरे राज्य की स्थिति है। ये सभी कल्याण निधि योजनाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। सभी सेवानिवृत्त हुए श्रमिकों के पेंशन तथा अन्य लाभों के वितरण का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाता है।

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

परन्तु यह काफी नहीं है। इस संबंध में और अधिक किया जाना चाहिये तथा अखिल भारतीय स्तर पर कदम उठाये जाने चाहिये। अखिल भारतीय व्यापार संघ ने समूचे भारत के लिए एक कल्याण निधि हेतु प्रयास किया था। इस पर व्यापक चर्चा की गयी थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है 13वीं लोक सभा में हम इसे पारित नहीं कर सके। हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिये। माननीय श्रम मंत्री ने भी ऐसा विधेयक लाने का आश्वासन दिया था।

महोदय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ रही हो ऐसा विधेयक अत्यंत आवश्यक है। हम सभी यह जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम समाज के एक बड़े भाग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। वे इन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संवैधानिक आरक्षण के हकदार हैं।

अब वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग इन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर दिया गया है। आरक्षण का जो लाभ इन वर्गों को पहले मिल रहा था वह अब इन्हें नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अब इन कंपनियों से वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो लाभ उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने के दौरान मिल रहा था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के पश्चात् इन वर्गों के रोजगार पाने के अवसर अब समाप्त हो चुके हैं। एक प्रकार से नौकरी से हटा दिए गए हैं। जिससे कि रोजगार से वंचित किए जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अतः, हमें कुछ ऐसे उपाय तलाश करने होंगे अथवा कुछ कानून बनाने होंगे जिससे भारत में कार्य कर रही निजी कम्पनियां भी अनिवार्य रूप से इस सामाजिक असमानता का ध्यान रखें। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के समुदायों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये जिससे कि इन्हें निजी कम्पनियों में भी प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस विधेयक में इन सामाजिक सुरक्षा उपायों में यह भी एक उपाय है जिस पर विचार किया गया है। मुझे उम्मीद है, वह भी मेरे विचार से सहमत होंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: हां, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह भी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसके अतिरिक्त आजकल हम देखते हैं कि आत्महत्या आम बात हो गयी है। मेरे राज्य में, 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वह यह है कि इनमें से अधिकतर किसानों ने जो ऋण बैंकों-सहकारी या अनुसूचित बैंकों से लिया था, उसे चुकाने में वे असमर्थ थे।

वे किस्तों में वापस करने के लिए ऋण ले सकते हैं। परन्तु वे ऋण वापस करने में समर्थ नहीं हैं। अतः, वे आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे कारण राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक है। हमें इसके कारणों को ढूंढना होगा।

आजकल, हमारी मृत्यु की औसत आयु 60 वर्ष से ज्यादा है। मेरे राज्य में, यह 65 वर्ष या 70 वर्ष है। अतः, ऐसे लोगों की संख्या जो सेवानिवृत्ति की उम्र से परे है, प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसका सामना तभी किया जा सकता है जब हम इस परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को अपनायें। नहीं तो ये बुजुर्ग लोग सड़क पर आ जाएंगे तथा इनके साथ भिखारियों या आवारा लोगों की तरह व्यवहार किया जाएगा। इनमें से कुछ आत्महत्या कर लेंगे। यदि हम इन लोगों को बचाने के लिए तत्काल सामाजिक संरक्षा तथा सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं, तो हमारे देश में ऐसी शोचनीय और दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः, हमें बुजुर्गों के लिए घरों का प्रबंध करना होगा; हमें उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। वर्तमान व्यवस्थ में ही इन सभी उपायों की व्यवस्था करनी होगी। इन सबके लिए, यह आवश्यक है कि उन सभी लोगों के लिए जिनकी रोजी-रोटी छिन गई हैं, हमारे पास कानून होना चाहिए।

महोदय, अब उल्लेखनीय है कि संविधान में इसका गैर-न्यायिक मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया है। यह राज्य की नीति है। यदि ये उपाय किए जाते हैं, तो इन लोकोपकारी उपायों को राज्य के नीति निर्देशक के रूप में अपनाया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत यह जन्मसिद्ध या मौलिक अधिकार नहीं है। इन उपायों के लिए न्यायिक उपचार का प्रावधान नहीं है। इन सभी को संविधान के अध्याय चार, नामतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है तथा इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लाभ लेने का हकदार नहीं है।

इसीलिए, मेरे विद्वान मित्र संविधान में संशोधन करने के लिए इस विधेयक को लाये हैं ताकि यह केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य बनाया जा सके कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सभी दबे-कुचले, बेघर और बुजुर्ग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में कुछ उपाय किया जाए। अतः, यह उचित समय है कि ऐसे लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए हम यह संशोधन करें।

इन शब्दों के साथ, श्री आचार्य जी द्वारा लाए गए इस संविधान (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पर जो

विधेयक सदन में लाया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। संसद भवन के सैन्ट्रल हाल में डा. राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर लगी है, जिसे देखकर मुझे याद आता है कि उन्होंने एक नारा दिया था-''रोटी, कपड़ा सस्ती हो और दवाई, पढ़ाई मुफ्ती हो'। जिस प्रकार से मानव को नेचुरली हवा, धूप और पानी मिलता है, उसी प्रकार से हर देश के नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, उसे दवाई, पढ़ाई मुफ्त मिलनी चाहिए। इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कार्य किया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार भी इस ओर पहल करे। जिस प्रकार से हमारी कुछ जरूरी आवश्यकताएं नेचुरली पूरी होती है, उसी प्रकार से दवाई, पढ़ाई ऐसी जरूरत की चीजें हैं, जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी तबके का हो। वैसे हम अधिकारों की बात हमेशा करते हैं, लेकिन हम अपना कर्त्तव्य और फर्ज पूरा करने की तरफ नहीं जाते हैं, जिससे हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पासी समुदाय नाम की एक जाति है। उनका काम गांव के थानों की चौकीदारी से संबंधित होता है। आजादी के वक्त उनको 10 रुपये मानदेय मिलता था आज इतने वर्षों के बाद भी सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। पूरे थाने की चौकीदारी, पूरे गांव की चौकीदारी, मर्डर की सूचना थाने में देना, थाने का पानी भरना, दरोगा की सेवा करना, मोटरसाइकिल साफ करना, हर काम वे करते हैं लेकिन उनको सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। यह एक प्रकार से मानवाधिकार उल्लंघन का सीधा मामला है। बिहार प्रदेश में उस समुदाय को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया गया है और उसको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी उसे केवल 300 रुपये दिये जाते हैं और 24 घंटे उसको सेवा करनी पड़ती है। गांव में कोई लड़ाई-झगड़ा होता है तो उसकी सूचना देनी होती है और दिन में थाने में आकर काम करना पड़ता है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी उसे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी उसके बराबर वेतन दिया जाना चाहिए।

अभी हमारे कुछ सम्मानित साथियों ने बात उठाई है कि आज भी देश के अंदर नौकरियों में संवैधानिक तरीके से एस.सी., एस.टी. और बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन देश के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में आज भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। प्रोन्नति में भी उनको नैगलैक्ट किया जाता है, प्रोन्नति भी उनको नहीं मिल पाती। इसके लिए एक कारगर कानून बने कि एस.सी. और एस.टी. को जो आरक्षण का संवैधानिक अधिकार मिला है, वह नौकरियों में उनको मिले और प्रोन्नति भी उसको समय पर मिले।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से जुड़ी हुई है कि हम बहुत मेहनत-मशक्कत के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा में चुनकर आते हैं। हम इस अरमान को लेकर आते हैं कि अपने क्षेत्र की समस्या को उठाएंगे और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे लेकिन अक्सर राजनीतिक उठा-पटक ऐसी होती है। दसवीं लोक सभा में था जो 11 महीने चली थी। जब यहां पर सामाजिक सुरक्षा का सवाल उठ रहा है तो मेरी मांग है कि जब लोक सभा का गठन हो तो वह पांच वर्ष अवश्य चलनी चाहिए। यह नहीं कि उसका कार्यकाल डेढ़-दो साल या तीन साल में ही समाप्त हो जाए। इससे देश के ऊपर बोझ पड़ता है और देश में अस्थिरता भी पैदा होती है। इसलिए मैं इस सदन में आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सदन कम से कम पांच वर्ष चले।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): क्या ऐसी संभावना है?

श्री शैलेन्द्र कुमार: हम अपनी बात रख रहे हैं। संभावना तो बहुत कुछ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया साथ-साथ टीका-टिप्पणी मत करते रहिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: दूसरी बात यह है कि वोट देने को कंपलसरी किया जाए। आज क्या होता है कि हम चुनाव लड़कर आते हैं और सुनते हैं कि कहीं 35 प्रतिशत और कहीं 40 प्रतिशत ही वोट पड़ते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। मैं चाहता हूं कि ऐसा कानून बने कि जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, उसके लिए वोट देना कंपलसरी होना चाहिए। यह जिस दिन हो जाएगा, उस दिन संसद की गरिमा भी बचेगी और लोकतंत्र भी बचेगा और अच्छे लोग चुनकर आएंगे और देश विकास की ओर जाएगा।

पूरे देश में आज भी 70-80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और खेती करती है। हम यहां पर चुनकर आते हैं और किसानों की बातें करते हैं। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी बैठे हुए

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मुस्करा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह उनके मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की बात तो हम सब सदन में आकर करते हैं लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें कम से कम पानी और बिजली मुफ्त मिले। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। आज किसान बरबादी के कगार पर है। उसकी अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कर्ज के मारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में अब तक कम से कम 5000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

हमारे साथी ने एक बात उठाई है कि ईंट-भट्टे में ऐश मिलाने की बात है। आज पूरे देश में 25 हजार ईंट-भट्टे बंद हो गए हैं। 50 लाख मजदूर मजदूरी से महरूम हो गए हैं। उनका पलायन गांव से शहरों की ओर बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम उन पर आरोप नहीं लगाते। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जनमानस से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन पर हमें सोचना पड़ेगा और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा तथा तमाम संसद सदस्यों को भी सोचना पड़ेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य से बोलने का अनुरोध करूं, मैं मद सं. 35 पर चर्चा करवाना चाहूंगा। श्री सुरेश चन्देल विधेयक पुर:स्थापित करें।

अपराह्न 3.56 बजे

(सत्रह) संविधान (संशोधन)* 2004
(अनुच्छेद 275 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 17.12.2004 में प्रकाशित

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.56$^{3}/_{4}$ बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004
(नए अनुच्छेद 21ख आदि, का अंत:स्थापन)–*जारी*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खादरवेनबन (पलानी): महोदय, इस देश के गरीब नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए अनुच्छेद 21ख को अंतर्विष्ट करने के लिए संविधान में और संशोधन करने हेतु इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 3.57 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

सबसे पहले, मैं हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की 70 प्रतिशत गरीब जनता के बारे में सोचा और इस विधेयक को लेकर आए। माननीय सदस्य, श्री राव ने विस्तारपूर्वक बताया कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रभावित हैं क्योंकि उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल रहे हैं।

सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, वे निवास गृह चाहते हैं। वे स्वच्छ पेयजल, अपने आवासों के लिए बिजली, तथा अपने जीवन-यापन के लिए कुछ सुनिश्चित कार्य चाहते हैं। हमने 1947 में आजादी पाई। परन्तु इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम ये सारे लाभ इस देश की गरीब

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

जनता को दे पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। यदि आप एक संसद सदस्य के तौर पर इस देश के किसी भी गांव में जाते हैं, तब आपको दलित वर्ग के लोगों से इंदिरा आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने और मुफ्त बिजली देने के लिए आवेदन प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में, छह महीने की अवधि के भीतर मुझे नौकरियों के लिए 3000 आवेदन प्राप्त हुए। हम उन्हें क्या सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर रहे है। कई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त करती है। हमें इस पर विचार करना है कि ये लाभ गरीब जनता तक पहुंच रहे हैं या नहीं। जब स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस देश के सभी जिला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। उस समय, उन्होंने कहा था कि यदि भारत सरकार 100 रुपए देती है, तो मात्र 15 रुपए ही जनता तक पहुंचते हैं और 86 रुपए पहुंचते ही नहीं। यही स्थिति है। यदि कोई गरीब आदमी अथवा खेतिहर मजदूर समुदाय जाति प्रमाणपत्र बनवाने हेतु ताल्लुका कार्यालय जाता है तो उसे 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अन्यथा, उसे समुदाय जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति व्याप्त है। उदाहरण के लिए सभी गांवों में सभी झोंपड़ियों को कम से कम एक बल्ब की रोशनी देने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। यदि राज्य सरकार चाहती है तो वह यह फायदा देती है। यदि लोग सत्तारूढ़ दल को मत नहीं देते हैं तो वे योजना को तत्काल रद्द कर देते हैं।

जब श्री करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की थी। इनमें से एक योजना विवाह लाभ योजना थी जिसके अंतर्गत लाभार्थी अपने विवाह के लिए 10,000 रुपये पाने का हकदार था।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, योजना का नाम मूवलुर रामामृतम अमैयर योजना था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डा. करूणानिधि ने डा. मतुलक्ष्मी रेड्डिडयार योजना के नाम से एक अन्य योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को 4 माह के लिए अर्थात् प्रसव के दो माह पहले तथा प्रसव के दो माह बाद 500 रुपये की सहायता देना था। पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला स्वसहायता समूह के लिए एक अन्य योजना यथा बंगारू अमैयर योजना शुरू की। डा. तरमाबल अमैयर कल्याण योजना के अंतर्गत उन्होंने प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह के लिए 10,000 रुपये दिए थे। उन्होंने 10,000 युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन पर राजमार्ग में श्रमिक के रूप में रोजगार देने का प्रावधान किया। वर्ष 2001 में गठित नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री डा. करूणानिधि द्वारा घोषित सभी योजनाओं को हस्ताक्षर मात्र से रद्द कर दिया। मेरे एक विद्वान मित्र ने इस देश में बेरोजगार युवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। तमिलनाडु में डा. करूणानिधि के अधीन सरकार ने 10,000 युवाओं की राजमार्ग श्रमिक के रूप में तथा 4000 युवाओं को ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त करने का उपबंध किया था। लेकिन वर्ष 2001 में इन सभी को हटा दिया गया। उन्हें वापस भेज दिया गया। प्रभावित राजमार्ग श्रमिकों ने तमिलनाडु सरकार के इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की तथा उच्च न्यायालय ने तदनन्तर सरकार को निदेश दिया कि वह उन्हें पुन: नियुक्त करे। लेकिन वर्तमान सरकार उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में गई। आज प्रश्न यह है कि क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं अथवा तानाशाह शासक के अधीन। अत:, मैं संघ सरकार से हस्तक्षेप करने तथा तमिलनाडु में सभी राजमार्ग श्रमिकों को तत्काल बहाल करने का अनुरोध करता हूं। पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। वर्तमान तमिलनाडु सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा घोषित सभी कल्याणकारी योजनाओं को रद्द कर दिया है।

महोदय, मैं एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। डा. करूणानिधि के अधीन पूर्व सरकार द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी जिसके अंतर्गत बुनकरों, मछुआरों, कृषि मजदूरों के सभी श्रेणियों के वृद्ध लोगों तथा अन्य वृद्ध लोगों जिनका कोई पुत्र नहीं है, उनकी जीविका के लिए 200 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। लेकिन उस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, वृद्ध, वरिष्ठ नागरिक कहां जाएंगे? उन्हें खाना, कपड़ा और मकान कहां से मिलेगा? राज्य में इस तरह की दयनीय स्थिति है। अब इन सब बातों पर वास्तव में ध्यान देने का समय आ गया है।

महोदय, मैं एक कृषक तथा वकील के परिवार का हूं। मुझे मुफसिल न्यायालयों में कार्यरत वकीलों के बारे में वास्तव में चिंता है। यदि आप किसी मुफसिल न्यायालय में जाएं तो पाएंगे कि ऐसे न्यायालयों में वकील प्रति दिन 5 रुपये के लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने वकीलों की सहायता से उनके लिए एक कल्याण निधि योजना बनाई है। केरल एक वकील की मृत्यु पर 3,00,000 रुपये की राशि प्रदान करता है। तमिलनाडु सरकार एक वकील की मृत्यु पर 2,00,000 रुपये की राशि प्रदान करता है। लेकिन कुछ राज्यों में कई बार किसी वकील की 50 वर्ष के 'बार' अनुभव के बाद 90 वर्ष की आयु में मृत्यु होती है तो उसके पास दफन के खर्च के लिए हजार रुपए भी नहीं होते हैं। मुफसिल क्षेत्रों में काम करने वाले वकीलों की यह स्थिति है। दिल्ली में कार्यरत कुछ वकील प्रतिदिन 1,30,000 रुपये कमाते हैं और उन्हें देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि सभी वकील काफी धनी हैं। गांवों में रहने वाले वकीलों तथा

[श्री एस.के. खारवेनथन]

मुफसिल न्यायालयों में काम करने वाले वकीलों की यह स्थिति नहीं है। वे गांवों में गरीब लोगों के कल्याण के लिए मुफसिल न्यायालयों में काम कर रहे हैं।

महोदय, पूर्व सरकार के शासन काल के दौरान हमने देशभर में वकीलों के लिए कल्याण कोष प्रदान करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। देशभर में वकीलों की सहायतार्थ केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोष गठित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस अनुच्छेद में उचित रूप से संशोधन करने पर विचार करें ताकि नए अधिनियम के उपबंधों के तहत न केवल गरीब लोगों अपितु गांवों में काम करने वाले वकीलों और गरीब श्रमिकों को सहायता मिल सके। हम तभी इस देश के उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, मेरे वरिष्ठ साथी श्री बसुदेव आचार्य ने संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने संविधान में एक नए अनुच्छेद 21-ख को जोड़ने की प्रार्थना की है। मैं उससे सहमत हूं। हमारे देश में आजादी के लगभग 58 वर्षों के बाद भी जितना विकास होना चाहिए था, जिसके लिए देश की आम जनता ने लड़ाई लड़ी, जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए देश की जनता बलिदान हुई, वह आजादी नहीं मिली। उनकी मनसा पूर्ण नहीं हुई। उनका कुछ काम नहीं हुआ।

महोदय, देश का आम आदमी, जैसे रिक्शा पुलर, मिट्टी ढोने वाला मजदूर, ईंट-भारत मजदूर, खेत मजदूर और स्माल फार्मर्स को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। जो लोग बीड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, यदि उन्हें टी.बी. हो जाए, तो उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसी प्रकार से देश में जितने मजदूर वर्ग हैं उनके लगभग 90 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं। देश के असंगठित मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए देश के गरीब लोगों और असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी बिल बनाने की जरूरत है।

महोदय, अभी मेरे प्रैडेसेसर ने बताया था कि यह बिल प्राइवेट बिल है। इसकी बजाय देश की सिचुएशन को देखते हुए सरकार की ओर से सदन में एक बिल आना चाहिए।

ईपीएफ में सरकार ने कटौती करके 8.5 प्रतिशत कर दिया। पहले 12 प्रतिशत ब्याज था। अब 12 प्रतिशत नहीं तो 9.5 प्रतिशत ईपीएफ में होना ही चाहिए। महोदय, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनका रिटायर होने के बाद क्या होता है। जो एमआईएस, नेशनल सेविंग्स स्कीम थी, उसमें भी कटौती कर दी। उसमें अगर दोबारा कटौती होगी, अगर कुल जोड़ कर देखें तो उसमें पांच प्रतिशत नहीं, छः प्रतिशत टोटल कटौती हो गई। 60 साल गुजारने के बाद जब वह बैंक में अपना पैसा रखेगा तो उसका कितना नुकसान होगा।

महोदय, एलपीजी के दाम में बढ़ोत्तरी हो रही है, समूचे चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। पैट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, समूचे असेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। इस कारण रिटायर्ड लोग बहुत मुश्किल में अपने दिन गुजार रहे हैं। जिनका प्रोविडेंट फंड भी नहीं है, जैसे हमारे बीड़ी मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर, मटिया मजदूर और रिक्शे वाले हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है।

सभापति महोदय, समूची आम जनता ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हम यूपीए सरकार का समर्थन करते हैं और समर्थन के कारण हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक ऐसा बिल लाने से सभी को सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। जैसे सौ दिन के काम के लिए कुछ नहीं, सिर्फ 39 हजार करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन हो तो जो 40 प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, उनके लिए सौ दिन का काम मिल जाएगा। हमारा कहना यह है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वे यहां ऐसा बिल पारित करें। बहुत सा पैसा इधर-उधर हो जाता है, हमारे देश में ब्लैकमनी है। हमारे धर्म स्थान हैं, हो सकता है वे हिन्दू, मुसलमान और क्रिश्चयन के हों। किस मठ में कितना रुपया आता है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं। तिरूपति मंदिर और ईदगाह में कितना पैसा जमा होता है, अगर उस पैसे पर सरकार टैक्स लगाए तो उससे आम जनता को फायदा होगा। यूनिवर्सिटी की डिग्री से कोई काम नहीं होगा। अगर किसी का दिमाग सही नहीं है, अगर कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास पास भी हो जाए, चाहे पीएचडी हो, उससे हमारे देश का कुछ लाभ नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाना है। इसलिए मेरा कहना है कि जो कुर्सी पर बैठते हैं, वे ठीक हैं, लेकिन जो कुर्सी पर नहीं हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे। सरकार ऐसा बिल लाए, जैसा बिल हमारे वरिष्ठ सांसद, श्री बसुदेव आचार्य जी लाए हैं। ऐसा बिल सरकार की तरफ से आए तो आम जनता को बहुत लाभ होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, श्री बसुदेव आचार्य जी जो बिल लाए हैं, हम उसे एक क्रांतिकारी बिल मान सकते हैं। प्राइवेट मेम्बर्स बिल के जरिए ऐसी अनेक समस्याएं हम इस सदन में रखते हैं। इसी सिलसिले में कांस्टीट्यूशन्स रिव्यू

कमेटी, जो वेंकटचलैया जी की अध्यक्षता में दो साल पहले बैठाई गई थी, उसके रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा के बारे में उसमें ऐसी-ऐसी बातें उठाई गई हैं, ऐसे ब्यौरे दिए गए हैं, जो आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं।

आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, जिनको राशनकार्ड नहीं मिलता, जिनका नाम कहीं वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोग हैं, क्या वे लोग हमारे देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, जो शैड्यूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स कहलाते हैं। असल में तो उनको ट्राइब्स कहा जाता है, लेकिन आज तक उनको ट्राइब्स का दर्जा नहीं दिया गया। ऐसा करीब 15 करोड़ लोग इस देश में भटकती जातियां हैं, जो आज भी काम के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है? जब उनका नाम राशनकार्ड में नहीं है, उनका गांव नहीं है, छत नहीं है, घर नहीं है और बिलो पावर्टी लाइन का कार्ड भी नहीं है तो क्या उनके लिए आप कुछ करने वाले हैं? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन लोगों के लिए एक कमीशन बनाया था, जिस कमीशन का लास्ट 20 नवम्बर को एक साल पूरा हो गया, लेकिन इस कमीशन ने आगे कुछ काम नहीं किया, इलैक्शन के बाद 6 महीने उसके ऐसे ही गये, आज वह ठण्डे बस्ते में पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस कमीशन को आप फिर से क्रियान्वित कीजिए। मैं जिन 15 करोड़ लोगों की बात कर रहा था, जिनके पास आज घर नहीं है, राशनकार्ड नहीं है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, एजुकेशन की बात तो बहुत दूर है। उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। ऐसे लोग हर राज्य में हैं। इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कांस्टीट्यूशन्स रिव्यू कमेटी की रिकमेण्डेशन आई है और जो वेंकटचेलैया जी ने एक क्रान्तिकारी रिकमेण्डेसन आपके सामने रखी है, वह सरकार के पास पड़ी है। उसे आप फिर से क्रियान्वित कीजिए। न्यूमेटिक ट्राइब्स के लिए एक और कमीशन बनाया गया था, उसे भी आप आगे लाइये।

हम गरीबों की बात तो करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन जो भी स्कीम्स हैं, वे आखिरी आदमी के पास पहुंचने में कहीं न कहीं पीछे रही हैं। हम जब गांव में निकलते हैं, जब हम गांव-गांव में जाते हैं तो ऐसे गरीब लोग हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, जिनको मजदूरी नहीं मिलती है। वे हमारे सामने खड़े रहकर बोलते हैं कि हमें कुछ दीजिए। वे सोचते हैं कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं तो कुछ सरकार से उनके पास कोई योजना होगी, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि उनकी समस्या हम सुलझा सकें। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो भी स्कीमें हैं, वे दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये गांव वालों तक पहुंचती नहीं हैं। इसके लिए सरकार ने आज तक शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर ध्यान दिया है, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन शैड्यूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स का नाम कभी इस संसद में नहीं आया होगा। शायद पहली बार शैड्यूल्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स की 15 करोड़ जनता की तरफ हमारा ध्यान गया है। आज इनको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। इनके लिए संविधान में कहीं न कहीं प्रोवीजन होने की जरूरत है और जब यह सारा होगा तो हम आपके इस विधेयक पर आपके साथ होंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: चौधरी लाल सिंह-उपस्थित नहीं

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने यह गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है। हम सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत चिंतित हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को क्या हो रहा है? इस तरह की कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कृषि क्षेत्र अथवा अन्य देश के लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित है।

जब मैं इस देश का श्रम मंत्री था तो मुझे अनुभव हुआ था। मैंने खेतिहर मजदूरों को पेंशन तथा अन्य फायदे देने हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मुझे याद है कि मैंने ए.आई.टी.यू.सी. की बैठक-राष्ट्रीय सम्मेलन तथा एच.एम.एस. सम्मेलन को संबोधित किया था तथा यह वायदा किया था कि सरकार का प्रयास है कि वह श्रमिकों, जो लगभग उपेक्षित हैं, के हित में एक विधेयक लाए। मैंने भरसक कोशिश की। यदि मुझे ठीक से याद है तो एक कैबिनेट उप समिति गठित की गई थी। लेकिन मैं वह विधेयक प्रस्तुत नहीं कर पाया।

मैं श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया। मैंने उनसे आग्रह किया कि एक विधान होना चाहिए। केवल केरल में इस संबंध में विधान है। मेरे विचार से पश्चिम बंगाल ने भी एक विधेयक पारित किया है और उसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है। त्रिपुरा में एक विधान है। खेतिहर मजदूरों को सहायता देने हेतु किसी अन्य राज्य

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

में कोई विधान नहीं है। यह धारणा है। इसलिए, मैंने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों से आग्रह किया। मेरे विचार से वह श्रम मंत्रियों का छठा या सातवां सम्मेलन रहा होगा। मुझे एक बात पता चली।

हम खेतिहर मजदूर की बात करते हैं। वास्तव में हम कृषकों की बात करते हैं। लेकिन खेतिहर मजदूरों की नहीं। तब मुझे इस धारणा की समझ आई। हम देश के गरीब लोगों की बात करते हैं लेकिन हम दिल से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझे यह भी याद है कि उत्तर प्रदेश में कहीं खदानों से कुछ बंधक श्रमिक लाए गए थे। स्वामी अग्निवेश उन सभी को दिल्ली लाये। किसी ने मुझसे पूछा: "आप क्यों नहीं जाकर उनसे मिलते हैं।" इसलिए, मैं अपने सहयोगियों के साथ गया और उनसे मिला। मैंने वहां जो देखा वह मुझे अभी याद है। बहुत सारी महिलाएं और बंधुआ मजदूर वहां थे जो खदान मजदूरी कर रहे थे। मैंने एक महिला को देखा जिसके साथ एक बच्चा था। उसने कहा कि उसे 15 वर्षों से बांध कर रखा गया है। उसने आगे बताया कि उसे 5 रुपये भी नहीं दिए जाते थे। और उस महिला के पास केवल एक साड़ी थी। उसका आधा वह धोती थी और आधा तन पर लपेटती थी। जब तक वह सूख न जाए वही साड़ी वह 15 वर्षों से पहन रही थी। जब मैंने उनकी हालत को देखा मैं समझ गया कि गांवों में भारत की ग्रामीण भारत की तस्वीर कैसी है। इसलिए, माननीय श्रम मंत्री जो मेरे मित्र हैं-उनसे अनुरोध है कि वे असंगठित क्षेत्र के लोगों के बारे में गंभीरता से सोचे और कुछ करें।

हम भूमंडलीकरण और उदारीकरण की बात करते हैं। वास्तव में इस समय क्या हो रहा है? वास्तव में सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस समय यह बात केवल यही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हो रही है। केवल कुछ बड़े निगम ही संसाधनों को दुहना चाहते हैं। यह गरीब को मदद देने की बात नहीं है। बल्कि यह हर चीज को एक बिक्री की वस्तु के रूप में देखने की बात है। पानी को भी एक बिक्री सामग्री के रूप में देखा जा रहा है। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा यदि कोई कहे कि हमें पानी कभी नहीं बेचना चाहिए, नदी कभी नहीं बेची जानी चाहिए। मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक विज्ञापन पढा था जिसे केरल में सरकार द्वारा दिया गया था। जिसमें कहा गया था कि मलपुजा बिक्री के उपलब्ध है। हमें कभी इसके बारे में पता नहीं चला। केरल में लोगों को कभी इस बात की जानकारी नहीं हुई। लेकिन वाशिंगटन में लोगों ने इसके बारे में पता चल गया। विवेधी कारपोरेशन जिसका मुख्यालय ठीक पेरिस में है, ने 500 डालर जमा किए और मलपुजा बांध की बोली लगाने में शामिल हुआ।

वहां कौन से लोग रह रहे हैं। आदिवासी और गरीब लोग वहां रहते हैं। पानी के लिए वहां चल रहे संघर्ष के बारे में आपने सुना होगा। आदिवासी, गरीब लोग और किसान पानी के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं। पल्लकड़ जिले के पलाचिमाड़ा, केरल में एक स्थान जहां का मैं रहने वाला हूं, में संघर्ष जारी है और आगामी 15 जनवरी 2002 उस संघर्ष का हजारवां दिन होगा। आदिवासी महिलाएं प्रतिदिन पानी लाने के लिए 10 से 15 कि.मी. की दूरी तक पैदल चलती हैं जबकि ठीक उनके पैरों के नीचे पानी है। पल्लकड़ में लगभग 10 आई.टी.सी. पानी है। सारा पानी कोका कोला और पेप्सी कोला कम्पनियां निकाल लेती हैं। वे प्रतिदिन 20 लाख लीटर पानी निकालती है लेकिन गरीब लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। उनको पानी कौन देगा? उनको आश्रय कौन देगा? उनकी बात कौन सुनेगा? हम यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की बात कर रहे हैं। यदि शेयर बाजार में कुछ होता है तो हम सभी चिंतित हो उठते हैं। लेकिन वारंगल कोई नहीं जाएगा, जहां से मैं आता हूं वहां कोई नहीं जाएगा जहां कृषि श्रमिक और अन्य लोग आत्म हत्या कर रहे हैं।

इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के बारे में फिर से सोचें। इस देश में हर चीज चमकदार नहीं है। मैं उन सभी विषयों पर गहन चिंतिन करना नहीं चाहता। लेकिन इस अर्थ में यहां यह प्रासंगिक है कि प्रतिदिन, दिनोदिन वे लोग जिनकी हमें देखभाल करनी चाहिए वे शिकार होते जा रहे हैं। इस देश में जो लड़ाई चल रही है वह इन्हीं शिकार हुए लोगों की लड़ाई है। वे सभी संसाधनों और हड़पने वाले बड़े-बड़े लोगों के शिकार हुए हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि गरीबों की भरण-पोषण तथा बुढ़े लोगों के पेंशन के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। औद्योगिक क्षेत्र का एन.पी.ए. क्या है। बैंकों को जितने हजार करोड़ रुपये देय है। क्या आप समझते हैं कि बैंकों को ये राशि मिल पायेगी। उनको यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वे गैर-उत्पादक परिसम्पत्तियां हैं। लेकिन यदि कृषि क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये या 4000 करोड़ रुपये तक एन.पी.ए. हो जाता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमारा जोर जिस बात पर है। हमारा जोर शहरीकरण पर है। उस प्रक्रिया में हमारे गांव गरीब से गरीब होते जा रहे हैं।

महोदय, परसों डा. रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे संसद सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देश में करोड़ों लोगों के पास शौचालय नहीं है। उनके पास शौच आदि के लिए जगह नहीं है। महिलाओं को सूर्यास्त तक इंतजार करना पड़ता है ताकि सूर्यास्त हो और वे शौचादि के लिए बाहर जाएं। हम अपने देश द्वारा प्राप्त की गई प्रगति की बात करते हैं। लेकिन हम अपनी ग्रामीण महिलाओं के शौचादि के लिए जगह उपलब्ध नहीं कर पाये हैं। हम कह रहे है कि सब-कुछ ठीक-ठाक है, हमारा देश

एक महान देश है और हम अपनी प्रगति पर गर्व है। लेकिन असल परीक्षा उस व्यक्ति के लिए है जो समाज के निम्नतम सोपान पर है।

इस दृष्टिकोण से यह सरकार का सामाजिक दायित्व है, चाहे वह कोई भी सरकार हो, कि वह अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैंने अपनी सरकार के बारे में चर्चा की जब हम सरकार में थे। हम इसे नहीं कर पाए। मैं नहीं समझता कि कोई भी इसे कर पाएगा। लेकिन क्या आप समझते है कि हम इन लोगों की बहुत दिन तक उपेक्षा कर सकते है। यहां तक कि संगठित राजनैतिक दल भी इन मुद्दों को नहीं उठा रही है। उसके लिए इस देश में अन्य आंदोलन भी है। वह समय बीत गया जब लोग अपनी समस्याओं के समाधान तथा नेतृत्व के लिए राजनीतिक दलों की ओर देखा करते थे। मैं समझ । हूं कि अब राजनीतिक दलों को स्वयं उनके पास जाना पड़ेगा और उनके हिसाब से अपना कार्यक्रम बनाना होगा। कार्यक्रम भी यहीं तैयार किए जाते हैं। हम कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में लोग हथियार उठा रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि यह कानून-व्यवस्था की समस्या है। लेकिन यह कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह जीने के लिए संघर्ष है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा और इसके बाद समाप्त कर दूंगा। मैं वायनाड का रहने वाला हूं और वहां पुलपल्ली नाम का एक गांव है। उस छोटे से गांव में एक बार वहां लोगों के पास लगभग 500 वाहन हुआ करते थे। ऐसी सम्पन्नता वहां थी। इस समय वे सभी लोग जिनके पास गाड़ियां थी मुफ्त राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। अब वहां कुछ भी नहीं है और वे लोग आत्म हत्या कर रहे हैं। आत्म हत्या से आतंकवाद के बीच कितनी दूरी है। एक व्यक्ति गरीबी के कारण मरने का फैसला कर लेता है यह इसलिए कि वह कर्ज अदा नहीं कर सकता। क्या आप बता सकते हैं कि वह ज्यादा उग्र क्यों होता जा रहा है।

यदि उस क्षेत्र में 50 लोग उग्र हों जाते हैं तो क्या वह जिला जिन्दा रह पोगा? आत्म हत्या से आतंकवाद तक बहुत दूरी नहीं है। धीरे-धीरे लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। जब तक हम इसे गंभीरता से नहीं लेते है हम उनकी समस्याओं को नहीं हल कर सकते? एक दिन वे बगावत कर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य ने विधेयक प्रस्तुत किया है और उन्होंने हमारी आंखे खोल दी है कि हमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर है और केवल गरीब लोग इस देश पर बोझ नहीं है बल्कि यह आबादी ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि हम उनको मदद पहुंचाना चाहते हैं तो हमें एक सामाजिक सुरक्षा योजना बनानी होगी।

यह विधेयक लाने के लिए मैं श्री बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देता हूं और माननीय श्रम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस संबंध में एक विधेयक लाएं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): मुझ से रहा नहीं गया और मैं इस चर्चा में शामिल होकर लाभ उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण भी कह रहे थे कि उन्हें बहुत दिनों से हमारा भाषण सुनने का मौका नहीं मिला। इससे उनकी भी आकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): उसी लजहे में भाषण करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हमारे देश के मशहूर पार्लियामेंटेरियन श्री बसुदेव आचार्य जी ने संविधान संशोधन लाने का कष्ट किया है। इस देश में जो गरीब आदमी हैं, जो वंचित और शोषित लोग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रस्ताव आचार्य जी लेकर आये हैं। सरकारी जवाब हमारे साथी माननीय मंत्री चन्द्रशेखर राव जी, जो तेलंगाना के नेता हैं, वह जवाब देंगे। चूंकि मुझसे रहा नहीं गया और चूंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है, माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने ग्रामीण विकास की भी चर्चा की, इसी कारण मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उत्सुक हो गया और अपने को रोक नहीं सका। आपने कृपा पूर्वक निदेश भी दिया है। इसीलिए इस चर्चा में मैं शामिल हो रहा हूं।

यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में सौ करोड़ की आबादी में से 70 करोड़ की आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, गांवों से गरीबी नहीं हटेगी, गांवों से बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तब तक हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा तथा दुनिया के विकसित मुल्कों में हिन्दुस्तान का नम्बर नहीं आ सकता। इसलिए जो संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव है, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं। आचार्य जी बराबर गरीबों के लिए सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इसमें चूंकि ग्रामीण विकास का विषय जुड़ा है, अभी देश में 19 करोड़ आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उसमें डेढ़ करोड़ परिवार गृहविहीन हैं और जैसे-तैसे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। अभी इंदिरा आवास योजना में जो 15 लाख परिवार हैं, हर साल हमारा बजट 1900 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ हो गया है। पहले 20,000 प्रति यूनिट सामान्य क्षेत्र में देते थे, अब 25000 रुपये प्रति यूनिट खर्च हो रहा है। कठिन क्षेत्र में यानी हिली एरिया में साढ़े सत्ताईस हजार रुपये दिये जा रहे हैं। अब हर साल 15 लाख होने से दस वर्षों में डेढ़ करोड़ परिवारों को हम घर बनाकर दे सकते हैं लेकिन हर साल 10 लाख परिवार बढ़ भी जाते हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

इसीलिए हम हर साल जो गृह-वीहिन हैं उनकी संख्या में मात्र पांच लाख की कमी कर पा रहे हैं। फिर जो गांव में भूमिहीन हैं, गरीब आदमी हैं, मेहनतकश हैं जिनको काम नहीं मिलता, उनके लिए वेजेज इम्प्लायमेंट, सम्पूर्ण रोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 4,500 करोड़ रुपए का बजट उपबंध और 50 लाख टन अनाज का प्रावधान है। इसके साथ ही इसमें 1,500 करोड़ रुपये, करीब 25%, राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना है। कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए नकद और 50 लाख टन अनाज होता है, जिससे 85,000 करोड़ मैन-डेज पैदा होते हैं, लोगों को रोजगार दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अभी जो फूड फार वर्क की महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई, उसमें चुने हुए 150 जिलों के लिए 2,030 करोड़ रुपए नकद और 20 लाख टन अनाज का प्रावधान हुआ है। ये प्रावधान केवल इस वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि के लिए किए गए हैं, अगले वित्तीय वर्ष में इसके बजट को दोगुना किया जाएगा। सदस्यों की मांग है कि इसमें और जिलों को लाया जाए, लेकिन उसमें सभी क्राइटेरिया यह है कि जिस जिले में एससी और एसटी लोगों की जनसंख्या अधिक है, उस जिले में वेजेज की क्या स्थिति है, प्रोडक्टिविटी की क्या स्थिति है, के हिसाब से 150 जिलों का चयन किया गया है। महोदय, आगे इसमें और जिलों को भी शामिल किया जाएगा। इस संबंध में माननीय सदस्य श्री वासुदेव आचार्य जी ने जो बिल पेश किया है उसमें किसी बेरोजगार व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु से लेकर लाभप्रद रोजगार प्राप्त मिलने तक या 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, रोजगार या बेकारी भत्ता देने का प्रावधान है।

महोदय, इसी भावना के अनुकूल इम्प्लायमेंट गारन्टी एक्ट वाला बिल भी इस माननीय सदन में लाया जाने वाला है। जब यह बिल सदन के समक्ष जाएगा, माननीय इस पर विचार व्यक्त कर सकेंगे। यह बड़ा भारी ऐतिहासिक काम है। यह काम का अधिकार देने की तरह है। इसमें साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान होगा। यह हमारे नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम में सबसे प्रमुख कमिटमेंट था। हमारे देश के गरीब आदमी के लिए हम क्या करते हैं? बड़े आदमी के लिए बैंक से 7% ब्याज दर पर कार खरीदने और मकान बनवाने के लिए कर्ज मिलता है। 1.50 लाख करोड़ रुपए का एनपीएज डूब गए, वह बड़े आदमी के यहां डूबे, गरीब के यहां नहीं। आज देश में 8 लाख करोड़ रुपये का काला धन है। लेकिन जब गरीब आदमी की बात आती है तो प्रश्न उठाया जाता है कि इसके लिए धन कहां से आएगा? देश के अर्थशास्त्री लोग कहने लगे कि इम्प्लायमेंट गारन्टी एक्ट कैसे लागू होगा, इसके लिए रुपया कहां से आएगा? यह गरीबों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश है, इसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। यह जो माननीय सदस्य ने बिल प्रस्तावित किया है उसकी भावना के अनुरूप, नेशनल कामन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इम्प्लायमेंट के तहत गारन्टी एक्ट आने वाला है, जिससे काम का अधिकार गरीब लोगों को मिलेगा, 100 दिनों के रोजगार की गारन्टी मिलेगी। रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें बेकारी भत्ता मिलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। यदि सभा सहमत हो तो मैं समय आधे घंटे के लिए बढ़ा सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, इसके बाद अगला आइटम, आइटम सं. 38 भी लिया जाना है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से रोजगार गारन्टी विधेयक के विषय में यह पूछना चाहूंगा कि मात्र चार दिन शेष है, यह विधेयक कब तक पेश होगा, कब उस पर चर्चा करेंगे?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आज मैं संविधान संशोधन पर बोल रहा हूं। इसी आशय का विधेयक मैं इस सदन में जल्द ही लाने वाला हूं। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी प्रार्थना की है कि इस पर जल्द ही इजाजत दी जाए। मैंने अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की है कि तुरन्त इसे प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाए, मैंने इसका ड्राफ्ट इत्यादि तैयार कर लिया है। लेकिन गरीब के प्रति जो साजिश की जा रही है, मैं उसका भण्डाफोड़ करना चाहता हूं। गरीब से संबंधित विधेयक आने वाला है। हमारा कामन मिनिमम प्रोग्राम गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और बेकारी हटाने के लिए रोजगार देने के लिए समर्पित है। महोदय, एलीपीजी पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन हमारा गरीब आदमी जो चैला, लकड़ी और पत्ते जलाकर भोजन पकाता है उसको क्या सब्सिडी मिलती है? लेकिन जब गरीबों का सवाल आता है तो प्रश्न उठाया जाता है कि रुपया कहां से आएगा।

इसीलिए संविधान में यह जो संशोधन करने वाला विधेयक आया है, उसमें वही भावना निहित है, जो सरकार इसी सत्र में बिल लाएगी। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देने का और मजदूरी कराकर रोजगार देने का प्रावधान उस

बिल में किया जाएगा। हम लोग 85 लाख से 100 करोड़ तक मैनडेज पैदा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको कानूनी अधिकार देंगे तो जाहिर है बजट में खर्चा बढ़ेगा। अब हमसे पूछा जाता है कि इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं चलती हैं, उनमें भी सरकारी खजाने से पैसा का प्रबंध होता है, तो फिर इस योजना के लिए भी, गरीबों के लिए भी सरकारी खजाने से पैसा आएगा। सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा-रहने को घर नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तां हमारा। गरीब आदमी को एक हाथ जितनी भी जमीन नसीब नहीं है और हिन्दुतां हमारा। वह कैसे महसूस करेगा कि हिन्दुस्तान की धरती हमारी और उसमें उसका भी हिस्सा है।

आज हमारे देश में करीब एक करोड़ 13 लाख लोग भूमिहीन हैं। उन्हें जमीन मिले, वे भूमिहीन न रहें, इस तरह का हम हिसाब-किताब लगा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा, यह सवाल को सदन में उठाया जाता है, लेकिन जो गांवों में रहने वाले असली भारत है, साजिश के तहत उसका सवाल दबा दिया जाता है। जब इंडिया का सवाल आता है तो कहा जाता है-इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। लेकिन अब वह समय चला गया। अब भारत शाइनिंग का समय आ गया है और गांवों के शाइनिंग का समय आ गया है।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत: मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा था। सभा में विधेयक कब प्रस्तुत होगा। मेरा प्रश्न यह था।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं पाइंटेड जवाब ही दे रहा हूं। रासा सिंह रावत जी सदन के पुराने सदस्य हैं। वह जानते हैं कि बिल कैसे आता है। राष्ट्रपति जी से सहमति लेनी पड़ती है। हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है। अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेनी होती है, उन्हें भी प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है।

प्रो. रासा सिंह रावत: आप छः महीने से यही कह रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: लेकिन जब बिल आएगा तो उसे पढ़ने में ही आपको एक साल लग जाएगा। हम उसे तुरंत संसद में ला रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम फूड फार वर्क योजना इसी भावना के तहत लागू कर चुके हैं। जब गरीब का प्रश्न आएगा तो यूपीए सरकार उससे पीछे हटने वाली नहीं है। वह समय चला गया जब गरीब के सवाल पर अगर-मगर होता था और अमीर की बात आती है तो तुरंत काम हो जाता था।

ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा जाहिर की थी इसलिए मैंने उन्हें जानकारी देना आवश्यक समझा और बताया कि गांवों की क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है और किसानों की क्या स्थिति है। एनडीए के राज में बेरोजगारी बढ़ी थी, रोजगार देने का प्रतिशत घटा था, यह आपको देखने से पता चलेगा। इसीलिए इनकी विदाई हो गई, क्योंकि इन्होंने गरीबों की, किसानों की और गांवों की उपेक्षा की थी। *...(व्यवधान)*

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): आपने कितने गरीब आदमियों को रोजगार दिया है?

प्रो. रासा सिंह रावत: एनडीए की सरकार के समय में ही राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना शुरू हुई थी और लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिला था। *...(व्यवधान)* हम इस आरोप का खंडन करते हैं कि एनडीए के राज में बेरोजगारी बढ़ी थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आप उनको सम्बोधित नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एस.के. खारवेनथन: इन साढ़े चार वर्षों में आपने सब कुछ बेच दिया। *...(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): क्या आप स्वस्थ नहीं है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया विधेयक पर आएं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी थोड़े पुराने तेवर में आइए। अब मैं उनको बता रहा हूं, तो वे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* यह गरीब का विषय है, जो करोड़ों लोग गांवों में बसे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, उनसे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

संबंधित विषय है। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। वे देखते हैं कि हमारे लिए क्या बातें हो रही हैं, क्या काम हो रहा है और क्या योजनाएं बन रही हैं। जो गांवों में बसने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक यह सरकार संविधान संशोधन विधेयक लाएगी। एसजीआरवाई में 4500 करोड़ रुपए की राशि है। वह सीधे डीआरडीए में जाती है। डीआरडीए को निर्देश है कि 15 दिनों में उस जिले का जितना हिस्सा है, उसका 20 प्रतिशत जिला पंचायत समिति में, 30 प्रतिशत हिस्सा तालुका परिषद में, ब्लाक पंचायत समिति में और 50 प्रतिशत ग्रामीण पंचायतों में जाएगा।

महोदय, उसमें क्या प्रावधान हैं। पचास फीसदी पैसा जो गांव में जाएगा, उसमें से भी आधा यानि उसका 50 फीसदी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में खर्च होगा। जिला पंचायत परिषद और ब्लाक पंचायत समिति में 20 और 30 फीसदी यानि 50 फीसदी जाएगा। दोनों में साढ़े 22 फीसदी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के इंडिविजूअल बैनिफिशरीज को सहायता दी जाएगी। उनकी आय बढ़ जाएगी। इसमें 700 करोड़ रुपया शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कैश और 700 करोड़ रुपए का अनाज यानि 1400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मानिटरिंग आफ विजिलेंस कमेटी जिसमें सदन के माननीय सदस्यों को चेयरमैन और को-चेयरमैन बनाया गया है। उस समिति की निगरानी बढ़िया ढंग से हो, जिससे गरीबों को रोजगार मिले और उनको आमदनी का जरिया मिले सके, जिससे उन्हें भी महसूस हो कि वे भी दूसरों की तरह हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यह एसजीआरवाई की योजना है।

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा': सभापति जी, यह प्राइवेट मैम्बर बिजनैस है, हमारा आइटम 38 आगे है, वह रह जाएगा। आज बड़ी मुश्किल से आया है, इसलिए आप संक्षेप में बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, इन्होंने हमें ठकसा दिया कि पहले तेवर में आइये, इसलिए हम पहले के तेवर में आ गये थे। महोदय, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सौशल सिक्योरिटी बिल अभी भी लागू है, जो राज्यों के जिम्मे है। योजना आयोग से केवल मानिटरिंग का काम हम देखते हैं। उसमें भी एक तरह की योजना लागू है और उसको और बढ़िया तरीके से माननीय बसुदेव आचार्य जी ने लागू करने के लिए कहा है। जो व्यक्ति नि:शक्त है, गरीब है, जिसको खाने के लिए भोजन नहीं है, जीने का जरिया नहीं है, कोई सम्पत्ति नहीं है, लेकिन वह हिंदुस्तान का नागरिक है, उसका भी सम्मान हो, उसे भी जीवन-यापन के लिए सरकार से सहायता दी जाए, इस संविधान संशोधन में उसी भावना से ये सभी क्लाज लाए गये हैं। सभी नि:शक्त और वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रधान मंत्री सहायता कोष है, जिसमें से कुछ राशि गरीब आदमियों को मिल जाती है लेकिन उनको इलाज वगैरह में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये चारों क्लाज गरीबोन्मुख हैं। गांव में जो व्यक्ति नि:शक्त है, कमजोर है, उपेक्षित है, उनकी सहायता के लिए भावना इसमें व्यक्त की गयी है। हम सभी लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर कोई योजना बना रहे हो तो आप उसमें यह देखों कि गरीब आदमी, जिसकी देह पर कुछ नहीं है, उस योजना से उस गरीब आदमी को क्या फायदा होने वाला है। लिटमस पेपर महात्मा गांधी हमको देकर गये हैं। उस लिटमस पेपर पर देखा जाना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए क्या योजना है। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: यह तो आप हमारा भाषण कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जब आपका समय था तो आपने गरीबों के लिए कुछ किया नहीं। अब हमारा समय आया है करने का और बोलने का और हमारे करने और बोलने में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए जैसा गरीब लोग सोच रहे हैं, वैसा हम बोल रहे हैं।

वह ऐसा कर रहे हैं। मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं। इन्होंने एक ही सवाल उठाया। श्री जसवन्त सिंह जी जब बजट पेश करते थे तो मैं उस तरफ चौथी सीट पर बैठता था। हमने उन्हें चुनौती दी थी। उनसे कहा था कि बजट में गरीबों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब आदमी इन लोगों के एजेंडा में नहीं था, किसान इनके एजेंडा में नहीं था, मजदूर एजेंडा में नहीं था। क्यों नहीं था? मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत: 45 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था। उस दौरान उसने गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महाभारत की लड़ाई में भीष्म पितामह बाण शैय्या में थे। वह जब ज्ञान का उपदेश देने लगे तो द्रोपदी हंस पड़ी। भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, क्यों हंसती हो? द्रोपदी ने कहा कि मेरा जिस समय चीर हरण हो रहा था, उस समय आपका ज्ञान का ऊंचा दर्शन कहां था? आप उस समय कुछ बोल नहीं सके और आज आप ज्ञान का दर्शन बांट कर उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने उस समय दुर्योधन का अनाज खाया था। इसलिए मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया था और द्रोपदी के चीर हरण के समय बोल नहीं सका। भीष्म पितामह जैसे महान पुरुष का यह कहना था कि जैसा अन्न खाएंगे, वैसा मन होगा। इन लोगों ने भी उसी तरह से पूंजीपतियों, मल्टीनैशनल और विलायती कम्पनियों का अन्न खाया था इसलिए इनका ज्ञान भ्रष्ट हो गया।

गरीब किसान इनके एजेंडा में नहीं था। हम लोगों का एजेंडा गरीब किसानों के हित का है। हम गांवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कामन मीनिमम प्रोग्राम का यूएनओ ने समर्थन किया है। ऐसा प्रोग्राम कहां है? दुनिया के किसी मुल्क में उनकी समस्याओं के मुताबिक एजेंडा नहीं है। यूएनओ में इसकी प्रशंसा हुई है। हमारा नेशनल कामन प्रोग्राम गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और देश की समस्याओं का समाधान करने वाला है। मैं सदन से अपेक्षा करता हूं और विश्वास है कि जो गरीब किसान, मजदूर और जो असली देश बनाने वाला है, देश का आगे निर्माण करने वाला है, हम उसका कार्यक्रम लागू कर पाएंगे। गरीबी और बेकारी हमारे लिए कलंक है। हमारे कार्यक्रम के लागू होने से गरीबी, बेकारी हटेगी और हिन्दुस्तान दुनिया का नम्बर वन मुल्क बन कर उभरेगा और मजबूत ताकत के रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपके इस लंबे भाषण के लिए आपका धन्यवाद। अब श्री रतिलाल कालीदास वर्मा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: सभापति महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि बची सिंह रावत जी का बिल आने वाला है और उन्हें उस पर बोलना है। मैं चार पंक्तियों में अपनी बात कहूंगा।

माननीय मंत्री जी ने गरीबों की बहुत बात कही लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां गरीबों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। वह यहां उनका रोना रो रहे हैं। अभी भी पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जवान बेटी दो कपड़े पहन कर निकलती है। उसके पास तीन कपड़े नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं, आजाद है, गरीब कहता है कि हम बरबाद हैं, बरबाद हैं। 56 साल के बाद न पीने का स्वच्छ पानी पाया, दो वक्त का न पेट भर राशन पाया। आप जैसे मंत्रियों का बरसों से पाया तो सिर्फ भाषण पाया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, अब उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: ऊपर आकाश, नीचे धरती, फिर गरीबी का आशा मरती। पहनने को नहीं कपड़ा, रहने को नहीं मकान, फिर भी गरीब बोलता जा रहा है, मेरा देश महान। बहुत हुआ, बहुत हुआ, अब बोलना बंद करो। करना है तो कुछ काम करो, वरना नारे बंद करो।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): सभापति महोदय, मैं इस माननीय सभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री बसुदेव आचार्य को मानवीय जीवन से सीधे जुड़ी बेरोजगारी की समस्या और वृद्ध तथा विकलांग लोगों की समस्याओं पर संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 21ख, आदि का अन्त: स्थापन) को पुर:स्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री बसुदेव आचार्य सहित इस माननीय सभा के उन 14 सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैं इनके प्रति बहुत आभारी हूं। मुझे इनके भाषणों से काफी ज्ञान प्राप्त हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य ने अपने इस विधेयक के जरिए बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता और वृद्ध जन तथा विकलांग लोगों के शालीन जीवन के लिए प्रावधान और सहायता से जुड़े विषयों को उठाना चाहा है। वास्तविक चर्चा में, उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक बल जैसे कृषि मजदूर, बीड़ी कामगार, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय उठाया है तथा सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए विषय गंभीर चिंता के विषय है। इन्हें विभिन्न विशिष्ट कल्याणकारी उपायों के जरिए सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये उनके द्वारा पुर:स्थापित वर्तमान विधेयक के दायरे में नहीं आ सकते हैं। मैं मात्र विधेयक में उनके द्वारा उठाए गए विषयों पर ही चर्चा करूंगा।

सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देकर जैसे निर्माण, जमीन-जायदाद और आवास, परिवहन, पर्यटन, लघु उद्योगों, आधुनिक फुटकर व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं और कई अन्य नई सेवाओं जिनको समर्थित नीतियों के जरिए विकसित करने की आवश्यकता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

नियोजित प्रयासों के अलावा सरकार ने विभिन्न रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जैसे विशिष्ट उपायों को भी अपनाया है। इनमें से कुछ हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, खादी और ग्राम उद्योग आयोग का ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा स्व-रोजगार के सृजन के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न योजनाएं।

मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उत्तर देने में मेरे साथ सहयोग किया। इन्होंने भी माननीय सदस्यों और इस सभा को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से सारे कार्यक्रम और प्रयास शुरू किए गए हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार भी हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में व्याप्त दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे थे। श्री के.एस. राव तथा कई अन्य सदस्यों जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, ने भी ग्रामीण क्षेत्रों तथा वहां रहने वाले लोगों की अवस्था के बारे में अपनी चिंता से अवगत कराया है। जैसा कि माननीय सदस्यों और इस सभा को जानकारी है, दसवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन 42,874 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा बढ़ाकर 76,774 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

हमारे देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम 100 दिनों की न्यूनतम गारंटित रोजगार प्रदान करने के लिए काफी चिंतित हैं। तद्नुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में एक केन्द्रीय विधान लाने का प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ है जिसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए कम से कम 100 दिनों का गारंटित रोजगार उन सभी गरीब परिवार के लिए प्रदान करना जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हैं ताकि उनके जीवनयापन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने अभी-अभी इस सभा को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि वह इसी सत्र में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस महान विधेयक को इस सभा में पुर:स्थापित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय अध्यक्ष महोदय भी अनुमति प्रदान करेंगे जो ग्रामीण गरीबों से जुड़ा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन.आर.ई.जी.पी.) के उन क्षेत्रों में क्रियान्वयन के लिए जहां इस अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी। साथ ही, दिनांक 14.11.2004 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 153 पिछड़े जिलों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरूआत इस दृष्टिकोण के साथ की गई है कि इन क्षेत्रों में कम से कम प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार आश्वासन प्रदान किया जाए।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय प्रमुख मंत्रालय है। इसने वृद्धजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह नीति वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, रहने के लिए स्थान, सूचना आवश्यकताओं पर जोर, उचित छूट के प्रावधान, रियायतें और छूट आदि के लिए समर्थन को दृष्टिगत रखती है। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता देती है।

नि:शक्त लोगों के लिए किए गए उपाय हैं- गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को सहायता अनुदान, सहायता सामग्रियों की खरीद और उन्हें लगाने के लिए सहायता, उदार ऋण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा व्यापक पुनर्वास सेवाएं। इस तरह, यह देखा जा सकता है कि सरकार बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा वरिष्ठ नागरिकों और नि:शक्त लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं और रियायतें प्रदान करने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा राज्य सरकारें भी अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए तथा वृद्धजन और नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भी विभिन्न उपाय कर रही है।

सुझाया गया बेरोजगारी भत्ता देश के कमतर वित्तीय संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ डालेगा। अत:, केन्द्र सरकार संसाधनों की कमी के कारण बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के हक में नहीं है।

इस संदर्भ में मेरे द्वारा उल्लिखित तथ्यों के आलोक में, मैं इस सभा के अनुभवी माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य से इस गैर-सरकारी सदस्य विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, क्या माननीय मंत्री जी कृषि श्रम विधेयक लाने के बारे में विचार कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि मैंने अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया है। *...(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, कम से कम माननीय मंत्री जी इसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया दिखा सकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, इसके प्रति मुझे सहानुभुति है। माननीय प्रधान मंत्री जी भी उस श्रमिक बल के बारे में काफी चिंतित हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने उत्तर के आलोक में जवाब दे सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मुझे उत्तर देने का अधिकार है। उन्होंने हस्तक्षेप किया है परन्तु विधेयक प्रस्तुत करने वाले को उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे इस बिल का, एक सदस्य को छोड़कर समर्थन किया है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री ने भी इस बिल का जोरदार समर्थन किया है।

[अनुवाद]

महोदय, सामाजिक सुरक्षा में न केवल रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्तों, वृद्धावस्था पेंशन, नि:शक्त और वंचित व्यक्तियों को सहायता देना बल्कि संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना भी शामिल होता है। इन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कष्टों का उल्लेख नहीं किया।

आज हमारे देश में लगभग 40 करोड़ श्रमिक हैं और 40 करोड़ में से 37.5 करोड़ असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में हैं।

इन 37.5 करोड़ में से 22 करोड़ कृषि श्रमिक हैं। ये कृषि श्रमिक असंगठित अथवा अनौपचारिक श्रमिकों में सबसे अधिक शोषित हैं। उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती। उनके पास काम की कोई सुरक्षा नहीं है और उनके पास और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* **हुए]**

दो या तीन राज्यों ने कृषि श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योजना शुरू की है। कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक कानून की मांग की जा रही है। श्री वीरेन्द्र कुमार जब श्रम मंत्री थे तब उन्होंने कानून लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे और इस प्रयोजनार्थ उन्होंने सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। एक श्रम मंत्री अथवा कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों ने कुछ आपत्तियां की थीं और इसलिए वह ऐसा नहीं कर सके थे। संभवत: कोई आम सहमति न हो। यदि आम सहमति न भी हो तब भी श्रमिकों, हमारे समाज के निर्धनतम वर्ग के कल्याण हेतु, हमारे समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कल्याणकारी सरकार को हमारे समाज के निर्धनतम वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कानून लाना चाहिए अथवा एक उपयुक्त विधान बनाना चाहिए। मंत्री जी ने इन 22 करोड़ कृषि श्रमिकों के बारे में कुछ नहीं कहा।

मंत्री जी ने बीड़ी कामगारों के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक की परिधि में नहीं है जैसे कि बीड़ी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा विधेयक की परिधि में नहीं है। हमारे देश में 40 या 44 लाख बीड़ी कामगार हैं। इन बीड़ी कामगारों की क्या दशा है। केन्द्र सरकार को बीड़ी उद्योग से बड़ी विदेशी मुद्रा की आय होने के बावजूद भी यह कम मजदूरी पाने वाले कामगारों के कल्याण की अनदेखी करती रही है। उन्हें न्यूनतम स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कामगारों को परिचय पत्र जारी नहीं किए गए हैं। बड़ी संख्या में ऐसे कामगार हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी परिचय पत्र जारी नहीं किए गए हैं। विभिन्न श्रम संघों को जिनमें सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स भी शामिल है बार-बार मांग के बावजूद भी वे बीड़ी कामगारों को पेंशन, उपदान और चिकित्सा नहीं दे रहे हैं।

बीड़ी कामगार अपने काम की खतरनाक प्रकृति जहां वे प्रतिदिन बारीक तम्बाकू के धूलकणों और रसायनों का लगातार सांस के साथ अंदर ले जाते हैं, जिसके कारण फेफड़े की बीमारियों तथा त्वचा के संक्रमण से लगातार ग्रसित रहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसी भी तरह से स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ नहीं किया गया। बीड़ी कामगारों को बीमा सुविधाएं भी नहीं मिलतीं। फिर भी जिस काम में वे लगे हैं उसके कारण उनमें से अधिकांश को समय से पूर्व सेवानिवृत्त होना पड़ता है क्योंकि लगातार विषैले प्रसंस्करण तत्वों का सामना करते रहने से वृद्धावस्था की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कामगारों के अधिकारों के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से लड़ाई लड़ने के लिए असंगठित बीड़ी कामगारों के हरेक वर्ग को एक साथ एक बैनर के नीचे लाने की भी बहुत जरूरत है।

महोदय, बीड़ी कामगारों की यही दुर्दशा है। मुझे बीड़ी कामगारों के अस्पताल के संबंध में अपने अतारांकित प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। मंत्री ने उस उत्तर में बताया है कि 40 लाख बीड़ी कामगारों के लिए पांच अस्पताल चल रहे थे। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में जहां सात लाख से अधिक बीड़ी कामगार हैं वहां केवल एक अस्पताल है। सात लाख बीड़ी कामगारों और उनके परिवारों के लिए केवल एक अस्पताल है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मेरे जिले में तीन वर्ष पहले सिद्धांत रूप में एक अस्पताल स्वीकृत किया गया था। श्रम मंत्रालय को भूमि उपलब्ध कराई गई थी। फिर भी वहां बीड़ी कामगारों को अस्पताल सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज तक एक बीड़ी अस्पताल स्थापित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था कि बीड़ी कामगारों के लिए अलग से अस्पताल बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह राजग सरकार का गलत निर्णय था कि बीड़ी कामगारों का उनके क्षय रोग के लिए सामान्य अस्पताल में उपचार किया जा सकता है। यह पूर्व सरकार का निर्णय था।

कल्याण उपकर से एकत्र की गई निधियों से इन अस्पतालों का निर्माण किया जाता है। बीड़ी कामगार कल्याण कोष से धन प्रदान किया जाता है। अस्पताल प्रदान करने में स्वास्थ्य की देखरेख करने में, औषधालय प्रदान करने में क्या कठिनाई है। यदि औषधालय है तो आपको उसमें कोई दवाई अथवा डाक्टर नहीं मिलेगा। मैं धूलियां अस्पताल में गया था। इसे चार वर्ष पहले खोला गया था। कम से कम डाक्टरों का सात रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं गया है। बिना डाक्टरों और दवाईयों के हम कल्पना कर सकते हैं कि बीड़ी कामगारों को किस प्रकार का उपचार किया जाता है। इन बीड़ी कामगारों का उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के कारण उनकी औसत अधिकतम आयु सीमा अन्य श्रमिकों के कामगारों से बहुत कम है।

निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें से लाखों निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। वे खतरनाक कार्यों में लगे हैं। एक कानून है जिसमें उनके लिए कल्याण कोष बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी तक केवल तीन राज्यों ने यह कल्याण कोष बनाया है। सात राज्यों ने निम्न बनाये हैं। यद्यपि निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की व्यवस्था करने के लिए कानून एक दशक पूर्व बनाया गया था फिर भी अधिकांश राज्यों ने अभी तक हजारों निर्माण श्रमिकों की रक्षा हेतु अपने राज्य में इसे लागू नहीं किया है अथवा यह कानून नहीं बनाया है।

मैंने कई सुझाव दिए हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि वृद्ध लोगों के लिए एक पेंशन योजना है। उसके अंतर्गत कितना पैसा दिया जाता है और प्रतिशत क्या है। मैंने एक पंचायत समिति में देखा है कि 40 से 42 वृद्ध लोगों को लगभग 100 रुपए की पेंशन मिलती है।

सभापति महोदय: श्री आचार्य, अब अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें। आपने शुरूआत में ही भाषण दे दिया है और माननीय मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: इन्होंने हस्तक्षेप किया है। मैं वे मुद्दे उठा रहा हूं जो इन्होंने नहीं उठाए हैं। महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

सभापति महोदय: मैं जानता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: पेंशन योजना के बारे में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नीति में परिवर्तन किया है। अब यह अंशदायी पेंशन योजना है। पेंशन योजना उन लोगों के लिए परिवर्तित कर दी गई है जो 1 जनवरी, 2004 के पश्चात सेवा में आए हैं। पेंशन का भुगतान सरकार की जिम्मेदारी था। अब, यह स्वयं कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी।

भविष्य निधि और भविष्य निधि पर ब्याज ही कर्मचारियों और श्रमिकों को उपलब्ध एकमात्र सामाजिक सुरक्षा हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक हैं जो पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे अपनी आजीविका के लिए भविष्य निधि के ब्याज पर निर्भर रहते हैं। मैंने माननीय मंत्री का वक्तव्य देखा है कि सरकार इसमें वृद्धि करने के संबंध में एक निर्णय लेगी। इसका तात्पर्य है कि यह 9.5 प्रतिशत की वर्तमान ब्याज दर को बनाये रखेगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है अथवा क्या सरकार इस पर निर्णय लेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में निर्णय की घोषणा संसद के चालू सत्र के दौरान कर दी जाएगी। यह हमारे देश के लोगों के दिमागों को आंदोलित कर रहा है।

जब विपक्ष ने सत्ता संभाली, तब ब्याज दर 12 प्रतिशत थी। उन्होंने 12 प्रतिशत को कम करके 9.5 प्रतिशत कर दिया। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव इसे और कम करके 8 प्रतिशत करने का था। न्यासी बोर्ड का निर्णय ब्याज दर को कम करने का था। लेकिन हमारे देश के कर्मचारी और श्रमिक मांग करते रहे हैं कि यदि इसे 12 प्रतिशत नहीं रखा जा सकता है तो इसे कम से कम 9.5 प्रतिशत रखा जाए। मैं श्रम मंत्री से यह बात स्पष्ट करने के लिए कहूंगा कि क्या सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है अथवा सरकार ने अपना मन बना लिया है कि वह ब्याज दर और कम नहीं करेगी। माननीय मंत्री ने आश्वासन नहीं दिया है कि मजदूरी संदाय अधिनियम जैसे मौजूदा विधान में कमी को दूर करने के उद्देश्य से सभा में व्यापक विधान लाया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में अनेक कमियां है। इन्हें दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए इस सभा में एक उचित संशोधनकारी विधान लाया जाएगा ताकि सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। वहां उपचार निःशुल्क है तथा मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। रोज अनेक लोग विशेष रूप से हमारे समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के लोग अस्पतालों में

उपचार करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। निश्चित रूप से कुछ नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए। मैंने प्रारूप नहीं देखा है। हम मांग करते रहे हैं इस रोजगार गारंटी योजना को अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। यह एक बिल्कुल संपूर्ण पृथक योजना होनी चाहिए। यह विचार था। इसलिए इस योजना को न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया।

इसे वर्तमान अन्य रोजगार सृजन योजनाओं के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आचार्य जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय बेरोजगारी की समस्या न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही है अपितु शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में भी है। शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है।

अत: रोजगार गारंटी योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग भी शामिल होने चाहिए। अन्यथा, रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिए विधान लाने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसे स्पष्ट करें। वह सभा की राय जान गए हैं। उनके कैबिनेट सहयोगी ने भी उनके इस प्रस्ताव के लिए पूरा समर्थन दिया है कि भविष्य में वह असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों की सुरक्षा के लिए वह उपाय करेंगे। तब मैं इसे वापस लेने पर विचार करूंगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री पहले ही आपको आश्वासन दे चुके है कि वह मामले की जांच करेंगे। उन्होंने आपसे अनुरोध भी किया है कि आप अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह पहले मुझे आश्वस्त करें कि वह ऐसे उपाय करेंगे। मैं उनके आश्वासन के बिना विधेयक वापस कैसे ले सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप ई.पी.एफ. के रेट के बारे में बोलिए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं इस देश के कार्यबल के बारे में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री बसुदेव आचार्य की चिंता को पूरी तरह समझता हूं। मैं श्री आचार्य जी को आश्वस्त कर दूं कि डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि स्वस्थ कार्यबल एक समृद्ध राष्ट्र का निर्णय करता है।

मैं कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता हूं। वह मुझसे श्रम मंत्रालय के मजदूरी अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों सहित विभिन्न अधिनियमों में संशोधनों को स्पष्ट करने के लिए कह रहे थे। मैं भी श्रम मंत्रालय द्वारा अनुसरण की जा रही कतिपय मौजूदा प्रक्रियाओं के बारे में प्रसन्न नहीं हूं।

यहां आने से पहले मैं ई.एस.आई.सी. बोर्ड की बैठक में था। मैंने उनसे भी कहा कि जहां कहीं संशोधन आवश्यक है, उन्हें मेरी जानकारी में लाएं ताकि हम उपस्थित नेताओं के साथ चर्चा कर सकें और उन कानूनों में आवश्यक संशोधन कर सके।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत शीघ्र सभी फ्लोर के नेताओं तथा मजदूर संघ के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाऊंगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनकी राय लूंगा। मैं राष्ट्र के कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा के हित में निश्चित रूप से सभा के समक्ष अपेक्षित संशोधन लाऊंगा।

महोदय, उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के बारे में चिंता व्यक्त की है। हम प्रारूप विधेयक तैयार कर रहे हैं। उस पर कार्य चल रहा है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द मैं राष्ट्र में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सहायता हेतु इस सभा में विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

महोदय, कृषि मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के बारे में एक व्यापक विधान के बारे में एक बात की। यद्यपि श्री के.एस. राव सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, फिर भी उन्होंने असंगठित कार्यबल का दयनीय और उपेक्षित जीवन के प्रति अत्यधिक चिंता व्यक्त की है। जो मानसिक आघात झेल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि चर्चा चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी रुचि व्यक्त की है। हमसे प्रगति की भी आशा है। हमसे यह भी अपेक्षा है कि हम उन वैश्विक और उदारीकृत प्रवृत्तियों के साथ गति बनाए रखेंगे जो हमारे देश में भी चल रही हैं।

जब तक हम प्रवृत्तियों के साथ-साथ नहीं चलेंगे, हम अपने उद्योग, कार्यबल और श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंत्रालय में एक व्यापक अधिनियम, एक व्यापक विचार और पूरे मुद्दे पर गंभीर चर्चा चल रही है। मैं वरिष्ठ नेता को आश्वस्त करता हूं कि चूंकि श्रमिक समस्याओं के बारे में वह अधिक जानते हैं इसलिए मैं शीघ्र ही उनके साथ एक बैठक करूंगा। जो वरिष्ठ संसद सदस्य इस क्षेत्र में मेरी सहायता करने के इच्छुक हैं, मैं उन सभी से निश्चित ही सभी रचनात्मक सुझाव लूंगा।

[श्री के. चन्द्रशेखर राव]

माननीय सदस्य ने निजी चर्चा में भी धूलिया अस्पताल के बारे में बताया है तथा एक पत्र भी दिया है। मैं उस नीति को नहीं छिपा रहा हूं जिसका वर्तमान में बीड़ी श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल के लिए अनुसरण किया जाता है। कल मैं इस मामले को देखने वाले महानिदेशक के साथ चर्चा कर रहा था। कुछ अस्पताल राज्य क्षेत्र में हैं तथा अन्य अस्पताल विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। यह एक खास तरह का मिश्रण है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि धूलिया अस्पताल में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। मैं विशेष कदम उठाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: झालदा के अस्पताल के बारे में क्या कहना है? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में कहिए। हमें अगली मद पर भी चर्चा करनी है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: माननीय रक्षा मंत्री, श्री प्रणब दा ने भी एक पत्र भेजा है। मैं इसे देख रहा हूं और बहुत शीघ्र मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: झालदा अस्पताल मेरे जिले में है। तीन वर्ष पूर्व इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेंगे। मैं मामले को देख रहा हूं।

सभापति महोदय: आप व्यक्तिगत रूप से मंत्री महोदय से मिल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: ब्याज दर के बारे में क्या कहना है? यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री के. चन्द्रशेखर राव: कर्मचारी भविष्य निधि पर श्रमिकों को दिये गये ब्याज दर की पूरी पृष्ठभूमि का वर्णन करने में मुझे बहुत समय लगेगा। इस समय, मीडिया की तरफ से इस पर जो टीका-टिप्पणी की जा रही है, कि कल एक शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिला था। मीडिया द्वारा यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री के शिष्टमंडल की मांगों से सहमत हैं। लेकिन यह सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री से इस बारे में अनुरोध किया गया था और उन्होंने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया था कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। वित्त मंत्रालय इस मामले से अवगत है। सरकार इस मामले पर चर्चा कर रही है। एक श्रम मंत्री के रूप में निश्चय ही मैं उच्च ब्याज दर हेतु प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे देश के श्रमिकों के हित में कार्य करना है। निश्चय ही मैं इस दिशा में भरसक प्रयास करूंगा। लेकिन अभी इसका परिणाम क्या होगा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं एक बार फिर श्री बसुदेव आचार्य से हार्दिक अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि वह इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त कानून बनायेंगे तथा असंगठित क्षेत्र विशेषकर खेतिहर मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापक कानून बनायेंगे। साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरें बढ़ाये जाने के पक्ष में श्रम मंत्रालय के रूख को देखते हुए मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.24 बजे

(उन्नीस) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004-
विचाराधीन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद सं. 38 लेगी। इस विधेयक के लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित है।

श्री बची सिंह रावत "बचदा"

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह एक नई सोच नहीं है, नया विचार नहीं है, बल्कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में लगभग 33 देश ऐसे हैं, जिनमें अनिवार्य मतदान किये जाने की व्यवस्था कानून के द्वारा अथवा संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा वहां की गई है और उसमें अनेक देश शामिल हैं, जिनमें बहुत कड़ा प्रतिबन्ध इस मायने में हैं कि यदि मतदान नहीं किया जाता है और मतदान नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण वहां के मतदान के द्वारा नहीं दिया जाता तो उसमें दण्ड का प्रावधान अथवा वेतन कटौती का प्रावधान दिया गया है।

इसमें प्रमुख देश आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, फिजी, लग्जम्बर्ग, सिंगापुर, स्विटरजलैंड, ऊरग्वे, अर्जेंटीना आदि हैं। मैंने जिन 33 देशों का जिक्र किया, उनमें इटली भी सम्मिलित है जिसमें अनिवार्य रूप से मतदान किये जाने का प्रावधान किया गया। उनमें से कुछ देशों ने समय-समय पर इसमें परिवर्तन किया। चूंकि भारत की आजादी के बाद हमारा जो संविधान निर्मित हुआ, उसके भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया दी गयी है कि उन्हें मतदान का पूरा अधिकार होगा और निर्वाचन आयोग मतदान की व्यवस्था करेगा। नागरिक के अधिकारों में मतदान देने का प्रमुख अधिकार दिया गया है। भाग-II में भारत की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों के बाद भाग 4(ए) बाद में जोड़ा गया। नागरिक के मूल कर्त्तव्यों में अनुच्छेद 51(ए) में परिभाषित किया गया। लेकिन मतदान न मैनडेटरी हुआ न कर्त्तव्य के रूप में ही उसे परिभाषित किया गया कि उसका कोई कर्त्तव्य या दायित्व रहे कि वह मतदान में हिस्सा ले।

अभी इतने चुनावों के बाद हम 14वीं लोक सभा में आये हैं। चुनाव का दुखद पहलू है कि वास्तविक रूप से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत घटा है। दिल्ली जैसा प्रदेश, जो देश की राजधानी है, यहां लगभग 30-32 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मतदान में भाग लिया और उसी के आधार पर फैसला किया गया। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार है, वह कैसे चुनी जानी है और बाकी का जो बहुमत था, उसकी कहीं कोई सीधी भागीदारी नहीं रही। यह उचित समय है जबकि हम विषय में वृहत्त तरीके से विचार करें और विचार करने के बाद इस विधेयक को बल प्रदान करते हुए पारित करें कि देश के भीतर जितने मतदाता हैं, उन मतदाताओं का मतदान के प्रति अनिवार्य रूप से दायित्व बने। हां, यदि किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से कोई बीमारी हो जाये और उसका मेडिकल सर्टीफिकेट अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित और परिलक्षित होता है कि कोई युक्तियुक्त कारण है, जिसकी वजह से वह मतदाता मतदान नहीं कर सका, ऐसी स्थिति में उसको पूरी तरह से छूट रहनी चाहिए। इसके विपरीत वेतन की कटौती या सरकार की पदोन्नति में विलंब जैसे भय के लिए छोटा सा दंडात्मक विधान होना चाहिए। न केवल दंडात्मक बल्कि दूसरी ओर प्रोत्साहन देने के लिए धारा-4 में उल्लेख किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है, यदि वह लगातार पिछले 20 वर्षों से मतदान में भाग लेता आया है और बीमारी के बावजूद उसने मतदान में भाग लिया है तो उसके सेवा में अधिमान दिया जाये। उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश में अधिमान दिया जाये। अन्य प्रोत्साहन, जिसके लिए केन्द्र सरकार नियम निर्धारित कर सकती है, ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, इस विधेयक से संबंधित मंत्री कौन हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपकी बात हम सुन रहे हैं। इसके अलावा ला मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बची सिंह जी, आप अपना भाषण आगे जारी रख सकेंगे, इसके लिए जो नियत समय होगा, उसमें यह विधेयक फिर से लाया जायेगा। अब हम आधे घंटे की चर्चा ले रहे हैं।

अपराह्न 5.30 बजे

आधे घंटे की चर्चा

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन

डा. चिन्ता मोहन (तिरूपति): महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने मेरी आधे-घंटे-की-चर्चा की सूचना को स्वीकार किया और आपने यहां मुझे लघु उद्योग विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आप का धन्यवाद करता हूं। मेरी इस सूचना को गत सप्ताह ही सूची में सम्मिलित किया जाना था लेकिन कई कारणों से इसे इस सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

महोदय, लघु उद्योगों के बारे में बोलने से पहले मैं लघु उद्योगों के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। लघु उद्योगों के बारे में सबसे पहले 1938 में चर्चा हुई थी। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के सभापतित्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्षेत्रीय सम्मेलन में लघु उद्योगों के विषय पर चर्चा हुई थी। स्वर्गीय दासगुप्ता इस सम्मेलन के संयोजक थे और श्री के.टी. शाह ने इस विषय पर संकल्प प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात् 1948 में भारत सरकार ने देश में लघु उद्योग को स्थापित करने के बारे में एक आदेश जारी किया था। लेकिन अंतत: लघु उद्योग बोर्ड का गठन 1954 में हुआ। वर्ष 1954 में, देश में लगभग 20 हजार लघु औद्योगिक इकाइयों थी। आज देश में लगभग 2,31,000 लघु औद्योगिक इकाइयां हैं।

[डा. चिन्ता मोहन]

महोदय, देश में लघु उद्योगों को बनाये रखने के क्या कारण हैं। लघु उद्योगों को बनाये रखने का प्रमुख कारण है क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, बेरोजगारी को दूर करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना। लघु उद्योगों को बनाये रखने के प्रमुख कारण यही थे। वस्तुतः लघु उद्योग हैं क्या? लघु उद्योगों में हथकरघा उद्योग, जूता-निर्माता, बीड़ी श्रमिक, खिलौना उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग इत्यादि शामिल हैं। देश में लगभग 800 तरह के उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जब 1954 में लघु उद्योगों को आरंभ किया गया था तब इसमें लगभग 800 प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया था।

महोदय, आज इस उद्योग में क्या हो रहा है। आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले जैसे स्थानों में इसी राज्य के रंगारेड्डी जिले में, सभापति महोदय, यहां तक कि आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मनसौड़ में ऐसे बहुत से लघु उद्योग हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि दिल्ली में भी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण लघु उद्योग इकाइयों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी इकाइयों की स्थिति क्या है? भूटान जैसे छोटे देश में भी लघु उद्योगों की विकास दर लगभग दस प्रतिशत है। इण्डोनेशिया में लघु उद्योग की विकास दर 10 प्रतिशत है। मैं अपने देश की तुलना चीन जैसे देश से नहीं करना चाहूंगा जहां लघु उद्योग की विकास दर लगभग 16 प्रतिशत है। आज, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लघु उद्योगों की विकास दर 7.9 प्रतिशत के आस पास है। यह प्रतिशत वृद्धि दर बहुत ही कम है।

महोदय, इन लघु उद्योगों द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है। इन उद्योगों के सामने मुख्य समस्या वित्त प्रबन्धन की है। बैंक इस क्षेत्र की ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। लघु उद्योगों हेतु दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर बहुत अधिक है और ऋण भुगतान का समय बहुत कम है। इन उद्योगों के लिए भुगतान अवधि बहुत कम निर्धारित की गयी है और यह मुश्किल से छह या सात वर्ष है। इन उद्योगों को उचित कच्चा माल भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योगों को न तो समुचित विपणन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है और न ही समय पर निर्यात करने के लिए कोई प्रोत्साहन की व्यवस्था है। वित्तीय संस्थायें भी इन उद्योगों की सहायता के लिए आगे नहीं आती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन उद्योगों की अधिकतर परिसंपत्तियां गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बनती जा रही है और लघु उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं।

महोदय, यहां पर मैं गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, तब गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की परिभाषा कुछ और थी। जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तब गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की परिभाषा कुछ और थी। आज इसकी परिभाषा यह है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि में ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है तो उस इकाई की आस्तियां गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बन जाती हैं। वे रुग्ण बन जाते हैं और कोई उन्हें मदद नहीं करता है। सरकार उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होती। अमरीका में अप्रयोज्य आस्तियों की परिभाषा है यदि कोई व्यक्ति छः माह के भीतर पुनर्भुगतान नहीं करता तो वह अप्रयोज्य आस्ति बन जाता है। अमरीका में ब्याज दर एक अथवा दो प्रतिशत है। यहां भारत में लघु उद्योग ऋणकर्त्ता के लिए ब्याज दर लगभग 15 प्रतिशत है। कई बार तो यह बढ़कर 18 प्रतिशत तक हो जाती है। इतनी भारी ब्याज दर के साथ सरकार से और किसी बाहरी उचित सहायता के अभाव में लघु उद्योग इस देश में कैसे पनप सकते हैं? कम से कम हमें तो उन्हें उदार ऋण देने का प्रयास करना चाहिए। जब हम उन्हें ऋण देते हैं तो हमें उन्हें अधिक ऋण अदायगी स्थगन देने चाहिए। कम ब्याज और अदायगी के लिए अधिक समय देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उन्हें निर्यात सहायता अथवा निर्यात प्रोत्साहन मिले। इसके अभाव में इस देश में कोई भी लघु उद्योगपति पनप नहीं सकता।

हमें लघु उद्योगपतियों के लिए अप्रयोज्य आस्तियों की परिभाषा में छूट देनी चाहिए। लघु उद्योग का अपना इतिहास और सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त के अनुसार नये उद्योगपति समय पर ब्याज अदा करने में सक्षम होते है लेकिन लघु उद्योगपति समय पर ब्याज नहीं दे पाते। वे रुग्ण बन जाएंगे।

आपने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) नामक बैंक की स्थापना की है वे नियमों में ढिलाई नहीं कर सकते। उस बैंक के सभापति एवं प्रबन्ध निदेशक के मन में गरीब लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हाल ही में मुझे बताया गया कि उसका स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान में किया गया है। वह बैंक आज मुखियाविहीन है। आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी सोच गरीब लोगों के हितों वाली बेरोजगारों के हितों वाली और लघु उद्योगपतियों के हितों का समर्थन करने वाली हो। किसी सिद्धान्त के बिना, किसी उचित वचनबद्धता के अभाव में मैं नहीं समझता कि लघु उद्योग पनप सकता है।

आज कृपया भारतीय रिजर्व बैंक को ही देखें। भारतीय रिजर्व बैंक के कृत्यकारियों के पास गरीबों के लिए सहानुभूति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के मन मं बेरोजगार लोगों के लिए सहानुभूति नहीं है। किसी भी कृत्यकारी को पता नहीं है कि गरीबी क्या है और लोगों की कठिनाईयां क्या है। यही बात बैंकिंग विभाग पर

भी लागू होती है। सचिव (बैंकिंग) को पता नहीं है कि इन लघु उद्योगपतियों को क्या हुआ है। हमारे पास अपने लोग होने चाहिए जिनमें वचनबद्धताएं हों। हमें बेरोजगारी कम करने और गरीबी हटाने के प्रयास करने चाहिए। हमें भूखमरी हटाने के भी प्रयास करने चाहिए। केवल भगवान ही जानता है कि बेरोजगार लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमें उनके बचाव के बारे में सोचना पड़ेगा।

सिडबी लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करते हुए उनसे बाद की तिथियों के चैक लेते हैं। श्री हन्नान मोल्लाह ने शून्य काल के दौरान उल्लेख किया कि मामले न्यायालयों में इकट्ठे होते जा रहे हैं। वे मामले क्या हैं? वास्तव में वह अपराधिक मामले नहीं हैं। जब गरीब लोग अथवा बेरोजगार ऋण लेते हैं तो उन्हें बाद की तारीखों के चैक उनसे मिल रहे है यदि वे समय पर ऋण वापस नहीं करते हैं तो उन पर अपराधिक मामला लगाया जाता है और उसे न्यायालय में घसीटा जाता है। आजकल न्यायालयों में इन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

धारा 138 को निरस्त किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से इसके गुण दोषों को जाने बिना ही हम इस धारा को लाए है और सभी मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग और महिलाएं आज न्यायालयों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके पास अपनी बात रखने के लिए वकील तक नहीं है और इसलिए वे जेल जा रहे हैं। सिडबी की स्थिति यह है।

बैंकों के साथ एक समस्या और है। जब कोई सांसद अथवा जिलासमाहर्ता अथवा वित्त मंत्री भी उनके पास जाता है और उनसे प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अधीन इन गरीबों की मदद करने को कहता है तो बैंक उनकी सहायता करने को तैयार नहीं होता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि समस्या क्या है तो वह कहते हैं कि इसका कारण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे सीबीआई और बैंकों के बीच कोई संबंध नहीं था, उन्हें स्वायत्तता और स्वतंत्रता दी गयी थी। उन्हें जिम्मेदारी दी गयी थी वे निर्णय ले सकते थे।

अपराह्न 5.39 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

आज सीबीआई के कारण बैंक उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। कोई भी उन्हें मदद देने को तैयार नहीं है। अत: हमें बैंकों के संबंधों को सीबीआई को अलग करना चाहिए। हमें उन्हें पूरी स्वायत्तता देनी चाहिए। बैंकों के सीईओ का चयन करते हुए हमें ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो गरीबों के समर्थन और लघु उद्योग रवैये के समर्थक हो और उन्हें उन लोगों की समस्याओं के बारे में पता हों। आज बैंकों के किसी भी सीएमडी के पास बेरोजगार लोगों के लिए सहानुभूति नहीं है।

किसी को गरीबों के साथ सहानुभूति नहीं है। हम इस प्रकार के लोगों का चयन कर रहे हैं। हमारे रिजर्व बैंक में गवर्नर है कई डिप्टी गवर्नर है। किसी को भी नहीं पता है कि बेरोजगारी क्या है भूखमरी क्या है। किसी को लोगों की तकलीफों के बारे में पता नहीं है। इस प्रकार के लोगों के साथ हम इस उद्योगों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं? हम बेरोजगारों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं? मुझे डर है कि जब तक हम इन लोगों को नहीं बदलते ऐसे लोगों को नहीं लाते जो अच्छी विचार धारा वाले हो, जिनकी वचनबद्धताएं हो जिनकी धारणा हो, हम इन उद्योगों की मदद नहीं कर सकते।

वक्तव्य में एक जगह मैंने देखा कि लघु उद्योग विकास बैंक अपने ऋण का लगभग 60 प्रतिशत इन लघु उद्योगों को दे रहा है जबकि वित्तीय संस्थाएं और बैंक अपने धन का लगभग 16 प्रतिशत लघु उद्योगपतियों को दे रहे है। राज्य वित्तीय निगम अपने ऋण का 70 प्रतिशत इन उद्योगों को दे रहे है। लिखित में वे कह रहे है कि इतना धन दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में वह कोई धन नहीं दे रहे है। कोई भी ऋण लेने नहीं आ रहा है।

मैं अनुरोध करता हूं कि अनुपयोज्य आस्तियों की परिभाषा बदली जाए, सीबीआई मामलों को बैंकों से अलग करने का प्रयास किया जाए और लघु उद्योगों को उनकी कठिनाईयों से बचाने के लिए धारा 138 को निरस्त किया जाए।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में अधिक वचनबद्धता दिखाई जाए। हमारा सिद्धान्त पिछड़े क्षेत्रों में इन उद्यमियों को विकसित करना है। इसकी शुरूआत पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1938 में की गई थी। हमारी वचनबद्धता है कि इन लघु उद्योगों की मदद की जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वचनबद्धता है कि इन लघु उद्योगों की मदद की जाए।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कार्यवाही की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र डा. चिंता मोहन जी ने काफी विस्तार से इसकी भूमिका बताई है। माननीय मंत्री जी भी एस.एस.आई. की समस्याओं से परिचित हैं। मंत्री जी देश के आम आदमी से जुड़े हैं। सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की पहचान एस.एस.आई. है। करीब 40 प्रतिशत का उत्पादन इससे जुड़ा है और पौने तीन करोड़ मजदूर इसमें काम करते हैं।

[श्री संतोष गंगवार]

मैं कोई विशेष भूमिका में नहीं जा रहा हूं, सीधे-सीधे अपनी बात पर आता हूं। वर्तमान सरकार ने पद सम्भालने के बाद इस तरह के बयान दिए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान कैसे होगा। इसलिए हमने मंत्री जी से प्रश्न काल में इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आग्रह किया था। मंत्री जी कहें कि हम इस संबंध में बिल लाएंगे, इंसपेक्टर राज खत्म करेंगे, प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का जायजा लेने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें निरंतर समय बीतता जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो मुख्य समस्या है, जिस पर जितना ध्यान जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा रहा है।

मैं कुछ बिंदु मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के कारण दुनिया का सारा सामान हमारे देश में आ रहा है, तो उसका हमारी एस.एस.आई. यूनिट्स कैसे मुकाबला करेंगी? जिन शर्तों के साथ, जिस कम मूल्य पर विदेशी सामान हमारे देश में मिल रहा है, तो हमारे देश के उत्पाद कैसे जिंदा रखे जाएंगे, कैसे छोटी-छोटी यूनिट्स हम चला पाएंगे, क्या इस बारे में भी आपने विचार किया है कि इस काम को किस प्रकार आप करेंगे? ब्याज की दरें कम करें, आसान शर्तों पर ऋण दें, तो सिर्फ इससे ही काम चलने वाला नहीं है। अभी कहा गया कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बैंकों की जो भूमिका है, उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा। पिछली सरकार ने बैंकों की ब्याज दरों को कम करने का प्रयास किया था और उन्हें 10 से 15 प्रतिशत तक वह सरकार लाने की पहल की थी। लेकिन मेरा मानना है कि ये ब्याज दरें अभी भी ज्यादा हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच ब्याज दर है। ऊपर से सरकार द्वारा यह कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे और सिडबी भी पैसा देगी। लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि अभी तक 600 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। मुझे लगता है कि एस.एस.आई. निरंतर खत्म होने की दिशा में बढ़ती रहेगी। प्रश्न काल में भी यही निवेदन किया गया था कि जो देश की आत्मा है, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी ने जिस उद्देश्य के साथ इस दिशा में काम करना शुरू किया था, उस पर आप कैसे ध्यान दे पाएंगे?

हमारे आपसे निवेदन है कि अगर आपने कुछ विषयों पर अपने विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं किये तो एसएसआई के लिए समस्या बढ़ती जाएंगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एसएसआई के लिए अपने विचार स्पष्ट करें नहीं तो इस उदारीकरण के दौर में विश्व-व्यापार संगठन की शर्तों के आधार पर एसएसआई कैसे जीवित रहेंगी।

आपने कहा कि हम बिल ला रहे हैं, लेकिन कुछ काम तो आप तुरंत कर सकते हैं। ऋण आप एसएसआई को कैसे देंगे, क्योंकि उन्हें छोटे ऋण चाहिए, जो बैंक उन्हें नहीं देते हैं। आपने बिल को शीतकालीन सत्र में लाने की बात कही थी लेकिन शीतकालीन सत्र तो चल रहा है, इसलिए अब तो आप बजट सत्र में ही बिल लाओगे। क्या आप वायदा कर सकते हैं कि आप अगले सत्र में बिल जरूर लाएंगे। हमें मालूम है कि इसका प्रोसेस लम्बा है। वास्तव में जो एसएसआई लगाते हैं, देश के उत्पादन के साथ जुड़े हैं, अगर आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, शर्तों में ढील नहीं दी, चाहे एनवायरमेंट क्लीयरेंस हो या अन्य क्लीयरेंस हों, शर्तों को कम करने का काम नहीं किया तो ये यूनिट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। केवल पौने तीन करोड़ नहीं और भी बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए एसएसआई को रिवाइव करना जरूरी है। जैसा अभी कहा गया हैं कि 6 महीने के बाद एनपीए हो जाए, इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। आपके रहते हुए स्पष्ट सुझाव आयें तो अच्छा है, जिससे एसएसआई सही ढंग से चल पाएंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लघु उद्योगों का हमारे देश में जो महत्व है और देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उनका हम जितना बढ़ावा देंगे, वह हमारे देश के लिए हितकारी होगा। सार्वजनिक उपक्रमों में जो घाटे की स्थिति है, उसको देखते हुए, छोटी-छोटी इकाइयों को जिनमें ज्यादा रोजगार देने की क्षमता है, सरकार को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या सरकार कोई नयी लघु उद्योग नीति लाने का प्रयास करेगी? क्या सरकार ने लघु उद्योग नीति के संबंध में राज्य सरकारों के उद्योग मंत्रियों को आमंत्रित करके विचार-विमर्श किया है, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। उत्पाद कर से दो करोड़ तक का आपने एग्जम्पशन दे रखा है लेकिन पैसे का मूल्य घटता जा रहा है। उत्पाद कर से उनको मुक्त करने के लिए और सस्ते ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

खादी एवं ग्राम उद्योग से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी जी का जो आदर्श था कि ग्रामीण उद्योग बढ़ें, ग्राम स्वराज बने और गांवों का सर्वांगीण विकास हो और लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। खादी ग्राम उद्योग की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। उनको घाटे से उबारने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार की क्या कोई नयी योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत सी चिटें प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य बोलना चाहते है लेकिन दुर्भाग्यवश यह सम्भव नहीं है कि उन्हें समय दिया जाए। नियम कहता है:

"परन्तु अधिक से अधिक चार सदस्यों को, जिन्होंने महासचिव को पहले सूचित कर दिया हो, किसी तथ्य विषय के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।"

[हिन्दी]

मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं सबको टाइम दूं।

[अनुवाद]

श्री के एस राव, आपको एक ही प्रश्न पूछना है।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, लघु उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सहायता हम सभी को करनी है। इसका कारण यह है कि लघु उद्योगों से जुड़े लोग निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से ही है और सम्भवत: दोनों वर्गों के बीच के लोग है।

इसका लाभ यह है कि स्थापना लागत बहुत कम होती है और परिवहन लागत भी कम होती है रोजगार सम्भाव्यता काफी अधिक होती है लेकिन दुर्भाग्यवश जब आप आंकड़े देखते है तो पता चलता है कि अधिकतर लघु उद्योग असफल रहे है इसका कारण लोग नहीं है जिन्होंने उन उद्योगों को शुरू किया है बल्कि इसका कारण लालफीताशाही और समय पर ऋण का न मिलना है। जब ऋण के लिए कोई व्यक्ति बैंक जाता है तो बैंक वाले ऋण देने में काफी समय लगाते है। वे उससे चक्कर लगवाते रहते है समय पर उसे ऋण नहीं दिया जाता और यह गरीब आदमी टूट जाता है। यही मुख्य कारण है जिससे लघु उद्योग इतने वर्षों से प्रभावित हुआ है। किसी को उनके साथ सहानुभूति नहीं है।

दूसरा जब वे किसी सामग्री का उत्पादन करते है तो कोई उचित विपणन सुविधा उपलब्ध नहीं है। नि:सन्देह लघु उद्योग बड़े उद्योगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सरकार को उन्हें कुछ छूट देनी पड़ती है। उदाहरण के लिए साबुन, वाशिंग पाउडर, अचार, फिनाइल गांवों में बनाई जाती है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि सरकारी संगठनों में इन वस्तुओं का प्रयोग किया जाये। सरकारी छात्रावासों में अचार का प्रयोग किया जा सकता है, फिनाइल तथा साबुन का प्रयोग नगर पालिकाओं में किया जा सकता है। परन्तु सरकारी संगठनों में विद्यमान अनियंत्रित भ्रष्टाचार के कारण अधिकारी लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के बजाय बड़े उद्योगों की ओर ही देखते रहते हैं जहां से उन्हें भारी छूट मिल सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि लघु उद्योगों, कृषि उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों द्वारा निर्मित इन वस्तुओं के उपयोग को सरकारी संगठनों में प्राथमिकता दी जाये।

ठीक उसी प्रकार सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्त्रों का प्रयोग पुलिस बलों द्वारा किया जाये तथा नेतागण भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र के अतंर्गत कार्य करने वाले सभी लोगों को लघु उद्योगों द्वारा उत्पादन की जाने वाली सभी वस्तुओं के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जो अभी तक नहीं किया गया है।

अब मैं कृषि उद्योगों पर आता हूं। हम काफी शोर मचा रहे हैं कि किसान समुदाय को उसकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि मूल्य वृद्धि उसमें शामिल नहीं की गयी है। जब किसान फसल उगाता है और फिर जब वह उसके खेत में है, तब उसे इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। यदि उसे यह मिलता है तो यह अलाभकारी है। परन्तु जब किसान के यहां से फसल को उठाकर व्यापारी तक पहुंचाया जाता है तो अचानक मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए केवल बिचौलिए अथवा व्यापारी ही इसका लाभ उठा रहे हैं तथा उत्पादक और किसान इससे वंचित है। यदि सरकार तथा वित्तीय संस्थान उनके उत्पाद में मूल्य वृद्धि करने के लिए किसान के पास जाये तो इससे उसे प्रसन्नता होगी क्योंकि वह गांवों में ही रोजगार उपलब्ध करा सकता है। इसे भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

महोदय हम लघु उद्योगों पर बहुत अधिक धन, हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। एक दिन हम यह घोषणा करते हैं कि हम लघु उद्योगों को 10,000 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण करेगें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नवयुवकों, ग्रामीण बेरोजगार लोगों को ईमानदारी से प्रशिक्षित किया जाये, उनके कौशल को सुधारा जाये और उन्हें वित्तीय संस्थानों से जोड़ा जाये। यदि कुशल श्रमिक वित्तीय संस्थानों से जुड़ते है और उन्हें समय पर ऋण दिया जाता है, यदि उन्हें भंडारण की सुविधा तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये, तो लघु उद्योग ईकाईयां स्वत: ही समृद्ध हो जायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार मिलेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो हमें गांवों में रह रहे निर्धन लोगों अथवा मध्य वर्ग के लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से तथा विशेषकर मंत्री महोदय से यह नम्र निवेदन है कि इन लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाये तथा उन्हें आवश्यक ऋण और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिये।

हाल ही में स्वयंसेवी महिला समूह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिये। हमें उन्हें दिये जाने

[श्री के.एस. राव]

वाले ऋण को सीमित नहीं करना चाहिये और उन्हें छोटे ऋण उपलब्ध कराये जाये। उन्हें गांवों में लघु उद्योग ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यह उनका स्वभाव है, वे बहुत उत्साहित हैं और वे समझते हैं कि अब उन्हें पैसा उपयोग करने का अधिकार मिल गया है, जिससे वे अपनी आय में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

महोदय, श्री चिंता मोहन जी ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है। मंत्री महोदय को केवल प्रश्नों के उत्तर दे कर ही निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिये अथवा उन्हें विषय से बचना नहीं चाहिये। उन्हें देश में लघु उद्योगों, ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मन से प्रयास करने चाहिये। उन्हें लालफीताशाही तथा भ्रष्टाचार समाप्त कर उनके लिए उचित वित्त पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये और कुशल लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों में मदद की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री फग्गन सिंह कुलस्ते दो अथवा तीन मिनट में केवल अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में जो लघु उद्योग हैं, मैं उनकी स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी को सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों में जहां लोन नहीं मिलता है, वहां लोन न मिलने से और बेसिक सुविधाओं के अभाव से धीरे-धीरे उद्योग बंद हो जाते हैं।

इस बारे में पैकेज की जो बात बार-बार सामने आई है, उसके बारे में चिन्ता होनी चाहिये। अगर आप पैकेज की घोषणा करते हो तो मुझे लगता है कि आप छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचा पायेंगे। अगर हम खादी ग्रामोद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दे सकें तो किसानों के साथ-साथ कृषि उपकरणों को हम लाभ पहुंचा सकेंगे। इससे स्थानीय आधार पर उन उद्योगों को काम मिल सकता है। उनके लिये बाजार की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर की जा सकती है। इसलिये इस क्षेत्र में हम लोगों को विचार करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोन का सिस्टम है या जिन लोगों को लोन मिलता है, उनके साथ कई बार ऐसा अनुभव आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों पर आधारित लोगों को जो लोन मिलता है, उसके बाद सब्सिडी देते हैं। परन्तु आदिवासी इलाकों के उद्योग केन्द्रों पर यह अनुभव पाया गया है कि फाइनेंस होने के बाद अगर वह उद्यमी कहीं चला जाता है तो वह काम बंद हो जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिये। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर विचार होना चाहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले कि मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का आग्रह करूं, यदि सभा सहमत हो तो, हम सभा की कार्यवाही इस चर्चा के बाद भी जारी रख सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष जी, मुझे भी एक प्रश्न के लिये अनुमति दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियमों के अनुसार मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मुझे खेद है। मैं नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मैं आपको किसी और दिन अवसर दूंगा।

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विद्वान साथी डा. चिन्ता मोहन ने अपने नोटिस द्वारा तीन मुद्दे उठाये हैं:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन,

(ख) लघु उद्योगों की रुग्णता को कैसे कम किया जाये, और

(ग) वैश्वीकरण, उदारीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त मेरे अन्य साथियों, श्री संतोष कुमार गंगवार, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री के.एस. राव ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मेरे मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयास तथा आगे आने वाली योजनाओं पर जानकारी देना चाहूंगा।

सर्वप्रथम मैं आप सभी को लघु उद्योग की परिभाषा से अवगत कराना चाहूंगा। वर्तमान में लघु उद्योग की इकाई वह होती है जिसमें प्लांट व मशीनरी में एक करोड़ रुपये तक की लागत हो। इस समय देश में 114 लाख इकाइयां हैं जिनमें से पंजीकृत 15.5 लाख और अपंजीकृत 98.5 लाख हैं। इन इकाइयों का भारत के आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान रहा है व इनका औद्योगिक

क्षेत्र के उत्पादन में योगदान 39 प्रतिशत है। उनके द्वारा उत्पादित माल का कुल चालू मूल्य 3.58 लाख करोड़ रुपये है और 86 हजार करोड़ रुपये का निर्यात है जो कि इस बार के कुल निर्यात का 34 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लगभग 2.75 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती हैं।

सायं 6.00 बजे

इस रोजगार सृजन में असंगठित क्षेत्रों की 80 प्रतिशत की भागीदारी है। क्षेत्र की रोजगार सृजन की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए हमारी सरकार ने अपने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया है। इस क्षेत्र की विशेषता है कि इसमें समस्त आकार की इकाइयां समावेशित हैं।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं इस प्रकार हैं-

(क) असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। इस आयोग को इन उद्यमियों को तकनीकी, विपणन तथा ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए समुचित सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु एक राष्ट्रीय कोष बनाया जायेगा।

(ख) सेवा उद्योग को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह विकास और रोजगार के पूरे अवसर उपलब्ध करा सके।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए शीघ्र ही एक बड़े प्रोमोशनल पैकेज की घोषणा की जायेगी। इसे इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाएगा और इसे ऋण, प्रौद्योगिकीय और विपणन की पूरी सहायता दी जायेगी। बड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर तत्काल ध्यान दिया जायेगा।

उपलब्ध आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की संख्या, उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003-2004 में उत्पादन में वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रही है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में यह वृद्धि औसतन 8.13 प्रतिशत रही है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2003-2004 में कुल औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही है। लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर को और अधिक बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने कई कारगर कदम उठाए हैं जैसे-उच्च प्रौद्योगिकी तथा निर्यात उन्मुखी 71 मदों के लिए पूंजी निवेश सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है।

शनैः शनैः आवश्यकतानुसार आरक्षित मदों की सूची में कमी लाई जा रही है ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा में गति आये और वे विदेशी इकाइयों द्वारा बनाए गए उत्पादों को चुनौती दे सकें। इस प्रक्रिया में इस वर्ष 85 मदों को अनारक्षित किया गया है।

लघु उद्योग इकाइयों को 'इंस्पैक्टर राज' से मुक्त कराने के उद्देश्य से "लघु उद्यम विकास विधेयक, 2004" को संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग योजना में शामिल किए गए हैं।

आर.बी.आई. से कोलेटरल फ्री ऋण की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कराई गई।

कम्पोजिट लोन की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कराई गई।

नेशनल इक्विटी फंड योजना के अंतर्गत प्रोजैक्ट लागत की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।

497 विशिष्ट लघु उद्योग बैंक ब्रांच अब तक खुलवाई गई हैं और देश के हर जिले में एक विशिष्ट एस.एस.आई. बैंक ब्रांच खुलवाने का प्रयास है।

वाणिज्यिक बैंक को सलाह दी गई है कि वे लघु उद्योगों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर अपने प्राइम लैंडिंग दर से 2 प्रतिशत ऊपर या नीचे रखें।

दिनांक 1.4.2004 से 10,000 करोड़ रुपये का एस.एम.ई. फंड स्थापित किया गया और अब तक उक्त फंड से 1000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कर दिये गये हैं।

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है, ताकि लघु उद्योगों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

लघु उद्योग मंत्रालय ने क्रैडिट रेटिंग योजना आरंभ की है जिसके तहत इकाइयों द्वारा देय फीस की 75 प्रतिशत, (अधिकतम 40000 रुपये) तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्रैडिट गारंटी फंड में वित्तीय योगदान कराया जाना, क्रैडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी की सीमा बढ़ाना विचाराधीन है। लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाएं देने हेतु मंत्रालय की इंटीग्रेटेड इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमैंट योजना के अंतर्गत पांच करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत पर सामान्यतः 40 परसैंट अनुदान दिया जाता है लेकिन विशेष क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें सिक्किम

[श्री महावीर प्रसाद]

सम्मिलित है, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों हेतु यह अनुदान 80 प्रतिशत तक दिया जाता है।

यह माना गया है कि यदि एक क्लस्टर के अंतर्गत समान इकाइयों को सामूहिक रूप से प्रशिक्षण एवं उच्च प्रौद्योगिकी के संबंध में जानकारी दी जाए तो पूरे क्लस्टर का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। अत: मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 59 औद्योगिक क्लस्टर चुने गये हैं। उनको चहुंमुखी रूप से प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, ऋण सहायता व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उपर्युक्त 59 क्लस्टरों में पांच राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत भी कार्य चल रहा है। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र क्लस्टर योजना की तुलना में ज्यादा वृहद है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए मद खिलौने, पत्थर, मशीन, टूल, ताला एवं हैन्ड टूल हैं। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों में यनिडों की सहभागिता है।

जैसा कि साझा राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में घोषित है, मेरे मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख संवर्द्धनात्मक पैकेज तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना आदि की सहायता किया जाना प्रस्तावित है।

श्री संतोष गंगवार: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि इतना लंबा जवाब है तो लिखकर भेज देते, हम पढ़ लेते। हमने कुछ बिन्दु उठाए थे, उनका जवाब मिल जाता तो अच्छा रहता। ...*(व्यवधान)*

श्री महावीर प्रसाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संतोष जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। आप धैर्य रखिये। आप जानना चाहते हैं कि लघु उद्योग के विषय में मंत्रालय ने क्या किया है, उसके संदर्भ में माननीय सदस्य को बताना तो जरूरी है। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं तो विस्तार से उसका जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को इंस्पैक्टर राज से मुक्त कराने हेतु लघु उद्यम विकास बिल, 2004 तैयार कर रही है जो शीघ्र ही संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने माननीय सदस्यों ने शंकाएं व्यक्त की हैं, यह बिल एक ऐसा बिल है जो लघु उद्योग की रीढ़ है और इसमें हमारी सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा का पूरा सहयोग है। जब विधेयक सामने आएगा तो विद्वान माननीय सदस्य विशेषकर डा. चिन्ता मोहन जी इसको और अधिक समझ पाएंगे और सभी माननीय सदस्य इसको समझेंगे।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हमारा मंत्रालय दो योजनाएं-प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना भी चला रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत 16.5 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है तथा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना में 25 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है।

जहां तक माननीय सदस्य ने रुग्णता के विषय में चिन्ता व्यक्त की है, मैं अपने विद्वान साथियों को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि रुग्ण इकाइयां क्या होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार, रुग्ण इकाई वह है जिसका किसी उधार खाते में मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो या पिछले लेखा वर्ष के दौरान उसकी निवल संपत्ति (नैट वर्थ) में 50 प्रतिशत तक कमी आई हो। अर्थात्, ये इकाइयां अपनी स्थापित क्षमता से कम क्षमता पर चल रही है, जिसके फलस्वरूप वे बैंक से लिए गए ऋणों को समय से अदा नहीं कर पा रही है। ...*(व्यवधान)*

माननीय महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित आंकड़ों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की संख्या में कमी आई है। देश में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या मार्च, 1998 के अन्त में 2.21 लाख से घटकर मार्च, 2003 के अन्त में 1.67 लाख रह गई है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि दिनोंदिन जिस प्रकार से हमारे तकनीकी आधार बढ़ते जा रहे हैं, संवर्धन होता जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी रुग्ण इकाइयां कम हो रही हैं।

महोदय, लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना, जो वर्ष 2001-02 के दौरान संचालित की गई थी उसके परिणामों के अनुसार देश में रुग्ण/प्रारम्भिक रुग्ण इकाइयों की संख्या 8.23 लाख थी जो कि कुल इकाइयों की 7.82 प्रतिशत थी। इस गणना के दौरान किए गए सर्वेक्षण से रुग्णता के मुख्यत: आठ कारण सामने आए, जिनके बारे में माननीय डा. चिन्ता मोहन जी ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी उनकी चिन्ता में अपने को समाहित करता हूं और इस प्रकार से हमारे सामने जो कारण हैं कि क्यों हमारी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो जाती हैं, उसके आठ कारण हैं। एक तो मांग का अभाव, कार्यशील पूंजी की कमी, विपणन संबंधी समस्याएं, विद्युत की कम आपूर्ति, कच्चे माल की अनुपलब्धता, संयंत्र संबंधी समस्याएं, श्रम संबंधी समस्याएं तथा प्रबन्धन संबंधी समस्याएं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमन, माननीय सदस्य का थोड़ा समय और चाहूंगा फिर अलग से मैं उनसे बात करूंगा। वे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा। रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु कई कारगर कदम उठाए गए हैं जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एस.एस. कोहली कमेटी रिपोर्ट 2001 की संस्तुति के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वासन हेतु संशोधित दिशानिर्देश 16 जनवरी, 2002 को सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिपत्रित कर दिए गए। इस प्रकार से कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे रुग्णता में कमी आ जाए। हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय शीघ्रतापूर्वक रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे माननीय चिन्ता मोहन जी ने जो तीसरा बिन्दु उठाया है ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे घबराएं नहीं बैठें और मुझे सुनें। मैंने पहले ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय से समय के लिए क्षमा मांग ली है। चूंकि जब प्रश्न एक तारीख को प्रश्न आया, तो आप बहुत उतावले थे। इसलिए मैं माननीय सदन में संपूर्ण रूप से और विस्तार पूर्वक उत्तर देना चाहता हूं और आपके सामने परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैं अजमेर और पुष्कर की तरफ भी आऊंगा। आपके क्षेत्र में भी मैं आऊंगा। पुष्कर और अजमेर दोनों की मैं व्याख्या करूंगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं विश्व के विभिन्न देशों के उत्पादों, सेवाओं और पूंजी बाजारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण या उदारीकरण कहते हैं। यह बात हमारे सामने है, यह समस्या है। माननीय सदस्यों की तरह से हम भी चिन्तित हैं कि वैश्वीकरण या उदारीकरण जो देश में आया है, इससे हमारे लघु उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।

उस सदर्भ में मैं स्वयं चिन्तित था, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण से यह स्थिति सामने आई है कि प्रतिस्पर्द्धा की भावना से हमारे जो उद्यमी हैं, वे भी गुणवत्ता की तरफ चले हैं ताकि बाहर के देशों से जो माल, चाइना और दूसरी जगहों से आने का सवाल था, हमारे उद्यमी भी उस तरफ काफी कारगर हो रहे हैं। इसलिए उदारीकरण हमारे लिए चिन्ता का विषय था, जिसके कारण इस वक्त कम्पीटिशन है, प्रतिस्पर्द्धा है। उस प्रतिस्पर्द्धा को संभालने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे उद्यमी भी सामने आ गए हैं और आज वे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वैश्वीकरण या उदारीकरण से हमारे जो लघु उद्योग हैं, वे कमजोर नहीं हुए हैं। हमारे हिन्दुस्तान के लघु उद्योग भी प्रगति की तरफ चले हैं, जिसकी मैं अभी व्याख्या कर रहा था कि लघु उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में निर्यात कर रहे हैं। आज हमारे निर्यात का 34 प्रतिशत लघु उद्योग का है।

महोदय, हमारे वरिष्ठ सांसद, जो हमारे मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप चिन्तित न हो। जो बिल हमारे सामने है, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का बिल है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं प्रयत्न कर रहा था कि इस सत्र में वह बिल आ जाए। उस बिल का हमारा पूरा मसौदा तैयार है। हम उसे केबिनेट में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस बिल को इसी अधिवेशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वह बिल आने के बाद लघु उद्योग के क्षेत्र में जितनी प्रगति की बात है, उसमें जितने अनुच्छेद हैं, सब कुछ उसमें साफ हो जाएगा जब हम लघु उद्योग बिल सदन में लाएंगे। डा. चिन्ता मोहन जी, (चित्तूर और आंध्र प्रदेश), के.एस. राव जी तथा रावत जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हम बिलकुल इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि इस संदर्भ में जो ब्याज दर की बात पीएलआर से, दो प्रतिशत कम या अधिक की हम बात कर रहे हैं, हमारा वित्त मंत्रालय से भी संपर्क है। मेरी इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वार्ता हुई थी कि हम बिल ले आते हैं, उसके बाद लघु उद्योगों के प्रति हमारा जो लक्ष्य है, उसे मैं आपके सामने लाऊंगा। जितने माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लघु उद्योग भारत के करोड़ों-करोड़ गरीबों, दलितों और महात्मा गांधी के प्रति जो आपने कहा कि खादी के प्रति हम स्वयं चिन्तित हैं। महात्मा गाधी जी को याद करते हुए, आने वाले भविष्य में खादी उद्योग और खादी अपना परचम लहराएगा और पूरे गरीबों, दलितों और मजदूरों का कल्याण होगा। इसलिए मैं वह बिल ला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा सोमवार 20 दिसम्बर, 2004 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 दिसम्बर 2004/29 अग्रहायण, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	243
2.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	244
3.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री कमला प्रसाद रावत	245
4.	श्री शिवराज सिंह चौहान श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	246
5.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री देविदास पिंगले	247
6.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	248
7.	श्री हेमलाल मुर्मू	249
8.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	250
9.	श्री अर्जुन सेठी	251
10.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री सीताराम सिंह	252
11.	श्री परसुराम माझी	253
12.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	254
13.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री लोनाप्पन नम्बाडन	255
14.	श्री मोहन रावले	256
15.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	257
16.	श्री गिरिधारी यादव	258
17.	श्री ब्रजेश पाठक	259
18.	श्री गुरूदास कामत	260
19.	श्री हरिकेवल प्रसाद	261
20.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	262

अल्प सूचना प्रश्न की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	1

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	2817
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2772, 2856, 2857, 2932
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2822, 2877, 2898, 2907
4.	अहमद, श्री अतीक	2828
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2748, 2851, 2915, 2919
6.	अंगडि, श्री सुरेश	2749, 2886, 2898, 2918, 2945
7.	आठवले, श्री रामदास	2798, 2881, 2929
8.	आजमी, श्री इलियास	2784, 2792, 2876
9.	बैठा, श्री कैलास	2752
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	2804, 2884, 2958
11.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2803, 2888, 2919, 2934
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	2769, 2864
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2738
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2806
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2826

1	2	3
16.	चन्देल, श्री सुरेश	2803
17.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2803, 2949
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2777
19.	चिन्ता मोहन, डा.	2893
20.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2810, 2890, 2936
21.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2771, 2906
22.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2867, 2919
23.	चौधरी, श्री पंकज	2808
24.	चौधरी, श्री अधीर	2857, 2918, 2941
25.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2920
26.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2790
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	2745, 2765
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2814
29.	फर्नांडीज, श्री जार्ज	2836
30.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2834, 2915, 2936
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2747, 2868, 2955
32.	गांधी, श्रीमती मेनका	2782
33.	गंगवार, श्री संतोष	2796
34.	गीते, श्री अनंत गंगाराम	2813
35.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2795
36.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2764
37.	हुसैन, श्री अनवर	2780, 2952
38.	जगन्नाथ, डा. एम.	2821
39.	जालप्पा, श्री आर.एल.	2779, 2893

1	2	3
40.	झा, श्री रघुनाथ	2835, 2903, 2905
41.	जिन्दल, श्री नवीन	2775
42.	कामत, श्री गुरूदास	2765, 2829, 2875, 2945
43.	कनोडीया, श्री महेश	2811
44.	करूणाकरन, श्री पी.	2830, 2865
45.	कस्वां, श्री राम सिंह	2844
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2824, 2900
47.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2799
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2755
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2833
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2759, 2815
51.	कोया, डा. पी.पी.	2773
52.	कृष्ण, श्री विजय	2860, 2924, 2948, 2950
53.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2869
54.	कुरूप, श्री सुरेश	2831, 2901, 2962
55.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2787, 2814, 2863
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2893
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2734, 2850, 2914, 2954
58.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2770, 2812, 2862, 2938
59.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2795, 2873
60.	महतो, श्री बीर सिंह	2784, 2792, 2868

1	2	3
61.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2797, 2868, 2917
62.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2815
63.	माझी, श्री परसुराम	2848, 2923
64.	मंडल, श्री सनत कुमार	2818, 2886, 2894, 2937
65.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	2860, 2907, 2953
66.	माने, श्रीमती निवेदिता	2825, 2860, 2907, 2948
67.	मांझी, श्री राजेश कुमार	2760, 2901
68.	मिडियम, डा. बाबू राव	2836, 2930
69.	मेघवाल, श्री कैलाश	2765, 2801, 2879, 2886, 2927
70.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2765, 2809
71.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2947
72.	मोदी, श्री सुशील कुमार	2791
73.	मोघे, श्री कृष्ण मुरारी	2919
74.	मोहन, श्री पी.	2786
75.	मुकीम, मो.	2840
76.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2857, 2932
77.	मूर्ति, श्री एम.के.	2744, 2849
78.	मुन्शी राम, श्री	2814, 2858, 2863, 2875, 2887
79.	नरबुला, श्री डी.	2756
80.	नायक, श्री अनन्त	2919, 2932
81.	निखिल कुमार, श्री	2763, 2857
82.	ओराम, श्री जुएल	2739, 2852, 2881, 2916
83.	ओसमानी, श्री ए.एफ.जी.	2762
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2845, 2912
85.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2735, 2751, 2829, 2853
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2785, 2889, 2935
87.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2750, 2802, 2891
88.	पासवान, श्री राम चन्द्र	2802, 2953
89.	पासवान, श्री सुकदेव	2765, 2783
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	2857, 2869, 2874, 2925
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2802, 2880, 2928
92.	पिंगले, श्री देविदास	2863
93.	प्रसाद श्री हरिकेवल	2876, 2879
94.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	2857
95.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2767
96.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2829, 2911
97.	रामदास, प्रो. एम.	2757, 2945
98.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2812, 2892, 2953, 2959
99.	राणा, श्री काशीराम	2774, 2797, 2865, 2885
100.	राव, श्री के.एस.	2761, 2801, 1802, 2815, 2854
101.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2766, 2773, 2812, 2899, 2960
102.	राव, श्री डी. विट्टल	2836, 2911
103.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2840

1	2	3
104.	रावले, श्री मोहन	2855, 2957
105.	रावत, श्री अशोक कुमार	2746, 2869, 2896, 2939
106.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2898, 2920, 2940
107.	रावत, प्रो. रासा सिंह	2740, 2905
108.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2871, 2922
109.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2838
110.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2735
111.	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.	2765, 2861, 2961
112.	रेंडे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2865, 2908, 2917
113.	सांगवान, श्री किशन सिंह	2840, 2842, 2909, 2944
114.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2766, 2800, 2812, 2878, 2926
115.	सरोज, श्री तूफानी	2809
116.	सत्पथी, श्री तथागत	2765
117.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2837, 2904, 2943, 2953
118.	सेन, श्रीमती मिनाती	2788, 2932
119.	सेनथिल, डा. आर.	2753, 2893
120.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2816
121.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	2819
122.	शर्मा, श्री मदन लाल	2754, 2870, 2921
123.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2798, 2877, 2897, 2898, 2907
124.	शिवन्ना, श्री एम.	2950
125.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2787, 2858, 2863, 2920
126.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2832, 2902, 2942
127.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2812
128.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2785, 2827
129.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2773
130.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2793
131.	सिंह, श्री दुष्यंत	2841
132.	सिंह, श्री गणेश	2803
133.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2765, 295, 2956
134.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2860, 2898, 2924
135.	सिंह, श्री मोहन	2765
136.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2758, 2871
137.	सिंह, श्री सीताराम	2882, 2930
138.	सिंह, श्री सुग्रीव	2794
139.	सिंह, श्री सूरज	2798
140.	सिंह, श्री उदय	2866, 2918
141.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	2781
142.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2741, 2872, 2944
143.	सुब्बा, श्री एम.के.	2853
144.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2807, 2887, 2933
145.	सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव हु.	2820

1	2	3
146.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2743, 2847, 2913, 2946, 2954
147.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2830, 2839, 2954
148.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2805
149.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2765, 2823, 2898, 2907, 2945
150.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2736, 2895, 2954
151.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2737, 2774, 2797, 2885
152.	विनोद कुमार, श्री बी.	2776, 2838, 2883, 2931
153.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2869, 2907, 2953
154.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2768
155.	यादव, श्री बालेश्वर	2742, 2846, 2898
156.	यादव, श्री गिरिधारी	2797, 2908
157.	यादव, श्री राम कृपाल	2765, 2768
158.	यादव, श्री रमाकान्त	2953
159.	यादव, श्री सीता राम	2843, 2910
160.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2859, 2932
161.	जाहेदी, श्री महबूब	2765, 2778

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	224, 245, 251, 257
कंपनी कार्य	:	
वित्त	:	243, 246, 248, 250, 252, 253, 255, 258, 260, 262
विधि और न्याय	:	256, 259, 261
ग्रामीण विकास	:	249, 254
वस्त्र	:	247

अल्प सूचना प्रश्न की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

विदेश	:	1

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2735, 2736, 2737, 2754, 2757, 2762, 2763, 2776, 2777, 2778, 2780, 2783, 2785, 2789, 2790, 2793, 2796, 2801, 2806, 2807, 2809, 2813, 2818, 2819, 2820, 2825, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2837, 2841, 2844, 2848, 2854, 2855, 2860, 2862, 2863, 2870, 2878, 2881, 2882, 2884, 2887, 2898, 2907, 2917, 2918, 2924, 2929, 2933, 2934, 2943, 2955, 2957, 2959, 2960
कंपनी कार्य	:	2866, 2935, 2936
वित्त	:	2738, 2739, 2740, 2742, 2743, 2744, 2745, 2747, 2749, 2751, 2752, 2753, 2755, 2756, 2758, 2759, 2760, 2761, 2764, 2765, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2775, 2779, 2781, 2786, 2787, 2794, 2797, 2799, 2800, 2803, 2804, 2805, 2808, 2810, 2811, 2815, 2817, 2821, 2823, 2824, 2826, 2834, 2835, 2838, 2840, 2842, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2856, 2861, 2865, 2867, 2868, 2872, 2873, 2874, 2875, 2877, 2879, 2880, 2883, 2885, 2886, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2895, 2896, 2897, 2899, 2900, 2901, 2903, 2904, 2905, 2909, 2911, 2913, 2923, 2925, 2927, 2928, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2944, 2945, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2956, 2958, 2961, 2962, 2963
विधि और न्याय	:	2750, 2767, 2769, 2782, 2788, 2791, 2833, 2843, 2906, 2914, 2916, 2937
ग्रामीण विकास	:	2748, 2784, 2816, 2822, 2831, 2839, 2845, 2857, 2859, 2889, 2908, 2910, 2915, 2919, 2930, 2931, 2946
वस्त्र	:	2734, 2741, 2746, 2771, 2773, 2792, 2795, 2798, 2802, 2812, 2814, 2836, 2853, 2858, 2864, 2869, 2871, 2876, 2894, 2902, 2912, 2920, 2921, 2922, 2926, 2932.

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स मनराज एसोसिएट्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।